सत्यमेव जयते

भारत के
नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
(सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र)
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
प्राक्कथन		v
अध्याय – 1 प्रस्तावना		
कार्यकारी सार		1
विहंगावलोकन	1.1 से 1.2	2
लेखापरीक्षा आदेश	1.3 से 1.5	2-3
राज्य पी.एस.यूज में निवेश	1.6 से 1.8	3-5
बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/परिदान, गारंटियां एवं ऋण	1.9 से 1.11	5-6
वित्त लेखाओं का मिलान	1.12 से 1.13	6
पी.एस.यूज का निष्पादन	1.14 से 1.20	6-9
लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया	1.21 से 1.26	9-10
गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज को बन्द करना	1.27 से 1.28	10
लेखा टिप्पणियां और आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.29 से 1.35	11-13
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां	1.36	13
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.37	14
पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन	1.38	14
अध्याय – 2 निष्पादन लेखापरीक्षा		
सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाएं	2	
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड		
संचारण गतिविधियां	2.1	
कार्यकारी सार		15-16
प्रस्तावना	2.1.1 से 2.1.2	16-17
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.1.3	17
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.1.4	18
लेखापरीक्षा मापदण्ड	2.1.5	18-19
लेखापरीक्षा पद्धति	2.1.6	19
संचारण प्रक्रिया का संक्षिप्त ब्यौरा	2.1.7	19-20
लेखापरीक्षा परिणाम	2.1.8	20
आयोजना और विकास	2.1.9 से 2.1.25	20-32
संचारण प्रणाली का निष्पादन	2.1.26 से 2.1.29	32-34
ग्रिड प्रबंधन	2.1.30 से 2.1.36	35-38
ऊर्जा लेखांकन और लेखापरीक्षा	2.1.37	38

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
वित्तीय प्रबंधन	2.1.38 से 2.1.44	39-44
शुल्क दर निर्धारण	2.1.45 से 2.1.48	44-47
सामग्री प्रबंधन	2.1.49 से 2.1.50	47-48
मानीटरिंग और नियंत्रण	2.1.51 से 2.1.54	48-50
निष्कर्ष		50-51
अनुशंसाएं		51
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2.2	
कार्यकारी सार		52-53
प्रस्तावना	2.2.1	53
संगठनात्मक ढांचा	2.2.2	54
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	2.2.3	54
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.2.4	54-55
लेखापरीक्षा मापदण्ड	2.2.5	55
लेखापरीक्षा पद्धति	2.2.6	55
वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम	2.2.7	56
लेखापरीक्षा परिणाम	2.2.8	56
वित्त पोषण गतिविधि	2.2.9	56-58
वसूली निष्पादन	2.2.10 से 2.2.12	58-60
वन टाइम सैटलमेंट (ओ.टी.एस.) पॉलिसी	2.2.13 से 2.2.15	61-63
साम्या भागीदारी स्कीम (ई.पी.एस.)	2.2.16	63-64
भूमि का अधिग्रहण	2.2.17 से 2.2.19	64-66
भूमि का विकास	2.2.20 से 2.2.21	66-67
मूल्य का निर्धारण	2.2.22 से 2.2.23	67-69
मेगा प्रोजैक्टस	2.2.24 से 2.2.27	69-72
औद्योगिक यूनिटों की मॉनीटरिंग न करना	2.2.28	72-73
आंतरिक लेखापरीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण	2.2.29 से 2.2.30	73-74
निष्कर्ष		74-75
अनुशंसाएं		75

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
अध्याय – 3 सैद्धांतिक लेखापरीक्षा		
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
विद्युत प्रभारों के कारण बकाया का संचय	3.1	77-84
हरियाणा वित्तीय निगम		
पुराने समायोजन स्कीमों का कार्यान्वयन	3.2	85-94
अध्याय – 4 संपादनों की लेखापरीक्षा		
सरकारी कम्पनियां		
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
अतिरिक्त व्यय	4.1	95-97
ट्रांसफार्मर तेल के क्रय पर अतिरिक्त व्यय	4.2	97-98
आर्बीट्रेशन मामले के गलत अनुसरण के कारण हानि	4.3	98-100
सांविधिक प्रावधान की उल्लंघना के कारण परिहार्य देयता	4.4	100-101
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
गलत श्रेणी में कनेक्शन की निर्मुक्ति	4.5	101-102
अवसूली	4.6	102
हरियाणा पर्यटन निगम		
फालतू निधियों का अविवेकी प्रबंधन	4.7	103
हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड		
राजस्व की हानि	4.8	103-104
राजस्व की हानि	4.9	105-106
अनियमित व्यय	4.10	106-107
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड		
ब्याज की हानि	4.11	107-108
सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.12.1 से 4.12.4	108-111

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1	परिशिष्ट 1	1.6	113-118
2	परिशिष्ट 2	1.14	119-124
3	परिशिष्ट 3	1.9	125-127
4	परिशिष्ट 4	1.24	128
5	परिशिष्ट 5	1.14	129-130
6	परिशिष्ट 6	1.14	131
7	परिशिष्ट 7	2.1.10	132-133
8	परिशिष्ट 8	2.2.7	134-135
9	परिशिष्ट 9	2.2.27	136
10	परिशिष्ट 10	3.1.4	137
11	परिशिष्ट 11	3.2.6	138-139
12	परिशिष्ट 12	4.12.1	140
13	परिशिष्ट 13	4.12.3	141
14	परिशिष्ट 14	4.12.4	142
संकेताक्षरों की शब्दावली			143 से 146

प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक उद्यम, जिनके लेखे भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की लेखापरीक्षा के अधीन हैं, निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

- सरकारी कम्पनियां,
- सांविधिक निगम, तथा
- विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम।

2. यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संव्यवहार करता है और यह भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क, जैसा कि समय-समय पर संशोधित की गई है, के अन्तर्गत हरियाणा सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा के परिणाम पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सी.ए.जी. द्वारा की जाती है।

4. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में संव्यवहारित नहीं किए जा सके थे; वर्ष 2011-12 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले, जहां आवश्यक समझे गए, भी सम्मिलित कर लिए गए हैं।

5. भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई हैं।

अध्याय – 1

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

कार्यकारी सार

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। ये लेखे भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित पूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन भी हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। 31 मार्च 2012 को हरियाणा राज्य में 22 कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (20 कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम) तथा सात गैर–कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सभी कम्पनियां) थे। राज्य कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यूज), जिनमें 0.36 लाख कर्मचारी नियुक्त थे, ने अपने अन्ततम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार 2011–12 हेतु ₹ 21,465.56 करोड़ का आवर्त दर्ज किया। यह आवर्त, अर्थव्यवस्था में पी.एस.यूज द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करते हुए राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 6.99 प्रतिशत के बराबर था। तथापि, कार्यचालन पी.एस.यूज ने 2011–12 हेतु ₹ 2,541.24 करोड़ की हानि उठाई जबकि सभी पी.एस.यूज ने ₹ 8,622.09 करोड़ की समग्र हानियां संचित की।

पी.एस.यूज में निवेश

31 मार्च 2012 को 29 पी.एस.यूज में निवेश (पूंजीगत तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 30,881.66 करोड़ था। यह 2006–07 में ₹ 12,311.41 करोड़ से 150.84 प्रतिशत तक बढ़ गया। विद्युत क्षेत्र ने 2011–12 में कुल निवेश का लगभग 94 प्रतिशत परिगणित किया। सरकार ने 2011–12 के दौरान साम्या, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों की ओर ₹ 8,047.35 करोड़ का अंशदान दिया।

पी.एस.यूज का निष्पादन

वर्ष 2011–12 के दौरान 22 कार्यचालन पी.एस.यूज में से 17 पी.एस.यूज ने ₹ 298.80 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा पांच पी.एस.यूज ने ₹ 2,840.04 करोड़ की हानि उठाई। लाभ के प्रमुख अंशदाता हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 140.07 करोड़) तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 69.95 करोड़) थे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,011.24 करोड़) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 794.22 करोड़) द्वारा भारी हानियां उठाई गई थी।

हानियां मुख्यतः पी.एस.यूज के क्रियाकलाप में विभिन्न त्रुटियों को आरोप्य हैं। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के अन्ततम तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य पी.एस.यूज की ₹ 3,261.79 करोड़ की हानियां तथा ₹ 247.16 करोड़ के निष्फल निवेश, कुशल प्रबंध से नियन्त्रणीय थे। इस प्रकार, क्रियाकलाप में सुधार करने तथा हानियों को न्यूनतम/विलुप्त करने के लिए व्यापक क्षेत्र है। पी.एस.यूज प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से आत्म–निर्भर हों। पी.एस.यूज के क्रियाकलाप में व्यावसायिकता एवं उत्तरदायित्व की आवश्यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता

पी.एस.यूज के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान अन्तिमकृत 22 लेखाओं ने अर्हता प्रमाण–पत्र प्राप्त किए। इन लेखाओं में लेखांकन मानकों की अननुपालना के 29 उदाहरण थे। कम्पनियों के आन्तरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों ने कई कमजोर क्षेत्रों को इंगित किया।

लेखाओं में बकाया तथा परिसमापन

सितम्बर 2012 को 17 कार्यचालन पी.एस.यूज के 29 लेखे बकाया थे। पी.एस.यूज हेतु लक्ष्य निर्धारित करके तथा लेखाओं को तैयार करने से संबंधित कार्य को बाहरी स्रोत से करवाकर बकायों को दूर किए जाने की आवश्यकता है। सात गैर–कार्यचालन कम्पनियां थी। चूंकि इन पी.एस.यूज की विद्यमानता से कोई प्रयोजन हल नहीं होता अतः इन्हें तुरंत बन्द किए जाने की आवश्यकता है।

विहंगावलोकन

1.1 राज्य सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यूज) बनते हैं। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के पालन हेतु राज्य पी.एस.यूज बनाये जाते हैं। हरियाणा में, राज्य पी.एस.यूज का राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य स्थान है। 30 सितम्बर 2012 तक उनके अन्ततः अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार 2011-12 के लिए कार्यचालन राज्य पी.एस.यूज ने ₹ 21,465.56 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर 2011-12 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 6.99 *प्रतिशत* के बराबर था। राज्य पी.एस.यूज की मुख्य गतिविधियां विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित है। कार्यचालन राज्य पी.एस.यूज ने उनके अन्ततः अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 2,541.24 करोड़ का कुल नुकसान उठाया। इनमें 31 मार्च 2012 को 0.36 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। पाँच मुख्य विभागीय उपक्रम (डी.यूज.)* भी वाणिज्यिक प्रचालन करते हैं परन्तु सरकारी विभागों का हिस्सा होने के नाते, इन डी.यूज के लेखापरीक्षा परिणाम राज्य के 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक क्षेत्र/सामान्य क्षेत्र/आर्थिक (नॉन-पी.एस.यूज) क्षेत्र पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाते हैं।

1.2 31 मार्च 2012 को 29 पी.एस.यूज थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

पी.एस.यूज की किस्म	कार्यचालन पी.एस.यूज	गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज Ψ	योग
सरकारी कम्पनियाँ	20	7	27
सांविधिक निगम	2	-	2
योग	**22**	**7**	**29**

लेखापरीक्षा आदेश

1.3 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित है। कम्पनी अधिनियम की धारा 617 के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह है जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी सरकार द्वारा रखी जाती है। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की नियन्त्रित कम्पनी शामिल है। आगे, कम्पनी अधिनियम की धारा 619-ख के अनुसार सरकार, सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा किसी भी समुच्च्य में एक कम्पनी जिसमें 51 *प्रतिशत* की प्रदत्त पूंजी रखी जाती है वह सरकारी कम्पनी के तुल्य (मानक सरकारी कम्पनी) समझी जाती है।

* कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम), कृषि विभाग (कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण), मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम), खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम) तथा परिवहन विभाग, हरियाणा रोड़वेज।

Ψ गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज वे हैं जिनका प्रचालन बंद हो गया है।

1.4 राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखे, जैसाकि ऊपर परिभाषित है, सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, द्वारा लेखापरीक्षित किये जाते हैं। ये लेखे भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा संचालित पूरक लेखापरीक्षा के अन्तर्गत आते हैं।

1.5 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित की जाती है। राज्य भाण्डागार निगम एवं राज्य वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों तथा पूरक लेखापरीक्षा सी.ए.जी. द्वारा संचालित की जाती है।

राज्य पी.एस.यूज में निवेश

1.6 नीचे दिए गए विवरणानुसार 29 पी.एस.यूज (एक 619-ख कम्पनी सहित) में 31 मार्च 2012 को निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 30,881.66 करोड़ था।

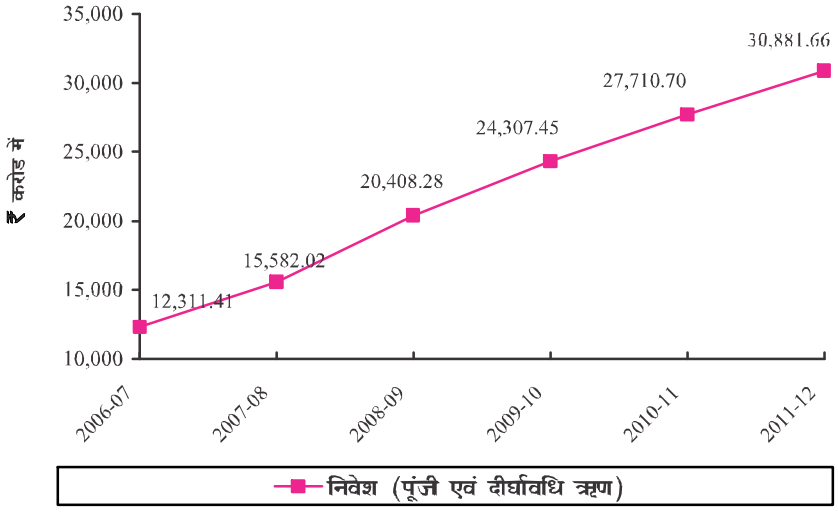
(राशि: ₹ करोड़ में)

पी.एस.यूज की किस्म	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			सकल योग
	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यचालन पी.एस.यूज	8,805.99	21,544.56	30,350.55	213.35	183.03	396.38	30,746.93
गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज	24.19	110.54	134.73	-	-	-	134.73
योग	**8,830.18**	**21,655.10**	**30,485.28**	**213.35**	**183.03**	**396.38**	**30,881.66**

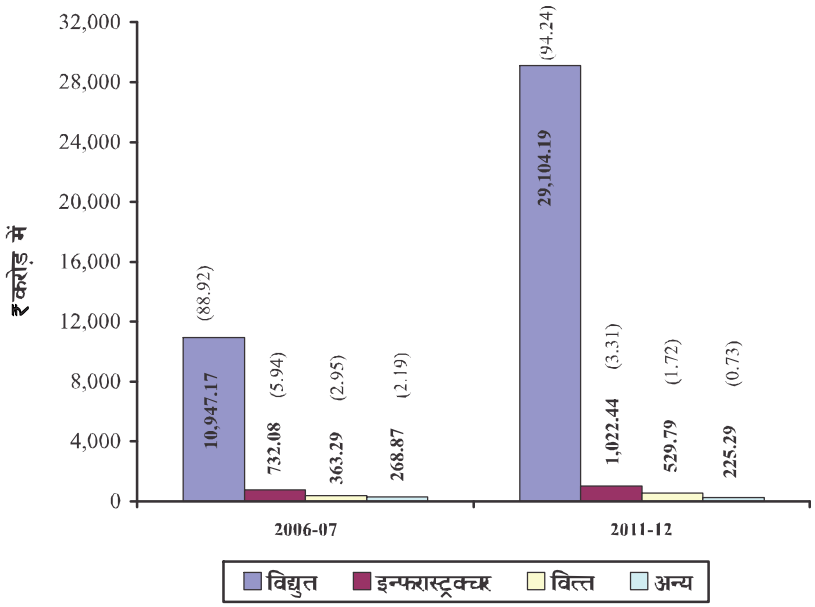
राज्य पी.एस.यूज में सरकारी निवेश की सार-स्थिति ***परिशिष्ट I*** में विवरणित है।

1.7 31 मार्च 2012 को राज्य पी.एस.यूज में कुल निवेश का 99.56 *प्रतिशत* कार्यचालन पी.एस.यूज में तथा शेष 0.44 *प्रतिशत* गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज में था। यह कुल निवेश, 29.28 *प्रतिशत* पूंजी एवं 70.72 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों से बना था। निवेश 2006-07 में ₹ 12,311.41 करोड़ से 2011-12 में ₹ 30,881.66 करोड़ होकर 150.84 *प्रतिशत* बढ़ गया

था, जैसाकि निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है।



1.8 31 मार्च 2007 के अंत में और 31 मार्च 2012 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश एवं उसकी प्रतिशतता निम्न बार चार्ट में इंगित की गई है।



(कोष्ठकों में अंक कुल निवेश से क्षेत्रगत निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

जैसाकि उपर्युक्त चार्ट से देखा जा सकता है, पी.एस.यूज में मुख्य निवेश विद्युत क्षेत्र में था जो 2006-07 के दौरान ₹ 10,947.17 करोड़ से बढ़कर 2011-12 के दौरान ₹ 29,104.19 करोड़ हो गया। मूलभूत संरचना क्षेत्र में निवेश भी 2006-07 के दौरान ₹ 732.08 करोड़ से बढ़कर

2011-12 के दौरान ₹ 1,022.44 करोड़ हो गया। पूंजी में निवेश ₹ 5,181.96 करोड़ तक बढ़ गया तथा दीर्घावधि ऋणों में ₹ 13,388.29 करोड़ तक बढ़ गया। निवेश में समग्र निवल वृद्धि ₹ 18,570.25 करोड तक थी।

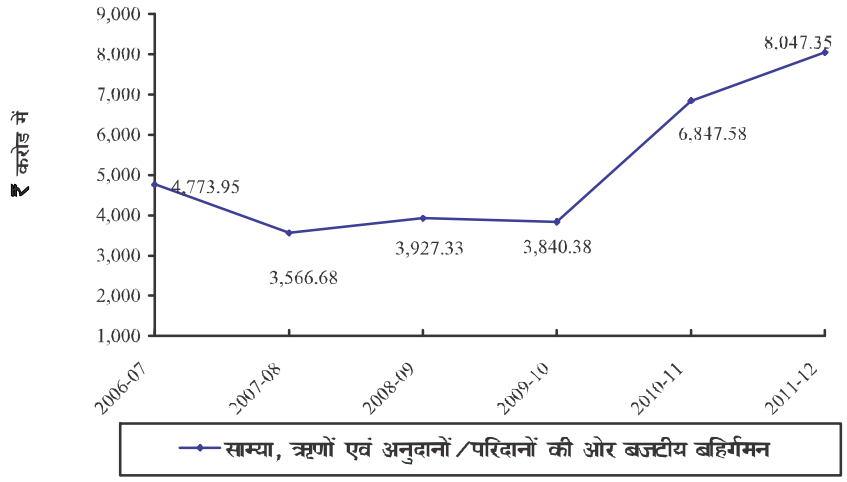
बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/परिदान, गारंटियां एवं ऋण

1.9 राज्य सरकार द्वारा राज्य पी.एस.यूज के संबंध में साम्या, ऋणों, अनुदानों/परिदानों, गारंटियों के जारी किये जाने, ऋणों के बट्टे खाते डालने, ऋणों के साम्या में परिवर्तन एवं ऋण माफी के लिये बजटीय बहिर्गमन का विवरण ***परिशिष्ट 3*** में दिया गया है। 2011-12 को समाप्त तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		पी.एस. यूज की संख्या	राशि	पी.एस. यूज की संख्या	राशि	पी.एस. यूज की संख्या	राशि
1.	बजट से साम्या पूंजी बहिर्गमन	10	903.79	9	805.74	9	726.80
2.	बजट से दिए गए ऋण	1	123.54	-	-	-	-
3.	प्राप्त अनुदान/परिदान	12	2,813.05	14	6,041.84	13	7,320.55
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	-	3,840.38	-	6,847.58	-	8,047.35
5.	प्राप्त गारंटिया	2	881.59	3	1,115.93	6	1,654.25
6.	गारंटी वचनबद्धता	12	2,714.40	12	2,549.98	10	3,596.34

1.10 साम्या, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों की ओर बजटीय बहिर्गमन का पिछले छ: वर्षों का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है।



राज्य सरकार द्वारा साम्या, ऋण एवं अनुदान/परिदान की ओर बजटीय बहिर्गमन 2006-07 के दौरान ₹ 4,773.95 करोड़ से घटकर 2009-10 के दौरान ₹ 3,840.38 करोड़ हो गया तथा तत्पश्चात् तेजी से बढ़ते हुए 2010-11 के दौरान ₹ 6,847.8 करोड़ तथा 2011-12 के दौरान ₹ 8,047.35 करोड़ हो गया।

1.11 2011-12 में प्राप्त की गई गारंटी ₹ 1,654.25 करोड़ थी एवं 31 मार्च 2012 को गारंटी की बकाया राशि ₹ 3,596.34 करोड़ थी। 1 अगस्त 2001 से पी.एस.यूज द्वारा राज्य सरकार की गारंटी पर लिये गये सभी उधारों पर राज्य सरकार ने दो *प्रतिशत* की दर से गारंटी फीस लगा दी। राज्य पी.एस.यूज द्वारा 2011-12 में प्रदत्त/देय गारंटी फीस ₹ 16.36 करोड़ (प्रदत्त ₹ 11.06 करोड़ + देय ₹ 5.30 करोड़) थी।

वित्त लेखाओं का मिलान

1.12 राज्य पी.एस.यूज के रिकार्ड अनुसार साम्या, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दर्शित आंकड़ों से मिलने चाहिए। आंकड़ों के मिलान न हो पाने पर, संबंधित पी.एस.यूज एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए।

31 मार्च 2012 को इस विषय में स्थिति नीचे बताई गई है।

(₹ करोड़ में)

से संबंधित बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	पी.एस.यूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
साम्या	6,691.38	7,197.32	505.94
ऋण	180.77	788.00	607.23
गारंटियां	3,596.34	3,596.34	0

1.13 हमने देखा कि 15 पी.एस.यूज के संबंध में अन्तर घटित था। प्रधान महालेखाकार (पी.ए.जी.) ने पी.एस.यूज द्वारा प्रस्तुत किए गए तथा वित्त लेखाओं में दर्शाए गए अनुसार निवेश आंकड़ों में अंतर के मामले उनके ध्यान में लाने तथा समय-बद्ध ढंग से अंतरों के मिलान की आवश्यकता के लिए वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार (वित्त एवं आयोजना) तथा वैयक्तिक पी.एस.यूज को पत्र लिखे (नवंबर 2012)।

पी.एस.यूज का निष्पादन

1.14 पी.एस.यूज के वित्तीय परिणाम, ***परिशिष्ट 2*** में दिए गए हैं। आगे, सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं परिचालन परिणाम क्रमश: ***परिशिष्ट 5*** और ***6*** में निर्दिष्ट हैं। राज्य जी.डी.पी. से पी.एस.यूज टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पी.एस.यूज की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। निम्न तालिका 2006-07 से 2011-12 तक की

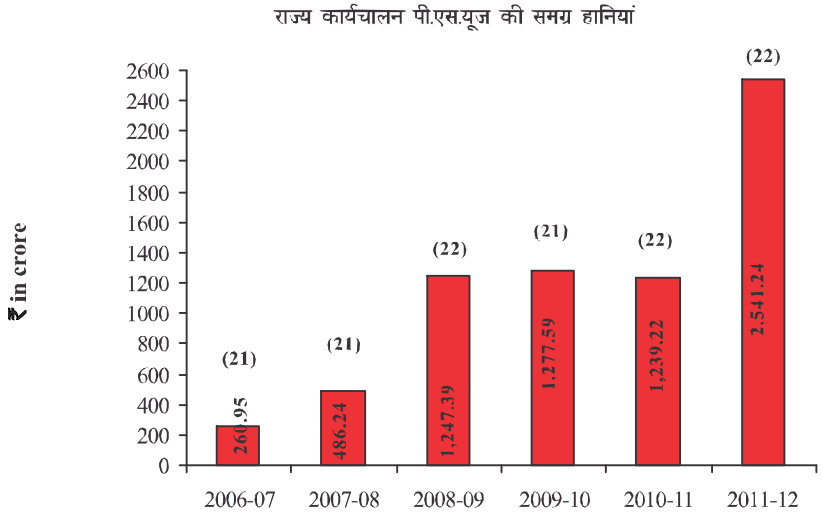
समयावधि के लिए कार्यचालन पी.एस.यूज़ टर्नओवर एवं राज्य जी.डी.पी. के विवरण को दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
टर्नओवर ∝	8,251.11	14,668.00	18,424.04	15,934.48	18,756.18	21,465.56
राज्य जी.डी.पी.*	1,30,141.00	1,54,283.00	1,82,914.00	2,16,287.00	2,57,793.00	3,07,254.00
राज्य जी.डी.पी. से टर्नओवर की प्रतिशतता	6.34	9.51	10.07	7.37	7.28	6.99

पी.एस.यू. का टर्नओवर 2006 – 07 में ₹ 8,251.11 करोड़ से बढ़कर 2008 – 09 में ₹ 18,424.04 करोड़ हो गया। विद्युत सैक्टर के टर्नओवर में कमी के कारण यह 2009 – 10 में ₹ 15,934.48 करोड़ तक रह गया। 2011 – 12 में टर्न ओवर बढ़कर ₹ 21,465.56 करोड़ हो गया।

1.15 2006 – 07 से 2011 – 12 की अवधि में राज्य कार्यचालन पी.एस.यूज़ द्वारा उठाए गए घाटों को नीचे बार – चार्ट में दिया गया है।



(कोष्ठकों में आंकड़े संबद्ध वर्षों में कार्यचालन पी.एस.यूज़ की संख्या को दर्शाते हैं)

वर्ष 2011 – 12 के दौरान, 22 कार्यचालन पी.एस.यूज़ में से 17 पी.एस.यूज़ ने अपने अन्ततः अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 298.80 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं पांच पी.एस.यूज़ ने ₹ 2,840.04 करोड़ की हानि उठाई। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

∝ 2011 – 12 का टर्नओवर 30 सितम्बर 2012 को अन्तिमकृत नवीनतम लेखाओं के अनुसार है।

* 2007 – 08 से 2008 – 09 के आंकड़े अनन्तिम अनुमान है, 2009 – 10 के आंकड़े तीव्र अनुमान है तथा 2010 – 11 एवं 2011 – 12 के आंकड़े अग्रिम अनुमान हैं। ये आंकड़े परिवर्तन के अध्यधीन हैं।

(₹ 140.07 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 69.95 करोड़) लाभ में मुख्य अंशदाता थे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,011.24 करोड़) एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 794.22 करोड़) द्वारा भारी नुकसान उठाए गए थे।

1.16 कार्यचालन पी.एस.यूज़ की हानियां मुख्यत: वित्तीय प्रबन्धन योजना, परियोजना के कार्यान्वयन, उनके परिचालन एवं मानीटर करने में कमियों को आरोप्य हैं। सी.ए.जी. के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि कार्यचालन राज्य पी.एस.यूज़ ने ₹ 5,431.20 करोड़ तक का घाटा उठाया जिसमें से ₹ 3,261.79 करोड़ की हानि नियंत्रणीय थी। आगे, ₹ 247.16 करोड़ के निष्फल निवेश के उदाहरण ध्यान में आए थे। तथापि, बेहतर प्रबन्धन द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्ष-वार विवरण नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	योग
कार्यचालन पी.एस.यूज़ के निवल लाभ/हानि (-)	(-)1,612.37	(-)1,277.59	(-)2,541.24	(-)5,431.20
सी.ए.जी. के प्रतिवेदन के अनुसार नियन्त्रणीय हानियां	513.03	1,251.60	1,497.16	3,261.79
निष्फल निवेश	25.96	184.23	36.97	247.16

1.17 सी.ए.जी. के प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई उपर्युक्त हानियां पी.एस.यूज़ के अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित हैं। वास्तविक नियन्त्रणीय हानियां और अधिक होंगी। उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि बेहतर प्रबन्धन से नुकसानों को कम/दूर किया जा सकता है। यदि पी.एस.यूज़ वित्तीय रूप में आत्मनिर्भर हों तो वे अपना काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उपर्युक्त स्थिति पी.एस.यूज़ की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता एवं जवाबदेही की आवश्यकता को इंगित करती है।

1.18 राज्य पी.एस.यूज़ से सम्बन्धित कुछ अन्य मुख्य पैरामीटर नीचे दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पूंजी लागत पर रिटर्न (*प्रतिशत*)	2.53	2.44	-	-	1.57	-
ऋण	8,449.84	10,651.62	14,446.13	17,439.51	19,936.62	21,838.13
टर्नओवर [१]	8,251.11	14,668.00	18,424.04	15,934.48	18,756.18	21,465.61
ऋण/टर्नओवर अनुपात	1.02:1	0.73:1	0.78:1	1.09:1	1.06:1	1.02:1
ब्याज अदायगियां	590.94	837.23	1,200.19	1,306.27	1,667.56	2,445.50
संचित लाभ/हानियां	(-)2,022.95	(-)2,678.33	(-)4,543.71	(-)5,086.93	(-)5,676.03	(-)8,622.09

(कार्यचालन पी.एस.यूज़ के टर्नओवर को छोड़कर उपर्युक्त आंकड़े सभी पी.एस.यूज़ से संबंधित हैं)।

[१] कार्यचालन पी.एस.यूज़ का टर्नओवर 31 सितम्बर 2012 को उनके अन्तत: अन्तिमकृत लेखाओं (2006-07 से 2011-12) के अनुसार है।

1.19 राज्य कार्यचालन पी.एस.यूज. का टर्नओवर 2006 - 07 के दौरान ₹ 8,251.11 करोड़ से 160.15 *प्रतिशत* बढ़कर 2011 - 12 में ₹ 21,465.56 करोड़ हो गया। उसी अवधि के दौरान कर्जे भी 158.44 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 8,449.84 करोड़ (2006 - 07) से ₹ 21,838.13 करोड़ (2011 - 12) हो गए।

1.20 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति का प्रतिपादन किया (अक्तूबर 2003) जिसके अधीन सभी पी.एस.यूज ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई दत्त शेयर - पूंजी पर कम से कम चार *प्रतिशत* वापसी अदा करनी है। 17 पी.एस.यूज ने उनके अन्ततः अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 298.80 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया। इसमें से 12 पी.एस.यूज ने प्रदत्त पूंजी का अधिक से अधिक चार प्रतिशत लाभ अर्जित किया। तथापि, केवल तीन पी.एस.यूज[♣] ने ₹ 95.21 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

1.21 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 - क और 619 - ख के अधीन कम्पनियों के हर साल के लेखे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर अंतिमकृत हो जाने चाहिए। उसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखे उनके क्रमशः संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिमकृत, लेखापरीक्षित एवं विधानसभा को प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यचालन पी.एस.यूज के द्वारा 30 सितम्बर 2012 तक लेखाओं के अन्तिमकरण के लिए की गई प्रगति का विवरण निम्न तालिका प्रदान करती है।

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यचालन पी.एस.यूज की संख्या	21	22	21	22	22
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमकृत लेखाओं की संख्या	22	23	17	23	22
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	27	26	30	29	29
4.	औसत बकाया प्रति पी.एस.यू. (3/1)	1.38	1.23	1.38	1.32	1.32
5.	कार्यचालन पी.एस.यूज, जिनके लेखे बकाया हैं, की संख्या	15	12	16	17	17
6.	बकाया की सीमा (वर्षों में)	1 से 5	1 से 5	1 से 6	1 से 5	1 से 4

1.22 जैसा कंपनियों द्वारा बताया गया लेखाओं के अन्तिमकरण की देरी के लिए मुख्य कारण, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी और लेखा क्षेत्र में कम्प्यूटरीकरण नहीं होना हैं।

1.23 उपर्युक्त के अतिरिक्त, गैर - कार्यचालन पी.एस.यूज द्वारा भी लेखाओं के अन्तिमकरण में बकाया थे। पांच गैर - कार्यचालन पी.एस.यूज, (परिसमापनाधीन को छोड़कर) के लेखे एक से चार वर्षों के लिये बकाया थे।

♣ हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड तथा हरियाणा भाण्डागार निगम।

1.24 राज्य सरकार ने उन वर्षों के दौरान जब लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ है, 12 पी.एस.यूज में ₹ 2,030.89 करोड़ (साम्या: ₹ 343.22 करोड़, अनुदान: ₹ 37.16 करोड़ और अन्य: ₹ 1,650.51 करोड़) का निवेश किया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 4*** में विवरण दिया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की उल्लंघना के अतिरिक्त लेखाओं के अन्तिमकरण में देरी, लोक धन के धोखाधड़ी एवं रिसाव के खतरे में भी परिणित हो सकती है। वे वैधानिक निरीक्षण से भी बच निकलते हैं।

1.25 प्रशासनिक विभागों के पास इन तत्वों की गतिविधियां देखने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन पी.एस.यूज द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया है एवं अपनाया गया है। पी.ए.जी. लेखा के बकायों की स्थिति संबंधित प्रशासनिक विभागों के ध्यान में लाएं, फिर भी, इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप हम इन पी.एस.यूज के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं कर सके। लेखाओं में पुराने बकायों को समयबद्ध ढंग से शीघ्र निपटाने के लिए लेखाओं में बकायों का मामला पी.ए.जी. ने मुख्य सचिव के साथ भी उठाया (अगस्त 2012) किंतु सुधार नहीं किया जा सका।

1.26 **बकाया की उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत यह सिफारिश की जाती है कि:**

- **बकाया की निकासी के निरीक्षण के लिए सरकार एक सैल बना सकती है और प्रत्येक कम्पनी के लिए लक्ष्य निश्चित कर सकती है, जिसकी मॉनीटरिंग की जायेगी।**
- **सरकार आवश्यक निपुणता वाली एजेंसियों की सेवाएं लेने पर विचार कर सकती है।**

गैर – कार्यचालन पी.एस.यूज को बन्द करना

1.27 31 मार्च 2012 को सात गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज (सभी कम्पनियां) थी। इनमें से दो पी.एस.यूज* परिसमापन के अधीन हैं, तथापि, परिसमापन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।

गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज को बन्द कर देने की जरूरत है क्योंकि उनके आस्तितव से कोई फायदा नहीं है। 2011-12 के दौरान, चार गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज ने स्थापना पर ₹ 45.40 लाख का व्यय किया। यह व्यय बैंकों से प्राप्त ब्याज (₹ 20.08 लाख) तथा परिसम्पत्तियों के निपटान (₹ 25.32 लाख) के माध्यम से वहन किया गया था।

1.28 कम्पनी अधिनियम, के अधीन स्वैच्छिक बन्द करने की प्रक्रिया बहुत तीव्र है और जोरदार ढंग से अपनाए जाने की जरूरत है। पांच गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज, जिनके गैर-कार्यचालन होने के बाद उनको जारी रखने अथवा अन्यथा के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, को बन्द करने का सरकार निर्णय ले सकती है। सरकार गैर-कार्यचालन कंपनियों को बन्द करने के कार्य को तीव्र करने के लिए एक सैल बनाने के बारे में विचार कर सकती है।

* हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड तथा हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

लेखा टिप्पणियां और आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.29 1 अक्तूबर 2011 से 30 सितम्बर 2012 के दौरान 16 कार्यचालन कम्पनियों ने अपने 20 लेखापरीक्षित लेखे अग्रेषित किए। 19 लेखाओं के संबंध में पूरक लेखापरीक्षा की गई थी तथा 10 लेखाओं के लिए असमीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं सी.ए.जी. की पूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को काफी सुधारने की जरूरत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सी.ए.जी. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे दिए गए हैं।

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	7	582.21	10	728.13	6	72.34
2.	हानि का बढ़ना	3	97.34	6	1,446.11	8	3,025.35
3.	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	3	40.94	2	20.12	1	0.55
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	6	669.85	4	62.10	-	-
	योग		**1,390.34**		**2,256.46**		**3,098.24**

अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार टिप्पणियों का धन मूल्य ₹ 81.78 करोड़ (2009-10) से बढ़कर ₹ 140.83 करोड़ (2011-12) हो गया।

1.30 वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 लेखाओं के सांक्षेप प्रमाण-पत्र प्रदान किये। हमने यह भी देखा कि कम्पनियों की लेखा मानकों (ए.एस.) की अनुपालना हल्की रही। वर्ष के दौरान 11 लेखाओं में ए.एस. से अनुपालना न करने के 41 उदाहरण थे।

1.31 कम्पनियों के लेखाओं के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से कुछेक को नीचे दिया गया है।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2011-12)

- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के शेयरों में निवेश के मूल्य में डिमिन्यूशन का प्रावधान न होने के कारण ₹ 844.18 करोड़ तक लाभ का अतिकथन हुआ।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2010-11)

- ए.एस.-9 के उल्लंघन में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के अनुमोदन हेतु लंबित दावों के आधार पर कंपनी द्वारा ₹ 740.37 करोड़ के ईंधन अधिभार समायोजन से राजस्व के लेखांकन के परिणामस्वरूप ₹ 740.37 करोड़ तक हानि का अवकथन हुआ।

- पूंजीगत कार्य की विलंबित आपूर्ति तथा निष्पादन के लिए आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से वसूली गई परिसमापक क्षतियों के रूप में प्राप्त की गई आय निर्माण कार्यों की लागत की बजाय अन्य आय को क्रेडिट की गई थी परिणामस्वरूप अचल परिसम्पत्तियों/चालू पूंजीगत कार्य तथा अन्य आय का ₹ 32.54 करोड़ तक अतिकथन हुआ।
- संचारण प्रभारों के विलंबित भुगतान के कारण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को देय ₹ 28.94 करोड़ की देयता का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप समान राशि तक हानि का अवकथन हुआ।
- हरियाणा विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड से खरीदी गई बिजली हेतु संशोधित टैरिफ दर का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹ 103.02 करोड़ तक हानि का अवकथन हुआ।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2010 – 11)

- ₹ 11.56 करोड़ की सीमा तक परिकलित हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली के मूल्यह्रास के अवप्रभारण के परिणामस्वरूप उसी सीमा तक हानि का अवकथन हुआ।
- राज्य सरकार से परिदान के कारण अवसूलनीय प्राप्य हेतु प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹ 80.91 करोड़ की सीमा तक वर्ष के लिए प्राप्यों का अतिकथन तथा हानि का अवकथन हुआ।

हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2010 – 11)

- गुड़गांव में भूमि की बिक्रियों से आय तथा ₹ 6.19 करोड़ के ब्याज पर ₹ 38.70 करोड़ के आय कर का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹ 44.89 करोड़ तक लाभ का अतिकथन हुआ।

1.32 उसी प्रकार, हरियाणा भाण्डागार निगम (एच.डब्ल्यू.सी.) ने अपने वर्ष 2010-11 के खातों को तथा हरियाणा वित्त निगम (एच.एफ.सी.) ने वर्ष 2011-12 के लिए अपने खातों को 1 अक्तूबर 2011 से 30 सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान पूरक लेखापरीक्षा के लिये भेजा। एक सांविधिक निगम अर्थात् एच.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियां अंतिमकृत की गई थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सी.ए.जी. की पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता का सुधार किए जाने की जरूरत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सी.ए.जी. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे दिए गए हैं:

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	4.62	1	1.87	2	2.77
2.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-	1	30.80
3.	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	1	147.23	-	-	-	-
	योग		**151.85**		**1.87**		**33.57**

1.33 1 अक्तूबर 2011 से 30 सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 2010-11 के एच.डब्ल्यू.सी. के लेखे अर्हत किए। उपर्युक्त लेखाओं में ए.एस. के साथ अवमानना के शून्य उदाहरण थे।

1.34 एच.एफ.सी. के लेखाओं के संबंध में एक टिप्पणी नीचे दी गई है:

हरियाणा वित्तीय निगम (2010-11)

- निगम के नई व्यापार गतिविधियां बंद करने के निर्णय के कारण ए.एस.-22 के अनुसार 31 मार्च 2011 को ₹ 30.80 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा न करने के परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा लाभ का ₹ 30.80 करोड़ तक का अतिकथन हुआ।

1.35 सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत उनको, सी.ए.जी. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षित कम्पनियों में आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है और उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां सुधार की जरूरत है।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहां सिफारिशें की गई थी	*परिशिष्ट-2* के अनुसार कम्पनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	स्टोर एवं स्पेयरज की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	4	ए1, ए3, ए9, ए12
2.	कम्पनी के व्यापार की प्रकृति एवं आकार के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अभाव	3	ए5, ए6, ए13
3.	मात्रा विवरण, पहचान संख्या, प्राप्ति की तिथि, परिसम्पतियों की मूल्य ह्रास के बाद कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए उनके पूरे विवरण को दिखाने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण न करना	4	ए5, ए6, ए9, ए14
4.	माल के क्रय पर आन्तरिक नियंत्रण की कमी	1	ए9
5.	आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अपर्याप्त/अविधमान होना	3	ए5, ए6, ए13
6.	कंप्यूटर प्रणाली (ई.डी.पी.) का प्रयोग न होना	2	ए1, ए9

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

1.36 2011-12 में लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 17.90 करोड़ की वसूलियां हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के प्रबन्धन को बताई गई थी, जो पी.एस.यूज़ द्वारा स्वीकार कर ली गई थी एवं वर्ष 2011-12 के दौरान वसूल कर ली गई थी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

1.37 निम्नलिखित तालिका 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा विधानसभा में सी.ए.जी. द्वारा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एस.ए.आरज) के प्रस्तुतिकरण की स्थिति को दर्शाती है:

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक एस.ए.आरज विधानसभा में प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके एस.ए.आरज विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किए गए		
			एस.ए.आर का वर्ष	निगम द्वारा सरकार को जारी करने की तिथि	विधानसभा में प्रस्तुतिकरण में विलंब के कारण
1.	हरियाणा वित्तीय निगम	2010-11	अंतिमकरणाधीन		
2.	हरियाणा भाण्डागार निगम	2008-09	2009-10	प्रक्रियाधीन	लागू नहीं
			2010-11	प्रक्रियाधीन	लागू नहीं

पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

1.38 राज्य सरकार ने 2011-12 के दौरान अपने किसी भी पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन का कार्य नहीं किया।

अध्याय 2

2 सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाएं

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

2.1 संचारण गतिविधियां

कार्यकारी सार

हरियाणा में बिजली का संचारण और ग्रिड प्रचालन हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित किया जाता है जो एक दक्ष, पर्याप्त और सही ढ़ंग से समन्वित ग्रिड प्रबंधन और बिजली के संचारण के लिए अधिदेशाधीन है। कंपनी के क्रिया-कलापों में अतिरिक्त उच्च दाब (ई.एच.टी.), संचारण नेटवर्क अर्थात् 400 के.वी. से 66 के.वी. स्तर सब-स्टेशन (एस.एसज) और लाईन का निर्माण शामिल 2.1.40है। 31 मार्च 2012 को कंपनी के पास 27062 मेगावोल्ट एम्पीयर (एम.वी.ए.) की प्रस्थापित क्षमता के साथ 337 एस.एसज तथा 11213.65 सर्कट किलोमीटर (सी.के.एम.) की संचारण लाईनें थी। 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए कंपनी की निष्पादन लेखापरीक्षा इसके परिचालन की मितव्यय, दक्षता तथा कारगरता एवं इसकी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा करने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए की गई।

प्लानिंग तथा विकास

कंपनी ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान 146 एस.एसज के लक्ष्य के विरूद्ध 92 ई.एच.टी.एस. एसज (63 प्रतिशत) का निर्माण किया। कमी, उचित बर्हिगमन सर्वेक्षण न करने, राइट आफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) समस्याओं, वन विभाग, रेलवे विभाग से क्लेरेंस प्राप्त करने में विलंब और कार्यों के निष्पादन में ठेकेदारों द्वारा विलंबों को आरोप्य थी। कंपनी शैड्यूल के अनुसार अपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सकी। अधिक लिया गया समय 3 से 41 माह के बीच श्रृंखलित था। विलंब के कारण अतिरिक्त राजस्व के रूप में ₹ 36.21 करोड़ के विचारित लाभों की हानि हुई तथा ₹ 0.36 करोड़ की कड़ी हानियां उठाई क्योंकि एस.एसज निष्क्रिय रहे। दो मामलों में उत्पादन क्षमता और शून्यकरण प्रणाली के समापन के मध्य बेमेल के परिणामस्वरूप विकल्पी प्रणाली के माध्यम से विद्युत निष्क्रमण तथा उपभोक्ताओं को समय पर क्वालिटी पावर प्रदान करने में विफलता के अतिरिक्त ₹ 39 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। लोड आवश्यकता के बिना बट्टा पर एस.एस. के निर्माण के परिणामस्वरूप ₹ 26.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

संचारण प्रणाली का निष्पादन

कंपनी संचारण हानियों को नियंत्रित नहीं कर सकी क्योंकि एच.ई.आर.सी. के 2.1 प्रतिशत के मानकों के विरूद्ध ₹ 225.85 करोड़ के मूल्य थी यह 2008-09 में 2.5 प्रतिशत से 2011-12 में 2.76 प्रतिशत तक बढ़ गई।

ग्रिड प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन

कंपनी के पास 219 एस.एसज थे, जिनमें से, दक्ष विद्युत प्रबंधन प्रणाली के लिए वास्तविक समय डाटा रिकार्ड करने के लिए रिमोट टर्मिनल यूनिटस के साथ केवल 43 एस.एसज प्रदान किए गए थे। सी.ई.आर.सी. ने, अप्रैल 2010 के दौरान ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन पर ₹ 8 लाख की शास्ति लगाई। कंपनी बैकिंग डाउन निदेशों के सही अभिलेख अनुरक्षित नहीं कर रही थी और जारी किए गए बैकिंग डाउन संदेशों के अनुपालन पर निगरानी हेतु कोई यंत्रावली विकसित नहीं की थी। बैकिंग डाउन संदेशों के अकार्यान्वयन के कारण डिस्कोमज को ₹ 4.84 करोड़ की हानि उठानी पड़ी थी। संचारण सर्कल (टी.सी.), रोहतक में आपदा प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि इसने 2007-12 के दौरान कोई मॉक ड्रिल कार्यान्वित नहीं की थी। तथापि, टी.सी. करनाल ने मार्च 2012 को समाप्त पिछले दो वर्षों के दौरान अभ्यास किया था।

वित्तीय प्रबंधन

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी लाभ में थी और इसने 2011–12 में ₹ 140.07 करोड़ का लाभ अर्जित किया। ब्याज की उच्चतर दर पर ऋण के आहरण के कारण कंपनी को ₹ 0.94 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार वहन करना पड़ा था। हुडा के पास दावा प्रस्तुत करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 223.88 करोड़ की निधियों के अवरोधन तथा ₹ 20.28 करोड़ के वार्षिक ब्याज भार हुआ।

शुल्क दर निर्धारण

अननुमोदित पूंजीगत कार्य, जो एच.ई.आर.सी. द्वारा अननुमत था, के लिए आहरित ऋण पर कंपनी को ₹ 218.81 करोड़ का ब्याज भार वहन करना पड़ा था।

मानीटरिंग एवं नियंत्रण

एस.एसज की निष्पादन रिपोर्ट तथा लाईनें बी.ओ.डी. को प्रस्तुत नहीं की जाती। 2009–10 से कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा बकाया है। यद्यपि कंपनी ने एक लेखापरीक्षा समिति गठित की थी, उनकी बैठकों की आवधिकता कंपनी के व्यापार नियमों (लेखापरीक्षा समिति) 2009 की शर्तों के अनुरूप नहीं थी।

निष्कर्ष और सिफारिशें

संचारण परियोजनाओं की पूर्ति में विलंब था। संचारण हानियां एच.ई.आर.सी. मानकों से अधिक थी। हुडा से वसूली, कारगरता से अनुसरित नहीं की गई। एच.ई.आर.सी. ने अननुमोदित कार्यों के लिए ऋणों पर ब्याज की अनुमति नहीं दी। कंपनी का निष्पादन सुधारने के लिए निष्पादन मूल्यांकन में चार सिफारिशें सम्मिलित हैं।

प्रस्तावना

2.1.1 2012 तक सभी को विश्वसनीय और क्वालिटी बिजली आपूरित करने के विचार से, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन.ई.पी.) तैयार की। इसने बताया कि देश के लिए एक मजबूत और एकीकृत विद्युत प्रणाली विकसित करने के लिए संचारण प्रणाली में दक्ष और समन्वित कार्यवाही के अतिरिक्त पर्याप्त और सामयिक निवेश अपेक्षित थे। इसने, साथ में केन्द्रीय/राज्य संचारण उपयोगिताओं के समन्वय के साथ राष्ट्रीय और राज्य विद्युत संचारण ग्रिड के विकास के लिए भी आवश्यकता को पहचाना। हरियाणा में विद्युत का संचारण और ग्रिड परिचालन, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है जो एक दक्ष, पर्याप्त और सही ढंग से समन्वित ग्रिड प्रबंधन और विद्युत का संचारण प्रदान करने हेतु अधिदेशाधीन है। कंपनी, 19 अगस्त 1997 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंर्तगत निर्मित की गई तथा विद्युत विभाग को सूचित करती है। कंपनी की भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की विद्युत उत्पादक परिसंपत्तियों में भी भागीदारी रूचि है।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य में विद्युत के संचारण से संबंधित गतिविधियां आवृत करती है।

2.1.2 कंपनी का प्रबंधन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, चेयरमैन, प्रबंध निदेशक (एम.डी.), तीन पूर्णकालिक निदेशक (तकनीकी, परियोजनाएं और वित्त) और चार अंशकालिक निदेशक से समायुक्त निदेशक मंडल के पास निहित है। कंपनी अपने परिचालन चेयरमैन और एम.डी., जो कंपनी का मुख्य कार्यकारी है, के माध्यम से करती है।

वर्ष 2007–08 के दौरान कंपनी ने विद्युत के 25,688.80 एम.यूज. संचारित किए जो 2011–12 में 35,358.38 एम.यूज. तक बढ़ गए अर्थात् 2007–12 के दौरान 37.64 प्रतिशत की वृद्धि। 31 मार्च 2012 को कंपनी के पास 11,213.65 सर्केट किलोमीटरज (सी.के.एमज) का संचारण नेटवर्क और 27,062 एम.वी.ए. की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले 337 उप–स्टेशन

(एस.एसज) थे। 2011-12 में कंपनी का आवर्त ₹ 1,112.59 करोड़ था जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.36 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2012 को इसमें 4,983 कर्मचारी नियुक्त थे।

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक), हरियाणा सरकार के प्रतिवेदन में हाई टेंशन लाईनज और एस.एसज के उत्थापन, संवर्धन और अनुरक्षण पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित थी। प्रतिवेदन पर चर्चा राज्य विधान सभा की लोक उपक्रम समिति (कोपु) द्वारा मार्च 2007 में की गई थी। कोपु की सिफारिशें इसके 53वें प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.1.3 नवंबर 2011 से मई 2012 के दौरान आयोजित वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा 2007-08 से 2011-12 के दौरान कंपनी का निष्पादन आवृत करती है। लेखापरीक्षा जांच में मुख्यालय पर विभिन्न प्रभागों, राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र (एस.एल.डी.सी.), सेवाह (पानीपत) भंडार और वर्कशाप सर्कल, पानीपत, दो संचारण प्रणाली (टी.एस.) जोनज में से एक[f] प्रत्येक मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में और दो टी.एस. सर्कल[Y], छः टी.एस. सर्कलों में से एक सिविल अनुरक्षण-सह-निर्माण[@] और एक मीटर और प्रोटेक्शन (एम. एंड पी.) सर्कल[#], दो सिविल अनुरक्षण-सह-निर्माण और अधीक्षक अभियंता की अध्यक्षता में दो एम. एंड पी. सर्कलों के अभिलेखों की संवीक्षा से आवेष्टित थी। इकाईयों का चयन संचारण लाईनों के संबंध में एम.वी.ए. और सी.के.एमज में ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि के आधार पर किया गया था। तत्पश्चात् आकार पद्धति के संभाव्यता से अनुपात पर चयन किया गया था।

कंपनी ने समीक्षा अवधि के दौरान 92 एस.एसज (क्षमता: 5,488.90 एम.वी.ए.) और 163 लाईनें (क्षमता: 3,442.90 सी.के.एमज) का निर्माण किया, तथा वर्तमान ट्रांसफोर्मेशन क्षमता 6,321.9 एम.वी.ए. तक संवर्धित की। इनमें से 48 एस.एसज (क्षमता: 2,335.5 एम.वी.ए.), 75 लाईनें (क्षमता: 9,44.615 सी.के.एमज) और 2,597.70 एम.वी.ए. तक वर्तमान ट्रांसफोर्मेशन क्षमता के संवर्धन की जांच की गई।

लेखापरीक्षा मानदण्ड के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पद्धति में उच्चतम प्रबंधन को लेखापरीक्षा उद्देश्य स्पष्ट करने, मुख्यालय और चयनित इकाईयों के अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षा किए जाने वाले अधिकारियों से वार्तालाप, लेखापरीक्षा मानदंड के संदर्भ डाटा का विश्लेषण, लेखापरीक्षा आपत्तियां उठाना, प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा और प्रबंधन/सरकार को टिप्पणियों के लिए समीक्षा प्रारूप जारी करना सम्मिलित है।

Y पंचकूला।

f करनाल तथा रोहतक।

@ पंचकूला।

\# धूलकोट (अंबाला)।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि:

- संदर्श योजना राष्ट्रीय बिजली नीति/योजना तथा राज्य बिजली विनियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) के मार्गनिर्देशों के अनुसार तैयार की गई थी और योजना में विफलता के प्रभाव का निर्धारण, यदि कोई हो;
- संचारण प्रणाली का परिचालन और अनुरक्षण एक मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी ढंग से किया गया था;
- संचारण प्रणाली, एक मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी तरीके से विकसित और आरंभ की गई थी;
- अप्रत्याशित विघटनों के विरूद्ध अपने परिचालनों की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई थी;
- बिलों के समय पर प्रस्तुतिकरण तथा संग्रहण और समय पर शुल्क दर संशोधन के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (ए.आर.आर.) दर्ज करने पर बल देते हुए दक्ष और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली;
- सामग्री प्रापण तथा मालसूची नियंत्रण यंत्रावली की दक्ष और प्रभावी प्रणाली;
- राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन.ई.पी.) के सामंजस्य में दक्ष और प्रभावी उर्जा संरक्षण उपाय किए गए थे तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना; और
- विद्यमान/चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने, ज्ञात कमियों को दूर करने के लिए सुधारक उपाय करने, लेखापरीक्षा/आन्तरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तीव्र और यथेष्ट रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए एक मानीटरिंग प्रणाली विद्यमान है।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारण हेतु अपनाये गए लेखापरीक्षा मापदण्ड के निम्न स्रोत हैं:

- एन.ई.पी. के प्रावधान;
- कंपनी की वार्षिक योजना और प्रोजेक्ट रिपोर्ट;
- मितव्ययता, दक्षता, कारगरता, साम्या और एथिक्स के सिद्धान्तों के संदर्भ में ठेकों को प्रदान करने हेतु मानक प्रक्रियाएं;
- शुल्क दर निर्धारण, परिपत्रों, नियमावलियों और प्रबंधक सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) रिपोर्टों के लिए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) को फाईल की गई ए.आर.आर.;
- संचारण योजना मापदण्ड की नियमावली (एम.टी.पी.सी.);
- आयोजना, परिचालन, संयोजन कोड से समायुक्त ग्रिड कोड है;
- राज्य सरकार/विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) से निदेश;

- ❖ एच.ई.आर.सी./केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा जारी मानक/मार्गनिर्देश;
- ❖ संचारण परियोजना क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण तत्वों को विश्लेषण करने के लिए एम.ओ. पी. द्वारा संस्थापित टास्क फोर्स की रिपोर्ट; और
- ❖ राज्य लोड डिस्पैच सैंटर (एस.एल.डी.सी.) की रिपोर्टें।

लेखापरीक्षा पद्धति

2.1.6 लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पद्धतियों के मिश्रण का अनुसरण किया:

- ❖ कंपनी/पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड/एस.एल.डी.सी. के एजेंडा नोटस तथा बैठकों के कार्यवृत्तों, वार्षिक रिपोर्टों, लेखाओं की समीक्षा;
- ❖ ऋण फाइलों, भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों की संवीक्षा;
- ❖ वार्षिक बजटों, डाटा और पूर्ति रिपोर्टों के साथ भौतिक और वित्तीय प्रगति का विश्लेषण;
- ❖ एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित शुल्क दर;
- ❖ परियोजना कार्यान्वयन, प्रापण, निधियों की प्राप्ति और खर्चों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा; और
- ❖ एंट्री और एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान प्रबंधन के साथ इंटर-एक्शन।

संचारण प्रक्रिया का संक्षिप्त ब्यौरा

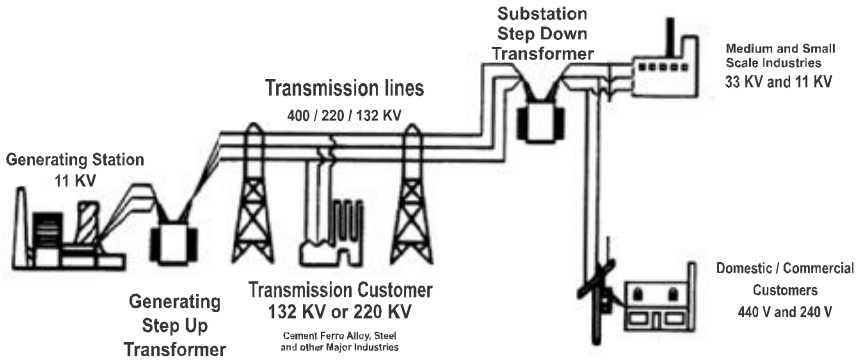
2.1.7 विद्युत का संचारण, हाई वोल्टेजों सामान्यत: 132 के.वी. और अधिक पर लंबी दूरियों पर विद्युत के बृहद् स्थानान्तरण के रूप में परिभाषित किया गया है। संचारण में हानि कम करने और ग्रिड में दक्षता बढ़ाने के लिए इसे संचारित करने से पूर्व पावर प्लांट में अपेक्षाकृत निम्न वोल्टेजों पर उत्पादित विद्युत शक्ति को उच्च वोल्टेज शक्ति में बढ़ाया जाता है। एस.एसज, हाई वोल्टेज में, एक स्तर से दूसरे स्तर पर वोल्टेज को बढ़ाने/घटाने, विद्युत प्रणाली को जोड़ने तथा प्रणाली के अंदर और बाहर उपकरण स्विचिंग के लिए प्रयुक्त सुविधाएं हैं। उत्पादक स्टेशनों पर बढ़ाए गए संचारण एस.एसज, लंबी दूरियों पर संचारण हेतु वोल्टेज बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं।

संचारण लाईनों में हाई वोल्टेज विद्युत शक्ति होती है। कम किए गए संचारण एस.एसज उसके बाद उपभोक्ताओं को वितरण हेतु उपसंचारण वोल्टेज स्तर पर वोल्टेज कम करता है। वितरण प्रणाली में विनिर्ष्टिन वोल्टेजिज पर विद्युत वितरण के लिए आवश्यक लाईनें, खंभे, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण[ץ] शामिल होते हैं।

विद्युतीय ऊर्जा संचित नहीं की जा सकती, अत: उत्पादन आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए। अत:, विद्युत उत्पादन की मांग के साथ विद्युत उत्पादन का संतुलन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संचारण प्रणाली को ग्रिड प्रबंधन नामक नियंत्रण की एक परिष्कृत प्रणाली की

ץ नियंत्रण पैनल, बैटरी, कपेसिटर बैंक, बैटरी चार्जर इत्यादि।

आवश्यकता है। संचारण प्रक्रिया का एक सचित्र निरूपण नीचे दिया गया है:



लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.8 एंट्री कांफ्रैंस के दौरान हमने कंपनी को लेखापरीक्षा उद्देश्य वर्णित किए थे (अप्रैल 2012)। तदनन्तर, लेखापरीक्षा परिणाम कंपनी और राज्य सरकार को अगस्त 2012 में सूचित किए तथा एग्जिट कांफ्रैंस (अक्तूबर 2012) में चर्चा की गई। एग्जिट कांफ्रैंस में विशेष सचिव, विद्युत, हरियाणा सरकार जो कि कंपनी के प्रबंध निदेशक भी हैं, ने भाग लिया। कंपनी/राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा परिणामों का उत्तर दिया (अक्तूबर 2012)। उनके द्वारा वर्णित विचार यह निष्पादन लेखापरीक्षा अंतिम करते समय ध्यान में रखे गए हैं। लेखापरीक्षा परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों मे चर्चित किए गए हैं।

आयोजना और विकास

राष्ट्रीय बिजली नीति/योजना

2.1.9 केन्द्रीय संचारण उपयोगिता (सी.टी.यू.) और राज्य संचारण उपयोगिताओं (एस.टी.यूज) का मुख्य दायित्व सभी संबंधित एजैन्सियों के साथ समन्वय में एन.ई.पी. पर आधारित नेटवर्क आयोजना और विकास है। 10वीं योजना अवधि की समाप्ति पर (मार्च 2007), देश में संचारण प्रणाली 765/एच.वी.डी.सी./400/230/220/के.वी. पर 1.98 लाख सी.के.एमज की संचारण लाईनों पर खड़ी थी जो 11वीं योजना अवधि के अंत अर्थात, मार्च 2012 तक 2.93 लाख सी.के.एमज तक बढ़ाई जाने हेतु योजनाबद्ध थी। एन.ई.पी. ने 2006-07 की समाप्ति पर कुल अन्तर्क्षेत्रीय संचारण क्षमता 14,100 एम.डब्ल्यू. निर्धारित की और 11वीं योजना के दौरान कुल अन्तर्क्षेत्रीय क्षमता 37,700 एम.डब्ल्यू. तक लाने के लिए 23,600 एम.डब्ल्यू. बढ़ाने हेतु आगे योजना की । तथापि, कंपनी अन्य उत्तरी क्षेत्र राज्यों से घिरी हुई है तथा क्षेत्र की सीमा पर नही है और इस प्रकार यह अन्तर्क्षेत्रीय क्षमताओं की योजना या निष्पादन में आवेष्टित नहीं है।

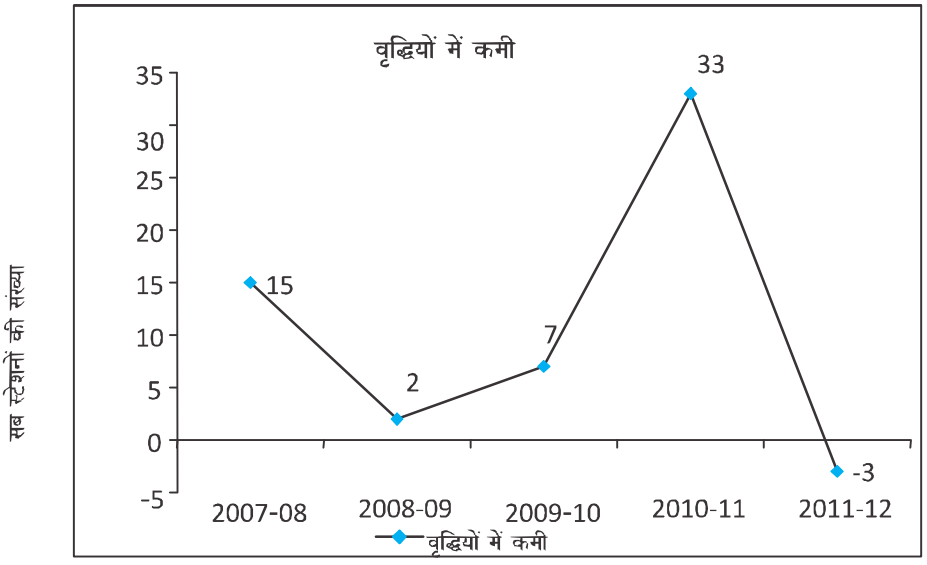
2007-08 के शुरू में कंपनी का संचारण नेटवर्क, ई.एच.टी. संचारण लाईनों की 15,251,17 एम.वी.ए. और 7,770.75 सी.के.एमज की संचारण क्षमता वाले 245 अतिरिक्त उच्च दाब (ई.एच.टी.) एस.एसज से समायुक्त था। 31 मार्च 2012 को संचारण नेटवर्क ई.एच.टी. संचारण लाईनों की 27,062 एम. वी. ए. और 11,213.65 सी.के.एमज की संचारण क्षमता वाले 337 ई.एच.टी. एस.एसज से समायुक्त था।

संचारण नेटवर्क और इसका विकास

2.1.10 2007 - 08 से 2011 - 12 के दौरान ई.एच.टी. स्तर पर कंपनी की संचारण क्षमता नीचे दी गई है:

क्र.सं.	ब्यौरा	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
क.	सब - स्टेशनों की संख्या (संख्या)						
1	वर्ष के प्रारंभ में	245	256	273	289	311	-
2	वर्ष के लिए योजना की गई वृद्धियां	26	19	23	55	23	146
3	वर्ष के दौरान की गई वृद्धियां	11	17	16	22	26	92
4	वर्ष की समाप्ति पर कुल उप - स्टेशन	256	273	289	311	337	-
5	वृद्धियों में कमी (2-3)	15	2	7	33	-3	54
ख.	ट्रांसफार्मरों की क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के प्रारंभ में क्षमता	15,251.17	16,268.17	18,375.50	20,582.00	24,097.50	
2	वर्ष के लिए योजना किए गए वृद्धि / संवर्धन	-	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान वृद्धित क्षमता	1,017.00	2,107.33	2,206.50	3,515.50	2,964.50	11,810.83
4	वर्ष की समाप्ति पर क्षमता (1+3)	16,268.17	18,375.50	20,582.00	24,097.50	27,062.00	
ग.	संचारण लाईनें (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के प्रारंभ में	7,770.75	7,935.73	8,425.43	8,999.10	10,015.84	
2	वर्ष के लिए योजना की गई वृद्धियां	-	-	-	-	-	
3	वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	164.98	489.70	573.67	1,016.74	1,197.81	3,442.9
4	वर्ष की समाप्ति पर कुल लाईनें (1+3)	7,935.73	8,425.43	8,999.10	10,015.84	11,213.65	

एस.एसज की वृद्धि में कमी की प्रवृत्ति को अंकों में नीचे लाईन ग्राफ में चित्रित किया गया है:



एस.एमज की क्षमता वृद्धि, विभिन्न क्षमता (220 के.वी., 132 के.वी. इत्यादि) के एस.एसज की संख्या के निबंधन में योजनावद्ध थी। तथापि, एम.वी.ए. के निबंधन में परिवर्तन क्षमता वास्तविक आवश्कता के आधार पर बनाई जाती है। 146 एस.एसज के निर्माण लक्ष्य के विरूद्ध कंपनी ने केवल 92 एस.एसज (63 प्रतिशत) का निर्माण किया। 2011-12 को समाप्त पांच वर्षो की अवधि के लिए वृर्धित संचारण क्षमता 11,810,83 एम.वी.ए. थी। समीक्षा अवधि के दौरान योजना बनाई गई वोल्टेज-वार क्षमता वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, क्षमता में कमी इत्यादि के विवरण ***परिशिष्ट – 7*** में दिए गए हैं। कंपनी लगातार अपने लक्ष्य कम प्राप्त कर रही है। लक्ष्यों की अप्राप्ति के मुख्य कारण, जैसा कि हमने अवलोकित किया अनुच्छेद 2.1.14 से 2.1.19 में चर्चित किए गए हैं।

एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन, ट्रांसफार्मर, क्षमता में योजना की गई क्षमता वृद्धि और उनकी योजना में संचारण लाईनों की लंबाई प्रदर्शित करने के लिए भी सहमत हुआ और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया।

संचारण प्रणाली का परियोजना प्रबंधन

2.1.11 एक संचारण परियोजना में अवधारण चरण से इसके चालू करने तक की विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं। एक संचारण परियोजना में मुख्य गतिविधियां हैं:

(i) परियोजना प्रतिपादन, मूल्यांकन और अनुमोदन चरण तथा (ii) परियोजना निष्पादन चरण

परियोजना कार्यान्वयन की अवधि में कटौती के लिए विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.), भारत सरकार ने संचारण परियोजनाओं पर एक टास्क फोर्स इस विचार से निर्मित किया (फरवरी 2005):

- संचारण परियोजना कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण तत्वों का विश्लेषण,
- सी.टी.यूज और एस.टी.यूज का सर्वोतम प्रचलनों से कार्यान्वयन, और
- 24 मास की अवधि के लिए एक आदर्श संचारण परियोजना सारणी का सुझाव देना।

संचारण प्रणालियों की पूर्ति तीव्र करने के लिए टास्क फोर्स ने निम्नलिखित उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव दिया और सिफारिश की (जुलाई 2005)।

- ❖ विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियां, जैसे सर्वेक्षण, डिजाईन और परीक्षण, वन और अन्य सांविधिक समाशोधन के लिए प्रक्रिया, निविदा गतिविधियां इत्यादि परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन चरण से पहले समानान्तर करना तथा एक बार संचारण लाइन परियोजना संस्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो निर्माण गतिविधियों के साथ आगे बढ़ना
- ❖ संचारण परियोजनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित पैकेजों में इस प्रकार विभक्त करना कि पैकेजेस का कम से कम समन्वय और अन्तर्पृष्ठ की आवश्यकता से प्रापण और कार्यान्वयन किया जा सके और उसी समय लागत प्रभावी प्रापण को सुविधाजनक करके प्रतियोगिता को आकर्षित करता है; और

❖ टावर निर्माण के डिजाईन मानकीकृत करना ताकि परियोजना निष्पादन में 6 - 12 मास बचाए जा सकें।

2.1.12 लेखापरीक्षा में नमूना - जांच किए गए करनाल और रोहतक सर्कल के संबंध में मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान एम.एसज और लाईनों के निर्माण में विलंब नीचे तालिकाबद्ध हैं:

क्षमता के.वी. में	निर्मित कुल संख्या		लेखापरीक्षा द्वारा नमूना - जांच किए गए संख्या		निर्माण में विलंब (संख्या)		अधिक लिया गया समय (महीनों में श्रृंखला)	
	एस.एस.	लाईनें	एस. एस.	लाईनें	एस.एस.	लाईनें	एस.एस.	लाईनें
400	2	9	0	4	0	0	0	0
220	21	42	10	16	10	13	1 से 13	3 से 31
132	51	82	38	55	30	21	2 से 32	3 से 41

परियोजनाओं की विलंबित पूर्ति के कारण कंपनी ₹ 36.21 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व से वंचित रही तथा ₹ 0.36 करोड़ की भारी हानियां उठाई।

विलंब के मुख्य कारण, भूमि अधिग्रहण और स्थल सौंपने में विलम्ब के अलावा एस.ए.एज की पूर्ति के साथ संचारण लाईनों से संबंधित काम का अनिष्पादन, उपयुक्त हड़ताल सर्वेक्षण न करना, मार्गाधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू.) समस्याएं, वन विभाग, रेलवे विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त करने में विलम्ब और ठेकेदारों द्वारा कार्यों के निष्पादन में विलम्ब जैसा कि अनुच्छेद 2.1.14 से 2.1.19 में चर्चित है। हमने अवलोकित किया कि कंपनी, विभिन्न आरंभिक गतिविधियां करने में विफल रही जैसे कि परियोजना मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण के अग्रिम/समानान्तर में सर्वेक्षण, डिजाइन तथा परीक्षण, वन तथा अन्य सांविधिक क्लीयरेंसिस हेतु प्रक्रिया, निविदा गतिविधियां इत्यादि जैसा कि टास्क फोर्स समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। हमने यह भी अवलोकित किया कि यद्यपि संचारण परियोजनाएं पैकेजेस में विभक्त की गई थी, फिर भी कंपनी विभिन्न एस.एमज और लाईनों को सामयिक तरीके से निष्पादित करने में विफल रही। 53वीं रिपोर्ट (मार्च 2007) में कोपु की सिफारिश के बावजूद कि एस.एसज के निष्पादन में विलंब के परिहार के लिए भूमि की उपलब्धता आर.ओ.डब्ल्यू. इत्यादि संबंधी बाधाओं का ध्यान समयपूर्व रखना चाहिए, कंपनी ने एस.एसज के समयपूर्व निष्पादन के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए थे। समिति ने भी अनुशंसित किया था कि ट्रांसफार्मरों की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए विद्युत उपयोगिताओं के बीच उपयुक्त समन्वय होना चाहिए था। लेकिन यह अवलोकित किया गया कि कोपु की सिफारिशों के बावजूद, कंपनी और डिस्कॉमज द्वारा फीडिंग लाईनों के अनिर्माण के कारण कंपनी ने एस.एसज को किसी भार के बिना निष्क्रिय रखा। इस प्रकार, एस. एसज निष्क्रिय रहे परिणामत: कड़ी हानिया[@] हुई इसके अतिरिक्त कंपनी इन एस.एसज के निर्माण के विचारित लाभों से वंचित रही जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

एस.एसज और लाईनों के निर्माण में विलंब

2.1.13 मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा लिए गए विभिन्न कार्यों की नमूना - जांच ने परियोजनाओं की पूर्णता में विलंब के कई उदाहरण प्रकट किए जिनका भौतिक और वित्तीय उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव था।

[@] ट्रांसफार्मरों द्वारा विद्युत खपत जब इस पर कोई भार नहीं है।

220 के.वी. एम.एस. कोल

2.1.14 कंपनी ने, पेहोवा और बस्तारा से 220 के.वी. डबल सर्केट (डी/सी) लाईन की संबद्ध स्रोत लाईन और 132 के.वी. एस.एस डांड तक 132 के.वी. डी.सी. लाईन की फीडिंग लाईन और 132 के.वी.एस.एस. हाबरी तक 132 के.वी. सिंगल सर्कट (एस/सी) लाईन के साथ प्रत्येक 100 एम.वी.ए. के दो ट्रांसफार्मर के साथ 220 के.वी. एस.एस. कौल का सृजन अनुमोदित किया। उपर्युक्त एस.एस. का निर्माण अतिभारित 220 के.वी.एस. कैथल को राहत देने हेतु डिजाइन किया गया था। उपर्युक्त निर्माण कार्यों के लिए निविदा आमंत्रण नोटिस (एन.आई.टी.) जुलाई 2008 में जारी किया गया था। इस प्रकार, नवंबर 2007 में कार्य के अनुमोदन के पश्चात् एन.आई.टी. जारी करने हेतु इसने सात महीने से अधिक समय लिया।

संबद्ध स्रोत लाईन का कार्य, मई 2010 तक पूर्णता की नियत तिथि के साथ जनवरी 2009 में दिया गया था। इसी प्रकार, एस.एस. का कार्य जून 2010 तक नियत पूर्णता के साथ फरवरी 2009 में दिया गया था। हमने देखा कि संबद्ध स्रोत लाईने रेलवे प्राधिकारियों से विलंबित अनुमोदन के कारण तीन महीनों के विलंब के पश्चात् दिसंबर 2010 में पूर्ण की गई। एक ट्रांसफार्मर के साथ एस.एस. जून 2010 की पूर्णता नियत तिथि के विरूद्ध दिसंबर 2010 में चालू किया गया। तथापि, अन्य ट्रांसफार्मर अभी तक चालू नहीं हुआ (सितंबर 2012)। आगे दो ट्रांसफार्मरों को अभी तक चालू नहीं किया गया था (सितंबर 2012)। आगे दो फीडिंग लाईनों के संबंध में कार्य अभी तक नहीं दिए गए थे (सितंबर 2012)।

इस प्रकार, एस.एस. की पूर्णता में विलंब के कारण, अतिभारित 220 के.वी.एस.एस. कैथल को यथा विचारित राहत प्रदान नहीं की जा सकी और अन्ततः ट्रांसफार्मर पर 30 अगस्त 2011 को भार डाला गया। कंपनी ने ₹ 4.47 लाख[#] मूल्य के 1.30 लाख[α] इकाईयों (एल.यूज़) की कड़ी हानियां अवधि, (270) दिन जिस दौरान ट्रांसफार्मर बिना भार के चला, हेतु उठाई और अतिरिक्त राजस्व के रूप में ₹ 10 करोड़ का विचारित लाभ[δ] भी वसूल नहीं किया जा सका।

220 के.वी.एस.एस. सांपला

2.1.15 कंपनी ने बहादुरगढ़-रोहतक 220 के.वी.डी./सी. के लूप इन लूप आउट (एल.आई. एल.ओ.) की संबद्ध स्रोत लाईन के साथ 220 के.वी.एस.एस. सांपला का सृजन अनुमोदित किया (अक्तूबर 2007)। प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एस.एस. को 220 के.वी. डी./सी. सांपला मोहाना लाईन का सृजन करके प्रस्तावित 220 के.वी.एस.एस मोहाना के साथ जोड़ा जाना था। उपर्युक्त कार्यों के लिए एन.आई.टी. जुलाई 2008 में जारी किए गए थे। अक्तूबर 2007 में इसके अनुमोदन के बाद एन.आई.टी. जारी करने में इसने आठ मास से अधिक समय लिया।

\# कड़ी हानियां (₹ लाख में) = कड़ी हानियां (एल.यूज) x भारकृत और विद्युत क्रय लागत अर्थात् ₹ 3.34 प्रति इकाई (2010-11) तथा ₹ 3.52 प्रति इकाई (2011-12) 0.57 एल.यूज.x ₹ 3.34 + 0.73 एल.यूज.x ₹ 3.52

α एल.यूज में कड़ी हानियां= प्रत्येक क्रय आदेश में उल्लिखित अनुसार प्रति घंटा कड़ी हानियां (के.डब्ल्यू.) x 24 घंटेx भार रहित रहे दिनों की संख्या/एक लाख

δ किया गया व्ययx आवर्त की दर (%)x दिनों में विलंब।

दोनों 220 के.वी. लाईनों हेतु कार्य मई 2010 तक, नियत पूर्णता के साथ जनवरी 2009 में दिए गए थे। एस.एस. के लिए कार्य फरवरी 2009 में दिया गया तथा यह जून 2010 तक पूर्ण किया जाना था। फिरभी, पूर्णता की तिथि नवंबर 2010 तक बढ़ा दी गई क्योंकि कंपनी नियंत्रण कक्ष भवन के निर्माण के लिए स्थल उपलब्ध नहीं करवा सकी। हमने अवलोकित किया कि बहादुरगढ़ - रोहतक संबंद्ध स्रोत लाईन, रूट का अंतिमकरण न होने के कारण 17 मास से भी अधिक विलंब के साथ नवंबर 2011 को पूर्ण हुई। सांपला से मोहाना तक 220 के.वी. लाईन मार्च 2011 में नौ मास के विलंब के साथ पूर्ण की गई। हमने, अवलोकित किया कि भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) से अनुमोदन लेने में विलंब था तथा शटडाउन के लिए रेलवे द्वारा अनुमति विलंबित थी क्योंकि प्रस्तावित लाईन को पी.जी.सी.आई.एल. लाईन और रेलवे ट्रैक को पार करना था। एस.एस. सांपला भी मार्च 2011 में चालू किया गया था।

कंपनी टास्क फोर्स की सिफारिशों का अनुपालन करने में विफल रही। इसने विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियां जैसे परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन चरण के साथ - साथ विस्तृत सर्वेक्षण करना और रेलवे क्लीयरेंस प्राप्त करना पूर्ण नहीं की। परिणामत:, कंपनी ने ट्रांसफार्मरों पर 303 दिन (दिसंबर 2011 तक) भार नहीं डालने के कारण ₹ 5.08[Y] लाख मूल्य के 1.45 एल.यूज की कड़ी हानियां कायम की तथा ₹ 7.50 करोड़ के विचारित अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में भी विफल रही।

220 के.वी.एस.एस. मोहाना

2.1.16 कंपनी ने सोनीपत में, 132 के.वी.एस.एस. मुंडलाना और एस.एस. मोहाना में एस./सी. हरसाना कलां - खरखोदा की एल.आई.एल.ओ. को फीड करने के लिए 220 के.वी.डी./सी. झांजी - मोहाना लाईन की स्रोत लाईन सहित 220 के.वी.एस.एस., मोहाना के निर्माण हेतु निर्णय लिया (अप्रैल 2008)।

तथापि, एस./सी. लाईन हरसाना कलां - खरखोदा की एल.आई.एल.ओ. के निर्माण का प्रस्ताव फरवरी 2012 में देरी से निरस्त कर दिया गया तथा एस.एस. मोहना से 132 के.वी. हरसाना कलां तक 132 के.वी.डी./सी. नई लाईन प्रतिष्ठापित करने हेतु निर्णय लिया गया। 220 के.वी.एस.एस. मोहना का कार्य जून 2010 तक पूर्णता की नियत तिथि के साथ दिया गया। इसकी स्रोत लाईन 220 के.वी.डी/सी. झांजी - मोहाना लाईन का कार्य फरवरी 2010 में दिया गया तथा मई 2010 तक पूर्ण किया जाना था। मई 2010 में दिया गया मोहाना - मुंडलाना की फीडिंग लाईन का कार्य मई 2011 तक पूर्ण किया जाना था।

हमने अवलोकित किया कि एस.एस. चार मास के विलंब के बाद जून से नवंबर 2010 तक चालू किया गया जबकि फीडिंग लाईन अर्थात् 132 के.वी. मोहाना - मुंडलाना लाईन अभी तक पूर्ण नहीं की गई थी (सितंबर 2012)। इस प्रकार, 132 के.वी. एस.एस. मुंडलाना को 220 के.वी.एस.एस. रोहतक के माध्यम से फीड करवाना पड़ता था। 349 दिन (अक्तूबर 2011 तक) उन पर कोई लोड डाले बिना ट्रांसफार्मरों के ऊर्जाकरण के कारण कंपनी ने

[Y] कड़ी हानियां (₹ लाख में) = 0.14 एल.यूज x ₹ 3.34 प्रति इकाई (2010 - 11) तथा 1.31 एल.यूज x ₹ 3.52 प्रति इकाई (2011 - 12)।

₹ 5.77 लाख[δ] मूल्य के 1.68 एल.यू. खो दिए। कंपनी ₹ 4.12 करोड़ का विचारित अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त नहीं कर सकी जैसा कि विचारित था।

220 के.वी. एस.एस. छाजपुर

2.1.17 कंपनी ने 220 के.वी.एस.एस. छाजपुर, 220 के.वी.डी./सी. सेवाह की स्रोत लाईन से छाजपुर लाईन तक और 132 के.वी.एस./सी. लाईन की दो फीडिंग लाईनें एस.एस. छाजपुर से 132 के.वी.एस.एस, सैक्टर 29, पानीपत तक और बिहोली से छाजपुर तक 132 के.वी.एस./सी. लाईन का निर्माण अनुमोदित किया (अक्तूबर 2007)। उपर्युक्त कार्यों के लिए एन.आई.टी. जुलाई 2008 में जारी किया गया। फीडिंग लाईन के लिए कार्य अर्थात् एस.एस. छाजपुर से पानीपत तक अक्तूबर 2008 में दिया गया और नवंबर 2009 तक पूर्ण किए जाने की योजना बनाई थी। उसके बाद, दो लाईनों[*] के लिए कार्य अर्थात् एक फीडिंग और एक स्रोत लाईन जनवरी 2009 में दिया गया था। फीडिंग और स्रोत लाईन का कार्य क्रमश: फरवरी और मई 2010 तक पूर्ण किया जाना था। इसी प्रकार, एस.एस. का कार्य फरवरी 2009 में दिया गया जो जून 2010 तक पूर्ण किया जाना था। हमने अवलोकित किया कि स्रोत लाईन नौ मास के विलंब के साथ मार्च 2011 में पूर्ण की गई और फीडिंग लाईनों[d] और छ:[∝] मास के विलंब के साथ सितंबर 2010 में पूर्ण की गई। ये लाईनें, कंपनी द्वारा एस.एस. छाजपुर में खण्ड[ϒ] के अनिर्माण के अलावा, आर.ओ.डब्ल्यू. समस्या तथा वन विभाग द्वारा विलंबित क्लीयरैंस के कारण विलंबित हुई। फीडिंग लाईनें अप्रैल 2012 से परिचालन की गई। विलंब के परिणामस्वरूप (अप्रैल 2012 तक) ₹ 6.90 लाख[∇] मूल्य के 1.96 लाख एल.यूज की कड़ी हानियां हुई और अतिरिक्त राजस्व के रूप में ₹ 6.30 करोड़ का विचारित लाभ भी वसूल नहीं किया जा सका।

220 के.वी.एस.एस. समालखा

2.1.18 कंपनी ने समालखा में 220 के.वी.एस.एस. का निर्माण इसकी संबद्ध चार लाईनों अर्थात् 220 के.वी.डी./सी. समालखा से छाजपुर लाईन तक, समालखा से बिहोली तक डी./सी. टावरों पर, 132 के.वी.एस./सी. लाईन, समालखा से नौलथा तक डी./सी. टावरों पर 132 के.वी. एस./सी. लाईन और समालखा से बेगा तक डी./सी. टावरों पर 132 के.वी. एस./सी. लाईन के साथ अनुमोदित किया (अक्तूबर 2007)। उपर्युक्त कार्यों के लिए एन.आई.टी. जुलाई 2008 में जारी किया गया। इस प्रकार, कंपनी ने एन.आई.टी. जारी करने में आठ महीने से अधिक समय लिया।

δ कड़ी हानियां (₹ लाख में): 0.65 एल.यूज X ₹ 3.34 (2010-11) + 1.02 एल.यूज X 3.52 (2011-12)।

* सेवाह से छाजपुर तक 220 के.वी.डी./सी. स्रोत लाईन तथा बेहोली से छाजपुर तक 132 के.वी.एस./सी. फीडिंग लाईन।

d छाजपुर से पानीपत।

∝ बेहोली से छाजपुर।

ϒ खण्ड का अर्थ, विनिर्दिष्ट आपूर्ति लाईन तथा विद्युत ट्रांसफार्मर हेतु उप-स्टेशन की बस-बार से संयोजित स्विचिंग तथा नियंत्रण साधनों से समायुक्त एक उप-स्टेशन का हिस्सा है।

∇ कड़ी हानियां (₹ लाख में) = 1.96 एल.यूज X ₹ 3.52

एस.एस. के लिए कार्य फरवरी 2009 में दिया गया था। कार्य मई 2010 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था परन्तु दिसंबर 2010 तक बढ़ा दिया गया क्योंकि कंपनी नियंत्रण कक्ष भवन के निर्माण के लिए स्थल उपलब्ध नहीं करवा सकी। तीन 132 के.वी. लाईनों और एक 220 के.वी. लाईन हेतु कार्य क्रमश: फरवरी 2010 तथा मई 2010 तक निर्धारित पूर्णता के साथ दिया गया।

हमने अवलोकित किया कि एस.एस., मुख्यत: ठेकेदार द्वारा सिविल कार्यों की धीमी प्रगति, मजदूर और मशीनरी की समस्या तथा ठेकेदार की अनुचित आयोजना के कारण सात मास के विलंब के साथ जनवरी 2011 में चालू किया गया। चार संबद्ध लाईनें सात से 10 मास के मध्य श्रृंखलित विलंब के साथ अगस्त 2010 से मार्च 2011 के दौरान पूर्ण की गई। विलंब के मुख्य कारण, 50 प्रतिशत से भी अधिक मार्ग के परिवर्तन के कारण लाईन की लम्बाई में वृद्धि, बृहद् मात्रा भिन्नताएं, रेलवे क्रॉसिंग के अनुमोदन में विलंब, 220 के.वी.डी./सी, नंगल दिल्ली बी.बी.एम.बी. लाईन की क्रॉसिंग के अनुमोदन में देरी, आर.ओ.डब्ल्यू. समस्या, भूमि-मालिकों द्वारा मुकद्दमेंबाजी और यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा 11 के.वी. फीडर्स के स्थानान्तरण में देरी थे। विलंब के परिणामस्वरूप अतिरिक्त राजस्व के रूप में ₹ 5.64 करोड़ का विचारित लाभ त्याग दिया गया।

132 के.वी.एस.एस. बिहोली

2.1.19 कंपनी ने 132 के.वी.एस.एस. बिहौली का निर्माण अनुमोदित किया (अक्तूबर 2007)। विद्यमान 33 के.वी.एस.एस. बिहोली (16.6 एम.वी.ए.) और डिकाडला (17.6 एम.वी.ए.) को उनका लोड प्रस्तावित एस.एस. को स्थानांतरित करके राहत प्रदान करने हेतु एस.एस. निर्मित किया जाना था।

एस.एस. के निर्माण हेतु कार्य फरवरी 2009 में दिया गया था। कार्य फरवरी 2010 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था परन्तु सितंबर 2010 तक बढ़ा दिया गया क्योंकि कंपनी नियंत्रण कक्ष भवन के निर्माण के लिए स्थल उपलब्ध नहीं करवा सकी तथा अक्तूबर 2010 में अंशत: चालू किया गया तथा नवंबर 2011 में पूर्ण रूप से 20 मास के विलंब के बाद चालू किया गया। हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने अप्रैल 2011 तक लोड न डालने के कारण ₹ 2.99 लाख[ץ] मूल्य के 0.89 एल.यूज की कड़ी हानियां उठाई तथा अतिरिक्त राजस्व के रूप में ₹ 2.65 करोड़ का विचारित लाभ प्राप्त करने में भी विफल रही।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि एस.एस. कौल, सांपला, छाजपुर और समालखा के संबंध में विलंबित निधि प्रबंधन के कारण एन.आई.टीज के प्रचालन में अधिक समय लिया गया। और अधिक, एस.एस. और लाईनों की पूर्णता में बेमेल और डिस्कोमज द्वारा मूल प्रणाली के अनिर्माण के कारण, एस.एस कोल, मोहाना, छाजपुर और बिहोली को लोड पर नहीं डाला गया। उन्होंने दलील दी कि विचारित लाभ की हानि लागू नहीं है क्योंकि एच.वी.पी.एन.एल. को राजस्व ए.आर.आर. के आधार पर दिया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने डी.पी.आरज में परियोजनाओं की पूर्णता के पश्चात् अर्जित किए जाने वाले रिटर्न की दर परियोजित की थी। इस प्रकार, विलंबित पूर्णता के कारण कंपनी डी.पी.आर. के अनुसार अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में विफल रही।

ץ कड़ी हानियां (₹ लाख में) = 0.75 एल.यूज x ₹ 3.34 प्रति इकाई (2010-11) तथा 0.14 एल.यूज x ₹ 3.52 प्रति इकाई (2011-12)।

132 के.वी.एस.एस. हल्लुवास

2.1.20 बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अधीन प्रावधान की गई शक्ति के निबंधन में राज्य सरकार ने कंपनी को, बिजली के संचारण के लिए स्थापित या स्थापित की जाने वाली या अनुरक्षित बिजली लाईनों के संबंध में, वे सभी शक्तियां दे दी (21 दिसंबर 2009) जो टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास थी। एक टेलीग्राफ प्राधिकरण, कार्यों के सुचारू निष्पादन के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत गजट अधिसूचना जारी कर सकता है।

कंपनी ने निष्क्रिय 132 के.वी.एस./सी. दादरी, भिवानी लाईन को प्रयुक्त करके 132 के.वी.एस. एस. हल्लुवास के सृजन और 132 के.वी. अतिरिक्त लाईन के निर्माण के लिए डी.एच.बी.वी.एन. एल. का प्रस्ताव अनुमोदित किया (जनवरी 2006)।

हमने अवलोकित किया कि सशक्तिकरण से पहले (दिसंबर 2009) कंपनी ने प्रस्तावित एस.एस. की लिंक लाईन के निर्माण के लिए गजट अधिसूचना जारी की (19 दिसंबर 2006)। एस.एस. ₹ 5.39 करोड़ की लागत पर 14 मई 2009 को पूर्ण किया गया, जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकार दिए गए बिना अधिसूचना जारी करने के आधार पर भूमि मालिक द्वारा दर्ज किए मामले में ट्रायल कोर्ट, भिवानी द्वारा प्रदान किए स्टे (23 जनवरी 2008) के कारण लिंक लाईन का कार्य रूका हुआ था। उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध दर्ज की गई अपीलें जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा क्रमश: 16 अक्तूबर 2008 और 19 फरवरी 2009 को रद्द कर दी गई थी। बाद में, राज्य सरकार ने कंपनी को गजट अधिसूचना जारी करने के लिए सशक्तिकरण हेतु अधिसूचना जारी की (21 दिसंबर 2009) और अप्रैल 2011 में भू-स्वामी द्वारा मामला वापस ले लिया गया। एस.एस. 8 जुलाई 2011 अर्थात दो वर्षों से अधिक के विलंब के बाद चालू किया गया। इस प्रकार, प्रस्तावित एस.एस. की लिंक लाईन के निर्माण के लिए ऐसा करने हेतु अधिकार प्राप्त किए बिना कंपनी द्वारा अधिसूचना जारी करने के कारण, परिणामस्वरूप परिहार्य मुकद्दमेंबाजी हुई तथा परिणामत: ₹ 5.39 करोड़ की लागत पर निर्मित एस.एस. अप्रयुक्त रहा जिससे ₹ 1.05 करोड़[d] के ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि पूर्ववर्ती एच.एस.ई.बी. के समय से इस प्रथा का अनुसरण किया जा रहा है और लाईन मुकद्दमेबाजी के कारण विलंबित थी। तथ्य रहा कि कंपनी ने तथ्य को नजरअंदाज किया कि इसे इसके परिवर्तित कानूनी स्थिति के परिणामस्वरूप विशेष सशक्तिकरण की आवश्यकता थी।

उत्पादक क्षमता और संचारण सुविधाओं के बीच बेमेल

2.1.21 एन.ई.पी. में उत्पादन क्षमता और संचारण सुविधाओं के बीच बेमेल के परिहार के लिए, नई उत्पादन क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए संचारण क्षमता संवर्धन विचारित था। संचारण नियंत्रण कार्यों के निष्पादन में विलंब के कारण उत्पादन कंपनी की उत्पादन योजनाओं के साथ मेल करने हेतु कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली संचारण सुविधाएं समय पर प्रदान नहीं की जा

d ₹ 5.39 करोड़ x 9.08 प्रतिशत (2007-11 के दौरान ब्याज की औसत दर) x 785 दिन/365 दिन।

सकी। अंतत: जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमताओं और संचारण सुविधाओं के बीच बेमेल और बाद में विद्यमान और पहले ही अतिभारित संचारण लाईनों में विद्युत का निष्क्रमण हुआ।

नमूना-जांच के दौरान, निम्नलिखित मामले अवलोकित किए गए जिनमें कंपनी, उत्पादन क्षमता के सृजन के साथ मेल करने के लिए संचारण नेटवर्क को पूर्ण करने में विफल रही।

इंदिरा गांधी सुपर थर्मल बिजली परियोजना (आई.जी.एस.टी.पी.पी.), झज्जर

2.1.22 अरावली पावर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड (ए.पी.सी.पी.एल), एक कंपनी भारत के राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) द्वारा अधिकृत, इन्द्रप्रस्थ बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड (आई.पी.जी.सी.एल) और एच.पी.जी.सी.एल. ने (जुलाई 2007) झज्जर में 1500 एम. डब्ल्यू. (3 यूनिटस x 500 एम.डब्ल्यू) आई.जी.एस.टी.पी.पी. के निर्माण हेतु कार्य यूनिट-I, II और III के समक्रमणों के लिए निर्धारित तिथि क्रमश: जुलाई 2010, अक्तूबर 2010 और जनवरी 2011 के साथ सौंपा। यूनिट I और II का समक्रमण देरी से क्रमश: 10 अक्तूबर 2010 तथा 21 अक्तूबर 2011 को किया गया तथा यूनिट III अभी तक चालू नहीं किया गया था।

कंपनी ने आई.जी.एस.टी.पी.पी. से बिजली के निष्क्रमण संबंधित निम्नलिखित संचारण कार्य अनुमोदित किए (दिसंबर 2007)

क्र. सं.	कार्य का नाम	एल.ओ.ए. की तारीख	आरंभ करने की तारीख		दिनों में विलंब
			समय सारणी	वास्तविक	
1	400 के.वी. लाईन का निर्माण एस.एस. दौलताबाद	19.09.2008	18.04.2010	12.03.2011	328
2	आई.जी.टी.पी.एस. से दौलताबाद तक 400 के.वी. लाईन का निर्माण	31.10.2008	30.03.2010	07.12.2010	252
3	दौलताबाद से सैक्टर 72, गुड़गांव तक 400 के.वी. लाईन का निर्माण	03.03.2010	02.01.2011	पूर्ण नहीं किया गया (सितंबर 2012)	

एस.एस. और एक लाईन समय पर पूर्ण नहीं किए गए तथा क्रमश: 328 और 252 दिनों तक विलंबित ने अक्तूबर 2010 में यूनिट I के समक्रमण के विरूद्ध, केवल एक लाईन वाला एस.एस मार्च 2011 तक पूर्ण किया गया। दौलताबाद से सैक्टर 72, गुडगांव तक की लाईन अभी तक पूर्ण नहीं की गई थी (सितंबर 2012)।

हमने अवलोकित किया कि उपर्युक्त संचारण कार्यों के निर्माण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा)/जिला नगर आयोजना (डी.टी.पी) प्राधिकारियों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त न करने के कारण अनुबंध के विलंबित हस्ताक्षर तथा आर.ओ.डब्ल्यू समस्याओं के कारण विलंबित थे। इस प्रकार, उत्पादन क्षमताओं के सृजन और संचारण सुविधाओं के मध्य बेमेल होने के कारण कंपनी ने अतिभारित लाईनों के द्वारा बिजली निष्क्रमित की परिणामत: कोटि बिजली की उपलब्धता, संशोधित वोल्टेज इत्यादि उपभोक्ताओं को सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन, खेदड़, हिसार (आर.जी.टी.पी.एस)

2.1.23 एच.पी.जी.सी.एल. ने यूनिट I और II के लिए समक्रमण शेड्यूल क्रमश: नवंबर 2009 और फरवरी 2010 के साथ प्रत्येक 600 एम.डब्ल्यू. के दो यूनिट, आर.जी.टी.पी.एस. निर्माण के लिए प्रतिष्ठापन, प्रापण और चालू करने (ई.पी.सी.) का अनुबंध दिया (जनवरी 2007)। यूनिट I और II का वास्तव में 28 दिसंबर 2009 और 20 अप्रैल 2010 को समक्रमण हो गया।

नीचे तालिका आर.जी.टी.पी.एस. से बिजली के निष्क्रमण संबंधी संचारण कार्यों में विलंब को दर्शाती है:

क्र. सं.	कार्य का नाम	एल.ओ.ए. की तारीख	आरंभ करने की तारीख		दिनों में विलंब
			समय सारणी	वास्तविक	
1	400 के.वी. एस.एस. किरोड़ी का सृजन	08.04.2008	07.11.2009	19.02.2010	104
2	आर.जी.टी.पी.एस. (खेदड़) से 400 के.वी. एस.एस. किरोड़ी (हिसार) तक 400 के.वी. डी./सी. लाईन का सृजन	07.01.2008	06.08.2009	19.02.2010	198
3	आर.जी.टी.पी.एस. से 400 के.वी. एस.एस. फतेहाबाद पी.जी.सी.आई.एल. तक 400 के.वी. डी./सी. लाईन	07.01.2008	06.08.2009	5.01.2010	152
4	400 के.वी. एस.एस. किरोड़ी (हिसार) में जींद हिसार आई.ए. 220 डी./सी. के लूप आउट में लूप	03.06.2008	02.07.2008	20.05.2009	322
5	नूंहियांवाली में 400 के.वी. एस.एस. का सृजन	01.06.2009	22.04.2011	27.02.2012	311
6	प्रस्तावित 400 के.वी. एस.एस. नूंहियांवाली में 400 के.वी. डी./सी. आर.जी.पी.टी.एस.-फतेहाबाद लाईन के एक सर्किट का एल.आई.एल.ओ.	06.08.2009	05.09.2009	18.07.2011	681

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि कंपनी ने जनवरी 2007 में आर.जी.टी.पी.एस. के लिए एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा कार्य सौंपने की तिथि से 10 से 20 मास तक श्रृंखलित विलंब के साथ जनवरी 2008 से अगस्त 2009 के दौरान संचारण प्रणाली के निर्माण के लिए कार्य दिया। आगे, ये संचारण कार्य आरेखणों के अनुमोदन में विलंब के कारण 104 दिन से 681 दिन तक श्रृंखलित विलंब से पूर्ण किए गए। यूनिट I और यूनिट II के क्रमश: दिसंबर 2009 और अप्रैल 2010 में चालू होने के विरूद्ध एक एस.एस (क्र. सं. 1) दो लाईनें (क्र. सं. 2 एवं 3) और एक एल.आई.एल.ओ. (क्र.सं. 6) मई 2009 और 2011 के मध्य किए गए और एक एस.एस. (क्र.सं. 5) 311 दिनों के विलंब से पूर्ण किया गया था। किरोड़ी एस.एस. पर जींद-हिसार का केवल एल.आई.एल.ओ. (क्र.सं.4) यूनिट I के वास्तविक चालू करने से पहले पूर्ण किया जा सका। निष्क्रमण प्रणाली के समय पर पूर्ण न होने के कारण कंपनी को आर.जी.टी.पी.एस. पर ₹ 1.98 करोड़ की लागत पर मई 2009 में 400 के.वी. हिसार-मोगा लाईन के एल.आई.एल.ओ.

की अस्थाई व्यवस्था करनी पड़ी थी (मार्च 2009)। यह लाईन आर.जी.टी.पी.एस. फतेहाबाद पी.जी.सी.आई.एल. लाईन के निर्माण के बाद जनवरी 2010 में तोड़नी पड़ी। तथापि, ₹ 1.98 करोड़ की लागत में से ₹ 1.56 करोड़ मूल्य की सामग्री दुबारा प्रयुक्त की जाएगी जबकि 0.39 करोड़ का शेष खर्चा हानि के रूप में बट्टे खाते में डालना पड़ेगा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) संबद्ध संचारण लाईनं रेलवे प्राधिकारियों से अनुमोदन की विलंबित प्राप्ति के कारण देर से पूर्ण की गई तथा आई.जी.एस.टी.पी.पी. से दौलताबाद तक 400 के.वी. लाईन के समय पर चालू न करने के कारण समक्रमण में बेमेलपन था। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि उपभोक्ताओं को गुणक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली के निष्क्रमण की भावी योजना बनाई जाएगी।

लोड आवश्यकता के मूल्यांकन के बिना एस.एसज के निर्माण

2.1.24 एक एस.एस. के निर्माण के लिए, परियोजना शुरू करने से पूर्व वोल्टेज विनियमों की अनुमत्य सीमाओं के साथ लोड में वृद्धि तथा भविष्य में मांग में प्रत्याशित वृद्धि अनिवार्यत: ध्यान में रखे जाने अपेक्षित हैं। प्रस्तावित नई योजनाओं के लिए लोड पूर्वानुमान में प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भौतिक और वित्तीय लाभ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में, एस.एसज़ और संबद्ध लाईनों के सृजन/उन्नयन के लिए कंपनी, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कोमज) से प्रस्ताव प्राप्त करती है।

220 के.वी.एस.एस. बात्ता का निर्माण

2.1.25 यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने 132 के.वी. नरवाना-टोहाना लाईन के एल.आई.एल.ओ. फीडिंग के साथ कलायत स्थित 33 के.वी.एस.एस. के 132 के.वी. तक उन्नयन के लिए प्रस्ताव भेजा। परन्तु स्थान बाधाओं के कारण यह अन्तिम नहीं किया जा सका। तथापि, कंपनी ने लोड प्रवाह अध्ययन किए बिना बात्ता (कैथल) में नए 220 के.वी.एस.एस. और प्रस्तावित एस.एस. बात्ता में 220 के.वी. नरवाना-कैथल डी./सी. लाईन के एल.आई.एल.ओ. का निर्माण अनुमोदित कर दिया (अगस्त 2008) और यू.एच.बी.वी.एन.एल. को संबंधित लाईनों के साथ नए 220 के.वी.एस.एस. बात्ता के सृजन हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा (जुलाई 2008-जनवरी 2009)।

हमने देखा कि यू.एच.बी.वी.एन.एल. से कोई प्रस्ताव प्राप्त किए बिना, कंपनी ने ₹ 25.62 करोड़ की लागत पर 220 के.वी.एस.एस. बात्ता तथा ₹ 85 लाख की लागत पर 220 के.वी.एस.एस. बात्ता पर 220 के.वी. नरवाना-कैथल डी./सी. लाईन की एल.आई.एल.ओ. के निर्माण के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए (सितंबर 2009 और मई 2010)। दोनों कार्यों के चालू करने की नियत तिथि क्रमश: 7 सितंबर 2010 और 31 अगस्त 2011 थी। हमने आगे अवलोकित किया कि कंपनी ने इन कार्यों को देने से पहले एस.एस. बात्ता के लिए किसी आधारभूत संचारण प्रणाली की योजना नहीं बनाई थी। बाद में, कंपनी ने आधारभूत संचारण प्रणाली तीन लाईने अनुमोदित की जिनमें से दो लाईनों का प्रस्ताव बेज बनाने के लिए स्थान बाधाओं के कारण दो लाईनें रद्द कर दी गई (जून 2011) और उसे आवृत्त करने के लिए दो और वैकल्पिक लाईनें अनुमोदित कर दी गई। बात्ता 220 के.वी.एस.एस. और संबद्ध लाईनें जुलाई और अगस्त 2011 में चालू की गई, परंतु अभी तक प्रयुक्त नहीं की जा रही हैं (सितंबर 2012)।

इस प्रकार, लोड आवश्यकता तथा आधारभूत संचारण प्रणाली की योजना के बिना एस.एस. के निर्माण के कारण ₹ 26.47 करोड़ का व्यय अभी तक निष्फल रहा (सितंबर 2012)। इसके अलावा, कंपनी ने ₹ 10.35 लाख⊗ मूल्य के 2.94 एल.यूज़ की कड़ी हानियां उठाई क्योंकि इसके चालू होने के समय से एस.एस. बिना लोड के चल रहा था।

लोड आवश्यकता के बिना एस.एस. के निर्माण से ₹ 26.47 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

एग्जिट कांफ्रेंस में तथ्य स्वीकार करते समय प्रबंधन ने कहा कि संचारण प्रणाली की योजना बनाते समय समुचित अध्ययन किया जायेगा।

संचारण प्रणाली का निष्पादन

2.1.26 कंपनी का निष्पादन मुख्यत: न्यूनतम रूकावटों के साथ क्वालिटी बिजली की आपूर्ति के लिए इसके ई.एच.टी. संचारण प्रसारण नेटवर्क के दक्ष अनुरक्षण पर निर्भर करता है। एस.एसज़ और लाईनों के परिचालन के दौरान घटक उप-प्रणालियों के भीतर आपूर्ति मांग प्राफाईल की जाती है तथा लाईन हानियां कम करने के लिए और वोल्टेज रूपरेखा सुधार कर बिजली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली सुधार योजनाएं शुरू की जाती हैं। ये योजनाएं विद्यमान ट्रांसफार्मर क्षमता के संवर्धन, अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों के प्रस्थापन, अतिरिक्त लाईनों को बिछाने और क्षमता बैंकों के प्रस्थापन के लिए हैं। प्रणाली के परिचालन और अनुरक्षण (ओ. एण्ड एम.) के संबंध में कंपनी के निष्पादन की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

संचारण क्षमता

2.1.27 उत्पादक स्टेशनों से विद्युत निष्क्रमण और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लोड वृद्धि को पूरा करने हेतु कंपनी विभिन्न ई.एच.टी. वोल्टेजों पर लाईनें और एस.एसज़ निर्मित करती है। ट्रांसफार्मर ए.सी. वोल्टेज और करंट को अत्यन्त उच्च दक्षता पर भिन्न वोल्टेज और करंट में परिवर्तित करता है। प्रक्रिया में न्यूनतम हानि के साथ ए.सी. वोल्टेज में वृद्धि अथवा कमी प्राप्त करने के लिए वोल्टेज स्तर को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। निष्क्रमण सामान्यत: 220 के.वी. एस.एसज़ पर किया जाता है। मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर सृजित संचारण क्षमता (220 के.वी.) तथा संचारित क्षमता (उच्चतम मांग पूरित) नीचे दिए अनुसार हैं:

संचारण क्षमता (एम.वी.ए. में)				
वर्ष	संस्थापित (कंपनी द्वारा प्रयुक्त बी.बी.एम.बी. क्षमता सहित)	मार्जिन की ओर 30 प्रतिशत छोड़ने के बाद	अननुरूप मांग सहित शीर्ष मांग	आधिक्य
1	2	3	4	5=(3)-(4)
2007-08	8,750	6,125	5,458	667
2008-09	9,790	6,853	5,305	1,548
2009-10	10,340	7,238	6,426	812
2010-11	11,690	8,183	6,142	2,041
2011-12	13,130	9,191	7,125	2,066

⊗ कड़ी हानियां (₹ लाख में) = 1.92 एल.यूज़ x ₹ 3.52 प्रति इकाई (2011-12)।

ऊपर की तालिका से यह अवलोकित किया जा सकता है कि समग्र संचारण क्षमता निष्पादन लेखापरीक्षा में आवृत अवधि के दौरान आवश्यकता से अधिक थी।

अनुरक्षण

करंट ट्रांसफार्मरों (सी.टी.) का निष्पादन

2.1.28 चूंकि करंट ट्रांसफार्मर, विद्युतीय ऊर्जा आपूर्ति नेटवर्क्स के अत्यन्त महत्वपूर्ण और लागत गहन घटकों में से एक है, उनके अनुरक्षण व्यय को कम करते समय उनकी जीवन अवधि दीर्घ करने हेतु विशेष रूचि की आवश्यकता है। सी.टीज़ की परिचालन स्थितियों के बारे में विस्तृत सूचना एकत्र करने के लिए मानक तेल डिसोलवड गैस एनेलेसिस (डी.जी.ए.) जैसे विभिन्न प्रकार के तेल विश्लेषण सामान्यत: किए जाते हैं। सी.टी. रोधन के लिए, एक रोधी तरल और साथ में संसेचित ठोस रोधक का समिश्रण प्रयुक्त किए जाते हैं। इस रोधक प्रणाली की वास्तविक अवस्था के मूल्यांकन के लिए एक डी.जी.ए. का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सी.टी. के भीतर विफलताएं, तरल रोधक के निम्नीकरण की ओर इस प्रकार ले जाती हैं कि गैसों का मिश्रण विफलता के कारणों की पहचान करने में समर्थ बनाता है। नीचे की तालिका 2007-08 से 2011-12 तक के वर्षो के दौरान ट्रांसफार्मरों की विफलता की स्थिति इंगित करती है:

वर्ष	वर्ष के आरंभ में परिवर्तकों की संख्या	विफल परिवर्तकों की संख्या	मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय (₹ करोड़ में)	क्षति दर (प्रतिशत में)
2007-08	641	24	6.98	3.74
2008-09	677	21	5.91	3.10
2009-10	741	23	9.79	3.10
2010-11	754	20	6.67	2.65
2011-12	845	29	10.59	3.43

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कंपनी के पास अप्रैल 2007 को विभिन्न क्षमताओं के 641 करंट ट्रांसफार्मर (सी.टी.) थे। पांच वर्षो के दौरान, 117 की संख्या में सी.टी. क्षतिग्रस्त हो गए जिनमें से 69 सी.टी. (60 प्रतिशत) 132/11 के.वी. क्षमता के थे एच.ई.आर.सी. ने अपने टैरिफ आदेशों में भी दोहराया था (2007-08 से 2011-12 कि कंपनी) शून्य क्षति दर पर लक्ष्य के लिए रोधात्मक अनुरक्षण सारणी को सख्ती से लागू तथा कार्यान्वयन करे।

प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2012) कि ट्रांसफार्मरों की क्षति दर 2007-08 से 2010-11 तक 3.74 प्रतिशत से 2010-11 में 2.6 प्रतिशत तक कम हो गई परंतु 2011-12 में इसकी असमान्य वृद्धि 132/11 के.वी.ई.सी.ई. के बने ट्रांसफार्मरों की क्षति के कारण थी जिनमें कुछ अंतर्निहित डिजाइन/विनिर्माण त्रुटि थी। कंपनी ने अब ट्रांसफार्मरों की रोधात्मक अनुरक्षण सारणी की समीक्षा की है तथा कड़े अनुपालन तथा कार्यान्वयन के लिए नई सारणियां और मार्ग-निर्देश जारी किए हैं।

संचारण हानियां

2.1.29 जब ऊर्जा उत्पादक स्टेशन से उपभोक्ताओं तक संचारण तथा वितरण (टी. एंड डी.) नेटवर्क के द्वारा ले जाई जाती है, कुछ ऊर्जा की हानि होती है जिसे टी. एंड डी. हानियां कहा जाता है। वितरण हानि, उत्पादक स्टेशन/ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा और डिस्कोमज को भेजी गई ऊर्जा का अंतर है। 2007-08 से 2011-12 में अन्तर्राज्यीय संचारण हानियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरणी	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	एच.बी.पी.एन. बस यूनिटों में प्राप्त ऊर्जा (एम.यू.ज में)	26,321.80	27,711.50	32,885.70	34,277.20	36,363.13
2	संचारित निवल ऊजा	25,688.80	27,017.90	32,024.20	33,380.10	35,358.38
3	संचारण में हानि (एम.यूज में) (1)-(2)	633.00	693.60	861.50	897.10	1,004.75
4	संचारण हानि (प्रतिशत में)	2.40	2.50	2.62	2.62	2.76
5	एच.ई.आर.सी. मानकों के आधिक्य में संचारण हानि (प्रतिशत में)	2.60	2.10	2.10	2.10	2.10
6	एच.ई.आर.सी. मानकों के अधिक्य में संचारण हानि (प्रतिशत में) (क्र.सं. 4 - क्र.सं. 1/100)	-	0.40	0.52	0.52	0.66
7	एच.ई.आर.सी. मानकों के अधिक्य में संचारण हानि (एम.यूज में) (क्र.सं. 4 - क्र.सं. 1/100)	-	110.85	171.01	178.24	240.00
8	ऊर्जा क्रय लागत प्रति यूनिट दर ₹ में		3.06	3.49	3.34	3.03
9	संचारण हानियों का मूल्य (₹ करोड़ में)		33.92	59.68	59.53	72.72

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि संचारण हानियां बढ़ती प्रवृति पर थी तथा 2008-09 से 2011-12 तक एच.ई.आर.सी. मापदंड से ₹ 225.85 करोड़ मूल्य की अधिक थी। अत्यधिक संचारण हानियां, कंपनी द्वारा डिस्कोमज के माध्यम से उपभोक्ताओं को हस्तांतरित कर दी गई। अत: कंपनी की अकुशलता के लिए उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ा था।

2008-12 के दौरान संचारण हानियां एच.ई.आर.सी. मानकों से ₹ 225.85 करोड़ मूल्य की बढ़ गई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि संचारण हानियां अपरिहार्य हैं और हरियाणा में देश के अन्य राज्यों की तुलना में निम्नतर थी। यह भी बताया गया कि एच.ई.आर.सी. को इन मापदंडों को अधिक व्यवहारिक और वास्तविक बनाने के लिए समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। यह बिंदु रहता है कि निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत अवधि के दौरान संचारण हानियां एच.ई.आर.सी. मानकों से अधिक थी।

ग्रिड प्रबंधन

ग्रिड का अनुरक्षण तथा एस.एल.डी.सी. का निष्पादन

2.1.30 उत्पादक स्टेशनों से डिस्कोमज/उपभोक्ताओं को विद्युत के सुचारू निष्क्रमण के लिए संचारण और ग्रिड प्रबंधन अनिवार्य कार्य हैं। ग्रिड प्रबंधन, विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययता और दक्षता का ध्यान रखने के लिए अन्तर्सम्बद्ध विद्युत प्रणाली में प्रतिक्षण विद्युत संतुलन को सुनिश्चित करता है। भारत में ग्रिड प्रबंधन का प्रचालन, सी.ई.आर.सी. द्वारा जारी ग्रिड कोड में दिए मानक/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रिड में पांच क्षेत्र हैं जैसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र, इनमें से प्रत्येक के पास संबंधित क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के एकीकृत प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्ष निकाय, क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र, (आर.एल.डी.सी.) है। उत्तरी क्षेत्र लोड डिसपैच केन्द्र (एन.आर.एल.डी.सी.) दिल्ली, का एक घटक हरियाणा राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र (एस.एल.डी.सी.), सेवाह (पानीपत), राज्य में विद्युत प्रणाली के एकीकृत परिचालन को सुनिश्चित करता है। राज्य सरकार ने अधिसूचित किया (10 दिसंबर 2010) कि एस.एल.डी.सी. कंपनी द्वारा परिचालित किया जाएगा। एस.एल.डी.सी. का कोई क्षेत्र लोड डिस्पैच नहीं है तथा दो उप राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र (उप एल.एल.डीज) दादरी और नरवाना द्वारा डाटा अधिग्रहण और एस.एल.डी.जी. को हस्तांतरण और 400/220/132 के.वी. और 66 के.वी. उपकरणों के पर्यवेक्षण नियंत्रण के लिए सहायित है। एस.एल.डी.सी. बिजली के अन्तर्राज्य संचारण में रत लाईसैंसधारियों से ऐसी फीस और शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत करता है जैसा कि एच.ई.आर.सी. द्वारा विनिर्दिष्ट है।

लोड मॉनीटरिंग के लिए मूलभूत संरचना

2.1.31 सभी एस.एसज के लिए, ग्रिड मापदंडों के अनुसार संचारण प्रणाली की दक्षता तथा सभी लोड डिस्पैच केंद्रों में आपातकाल के दौरान लोड की मॉनीटरिंग के लिए रिमोट टर्मिनल इकाईयां/एस.एस. प्रबंध प्रणालियां (आर.टी.यूज/एस.एम.एसज) अनिवार्य है। कंपनी के पास 400/220/132 के.वी. के 219 एस.एसज और 18 जनरेटर थे जिनमें से केवल 43 एस.एसज (19.63 प्रतिशत) और 18 जनरेटरों (88.89 प्रतिशत) को दक्ष ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए वास्तविक समय डाटा अंकित करने के लिए आर.टी.यूज. उपलब्ध करवाए गए थे। इस प्रकार, एस.एल.डी.सी., अपने एस.एसज और जनरेटरों के क्रमश: 19.63 तथा 88.89 प्रतिशत की सीमा तक आर.टी.यूज एस.एम.एसज के साथ संयोजित थे जो संचारण प्रणाली की दक्षता को मॉनीटर करने और वास्तविक समय के आधार पर लोड मॉनीटरिंग के लिए इसकी क्षमता को प्रतिबद्ध कर रहे थे।

प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2012) कि कंपनी ने पी.जी.सी.आई.एल. के साथ संचार प्रणाली और सहायक विद्युत आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अगले तीन-चार वर्षों के समय में अनुकूल एसएसज पर आर.टी.यूज उपलब्ध करवाने के लिए एक अनुबंध किया।

आवृति प्रबंधन के द्वारा ग्रिड अनुशासन

2.1.32 ग्रिड कोड के अनुसार, ग्रिड के कुशल कार्यचालन के लिए संचारण उपयोगिताओं द्वारा ग्रिड अनुशासन का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है। ग्रिड के सभी घटक सदस्यों को 49 और 50.5 हर्टज (एच.जेड) के बीच प्रणाली आवृति अनुरक्षित रखने की आशा की जाती है

(अप्रैल 2009 से 49.2 और 50.2)। तथापि, विभिन्न कारणों जैसे क्षमताओं के उत्पादन में कमी, उच्च मांग, लोड उत्पादन संतुलन बनाए रखने में ग्रिड अननुशासन, अपर्याप्त लोड मानिटरिंग और प्रबंधन, के कारण ग्रिड आवृति, अनुमत आवृति स्तरों से नीचे या ऊपर चली जाती है। ग्रिड अनुशासन को लागू करने के लिए एन.आर.एल.डी.सी. तीन प्रकार के उल्लंघन संदेश जारी करता है (ए.बी.सी.)। 'क' प्रकार तब जारी किया जाता है जब आवृति 49.2 एच.जेड से कम है तथा अधिक निकासी 50 एम.डब्लयू से अधिक या सारणी से 10 प्रतिशत कम हैं जो भी कम है। 'ख' प्रकार संदेश तब जारी किया जाता है जब आवृति 49.2 एच.जेड से कम हो तथा अधिक निकासी दस मिनटों से अधिक के लिए 50 और 200 एम.डब्लयू के मध्य हो और पांच मिनटों से अधिक के लिए 200 एम.डब्लयू हो। 'ग' प्रकार (गंभीर प्रकृति) 'ख' प्रकार संदेश के जारी होने के 15 मिनट बाद जारी किया जाता है जब आवृति 49.2 एच.जेड से कम जारी रहती है तथा अधिक निकालना 100 एम.डब्ल्यू या सारणी का 10 प्रतिशत से अधिक हो, जो भी कम है।

हमने अवलोकित किया कि 2009-10 में प्राप्त 20 'ग' प्रकार के संदेश 2010-11 में 31 तक बढ़ गए और ये 2011-12 में 29 तक कम हो गए। 'ग' प्रकार के संदेश की प्राप्ति में वृद्धि, ग्रिड अनुशासन सूचित करती है जिसके कारण, सी.ई.आर.सी. द्वारा शास्ति का उद्ग्रहण किया गया जैसा नीचे वर्णित है:

ग्रिड अनुशासन

2.1.33 ग्रिड अनुशासन के अनुरक्षण के लिए, सी.ई.आर.सी., निम्नतर आवृति पर ग्रिड से बिजली की अधिक निकासी पर इस प्रकार ग्रिड को जोखिम में डालते हुए स्वत: कार्यवाही करती है। सी.ई.आर.सी., को ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन पर, बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 29 (6) तथा 143 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रति संदेश ₹ 1 लाख के जुर्माने के लगाने हेतु शक्ति प्राप्त है। सी.ई.आर.सी. ने अपने आदेश (सितंबर 2011) में बताया कि हरियाणा लघु अवधि के अंदर विद्युत बेच रहा है तथा साथ-साथ अप्रैल 2010 के दौरान ग्रिड से विद्युत अधिक निकाल रहा है तथा इस प्रकार एन.आर.एल.डी.सी. के आदेशों का अनुपालन न करने के कारण ₹ आठ लाख का जुर्माना लगाया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि 'ग' प्रकार से संदेशों में वृद्धि डिस्कोमज द्वारा अत्यधिक निकालने के कारण थी और जुर्माना डिस्कोमज से वसूल किया जाना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.एल.डी.सी. बिजली अधिनियम 2003 के निबंधन में ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है और इस पर जुर्माना लगाया गया है।

बैकिंग डाउन इंस्ट्रक्शन (बी.डी.आई.)

2.1.34 जब आवृति आदर्श सीमाओं को पार करती है अर्थात् स्थिति जहां उत्पादन अधिक है और निकालना कम है (50 एच.जेड से ऊपर आवृति पर) एस.एल.डी.सी. एकीकृत ग्रिड परिचालन सुनिश्चित करने तथा राज्य में विद्युत प्रणाली के परिचालन में अधिकतम मितव्ययता और दक्षता प्राप्त करने के लिए उत्पादन कम करने के लिए जनरेटरज को बी.डी.आई. जारी करके कार्यवाही करता है। एस.एल.डी.सी. अनुदेश अनुसरित करने में जनरेटरज की विफलता ग्रिड कोड का उल्लंघन संघटित करेगी तथा बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 33 के अंतर्गत ₹ पांच लाख से अनधिक जुर्माना अपरिहार्य हो जायेगा।

कंपनी ने 2007 - 12 के दौरान 110 बी.डी.आईज जारी किए। इनमें से पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) से संबंधित 249.63 एम.यूज के लिए केवल 49 बी.डी.आई. लेखापरीक्षा में निर्धारित किए जा सके और बाकी बी.डी.आईज उचित अभिलेख के अननुरक्षण के कारण निर्धारित नहीं किए जा सके। तथापि, एच.पी.जी.सी.एल. के अभिलेखों के अनुसार, इसने पी.टी. पी.एस., पानीपत के संबंध में 548.04 एम.यूज के लिए बी.डी.आईज कार्यान्वित किए थे। इस प्रकार, कंपनी जारी किए गए बी.डी.आइज के उचित अभिलेख अनुरक्षित नहीं कर रही थी और जारी किए गए बैकिंग डाउन संदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिए कोई यंत्रावली नहीं बनाई थी।

यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने भी शिकायत की थी कि एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा बैकिंग डाउन संदेशों के अकार्यान्वयन के कारण ग्रिड में अधिक ऊर्जा बहुत निम्न मूल्यों पर पम्प की गई जिसके परिणामस्वरूप उच्च आवृति के दौरान उत्पादित मंहगी विद्युत के कारण अतिरिक्त भुगतान के प्रति डिस्कोमज को ₹ 4.84 करोड़ की हानि हुई (26 जून 2011 तथा 08 जुलाई से 10 जुलाई 2011)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि बैकिंग डाउन संदेश हरियाणा विद्युत क्रय केन्द्र (एच.पी.पी.सी.) द्वारा दिए गए थे जो आगे एच.पी.जी.सी.एल. को संप्रेषित किए जा रहे थे। इसलिए संपूर्ण अभिलेख एच.पी.जी.सी.एल. प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा है। पूर्ण बैकिंग डाउन, तकनीकी समस्याओं जैसे कोयले की घटिया गुणवत्ता और तेल का अधिक प्रयोग इत्यादि, के कारण एच.पी.जी.सी.एल. द्वारा नहीं किए जा सकते। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एस.एल.डी.सी. को बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 33 के अंतर्गत ग्रिड अनुशासन अनुरक्षित करने के लिए डिस्कोमज को निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

आपदा प्रबंधन

2.1.35 आपदा प्रबंधन (डी.एम.) का लक्ष्य, प्रणाली पर मेजर ब्रेक डाउन का प्रभाव कम करना और इसे कम से कम संभव समय में दुबारा शुरू करना है। सर्वोत्तम प्रचलन के अनुसार, मेजर फेल्यर की घटना में संचारण प्रणाली के तत्काल पुनः चालू करने के लिए सभी विद्युत उपयोगिताओं द्वारा डी.एम. प्रस्थापित किया जाना चाहिए। इसका प्रचालन आपात पुनः स्थापन प्रणाली, डी.जी.सेटस वाहन, अग्निशमन उपकरण, निपुण और विशेषज्ञ मानव शक्ति नियोजित करके किया जाता है।

आपदा प्रबंधन केन्द्र, राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र, नई दिल्ली आपदाओं के मामले में केन्द्रीय कंट्रोल रूम के रूप में कार्य करता है। डी.एम. कार्यक्रम के भाग के रूप में, कंपनी द्वारा ब्लैक स्टार्ट परिचालनों के दौरान उत्पादक स्टेशन प्रारम्भ करने हेतु नकली अभ्यास नियमित अन्तरालों पर किया जाना चाहिए। हमने अवलोकित किया कि लेखापरीक्षा में चयनित दो संचारण परिमंडलों (करनाल और रोहतक) में से संचारण परिमंडल रोहतक ने 2007 - 08 से 2011 - 12 में ब्लैक स्टार्ट[⊗] परिचालन के मामले में उत्पादक स्टेशन को प्रारम्भ करने के लिए कोई नकली अभ्यास नहीं किया था। तथापि, संचारण परिमंडल, करनाल ने मार्च 2012 को समाप्त दो वर्षों के दौरान एक अभ्यास आयोजित किया। इस प्रकार, संचारण परिमंडल आपदा प्रबंधन के लिए तैयार नहीं थे।

⊗ आंशिक अथवा कुल ब्लैक आउट से ठीक होने हेतु आवश्यक प्रक्रिया।

एस.एसज में अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था

2.1.36 कंपनी के पास आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए जिसके लिए सभी 220 के.वी. एस.एसज के साथ डीजी. सैट उपलब्ध होने चाहिए।

हमने देखा कि कंपनी के पास मार्च 2012 को 220 के.वी. के 51 एस.एसज थे। दो परिमंडलों (टी.सी. करनाल और रोहतक) की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 22 एस.एसज में (17 एस.एसज करनाल में तथा 5 एस.एसज रोहतक में) केवल 13 डी.जी. सैट (11 करनाल में तथा दो रोहतक में) उपलब्ध थे। आगे, कंपनी ने दोषपूर्ण प्रतिष्ठापनों की पहचान नहीं की थी जहां मैटल डिटेक्टर प्रतिष्ठापित किए जा सके या जहां ध्वसन के परिहार के लिए सुरक्षा बलों को स्थल दिया जा सके। इस प्रकार, कंपनी के पास अपने प्रतिष्ठापनों के लिए कोई सुरक्षा संस्थापन नहीं था। हमने आगे, अवलोकित किया कि डी.एम. के लिए अपर्याप्त सुविधाओं के कारण, किरोड़ी के 400 के.वी. एस.एस. पर ध्वसन के कारण कंपनी को ₹ 11.92 लाख की हानि कायम रखनी पड़ी।

प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि एस.एसज पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी।

ऊर्जा लेखांकन और लेखापरीक्षा

2.1.37 संचारण हानियों को निर्धारित करने और कम करने हेतु ऊर्जा लेखांकन और लेखापरीक्षा आवश्यक है। संचारण हानियों की गणना मीटर रीडिंग उपकरणों से परिकलित की जाती हैं, रीडिंग जेनरेटरों से संचारण (जी.टी.) और संचारण से वितरण (टी.डी.) बाऊंड्री मीटरिंग प्वाइंट से ली जाती है।

मार्च 2012 को टी.डी. (781) और जी.टी. (33) के बीच मीटरिंग प्वाइंटस के रूप में 814 ईटरफेसिज बाऊंड्री मीटरिंग प्वाइंट थे। 25 जी.टी. प्वाईटस स्पेशल एनर्जी मीटरस (एस.ई.एमज) के साथ प्रदान किए गए थे और 8 जी.टी. प्वाइंटस मैकेनिल मीटरज के साथ तथा 715 टी.डी. प्वाइंटस एस.ई.एमज के साथ प्रदान किए गए थे तथा शेष 66 मकैनिकल श्रेणी मीटरज थे। कंपनी ने संचारण हानियां कंपनी की बस बार पर प्राप्त और वास्तव में डिस्कोमज को संप्रेषित ऊर्जा के बीच अंतर के आधार पर परिकलित की।

संचारण हानियों के विश्लेषण के लिए ऊर्जा केन्द्र 2002 में प्रस्थापित किया गया था जिसमें केवल अन्त: उपयोगिता, अन्त: स्थापित जेनरेटरों और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के ऊर्जा लेखे तैयार किए जाते थे। ऊर्जा केन्द्र ने ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं की क्योंकि इस संबंध में कोई नियमावली/मार्गनिर्देश नहीं हैं। कंपनी ने, 2008-09 के लिए ए.आर.आर. भरते समय जांच मीटरों के साथ मुख्य मीटरों में दर्ज की गई ऊर्जा की परिशुद्धता की जांच द्वारा ऊर्जा लेखापरीक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना प्रस्तुत की थी। तथापि, इसके कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए (सितंबर 2012)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि शेष 37 टी.डी. बिदुंओं पर एस.ई.एम. शीघ्र चालू किए जाने संभाव्य हैं। एग्जिट कांफ्रेंस (अक्तूबर 2012) में प्रबंधन ने भी बताया कि अनुरूप लाभ के बिना वित्तीय उलझने ऊर्जा लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित डाटा के संग्रहण के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना के प्रतिष्ठापन रोकती हैं। तथापि, उन्होंने कार्यान्वयन के लिए सुझावों पर कार्यवाही नोट की।

वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय स्थिति

2.1.38 एन.ई.पी. 2005 के मुख्य उद्देश्यों में से एक वित्तीय टर्न अराऊंड और विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करना था। 2011-12 को समाप्त पांच वर्षों के लिए कंपनी की संचारण गतिविधियों से संबंधित वित्तीय स्थिति निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
क. देयताएं					
प्रदत्त पूंजी	773.88	909.16	1158.54	1505.41	1777.17
(पूंजीगत अनुदान सहित परन्तु मूल्य ह्रास आरक्षण और वर्तमान लाभ और हानि रहित)	77.35	89.09	96.47	100.27	354.35
लाभ और हानि लेखा	0.00	0.00	63.84	251.46	140.07
उधार	2378.79	2707.73	3538.11	3964.32	4402.69
वर्तमान देयताएं और प्रावधान (सी.एल.)	547.54	754.83	793.25	859.91	586.41
कुल (क)	**3777.56**	**4460.81**	**5650.21**	**6681.37**	**7260.69**
ख. परिसम्पत्तियां					
सकल ब्लाक	2057.18	2368.56	2910.62	3243.99	4452.47
घटा: मूल्यह्रास	462.00	520.05	644.90	784.95	942.28
निवल स्थायी परिसंपत्तियां	1595.18	1848.51	2265.72	2459.04	3510.19
पूंजीगत कार्य प्रगति में (सी.डब्ल्यू. आई.पी.)	537.56	924.56	1456.11	2139.12	1561.73
निवेश	1007.88	1013.48	1013.48	1013.48	1013.48
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	536.71	652.17	914.90	1069.73	1175.29
विविध व्यय	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
संचित हानियां	100.15	22.09	0.00	0.00	0.00
कुल (बी)	**3777.56**	**4460.81**	**5650.21**	**6681.37**	**7260.69**
ऋण:[Y] साम्या	3.17:1	2.77:1	2.68:1	2.13:1	1.94:1
निवल मूल्य[d]	750.98	976.16	1318.85	1857.14	2271.59
नियोजित पूंजीगत	2121.91	2670.41	3843.48	4807.98	4485.51
कर पूर्व लाभ	161.70	60.78	127.30	234.31	175.10
ब्याज और वित्त प्रभार	197.81	199.81	231.31	278.29	306.11
कुल रिटर्न	**359.51**	**260.59**	**358.61**	**512.60**	**481.21**
नियोजित पूंजी पर रिटर्न की प्रतिशतता	16.94	9.76	9.33	10.66	10.73

Y ऋण में प्रतिभूत ऋण एवं अप्रतिभूत ऋण सम्मिलित है।

d नियोजित पूंजी का अर्थ है स्थाई परिसम्पत्तियां + पूंजीगत कार्य प्रगति में निवल कार्यचालन पूंजी।

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि कंपनी के 2007-08 में ₹ 100.15 करोड़ की हानि संचित की थी। 2009-10 में इसने ₹ 63.84 करोड़ का लाभ अर्जित किया जो 2010-11 में ₹ 251.46 करोड़ तक आगे बढ़ गया परन्तु 2011-12 में ₹ 140.07 करोड़ तक पुन: कम हो गया। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान साम्या में ₹ 773.86 करोड़ (2007-08) से ₹ 1,777.17 करोड़ (2011-12) तक अर्थात् उधारों में 85 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 130 प्रतिशत (2007-08 में ₹ 378.78 करोड़ से 2011-12 में ₹ 4402.69 करोड़) वृद्धि के कारण कंपनी का ऋण साम्या अनुपात 3:11:1: से 1:94:1 तक घट गया।

कार्य प्रगति में पूंजी में ₹ 537.56 करोड़ (2007-08) से ₹ 1,561.73 करोड़ (2011-12) तक वृद्धि तथा वर्तमान देयताओं में ₹ 547.54 करोड़ (2007-08) से ₹ 586.41 करोड़ (2011-12) तक वृद्धि के कारण नियोजित पूंजी पर रिटर्न की प्रतिशतता 16.94 (2007-08) से 10.73 (2011-12) तक कम हो गई।

मुख्यत: अग्रिम में भुगतान किए गए आयकर/टैक्स डिडक्टिड एट सोर्स (टी.डी.एस.) में ₹ 131.93 करोड़ तक; डिस्कोमज से संचारण शुल्कों के प्रति वसूलनीय ₹ 445.82 करोड़ तथा पी.जी.सी.आई.एल. से वसूलनीय ₹ 44.87 करोड़ तक तीव्र वृद्धि के कारण वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम ₹ 536.71 करोड़ से ₹ 1175.19 करोड़ तक बढ़ गए।

कार्यचालन परिणाम

2.1.39 राजस्व वसूली, निवल आधिक्य/हानि तथा उपार्जन और संचारण की प्रति इकाई लागत जैसे कार्यचालन परिणामों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	आय					
(क)	संचारण और एस.एल.डी.सी.	644.05	657.46	776.6	1,019.11	919.31
(ख)	ब्याज/सबसीडी सहित अन्य आय	43.23	105.41	37.48	65.67	71.63
	कुल आय	**687.28**	**762.87**	**814.08**	**1,084.78**	**990.94**
2	**संचारण**					
(क)	प्रतिस्थापित क्षमता (एम.वी.ए. में)	16,268.17	18.375.50	20,582.00	24,097.50	27,062.00
(ख)	उत्पादक इकाईयों से प्राप्त विद्युत (एम.यूज में)	13,189.71	15,835.08	16,522.45	17,535.31	20335.27
(ग)	क्रय की गई विद्युत (एम.यूज में)	13,132.09	11,876.42	16,363.25	16,741.89	16027.76
(घ	एच.वी.पी.एन. बस पर प्राप्त कुल विद्युत (एम.यूज)	26,321.80	27,711.50	32,885.70	34,277.20	36,363.13
(ड.)	संचारण में हानियां (एम.यूज में)	633.00	693.60	861.50	897.1	1,004.75
(च)	संचारित निवल विद्युत (ख) + (ग) - (ड)	25,688.80	27,017.90	32,024.20	33,380.10	35,358.38

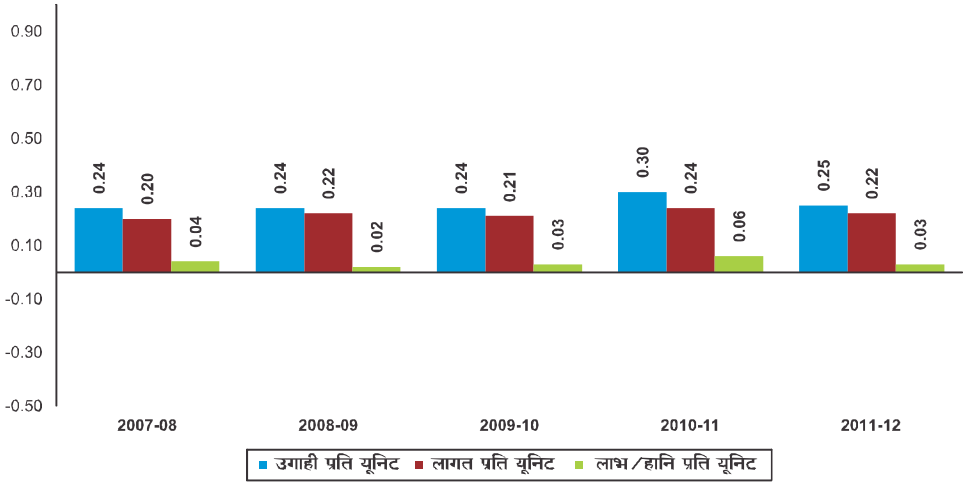
क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
3	व्यय					
(क)	निश्चित लागत					
(i)	कर्मचारी लागत	242.95	344.47	329.40	356.62	224.45
(ii)	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	7.86	9.19	9.12	10.98	11.76
(iii)	मूल्यह्रास	53.71	61.96	122.41	138.72	159.90
(iv)	ब्याज तथा वित्तीय प्रभार (पूंजीकरण के बाद निवल)	195.24	197.77	228.98	272.23	298.33
(v)	अन्य व्यय	36.25	6.51	3.61	58.44	108.85
	कुल निश्चित लागत	**536.01**	**619.90**	**693.52**	**836.99**	**803.29**
(ख)	**कुल परिवर्तनीय लागत**					
(i)	मरम्मत एवं अनुरक्षण	10.90	14.44	13.06	12.00	12.56
	कुल परिवर्तनीय लागत	**10.90**	**14.44**	**13.06**	**12.00**	**12.56**
ग.	**कुल लागत 3 (क) + (ख)**	**546.91**	**634.34**	**706.58**	**848.99**	**815.85**
4	उगाही (₹ प्रति इकाई) 1 (क)/2 (घ)	0.24	0.24	0.24	0.30	0.25
5	निश्चित लागत (₹ प्रति इकाई)	0.20	0.22	0.21	0.24	0.22
6	व्यवहार्य लागत (₹ प्रति इकाई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	कुल लागत ₹ प्रति इकाई (5 + 6)	0.20	0.22	0.21	0.24	0.23
8	अंशदान (4 + 6) (₹ प्रति इकाई)	0.24	0.24	0.24	0.30	0.22
9	लाभ (+) हानि (-)(4 + 7) (₹ प्रति इकाई)	0.04	0.02	0.03	0.06	0.03

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि प्रति इकाई वसूली 2007-08 में ₹ 0.24 से 2010-11 में ₹ 0.30 तक बढ़ गई परंतु 2011-12 में ₹ 0.25 तक कम हो गई जबकि तदनुरूप अवधि के दौरान प्रति इकाई लागत ₹ 0.20 से ₹ 0.23 (15 प्रतिशत) तक बढ़ गई। आगे, प्रति इकाई अंशदान ₹ 0.24 से 0.30 तक बढ़ गया था परंतु 2011-12 में ₹ 0.22 तक कम हो गया।

कर्मचारी लागत, ब्याज और वित्तीय प्रभार (पूंजीकरण के बाद निवल) और मूल्यह्रास ने 2011-12 में लागत के मुख्य तत्व संघटित किए जिसने उस वर्ष में कुल लागत का क्रमश: 27.51, 36.57 और 19.60 प्रतिशत निरूपित किया। दूसरी ओर, संचारण और एस.एल.डी.सी. से राजस्व ने 2007-12 में राजस्व के मुख्य तत्व संघटित किए जो कुल राजस्व के 86 से 93 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थे।

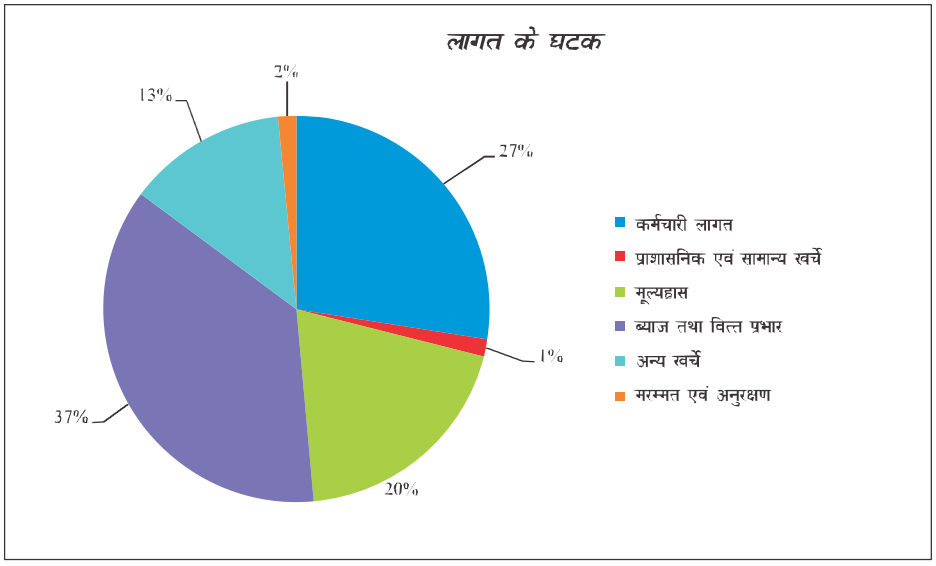
परिचालनों की लागत की वसूली

2.1.40 2011-12 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान प्रति इकाई लाभ नीचे ग्राफ में दिया गया है:



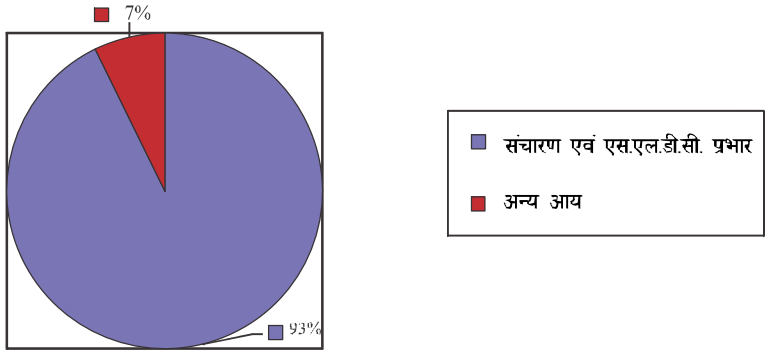
लागत के तत्व

2.1.41 2011-12 के लिए लागतों के मुख्य तत्वों की विघटन प्रतिशतता नीचे दी गई है:



राजस्व के तत्व

2.1.42 संचारण प्रभार राजस्व के मुख्य तत्व संघटित करते हैं। 2011-12 के लिए राजस्व की विघटन प्रतिशतता नीचे पाई चार्ट में दी गई है।



ब्याज की उच्चत्तर दर पर ऋण का आहरण

ब्याज की उच्चतर दर पर ऋण के आहरण के परिणामस्वरूप ₹ 0.94 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार हुआ।

2.1.43 कंपनी ने, संचारण प्रणाली के सृजन के लिए 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ₹ 1,250 करोड़ के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया (अगस्त 2009)। मार्च 2010 में पहली किश्त निर्मुक्त की गई। इतने में, कंपनी ने विश्व बैंक के माध्यम से निधिकृत की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में ₹ 313.41 करोड़ मूल्य के सात कार्य आदेश दे दिए (जून-अगस्त 2009) और कैश क्रेडिट सीमा का लाभ प्राप्त कर उपयोग करते हुए और बैंको से उच्चतर ब्याज दर पर लघु अवधि ऋण आहरित करके ठेकेदारों को ₹ 31.03 करोड़ का मोबीलाइजेशन अग्रिम का भुगतान कर दिया (सितंबर 2009-फरवरी 2010)। हमने अवलोकित किया कि विश्व बैंक से निधि व्यवस्था के साथ कार्य आदेश स्थापन समक्रमण न करने के कारण कंपनी को विश्व बैंक से लिए गए ऋण पर दर की तुलना में उच्चतर दर पर आहरित ऋण पर ₹ 0.94 करोड़[γ] का अधिक ब्याज भुगतान करना पड़ा था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि आर.जी.टी.पी.एस., से विद्युत के निष्क्रमण के कारण खेदड़ परियोजनाएं विश्वबैंक द्वारा ऋण के संवितरण से पहले दी गई थी। तथापि, तथ्य रहा कि कंपनी निधिकरण एजेंसी के साथ कार्य आदेश स्थापन समक्रमित करने में विफल रही।

हुडा दावों की अवसूली

2.1.44 संचारण प्रणाली के परिचालन, अनुरक्षण और विकास के लिए, कंपनी ने विभिन्न एजैंसियों से निधियां उधार ली थी। उधारों की कटौती करने के विचार से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव (पी.एस.सी.एस.) के साथ बैठक (27 जुलाई 2000) में यह निर्णय लिया गया था कि हुडा नए एस.एसज के लिए प्रावधान करेगा और इस एस.एसज की लागत का भुगतान करेगा।

γ देना बैंक (7.5 प्रतिशत) तथा विश्व बैंक (0.75 प्रतिशत) के मध्य ब्याज की दर में अंतर के आधार पर परिकलित।

27 नवंबर 2000 (कंपनी को जनवरी 2001 में बताया गया) को हुडा ने निर्णय लिया कि यह केवल उन एस.एसज की लागत वहन करेगा जिनका सृजन 27 नवंबर 2000 के बाद किया गया। तदन्तर, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ हुडा द्वारा आयोजित बैठकों (16 मई 2006 और अप्रैल 2008) में यह निर्णय लिया गया कि 220/132 के.वी. एस.एसज की लागत कंपनी द्वारा हुडा के साथ 50:50 अनुपात में शेयर की जाएगी और 66/33 के.वी. एस.एसज और 132 के.वी. एस.एसज की समग्र लागत हुडा के द्वारा वहन की जाएगी यदि वे सिर्फ हुडा के लिए हों।

हुडा के साथ दावे प्रस्तुत करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 223.88 करोड़ का अवरोध हुआ तथा ₹ 20.28 करोड़ का वार्षिक ब्याज भार हुआ।

हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने हरियाणा में एस.एसज और उनकी संबंद्ध संचारण लाईनों का निर्माण हुडा द्वारा अधिगृहीत/विकसित क्षेत्र पर नवंबर 2000 के बाद किया था और नवंबर 2000 से मार्च 2012 तक ₹ 223.88 करोड़ लगाए थे। तथापि, कंपनी ने हुडा के साथ दावे समय पर प्रस्तुत नहीं किए। ₹ 144.05 करोड़ का पहला आंशिक दावा इस तथ्य के बावजूद कि लागत भागीदारी करने का निर्णय 2000 के दौरान लिया गया था, केवल फरीदाबाद और गुड़गांव टी.सी. (एन.एस.एसज सहित जो नवंबर 2000 से पहले सृजित किए गए) के संबंध प्रस्तुत किया गया था। हुडा द्वारा यह दावा इंगित करते हुए वापस कर दिया गया कि दावे 27 नवंबर 2000 की बैठक, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि हुडा केवल उन एस.एसज जो 27 नवंबर 2000 के बाद सृजित किए गए थे, के सृजन की लागत वहन करेगा, के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तत्पश्चात्, कंपनी ने ₹ 223.88 करोड़[∝] के दावे पुन: प्रस्तुत किए (जनवरी/नंवबर, 2011)। कंपनी द्वारा अपने दावों के लिए अनुसरण के बावजूद हुडा द्वारा अभी तक किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया था। परिणामत: ₹ 223.88 करोड़ की कंपनी की निधियां अवरूद्ध हो गई थी, इसके अतिरिक्त इसे ₹ 20.28[δ] करोड़ का वार्षिक ब्याज भार वहन करना पड़ा था।

एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन ने मामले का अनुसरण करने का आश्वासन दिया।

शुल्क दर निर्धारण

2.1.45 कंपनी की वित्तीय व्यवहार्यता, उनकी परिचालन आवश्यकताओं, वित्तपोषण हेतु परिचालनों से आधिक्य के उत्पादन (उचित रिर्टनस सहित) और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रचलनों को अपनाकर भावी पूंजीगत विस्तारण कार्यक्रमों पर निर्भर करती है। कंपनी के लिए राजस्व संग्रहण निधियों के सृजन का मुख्य साधन है। शुल्क दर से संबंधित मामले यहां नीचे चर्चित हैं:

कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष हेतु संबंधित वर्ष के प्रारम्भ से 120 दिन पहले ए.पी.आर. प्रस्तुत करना अपेक्षित है। एच.ई.आर.सी. कंपनी द्वारा फाइल किया गया आवेदन ऐसे संशोधनों/शर्तो के साथ जो न्यायसंगत और उचित मानी जाएं और जनता तथा अन्य हिस्सेदारों से सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद स्वीकार करता है। नीचे की तालिका ए.आर.आर. फाइल करने की देय तिथि, फाइल करने की वास्तविक तिथि, शुल्क दर याचिका के अनुमोदन की

∝ नवंबर 2000 के बाद सृजित एस.एस. की लागत निरूपित करते हुए।

δ 2011-12 के दौरान 9.08 प्रतिशत के ब्याज की भारित औसत दर के आधार पर परिकलित।

तिथि और संशोधित शुल्क दर की प्रभावी तिथि दर्शाती है।

वर्ष	फाई करने की देय तिथि	फाइल करने की वास्तविक तिथि	दिनों में विलंब	अनुमोदन की तिथि	प्रभावी तिथि
2007-08	10 नवम्बर 2006	8 दिसम्बर 2006	28	8 मई 2007	1 अप्रैल 2007
2008-09	30 नवम्बर 2007	30 नवम्बर 2007	-	23 अप्रैल 2008	1 अप्रैल 2008
2009-10	30 नवम्बर 2008	28 नवम्बर 2008	-	18 मई 2009	1 अप्रैल 2009
2010-11	30 नवम्बर 2009	30 नवम्बर 2009	-	16 अप्रैल 2010	1 अप्रैल 2010
2011-12	30 नवम्बर 2010	6 दिसम्बर 2010	6	26 अप्रैल 2011	1 अप्रैल 2011

एच.ई.आर.सी. द्वारा ब्याज के अनुमत न करने के कारण हानि

2.1.46 नीचे दी गई तालिका मार्च 2012 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा प्रस्तावित पूंजीगत कार्यों के लिए ऋण पर ब्याज और एच.ई.आर. द्वारा अपने ए.आर.आर. आदेशों में पूंजीगत कार्यों के लिए ऋण पर अनुमत ब्याज की राशि चित्रित करती है:

(₹ करोड़ में)

ए.आर.आर. का वर्ष	एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा प्रस्तावित पूंजीगत संचारण कार्यों के ऋणों पर ब्याज	एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत पूंजीगत संचारण कार्यों के ऋणों पर ब्याज	एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत ब्याज
2007-08	71.94	58.63	13.31
2008-09	82.39	62.16	20.23
2009-10	107.04	75.26	31.78
2010-11	171.24	76.82	94.42
2011-12	162.42	103.35	59.07
कुल	595.03	376.22	218.81

एच.ई.आर.सी. द्वारा अननुमोदित पूंजीगत कार्यों पर ₹ 218.81 करोड़ के ऋण पर ब्याज अनुमत नहीं किया गया।

तालिका से यह स्पष्ट है कि 2007-08 से 2011-12 की अवधि हेतु कंपनी द्वारा ए.आर.आर. प्रस्ताव में अननुमोदित कार्यों के समावेश के कारण ₹ 218.81 करोड़ की राशि के पूंजीगत संचारण कार्यों के लिए ऋणों पर ब्याज एच.ई.आर.सी. ने अस्वीकार कर दिया था। एच.ई.आर.सी. द्वारा 2008-09 के ए.आर.आर. आदेश में, उनकी निवेश योजना में समाविष्ट सभी पूंजीगत कार्यों के लिए अनुमोदन लेने हेतु निर्देश की पुर्नरावृत्ति के बावजूद एच.वी.पी.एन.एल. ने उनके वित्त प्रबंध को सुनिश्चित किए बिना कार्यों को लेना जारी रखा, जिस कारण पूंजीगत उधारों पर ₹ 218.81 करोड़ के ब्याज की अस्वीकृति हुई। ₹ 218.81 करोड़ के ब्याज की राशि अन्यथा 2007-08 से 2011-12 के दौरान ए.आर.आर. के माध्यम से वसूलनीय थी। ऋणों पर ब्याज के अनुमत न होने के कारण पूंजीगत व्यय को कार्यचालन पूंजीगत ऋणों के माध्यम से निधिकृत करना पड़ा था जिसका कंपनी की लाभकारिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का अप्रस्तुतीकरण

2.1.47 प्रतिक्रियाशील ऊर्जा बिजली का हिस्सा है जो प्रत्यावर्ती करंट उपकरण के विद्युतीय और चुबंकीय क्षेत्रों को संस्थापित और संपोषित करता है। लाभग्राहियों (डिस्कोमज/लघु/दीर्घावधि ओपन एक्सेस[δ] उपभोक्ता) से प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु आशा की जाती है ताकि वे ई.एच.वी. ग्रिड से विशेषत: निम्न वोल्टेज स्थिति अधीन, प्रतिक्रियाशील विद्युत प्राप्त न करें।

हमने अवलोकित किया कि पी.जी.सी.आई.एल., 2002 से प्रतिक्रियाशील ऊर्जा के अधिक/कम वोल्टेज निकालना/वापसी के कारण कंपनी से प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार का उद्ग्रहण और वसूली कर रहा था। अत: कंपनी भारतीय बिजली ग्रिड कोड (आई.ई.जी.सी.) के अनुरूप निम्न/उच्च वोल्टेज अवस्थाओं के दौरान डिस्कोमज/ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार वसूल करने हेतु एच.ई.आर.सी. के पास दावा फाइल करने के लिए भी हकदार थी।

2007–10 के लिए प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का दावा न करने के परिणामस्वरूप ₹ 12.70 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हमने देखा कि कंपनी ने 2007–08, 2008–09 और 2009–10 वर्षों के लिए एच.ई.आर.सी. के पास फाइल किए गए ए.आर.आर. प्रस्ताव में डिस्कोमज से ₹ 12.70 करोड़ (पी.जी.सी.आई.एल. को भुगतान किए गए) के प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों का दावा किया था। तथापि, एच.ई.आर.सी. ने अपने आदेश (सितंबर 2007) में बताया कि इसके द्वारा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार केवल कंपनी द्वारा प्राप्त वास्तविक बीजकों के आधार पर अनुमत किए जाएंगे। तथापि, कंपनी ने एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्देशित अनुसार वास्तविक बीजकों के आधार पर अपना दावा अभी तक प्रस्तुत नहीं किया था (सितंबर 2012)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि क्योंकि ऐसे प्रभार परिशुद्धता की किसी डिग्री के साथ प्रक्षेपित नहीं किए जा सकते और कभी-कभी एच.वी.पी.एन.एल सामान्य पूल से भी क्रेडिट प्राप्त करती है। आयोग, एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा प्राप्त वास्तविक बीजकों के आधार पर प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार स्वीकार करेगा तथा एच.वी.पी.एन.एल. के परवर्ती ए.आर.आर. में समायोज्य हैं। तथ्य रहता है कि कंपनी ने ₹ 12.70 करोड़ के राजस्व के दावे निर्धारित पद्धति में नहीं प्रस्तुत किए।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.) ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अभिप्रेत निधियों का विपथन

2.1.48 पूर्ववर्ती एस.एस.ई.बी. ने ₹ 168.24 करोड़ (एच.वी.पी.एन.एल.: ₹ 123.55 करोड़ और यू.एच.बी.वी.एन.एल.: ₹ 44.69 करोड़) का ऋण 1979–80 से 1997–98 तक एच.एस.ए.एम.बी. से पूंजीगत कार्यों तथा विद्युत के क्रय के लिए लिया था। ऋण सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आरज) के रूप में लिया गया था जो 30 अप्रैल 2002 को 61 मास की अवधि के लिए 10.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ऋण में परिवर्तित किया गया था। जब-जब देय होने पर ऋण आगे 61 मास के लिए नवीकरण कर दिया गया।

δ तृतीय पार्टी प्रणाली प्रयोग करते हुए दो पार्टियों के मध्य विद्युत के निष्पक्ष विक्रय/क्रय योग्य बनाना।

कंपनी ने 31 मार्च 2008 तक ₹ 52.97 करोड़ का शेष छोड़ते हुए ₹ 70.58 करोड़ मुक्त करवा लिए। एच.ई.आर.सी. ने अपने 2008-09 के लिए शुल्क दर आदेश में ₹ 52.97 करोड़ के लंबित शेष और ब्याज का पुनर्भुगतान अनुमत कर दिया था। कंपनी ने ₹ 37.97 करोड़ का बकाया ऋण और ब्याज छोड़कर, जो ₹ 138.98 करोड़ तक सचित हो गया था, ₹ 15 करोड़ का पुनर्भुगतान कर दिया था (दिसंबर 2011)। एच.ई.आर.सी. ने 2009-10 के लिए अपने शुल्क दर आदेश में कंपनी को ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अनुमत निधियों का विपथन स्पष्ट करने के लिए कहा। कंपनी ने अपने संबंधित ए.आर.आर. के माध्यम से एच.एस.ए.एम.बी. ऋण के कारण 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए ₹ 14.17 करोड़ के ब्याज का दावा किया परंतु एच.ई.आर.सी. द्वारा इसके ए.आर.आर. आदेश में इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि समग्र राशि कंपनी को पहले ही अनुमत की जा चुकी थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2012) कि एच.ई.आर.सी. द्वारा 2008-09 में पूंजीगत व्यय पुनर्भुगतान अल्पतर स्वीकरण के कारण, निधि आर.ई.सी., पी.एफ.सी., एन.सी.आर.पी.बी. और एन.ए.बी.ए.आर.डी. के ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान पर खर्च की गई। इस प्रकार, तथ्य रहता है कि कंपनी ने निधियों का विपथन किया था और यह एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया गया।

सामग्री प्रबंधन

2.1.49 सामग्री प्रबंधन में मूल कार्य, माल सूची नियंत्रण नीति, सामग्रियों का प्रापण और अप्रचलित माल सूची का निपटान करना है। कंपनी ने मितव्ययी प्रापण और माल सूची पर कुशल नियंत्रण के लिए कोई प्रापण नीति और माल सूची नियंत्रण यंत्रावली नहीं बनाई थी। 2007-08 से 2011-12 (मार्च 2012 तक) की अवधि के लिए प्रतिवर्ष और प्रतिमास खपत, निवल अंतिम स्टॉक और खपतों के महीनों के निबधन में संवरण स्टॉक के विवरण नीचे वर्णित हैं:

(₹ करोड़ में)

आरंभिक वर्ष	खपत (प्रतिवर्ष)	खपत (प्रति माह)	निवल संवरण स्टॉक (तुलन पत्र अनुसार)	खपत से माहो के निबंधनों में संवरण स्टॉक
2007-08	129.71	10.81	43.06	3.98
2008-09	210.41	17.53	44.94	2.56
2009-10	214.57	17.88	38.08	2.13
2010-11	104.56	8.71	33.02	3.79
2011-12	188.53	18.85	31.13	1.97

कंपनी ने प्रभावी रूप से अपने अंतिम स्टॉक को 1.97 मास खपत स्तरों तक सीमित किया था और ए.बी.सी. विश्लेषण भी कर रही थी।

भौतिक सत्यापन का न किया जाना

2.1.50 कंपनी के पास अपने नियंत्रण में पांच[⊗] समर्पित स्टोर हैं। तथापि, स्टोरों का भौतिक सत्यापन (पी.वी.) वार्षिक नहीं करवाया जा रहा था। सभी स्टोरों में अंतिम पी.वी. फरवरी–अप्रैल 2011 के दौरान किया गया था। मार्च 2012 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान अगतिशील, फालतू, अप्रचलित, अप्रयोज्य और रद्दी सामग्री का मूल्य नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
फालतू/पुराना/अप्रयोज्य/रद्दी	2.28	2.96	5.44	6.32	5.77
अगतिशील	1.37	1.63	1.96	2.05	3.01
कुल	3.65	4.59	7.40	8.37	8.78

उपर्युक्त से यह देखा गया कि रद्दी, अप्रचलित और अगतिशील स्टॉक 2007–08 से 2011–12 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति पर था। कंपनी ने रद्दी/अप्रचलित सामग्री के सर्वेक्षण और निपटान करने के लिए कार्यवाही नहीं की थी जो राजस्व अर्जित कर सकता था और परिणामस्वरूप अन्य सामग्री के भंडारण के लिए स्थान सृजन हो सकता था।

प्रबंधन ने नोट किया तथा भविष्य में अनुपालन हेतु आश्वासन दिया और बताया कि स्टॉक के आवधिक भौतिक सत्यापन के लिए निर्देश जारी किए जायेंगे।

मानीटरिंग और नियंत्रण

अनुपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)

2.1.51 विभिन्न पैरामीटरों जैसे अधिकतम और न्यूनतम वोल्टेज स्तरों, ब्रेक डाउनज, वोल्टेज प्रोफाइलज पर एस.एसज और 400/220/132 के.वी. लाईनों का निष्पादन ग्रिड संहिता मानकों के अनुसार अभिलिखित/अनुरक्षित किया जाना चाहिए।

हमने देखा कि यद्यपि करनाल और रोहतक परिमंडल अधीन मंडलों ने एस.एसज के निष्पादन संबंधी मासिक एम.आई.एस. रिपोर्टस मुख्यालय को नियमित रूप से प्रस्तुत की थी, परंतु वे बी.ओ.डीज को प्रस्तुत नहीं की गई। तथापि, एम.डी. की अध्यक्षता अधीन आयोजित समीक्षा बैठकों में ये रिपोर्टें एस.एसज के परिचालन और अनुरक्षण स्थिति के भाग के रूप में कभी–कभी प्रस्तुत की गई थी। आगे, एस.एसज और लाईनों के वर्षवार संचयी निष्पादन के अभिलेख उसके वार्षिक निष्पादन के मूल्यांकन के लिए अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे।

हमने देखा कि ट्रांसफार्मरों की कम लोडिंग/अधिक लोडिंग की संकटपूर्ण स्थिति को पार करने के लिए उपचारी उपाय संबंधी केवल एक एजेंडा पर चर्चा की गई थी (जून 2010)। तथापि, एक नियमित प्रचलन के रूप में इसे जारी नहीं रखा गया।

⊗ बल्लभगढ़, हिसार, खेड़ा, पानीपत तथा सेवाह (पानीपत)।

आगे, करनाल और रोहतक परिमंडल अधीन मंडलों की एम.आई.एस. रिपोर्टों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि उपकरणों की योजनागत पूर्ण मरम्मत, अगली तेल परिवर्तन की देय तिथियों, ओ.एल.टी.सी.[⊗] परिचालनों, अनुरक्षण कार्यों की तिथियों, एसएस. बैटरियों के निष्पादन और प्रसारण के निष्पादन संबंधी ब्यौरे इन रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा रहे थे। इसकी अनुपस्थिति में, इन रिपोर्टों से अधिक प्रयोजन पूरा नहीं हुआ।

प्रबंधन ने एग्जिट कांफ्रेंस में अनुपालना हेतु आश्वासन दिया।

टी. और डी. योजनाओं के विचारित लाभ की समीक्षा

2.1.52 कंपनी ने समीक्षा अवधि के दौरान 92 ई.एच.टी. एस.एसज निष्पादित और चालू किए तथा 400/220/132/66 के.वी. की ई.एस.टी. लाईनों के 3,442.90 सी.के.एजम की कुल लंबाई प्रतिष्ठापित की। टी. और डी. योजनाओं को अनुमोदित करते समय, कंपनी ने लाईन हानियां में कमी, वोल्टेज स्तरों में सुधार तथा नई योजनाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली लोड वृद्धि के निबंधन में लाभ विचारित किए। तथापि, यह अवलोकित किया गया कि कंपनी ने नई परियोजनाओं को चालू करने के बाद टी. और डी. योजनाओं के कार्यान्वन पर वास्तव में प्राप्त लाभ निर्धारण के लिए डिस्कोमज के साथ कोई फीडबैक प्रणाली विकसित नहीं की थी।

उत्तर (अक्तूबर 2012) में प्रबंधन ने लेखापरीक्षा सुझावों की प्रशंसा की तथा एग्जिट कांफ्रेंस में आश्वासन दिया कि संचारण स्कीम में यथाविचारित लाभ विश्लेषण फीडबैक प्रणाली सृजित की जाएगी।

आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

2.1.53 आंतरिक नियंत्रण, परिचालनों की दक्षता, वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता लागू नियमों और अधिनियम की अनुपालना हेतु उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के सही कार्यचालन एवं कारगरता सुनिश्चित करने तथा त्रुटियों एवं जालसाजियों का पता लगाने हेतु डिजाइन की गई है।

कंपनी के पास अपना आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग है जिसने 2008-09 तक वित्तीय लेखापरीक्षा की थी तथा उसके बाद, 2009-10 के लिए यह बाहर से करवाई गई थी। कंपनी ने अनुबंध रद्द कर दिया (7 जुलाई 2011) और फर्म को कोई भुगतान नहीं किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने भी अपनी रिपार्टो में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का सुझाव दिया था। कंपनी के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (सितंबर 2012)।

केन्द्रीय विजिलेंस कमीशन (सी.वी.सी.) के मार्गनिर्देश (15 जनवरी 2002) प्रावधान करते हैं कि प्रत्येक कंपनी के पास विस्तृत क्रय प्रक्रियाओं और मार्गनिर्देशों से समायुक्त क्रय मैनुअल होना चाहिए। हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने अपना प्रापण मैनुअल तैयार नहीं किया था तथा अभी भी पूर्ववर्ती एस.एस.ई.बी. द्वारा निर्मित पुराने क्रय विनियम 1974 का अनुसरण करता है।

⊗ लोड टैप परिवर्तक पर।

प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2012) कि 2009-10 से 2011-12 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा बाहर से करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और क्रय मैनुअल तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षा समिति

2.1.54 कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292-ए के अंतर्गत यथा अपेक्षित एक लेखापरीक्षा समिति (ए.सी.) गठित की। इस ए.सी. द्वारा, पर लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षकों की अभ्युक्तियों सहित लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा तथा बी.ओ.डी. को प्रस्तुत करने से पहले अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा की जानी थी और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की अनुपालना भी सुनिश्चित की जानी थी लेकिन ए.सी. 2007-09 के दौरान केवल एक बार मिली (31 जुलाई 2007)। आगे, कंपनी ने नए व्यवसाय नियम (लेखापरीक्षा समिति) 2009 अनुमोदित किए (31 मार्च 2009) जिसमें यह निर्धारित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति को एक तिमाही में एक बार मिलना चाहिए तथा दो बैठकों के मध्य चार मास से अधिक नहीं बीतने चाहिए। हमने अवलोकित किया कि ए.सी. 2009 में तीन बार मिली लेकिन 2010-12 के दौरान कोई ऐसी बैठक आयोजित नहीं की गई।

एग्जिट कार्फ्रेंस में प्रबंधन ने अनुपालन का आश्वासन दिया।

निष्कर्ष

- **कंपनी संचारण परियोजनाओं की पूर्णता में विलंबों तथा निष्क्रमण कार्यों में विलंब के अतिरिक्त संचारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक से इक्तालीस मास तक श्रृंखलित परिणामी विलंबों में कमी से संबंधित टॉस्क फोर्स के मार्ग निर्देशों के पालन में विफल रही। वास्तव में कंपनी अपनी परियोजनाओं के लिए समय सीमा तैयार नहीं करती।**

- **ए.एस.ज. और संबद्ध लाईनों के निर्माण अनुचित आयोजना के कारण विलंबित थे जिसके परिणामस्वरूप कंपनी न केवल संचारण प्रणाली सुधार के विचारित लाभ प्राप्त करने में विफल रही बल्कि अतिरिक्त राजस्व की अप्राप्ति के रूप में ₹ 36.21 करोड़ अर्जित करने में भी विफल रही और ₹ 0.36 करोड़ की कड़ी हानियां उठाई।**

- **2008-12 के दौरान, ₹ 225.85 करोड़ के मूल्य की संचारण हानियां एच.ई.आर.सी. मानकों के आधिक्य में थी। उपभोक्ता को अकुशलतायें प्रभारित उच्चतर शुल्क दरों को दी गई हैं।**

- **हुडा से वसूली कारगरता से अनुशीलन नहीं की गई परिणामत: ₹ 223.88 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ और ₹ 202.25 करोड़ का वार्षिक ब्याज भार हुआ।**

- वर्ष 2007 – 12 के लिए ए.आर.आर. में कंपनी ने अननुमोदित कार्य शामिल किए तथा परिणामस्वरूप एच.ई.आर.सी. ने अनुमत पूंजीगत कार्यों के लिए प्राप्त ऋणों पर ₹ 218.81 करोड़ की राशि का ब्याज अननुमत कर दिया।

अनुशंसाएं

कंपनी को चाहिए:

- सुनिश्चित करें कि संचारण परियोजनाओं पर टॉस्क फोर्स की अनुशंसाएं अनुसरित की जाती हैं तथा उत्पादक प्रणाली के साथ समक्रमण में निष्क्रमण प्रणाली हेतु योजना बनाए। इसे अपनी सभी परियोजनाओं हेतु उनकी पूर्णता की स्थिति मॉनीटर करने के लिए समय सीमा तैयार करनी चाहिए;
- संचारण नेटवर्क के प्रभावी कार्यचालन और अनुरक्षण के लिए एम.टी.पी.सी. ग्रिड कोड में निर्धारित मानकों/मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करना। कड़ी ऊर्जा लेखापरीक्षा लागू करना ताकि संचारण हानियां कम की जाए;
- दावों की वसूली के लिए प्रभावी कदम सुनिश्चित किए जाएं; और
- सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पूंजीगत कार्य एच.ई.आर.सी. के अनुमोदन के बिना न किया जाए।

2.2 हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

कार्यकारी सार

हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) मध्यम/दीर्घ स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहित करने और राज्य में औद्योगिक संपदाओं का विकास करने के लिए 1967 में संस्थापित की गई थी। कंपनी के पास, इसकी गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य में फैले हुए 17 क्षेत्रीय कार्यालय थे। 31 मार्च 2012 तक कंपनी ने राज्य में 25,725 एकड़ क्षेत्र विकसित किया है। निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत सभी वर्षों के दौरान कंपनी ने अपनी गतिविधियों से लाभ अर्जित किया है।

वित्त पोषण गतिविधि

2006–11 के दौरान कंपनी ने 48.70 प्रतिशत की कमी निरूपित करते हुए ₹ 467.28 करोड़ की संस्वीकृत राशि के विरूद्ध ₹ 239.73 करोड़ ऋण वितरित किए। 2006–11 के दौरान निवल वसूलनीय राशि के विरूद्ध वसूली की प्रतिशतता 47.58 तथा 62.60 के बीच श्रृंखलित थी। पुराने देयों की वसूली के लिए कोई पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। ₹ 181.20 करोड़ छोड़ते हुए कंपनी ने ओ.टी.एस. के अंतर्गत 34 मामले समायोजित किए।

भूमि अधियहण

राज्य में औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए, 2006–11 के दौरान ₹ 4542.27 करोड़ की लागत पर 10,279 एकड़ भूमि अधिगृहीत की। भूमि अधियहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों की अननुपालना के कारण कंपनी को भूमि अधियहण पर ₹ 1.58 करोड़ के ब्याज का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा था। कंपनी ने ₹ 8.98 करोड़ की हानि उठाई क्योंकि अधिगृहीत भूमि बाधाओं से मुक्त नहीं थी। भूमि का आधिपत्य लेने में विलंब के कारण कंपनी ने ₹ 1.71 करोड़ की भी हानि उठाई।

भूमि का विकास

2006–11 के दौरान भूमि के विकास के लिए कंपनी ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। कंपनी ने 25,725 एकड़ क्षेत्र का विकास किया जिसमें से 87.37 प्रतिशत क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आ गया जिसने राज्य में संतुलित औद्योगिक वृद्धि को बाधित कर दिया। डी.आई. पाईपों पर उत्पाद शुल्क की छूट की अप्राप्ति के कारण कंपनी ने ₹ 2.19 करोड़ की हानि उठाई।

मूल्य का निर्धारण

2007–12 के दौरान कंपनी ने प्लाटों के आबंटन के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। मार्च 2012 तक बनाए गए 14,297 प्लाटों/शेडों में से, 2390 प्लाट/शेड खाली पड़े थे। पुरानी दर पर अतिरिक्त भूमि के आबंटन के कारण कंपनी ने ₹ 6.84 करोड़ की हानि उठाई तथा प्लाटों का पुनर्ग्रहण न करने के कारण इसने ने ₹ 2.33 करोड़ की हानि उठाई।

बृहद परियोजनाएं

कंपनी राज्य में अनेक बृहत् मूलभूत संरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। कुंडली–मानेसर–पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेस–वे की 29 जुलाई 2009 तक समापन के विरूद्ध, याही 31 मार्च 2012 तक 66.86 प्रतिशत भौतिक प्रगति और 77 प्रतिशत आर्थिक प्रगति प्राप्त कर सका। कंपनी ने फर्म पर ₹ 17.88 करोड़ की शास्ति लगाई परन्तु अक्तूबर 2012 तक किसी राशि की वसूली नहीं की गई थी। रिलायंस हरियाणा एस.ई.जेड लिमिटेड, गुड़गांव में विनिर्दिष्ट अवधि में एस.ई.जेड प्रस्थापित करने में विफल रही और 1383.68 एकड़ भूमि, जो कंपनी से ₹ 399.85 करोड़ की लागत पर ली गई थी, ₹ 1,172 करोड़ पर लौटाने का प्रस्ताव किया था। परामर्शदाता द्वारा भूमि के गलत मूल्यांकन तथा मैसर्ज डी.एल.एफ. लिमिटेड को बेचने से पहले कंपनी द्वारा उनकी जांच न करने के कारण कंपनी ने ₹ 438.91 करोड़ की हानि उठाई।

निष्कर्ष और सिफारिशें

कंपनी ने ऋणों की संस्वीकृति तथा वितरण में

लक्ष्य प्राप्त नहीं किए। वसूलनीय निवल राशि के विरूद्ध वसूली की प्रतिशतता 47.58 तथा 62.60 के बीच श्रृंखलित थी। ओ.टी.एस. के अंतर्गत समायोजित 34 मामलों में से 17 मामले, ₹127.48 करोड़ के बकाया देयों के विरूद्ध केवल ₹23.03 करोड़ के लिए समायोजित किए गए थे, जबकि इन इकाईयों की परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य ₹56.91 करोड़ था। कंपनी ने औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे और भूमि के अधियग्रहण चिन्हीकरण के लिए प्रणाली दोषपूर्ण थी जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ। निष्पादन लेखापरीक्षा में कंपनी के निष्पादन में सुधार के लिए चार सिफारिशें सम्मिलित हैं।

प्रस्तावना

2.2.1 राज्य में औद्योगिक सम्पदाओं को विकसित करने तथा मध्यम/वृहद स्तर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा राज्य उद्योग तथा मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को संस्थापित किया गया था (1967)। राज्य सरकार ने आगे कंपनी को राज्य में मूलभूत संरचना के विकास के कार्य भी सौंप दिए (दिसंबर 2005)। कंपनी ने राज्य में 31 मार्च 2012 तक 20 औद्योगिक माडल टाउनशिप (आई.एम.टीज)/औद्योगिक सम्पदाओं (आई.ईज)/वृद्धि केंद्रों (जी.सीज) में 25,725 एकड़ का क्षेत्र विकसित किया है।

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं:

- संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, सामग्री, माल अथवा किसी विवरण की वस्तुओं के विनिर्माण एवं उत्पादन के लिए उद्यौगों, परियोजनाओं अथवा उद्यमों को बढ़ावा देना, सुधारना, प्रबन्ध करना एवं शासित करना;

- मूलभूत संरचना विकास क्रिया-कलापों को प्रत्यक्ष रूप से या पबिल्क प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) द्वारा या एजेंसी/कन्सलटेंट नियुक्त करके करना तथा सड़कें, पानी तथा विद्युत जैसी सुविधाओं सहित मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान करना;

- किसी औद्योगिक उपक्रम, परियोजना या उद्यम, अनुदान सहायता तथा वित्त पोषण देना चाहे सरकार, सांविधिक निकाय, प्राइवेट कंपनी, फर्म या व्यक्ति द्वारा स्वामित्व प्राप्त हो या चलाए जा रहे हो; तथा

- हाउसिंग तथा संबंधित सामाजिक मूलभूत संरचना, संस्थात्मक, मनोरंजन तथा वाणिज्यिक मूलभूत संरचना सहित संघटित औद्योगिक टाउनशिप/पार्कस के लिए भूमि अधिगृहीत करना।

वर्तमान में, कंपनी राज्य में सभी तरह की मूलभूत संरचनाओं के विकास तथा राज्य में विभिन्न स्थानों पर आई.ईज का विकास करने के लिए मध्यम तथा वृहद् औद्योगिक इकाइयों को टर्म तथा अन्य ऋण प्रदान करने में लगी हुई है।

संगठनात्मक ढांचा

2.2.2 कंपनी का प्रबंध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल (बी.ओ.डीज) के पास निहित है। मार्च 2012 को बोर्ड के पास प्रबंध निदेशक (एम.डी.), जो कंपनी का मुख्य कार्यकारी था, सहित पांच निदेशक थे तथा जिसे अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता दी जाती थी। कंपनी के पास अपने कार्यकलापों को करने के लिए 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.2.3 'ऋणों के संवितरण, वसूली तथा निवेश गतिविधियों' तथा 'औद्योगिक संपदाओं की स्थापना' से संबंधित कंपनी की गतिविधियां निष्पादन लेखापरीक्षा में विश्लेषित की गई थी तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों समाप्त वर्ष क्रमश: 31 मार्च 2003 एवं 31 मार्च 2007 (वाणिज्यिक) हरियाणा सरकार, में सम्मिलित की गई थी। दोनों निष्पादन लेखापरीक्षाएं लोक उपक्रम समिति (कोपु) द्वारा चर्चित की गई थी तथा कुछ अनुच्छेदों पर उनकी सिफारिशें क्रमश: 22 मार्च 2007 तथा 15 मार्च 2011 को प्रस्तुत कोपु की 53वीं तथा 57वीं रिपोर्टों में सम्मिलित थी। पैरे अभी अन्तिमता को प्राप्त होने शेष हैं।

पूर्ववर्ती वर्षों में राज्य में बहुत औद्योगिक विकास किया गया है, यह महसूस किया गया कि लाभ, जो अर्जित किए गए हैं, के लिए क्रियाकलाप का एक बार फिर विश्लेषण किया जाना चाहिए। दिसंबर 2011 तथा मई 2012 के दौरान की गई वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा मार्च 2012 को समाप्त गत पांच वर्षों के लिए कंपनी के कार्यचालन को आवृत्त करती है। मुख्यालय पर अनुरक्षित अभिलेखों की जांच करने के अतिरिक्त हमने इसके 17 क्षेत्र कार्यालयों में से छ:[1] के अभिलेखों की नमूना-जांच की। विस्तृत संवीक्षा के लिए क्षेत्र कार्यालयों का चयन 'प्रतिस्थापन पद्धति के बिना साधारण रैंडम सैम्पलिंग' अपनाकर किया गया तथा 2007-12 के दौरान कुल अधिगृहीत भूमि का 59 प्रतिशत तथा औद्योगिक सम्पदाओं के विकास तथा अधिग्रहण पर कुल व्यय का 72 प्रतिशत चयनित यूनिट ने आवृत्त किए।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- औद्योगिक यूनिटस को ऋण संस्वीकृत करने तथा संवितरण करने तथा अन्य वित्तीय सहायता में निर्धारित किए गए मानक तथा प्रक्रियाएं अनुसरित की गई थी;
- ऋण अनुबंधों के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार ऋण वसूल किए गए थे तथा देयों के भुगतान न करने हेतु चूककर्ताओं के विरूद्ध पर्याप्त कार्यवाही की गई थी;
- मूलभूत संरचना, वित्तीय प्रबंधन, कच्ची सामग्री उपलब्धता, मार्केट तथा अन्य इनपुटस के निबंधनों में औद्योगिक संपदाओं की आवश्यकता का मूल्यांकन करने हेतु सही जांच

[1] बरही, बावल, फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर तथा रोहतक।

तथा निरीक्षण करने के बाद राज्य में औद्योगिक संपदाओं के संघटित विकास के लिए कंपनी ने एक योजना तैयार की तथा कार्यान्वित की;

- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एल.ए.) के अनुसार कृषक/भू-स्वामी अपनी भूमि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर रहे थे तथा सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य प्राप्त किए गए थे;
- मूलभूत संरचना विकास, उद्योग का अनुरक्षण तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन सहित परियोजना प्रबंधन मितव्ययी, दक्ष तथा प्रभावी थे;
- कंपनी ने प्लाट्स के आबंटन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली अपनाई तथा इसकी नीति के अनुसार मूल्य 'न लाभ न हानि' आधार पर निर्धारित किए गए थे; तथा
- पर्याप्त आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड के निम्न स्रोत हैं:

- औद्योगिक विकास, भूमि अधिग्रहण तथा उद्योगों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकार की नीति/निर्देश/लक्ष्य;
- राज्य सरकार योजनाओं तथा नीति के प्रोत्साहन के लिए कंपनी की दीर्घ अवधि तथा वार्षिक योजनाएं;
- औद्योगिक विकास तथा राज्य औद्योगिक नीति (एस.आई.पी.) के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए भारत सरकार (जी.ओ.आई.) के मार्गनिर्देश;
- कंपनी द्वारा अपनाई गई आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा अन्य नियंत्रण प्रक्रियाएं।

लेखापरीक्षा पद्धति

2.2.6 लेखापरीक्षा पद्धति ने निम्नलिखित की समीक्षा शामिल की:

- ऋणों की संस्वीकृति तथा संवितरण, वसूली तथा समायोजन से संबंधित अभिलेखों की जांच;
- भूमि अधिग्रहण अभिलेखों की जांच;
- औद्योगिक संपदाओं के विकास से संबंधित कार्यों की प्रदानगी तथा निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की जांच; तथा
- एल.ए. अधिनियम, 1894 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन।

वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

2.2.7 31 मार्च 2011 तक गत पांच वर्षों के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम ***परिशिष्ट 8*** में दिए गए हैं:

हमने देखा:

- 2006-07 एवं 2010-11 के दौरान कंपनी के निवल लाभ की बढ़ती प्रवृत्ति थी। यह, 2009-10 की अवधि को छोड़कर, इस वर्ष में ₹ 1276.65 करोड़ की भूमि के अधिग्रहण के कारण, इस अवधि के दौरान ₹ 26.26 करोड़ से बढ़कर ₹ 69.95 करोड़ हो गया।

- वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 104.12 करोड़ की ब्याज आय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) से वसूल किया गया ₹ 5.13 करोड़ जो इसकी मुख्य गतिविधि से नहीं था तथा दो नान-इंडस्ट्रियल एरिया साइट्स[⊗] की निलामी बिक्री के विरूद्ध वसूली गई राशि पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹ 42.20 करोड़ शामिल थे, इस तथ्य के बावजूद कि आई.ए. गतिविधि 'न लाभ न हानि' पर आधारित है। औद्योगिक एरिया (आई.ए.) गतिविधि से सरपल्स फंडों से सावधि जमाओं पर ब्याज के कारण ₹ 34.15 करोड़ भी इसमें शामिल थे।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.8 15 मार्च 2012 को आयोजित एक 'एंट्री कान्फ्रैंस' के दौरान हमने कंपनी को लेखापरीक्षा उद्देश्य स्पष्ट किए। हमारे लेखापरीक्षा परिणाम परवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित किए गए हैं। लेखापरीक्षा परिणाम सरकार/प्रबंधन को सितम्बर 2012 में संदर्भित किए गए थे तथा 20 दिसम्बर 2012 को आयोजित एक्जिट कान्फ्रैंस, जिसमें एम.डी. और कंपनी के विभागों के अध्यक्ष उपस्थित थे, में किए गए थे। यह प्रतिवेदन अंतिम करते समय प्रबंधन के विचार ध्यान में रखे गए हैं।

वित्त पोषण गतिविधि

2.2.9 मौजूदा यूनिटस के विस्तारण, विपथन तथा आधुनिकीकरण के साथ-साथ नए मध्यम तथा वृहद् सैक्टर औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए कंपनी जनरल टर्म-लोन, उपकरण वित्त स्कीम (ई.एफ.एस), कार्यचालन पूंजी टर्म लोन (डब्ल्यू.सी.टी.एल.), लाइन आफ क्रेडिट (एल.ओ.सी.), वित्तीय वाणिज्यिक काम्पलैक्स, कारपोरेट लोन आदि के अंतर्गत ₹ 25 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निम्न विवरणी 31 मार्च 2011 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान ऋण आवेदनों की प्राप्ति, उनकी संस्वीकृतियों तथा संवितरणों

[⊗] मैसर्ज डी.एल.एफ. लिमिटेड तथा मैसर्ज ब्रह्म केन्द्र विकास (पी.) लिमिटेड, गुड़गांव।

की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
क) वर्ष के आरंभ में लंबित आवेदन	36	132.51	50	228.14	46	242.68	64	489.97	62	579.03
ख) प्राप्त आवेदन	100	404.37	62	317.60	64	526.06	42	480.53	41	326.20
कुल (क+ख)	136	536.88	112	545.74	110	768.74	106	970.50	103	905.23
ग) रद्द किए गए/व्यपगत/वापिस लिए गए/फाइल किए गए आवेदन	44	208.22	46	211.83	25	185.33	28	299.03	29	308.30
घ) संस्वीकृत आवेदन	42	100.52	20	91.23	21	93.44	16	92.44	14	89.65
वितरित की गई राशि	-	45.71	-	55.02	-	64.86	-	47.65	-	26.49
ऋणों के वितरण के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य	-	80.00	-	60.00	-	70.00	-	80.00	-	80.00
ङ.) वर्ष के अंत में लंबित आवेदन	50	228.14	46	242.68	64	489.97	62	579.03	60	507.28
च) राशि जिसके लिए ऋण आवेदनों पर विचार किया गया (ग+घ)	86	308.74	66	303.06	46	278.77	44	391.47	43	397.95
संस्वीकृत ऋण से वितरित ऋण की प्रतिशतता	-	45.47	-	60.31	-	69.41	-	51.55	-	29.55
विचार किए गए प्रतिवेदन से रद्द/व्ययगत/वापस लिए गए/नत्थी किए गए आपेदनों की प्रतिशतता	51.16	-	69.70	-	54.35	-	63.64	-	67.44	-
लक्ष्य से संवितरण की प्रतिशतता	-	57.14	-	91.70	-	92.66	-	59.56	-	33.11

उपर्युक्त तालिका ने निम्नलिखित प्रकट किया:

- ऋणों के अनुदान के लिए प्राप्त आवेदन पत्र अवधि के दौरान घटते रहे। 2007-08 में 62 से 2008-09 में 64 तक मारजिनल बढ़ोतरी के सिवाय ये 2006-07 में 100 से 2010-11 में 41 तक घट गए जिसने सूचित किया कि कंपनी अपनी वित्तीय स्कीमों के प्रति उद्यमियों को आकर्षित नहीं कर सकी।

- लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत्त समग्र अवधि के दौरान ऋणों के वितरण के लिए निर्धारित किए गए टारगेटस प्राप्त करने में कंपनी विफल रही तथा टारगेटस से ऋणों के वितरण की प्रतिशतता 33.11 और 92.66 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

- मार्च 2011 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान 48.70 प्रतिशत की कमी को निरूपित करते हुए ₹ 467.28 करोड़ की संस्वीकृत राशि के विरूद्ध ₹ 239.73 करोड़ की राशि के ऋण कंपनी ने वितरित किए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत होत समय प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रैंस में सूचित किया कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, बैंको द्वारा प्रस्तावित प्रतियोगी दरों तथा कंपनी द्वारा अपेक्षित कड़े सुरक्षा आवृत्ति मानकों के परिणामस्वरूप ऋण के वितरण हेतु लक्ष्यों की अप्राप्ति हुई थी। प्रबंधन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन का यूवकांक वर्षों से वृद्धि पर था तथा हरियाणा में आर्थिक मंदी का प्रभाव अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं था।[Δ]

वसूली निष्पादन

2.2.10 मार्च 2011 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान वसूली के लिए निर्धारित वसूली लक्ष्यों हेतु देय ऋण राशियां, वसूल की गई राशि तथा शार्टफॉल निम्नवत थे:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	वसूली के लिए देय राशि	92.67	78.14	77.94	72.52	47.83
	जमा: वर्ष के दौरान देय राशि (वितरण तथा ब्याज)	82.03	77.61	64.13	77.70	85.47
	घटा: राशि पुन: सूचीबद्ध/अपलिखित की गई	1.23	4.77	3.73	29.41	7.22
	वसूलनीय निवल राशि	162.47	150.98	138.34	120.81	126.08
2.	वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य	85.00	72.00	70.50	71.00	74.34
	वसूलनीय राशि से लक्ष्य की प्रतिशतता	52.32	47.69	50.96	58.77	58.96
3.	वसूल की गई राशि					
	क) पुराने देय (पिछले वर्ष तक वसूली योग्य)	22.50	13.13	12.32	13.63	07.02
	ख) वर्तमान देय	55.81	51.13	46.11	54.66	50.10
	ग) पूर्व भुगतान	06.02	08.78	07.39	04.69	21.80
	कुल (क+ख)	**84.33**	**73.04**	**65.82**	**72.98**	**78.92**
4.	वर्ष के अंत में वसूली योग्य राशि	78.14	77.94	72.52	47.83	47.16
5.	वसूली की प्रतिशतता					
	क) अवसूली योग्य राशि से	51.90	48.38	47.58	60.41	62.60
	ख) लक्ष्य से	99.21	101.44	93.36	102.79	106.16

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि:

- 2006-11 के दौरान शुद्ध वसूली योग्य राशि जो ₹ 120.81 करोड़ तथा ₹ 162.47 करोड़ के मध्य श्रृंखलित रही, के विरूद्ध वसूली के लिए फिक्स किए गए टारगेट ₹ 70.50 करोड़ तथा ₹ 85 करोड़ के मध्य श्रृंखलित थे। 2006-11 के दौरान वसूलनीय शुद्ध राशि के विरूद्ध वसूली की प्रतिशतता केवल 47.58 तथा

Δ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

62.60 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। कंपनी को अपनी वसूली स्थिति सुधारने के लिए सख्त प्रयत्न करने चाहिए क्योंकि यह कैश सरपल्स सृजन में सहायता करेगा, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधारेगा।

- पुराने देयों की वसूली 2006 - 07 में ₹ 22.50 करोड़ से 2010 - 11 में ₹ 7.02 करोड़ तक कम हो गई जिसने कंपनी की ओर से प्रयत्नों की कमी सूचित की। आगे, जैसे समय व्यतीत होता है क्रॉनिक पुराने चूककर्त्ताओं से वसूली करना अल्प हो जाएगा। कंपनी को पुराने देयों की वसूली के लिए पृथक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन ने बताया कि यद्यपि अनिष्पादक परिसम्पत्तियां (एन.पी.एज), वसूल करने के लिए भरपूर प्रयास किए गए थे, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए अनुसार धीमी वसूली लेटीगेशन/लिक्वीडेशन के अंतर्गत अधिक मामलों के कारण थी। यह भी बताया गया था कि गत पांच वर्षों से एन.पी.एज 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक घट गया था।

वसूली निष्पादन के कुछ रोचक मामले नीचे चर्चित किए गए हैं:

ऋण लेखे के समायोजन पर अनुचित लाभ

2.2.11 1992 से 2003 के दौरान मैसर्ज नारायणगढ़ शुगर मिल्ज, अंबाला (यूनिट) ने ₹ 15.25 करोड़ के पांच सावधि ऋण तथा इक्विटी सहायता प्राप्त की। चूंकि यूनिट चूक में थी, कंपनी ने अवधि ऋण (₹ 1.57 करोड़) तथा अतिरिक्त अवधि ऋण (₹ 1.53 करोड़) कुछ अन्य रियायतें अर्थात् ब्याज दर में कमी, ब्याज तथा पैनल ब्याज की मुआफी तथा 31 मार्च 2001 से पहले यूनिट द्वारा ₹ 1.08 करोड़ के भुगतान के अध्याधीन समय पर पेमेंट के लिए एक प्रतिशत की छूट अनुमत करने के अतिरिक्त अवधि ऋण (₹ 1.57 करोड़) एवं अतिरिक्त अवधि ऋण (₹ 1.53 करोड़) पुन: संरचित किया (मार्च 2001)। आगे, यदि यूनिट उपर्युक्त प्रावधानों में से किसी के अनुपालन में विफल थी, तो कंपनी द्वारा इस संबंध में बिना किसी नोटिस के ऊपर बताई गई रियायतें वापस ली जानी थी।

यूनिट ने 31 मार्च 2001 तक ₹ 1.08 करोड़ संप्रेषित किए लेकिन क्रमश: अवधि ऋण (₹ 1.57 करोड़) में ₹ 26.20 लाख तथा अतिरिक्त अवधि ऋण (₹ 1.53 करोड़) में ₹ 24 लाख के आगे भुगतान में चूक की। यद्यपि यूनिट चूक में थी, कंपनी ने आगे ₹ सात करोड़ का एक कारपोरेट लोन (सी.एल.) वितरित किया। चूंकि यूनिट ने ₹ 2.35 करोड़ (मूलधन ₹ 1.75 करोड़ तथा ब्याज ₹ 60.22 लाख) के सी.एल. के भुगतान में चूक की थी, कंपनी ने गौण प्रतिभूति पर प्रभार के विस्तारण तथा प्राथमिक प्रतिभूति के समरूप प्रभार के विस्तारण के लिए दस्तावेजों के अनिष्पादन, ऋणों के पुर्नभुगतान में चूक के कारण यूनिट को पहले दी गई रियायतें वापस लेने के अतिरिक्त प्रोमोटरज के विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र (आर.सी.) जारी किया (जनवरी 2004)। यूनिट ने रियायतें दोबारा शुरू करने का अनुरोध (फरवरी 2004) जो अस्वीकार कर दिया गया था (फरवरी 2004) तथा कंपनी ने उसे 2009 तक अस्वीकार करना जारी रखा तथा अंत में इसके साथ सहमत हो गई (अप्रैल 2010) तथा ₹ 4.26 करोड़ मूल्य की रियायतें (कंपनी द्वारा यथा परिकलित) यूनिट को दोबारा शुरू कर दी। इस प्रकार, यूनिट को रियायतें पुन: शुरू करने के कारण, जबकि यह चूक में था, कंपनी को ₹ 4.26 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने एक्जिट कांफ्रैंस में बताया कि इकाइयों से वापिस लिए गए लाभों का मूल्य केवल अप्रयोगमूलक था तथा ये केवल इकाई पर दबाव डालने हेतु वापिस ली गई थी। लेकिन तथ्य था कि ₹ 4.26 करोड़ मूल्य की रियायतें (कंपनी द्वारा परिकलित) वापस ली गई थी तथा तथ्य के बावजूद, कि यह लाभों की प्रदानगी की शर्तों के विरूद्ध था क्योंकि इकाई पहले से ही चूक में थी, बाद में दोबारा प्रदान कर दी गई थी।

ऋण की संदेहपूर्ण वसूली

2.2.12 कंपनी ने दो यूनिटस अर्थात् मैसर्ज रेक्सर भारत लिमिटेड, फरीदाबाद तथा मैसर्ज सुपर फाइबरज लिमिटेड, फरीदाबाद के प्रोमोटरों को कुल ₹ 45.22 करोड़ के विभिन्न ऋण संस्वीकृत किए (मार्च 1996 से मार्च 2009) प्रोमोटरों ने ₹ 45.05 करोड़ की राशि के ऋण प्राप्त किए। ऋणों के माध्यम से प्रोमोटरों द्वारा अधिगृहीत प्लांट तथा मशीनरी पर कंपनी के पास एकान्तिक प्रभार था तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली ने अभिलेखों में प्रभार दर्ज करवाया था तथा दोनों यूनिटस के लिए स्टेट बैंक आफ पटियाला (एस.बी.ओ.पी.) से 'नो ऑबजेक्शन सर्टीफिकेट' (एन.ओ.सी.) प्राप्त करने के बाद भूमि तथा भवन पर समरूप[⊗] प्रभार था। 30 अप्रैल 2009 से देय किस्तों के भुगतान में दोनों ऋणी यूनिटस ने चूक करनी आरंभ कर दी। एस.बी.ओ.पी. ने कंपनी को सूचित किया (सितंबर 2009) कि कंपनी के पक्ष में दोनों यूनिटस की परिसम्पत्तियों पर प्रभार समाप्त करने के लिए उन्होंने कोई एन.ओ.सी. जारी नहीं की थी इसके अतिरिक्त इसे भूमि तथा भवनों पर समरूप आधारित प्रभार के विस्तार के प्रलेखों की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा था (नवंबर 2009) क्योंकि गिरवी रखी हुई संपत्ति, जो विशिष्ट तौर से बैंक को गिरवी थी, के वास्तविक टाइटल विलेख बैंक के अधिपत्य में था। इतने में एस.बी.ओ.पी. ने अपने देयों की वसूली करने के लिए डैब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डी.आर.टी.) के पास केस फाइल कर दिया। तथापि, जांच के दौरान कंपनी ने पाया (नवंबर 2010) कि ऋणी यूनिटस के प्रमोटरों ने कंपनी के लैटर हैड पर झूठा लैटर देकर प्लांट तथा मशीनरी पर अपने पहले प्रभार को खाली करवा लिया था। इसके बाद कंपनी ने प्रोमोटरों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के अतिरिक्त उनके खिलाफ आर.सी. जारी किया (नवंबर 2010)। एस.बी.ओ.पी. द्वारा दर्ज किए गए मुकद्दमें के विरूद्ध सुनवाई के दौरान, कंपनी ने वाद किया कि दोनों यूनिटस के संबंध में वित्त की गई मशीनरी पर एकान्तिक प्रभार तथा भूमि और भवन पर इसके पास समरूप प्रभार था। डी.आर.टी. ने एस.बी.ओ.पी. के पक्ष में आदेश पास किया (दिसंबर 2011) तथा कंपनी का प्रस्तुतीकरण खारिज कर दिया।

संवितरण से पूर्व दस्तावेज सत्यापित किए बिना ऋण के संवितरण तथा आर.ओ.सी. के साथ संयंत्र एवं मशीनरी पर सृजित प्रभार के असत्यापन ने ₹ 13.62 करोड़ की वसूली जोखिम में डाल दी।

इस प्रकार, प्रोमोटरोज द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों की जांच न होने के कारण जो बाद में नकली तथा जाली पाए गए थे, ₹ 13.62 करोड़ की प्रिंसीपल अमाउंट वसूली के लिए संदेहपूर्ण बन गई थी जिसके लिए अभी तक जिम्मेदारी निश्चित नहीं की गई थी (अक्तूबर 2012)।

प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रैंस में बताया कि मोरगेज की गई संपत्ति पर प्रभार सुरक्षित करने हेतु कोई विशिष्ट प्रणाली प्रचालित नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सभी मोरगेज की गई सम्पत्तियों की विद्यमानता सत्यापित करने हेतु वहां एक प्रणाली होनी चाहिए थी।

⊗ समरूप का अर्थ है कि पूर्ववर्ती प्रभार की निरंतरता में प्रभार सृजित करना जो उसी संस्था द्वारा या अन्य संस्था द्वारा रखा जा सकता है।

वन टाइम सैटलमेंट (ओ.टी.एस.) पॉलिसी

2.2.13 कंपनी ने क्रॉनिक नॉन परफार्मिंग परिसम्पत्तियों (एन.पी.एज)[⊗] की कप्रोमाइज सैंटलमेंट के लिए नीति अनुमोदित की (2006)। पॉलिसी ने उधारकर्ताओं/चूककर्ताओं के लेखे आवृत किए जो 31 मार्च 2004 को एन.पी.एज के रूप में वर्गीकृत किए गए थे। यह पॉलिसी आगे मार्च 2011 तक वार्षिक आधार पर बढ़ा दी गई। स्कीम के अंतर्गत बकाया प्रिंसीपल राशि से नीचे कोई भी समायोजन नहीं किया जाना था।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2011 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान ओ.टी.एस. स्कीम के अंतर्गत समायोजन के समय बकाया राशि, समायोजन की राशि तथा माफ की गई राशि की स्थिति चित्रित करती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	यूनिटस जिनके लोन अकाउंट ओ.टी.एस. स्कीम के अंतर्गत समायोजित किए गए थे			
	यूनिटस की संख्या	बकाया राशि मूलधन (पी) ब्याज (आई.) विविध (एम)	समायोजन की राशि मूलधन (पी) ब्याज (आई.) विविध (एम)	माफ की गई राशि मूलधन (पी) ब्याज (आई.) विविध (एम)
2006-07	8	पी-9.30 आई-38.60 एम-0.13	पी-9.30 आई-1.47 एम-0.13	पी-0.0 आई-37.13 एम-0.0
2007-08	10	पी-7.24 आई-47.12 एम-0.01	पी-7.24 आई-0.30 एम-0.01	पी-0.0 आई-46.82 एम-0.0
2008-09	3	पी-4.51 आई-9.92 एम-0.0	पी-4.51 आई-0.23 एम-0.0	पी-0.0 आई-9.69 एम-0.0
2009-10	5	पी-6.79 आई-27.20 एम-0.06	पी-6.79 आई-1.21 एम-0.06	पी-0.0 आई-25.99 एम-0.0
2010-11	8	पी-11.41 आई-61.96 एम-0.07	पी-11.41 आई-0.39 एम-0.07	पी-0.0 आई-61.57 एम-0.0
कुल	34	पी-39.25 आई-184.80 एम-0.27	पी-39.25 आई-3.60 एम-0.27	पी-0.0 आई-181.20 एम-0.0

कंपनी ने 34 यूनिटस में ओ.टी.एस. के अन्तर्गत समायोजित ₹ 181.20 करोड़ छोड़ दिए थे।

उपर्युक्त तालिका ने प्रकट किया कि कंपनी ने ₹ 224.32 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध ₹ 43.12 करोड़ पर 34 मामले समायोजित किए इससे ₹ 181.20 करोड़ का त्याग किया गया। आगे, यह इस संबंध में 31 मार्च 2011 तक ₹ 16.90 करोड़ की कमी छोड़ते हुए ₹ 43.12 करोड़ में से केवल ₹ 26.22 करोड़ की वसूली कर सकी। आठ यूनिटस, जिनके लेखे ओ.टी.एस. में समायोजित किए गए, ने ₹ 1.45 करोड़ (₹ 14.53 करोड़ की मूल राशि का 10 प्रतिशत) का भी भुगतान नहीं किया। इसने स्पष्टत: सूचित किया कि देय राशि का 81 प्रतिशत छोड़ने के बावजूद समायोजन राशि को वसूल करने के लिए कंपनी ने सच्चे प्रयत्न नहीं किए।

⊗ अनिष्पादक परिसम्पत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/अथवा मूल की किस्त 90 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय रहती है।

हमने आगे देखा कि उपर्युक्त 34 मामलों में से ₹ 127.48 करोड़ के देय वाले 17 मामले केवल ₹ 23.03 करोड़ पर समायोजित किए गए थे यद्यपि उपलब्ध प्रतिभूतियों का निर्धारित मूल्य ₹ 56.91 करोड़ था। कंपनी को समायोजन के लिए प्रतिभूतियों के निर्धारित मूल्य से नीचे नहीं जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत होते समय, प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रेंस में बताया कि चूंकि लम्बित मुकद्दमों के कारण इन मामलों में प्रतिभूतियां शीघ्र प्रवर्तनीय नहीं थी इसलिए इन प्रतिभूतियों का मूल्य समायोजन राशि से लिंक नहीं की जा सका।

ओ.टी.एस. के अंतर्गत समायोजित कुछ रोचक मामले नीचे चर्चित हैं:

ऋण के समायोजन में अनुचित लाभ

2.2.14 कंपनी ने ई.एफ.एस. के अंतर्गत मैसर्ज आटो पिनज भारत लिमिटेड को ₹ दो करोड़ का एक अवधि ऋण स्वीकृत किया तथा दिसंबर 2001 तथा जनवरी 2002 के दौरान ₹ 1.99 करोड़ निर्मुक्त किए। कंपनी ने आगे ₹ 90 लाख का एक डब्ल्यू.सी.टी.एल. संस्वीकृत एवं संवितरित किया (मार्च 2002)। देयों को क्लीयर करने के लिए मशीनरी तथा प्राथमिक प्रतिभूति बेचने के लिए यूनिट द्वारा विभिन्न अनुरोधों की प्राप्ति पर, कंपनी ने ₹ 3.26 करोड़ (प्रिंसीपल ₹ 2.89 करोड़ तथा ब्याज ₹ 0.37 करोड़) के कुल बकाया देयों के विरूद्ध ₹ 2.43 करोड़ के जमा अध्याधीन उसे अनुमति दे दी (मार्च 2004)। बिक्री लाभों से यूनिट ने केवल ₹ 1.94 करोड़ जमा किए (फरवरी 2003 से अक्तूबर 2004)। कंपनी द्वारा अनुसरित लेखांकन प्रथा के अनुसार उधारकर्ता से प्राप्त राशि पहले वास्तविक विविध देय के विरूद्ध विनियोजित की जाती है, फिर बकाया ब्याज के विरूद्ध तथा उसके बाद शेष राशि बकाया मूल राशि के विरूद्ध समायोजित की जाती है। तदनुसार, यूनिट द्वारा दी गई राशि बकाया देयों के विरूद्ध समायोजित की गई (₹ 1.07 करोड़ ब्याज के रूप में तथा 0.87 करोड़ मूलधन के रूप में)।

इतने में यूनिट ने ₹ 1.25 करोड़ पर ओ.टी.एस. के अंतर्गत कंपनी को लोन अकाउंट समायोजित करने हेतु अनुरोध यह कहते हुए किया कि कंपनी के पास पहले से प्रेषित ₹ 1.94 करोड़ की प्रतिभूतियों की बिक्री से लाभ, बकाया मूल राशि के विरूद्ध समायोजित किया जाएं तथा मूल की शेष राशि इससे वसूली की जाए। तथापि, कंपनी ने यूनिट का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया (मई 2006)। यूनिट ने बार-बार ₹ 1.25 करोड़ पर इसका लोन अकाउंट समायोजन करने हेतु अनुरोध किया। अन्ततः में, यूनिट के लाभ हेतु पूर्वप्रभाव से अपनी अकाउटिंग पालिसी को बदलते हुए (मार्च 2010) कंपनी ने ₹ 2.02 करोड़ की देय मूल राशि (₹ 2.89 करोड़ बकाया मूल राशि घटा ₹ 0.87 करोड़, मूल के प्रति बिक्री लाभों से समायोजित राशि) के विरूद्ध ₹ 1.25 करोड़ पर ओ.टी.एस. के अंतर्गत मामला समायोजित कर दिया (मार्च 2010) तथा यह अन्य यूनिटों से भावी वसूलियों को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकती थी जो यूनिफार्म अकाउंटिंग नीति का अनुसरण करने हेतु सिडबी मार्ग-निर्देशों के उल्लंघन में था। इस प्रकार, कंपनी ने, अपनी ओ.टी.एस./लेखांकन नीति के उल्लंघन में मूल राशि से कम पर ऋण लेखे के समायोजन के कारण ₹ 0.77 करोड़ (₹ 2.02 करोड़-₹ 1.25 करोड़) की हानि उठाई।

प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रेंस में तथ्य स्वीकार किया कि यह 2004 में की गई वसूलियों के गलत लेखांकन के कारण था।

ऋण लेखे के निपटान के कारण हानि

2.2.15 कंपनी ने मैसर्ज एस.के. कोटेक्स लिमिटेड, पानीपत (यूनिट) को ₹ 3.47 करोड़ का अवधि ऋण तथा ₹ 30 लाख का सेतु ऋण संस्वीकृत किया। यूनिट ने अक्तूबर 1994 तथा सितंबर 2000 के दौरान क्रमशः ₹ 3.45 करोड़ तथा ₹ 30 लाख का ऋण प्राप्त किया। ऋण के अनुबंध के अनुसार, यूनिट ने गांव सिमला, जिला पानीपत स्थित ₹ 97.06 लाख मूल्य की 11 बीघा एवं 2 बिसवा कृषीय भूमि सी.एस.[γ] के रूप में रहन रख दी। चूंकि नवंबर 2000 को यूनिट ₹ 81.36 लाख (मूलधन ₹ 63.27 लाख तथा ब्याज ₹ 18.09 लाख) की चूक में थी, कंपनी ने यूनिट को आधिपत्य में ले लिया (जुलाई 2002) तथा ₹ 1.62 करोड़ में इसे बेच दिया (फरवरी 2003)। बिक्री लाभ समायोजित करने के बाद ₹ 48.36 लाख (फरवरी 2003 को ब्याज सहित बकाया राशि ₹ 2.10 करोड़ घटा ₹ 1.62 करोड़) यूनिट से वसूली योग्य थे (फरवरी 2003)।

कंपनी ने मैसर्ज नार्थ इंडिया टैक्नीकल कंसलटैन्सी आरगेनाइजेशन लिमिटेड (निटकॉन) से सी. एस. की कीमत ₹ 13.20 लाख पर निर्धारित करवाई (जुलाई 2003)। तथापि, इसको बेचा नहीं जा सका क्योंकि मालिक ने कंपनी की अनुमति लिए बिना पहले ही भूमि का एक हिस्सा बेच दिया था। कंपनी ने दोबारा ₹ 51.75 लाख पर निटकॉन से इस सी.एस. का मूल्य निर्धारित करवाया (जून 2006)। यूनिट ने ओ.टी.एस. स्कीम के अंतर्गत इसके ऋण लेखे पर विचार करने के लिए कंपनी को अनुरोध किया। कंपनी ने ₹ 98.16 लाख[δ] की बकाया राशि के विरूद्ध ₹ 28.64 लाख जमा विविध व्यय पर ओ.टी.एस. अनुमोदित किया (सितंबर 2007)।

हमने देखा कि क्योंकि कंपनी के पास गिरवी रखी हुई सी.एस. का निर्धारित मूल्य ₹ 51.75 लाख था, इसीलिए कंपनी को ₹ 28.64 लाख की बकाया मूल राशि पर ओ.टी.एस. के अंतर्गत मामला समायोजित नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार, भूमि के टाइटल की जांच किए बिना वृद्धित मूल्य पर (₹ 97.06 लाख) सी.एस. के स्वीकरण, गिरवी रखी हुई सी.एस. की सही देखभाल न करने तथा कंपनी द्वारा परिकलित ₹ 58.94 लाख की देय राशि के विरूद्ध ₹ 28.64 लाख पर ओ.टी.एस. के अंतर्गत लेखे के समायोजन के परिणामस्वरूप ₹ 30.30 लाख की हानि हुई।

प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि चूंकि सी.एस. विवाद अधीन था, बी.ओ.डी. ने पार्टी से, यद्यपि वह जानबूझ कर चूककर्ता था, ओ.टी.एस. स्कीम अधीन राशि वसूल करने हेतु सचेत निर्णय लिया। परन्तु चूंकि इकाई ने, कंपनी को सूचित किए बिना सी.एस. का हिस्सा बेच दिया था, इसलिए यह ओ.टी.एस. हेतु योग्य नहीं था।

साम्या भागीदारी स्कीम (ई.पी.एस.)

2.2.16 स्कीम के अन्तर्गत, कंपनी ने, आरम्भिक स्तर पर परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निधियों को संघटित करने हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए नए उद्यमियों की इक्विटी में भाग

γ मुख्य प्रतिभूति का अर्थ है विनिर्दिष्ट परिसंपतियां जिनके विरूद्ध ऋण प्रदान किया जाता है तथा गौण प्रतिभूति, उधारकर्त्ता द्वारा मुख्य प्रतिभूति की पूर्ति हेतु प्रदान की गई अतिरिक्त प्रतिभूति है।

δ (मूलधन ₹ 28.64 लाख तथा ब्याज ₹ 69.52 लाख)।

लिया। कंपनी ने गुड़गांव जिले में फ्लोरीकल्चर परियोजना स्थापित करने के लिए मैसर्ज जीवन फ्लोरा लिमिटेड (यूनिट) के इक्विटी शेयरों में मार्च से जून 1995 के दौरान ₹ 34.35 लाख निवेश किए। अनुबंध के अनुसार, इक्विटी कैपिटल के प्रति पहले वितरण की तारीख से 5 वर्षो की समाप्ति पर या वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तिथि से तीन साल की समाप्ति के पश्चात् इनमें से जो भी पहले हो यूनिट इक्विटी को वापस क्रय करने हेतु बाध्य थी। तदनुसार, यूनिट को मार्च 2000 तक इक्विटी को वापस क्रय करना था।

हमने देखा कि यूनिट ने परियोजना को छोड़ दिया था क्योंकि परियोजना स्थल पर पानी फ्लोरीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं था। कंपनी ने यूनिट को इक्विटी ब्याज सहित वापस क्रय करने के लिए कहा (दिसंबर 1997)। एक गारंटर ने ₹ 34.35 लाख के अंकित मूल्य पर इक्विटी के वापस क्रय हेतु प्रस्ताव किया (सितंबर 2004) तथा ₹ 3.50 लाख की अपेक्षित 10 प्रतिशत राशि जमा करवाई। इसके अतिरिक्त ₹ 37 लाख भी कंपनी के अकाउंट में जमा करवा दिए गए थे। कंपनी ने निर्णय लिया (जुलाई 2005) कि 31 मार्च 2005 को देय ₹ 2.70 करोड़ की ब्याज राशि की वसूली करने के लिए शेष गारंटरों/प्रोमोटरों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। प्रोमोटरों ने ₹ 34.35 लाख के अंकित मूल्य पर इक्विटी वापस क्रय करने हेतु प्रस्ताव दिया (मार्च 2010)। यद्यपि, कंपनी ने ₹ 41.25 लाख[⊗] की पहले से प्राप्त राशि पर इक्विटी के वापस क्रय करने हेतु ओ.टी.एस. अनुमोदित किया (मई 2010)।

हमने आगे देखा कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.), अन्य सरकारी कंपनी ने राज्य सरकार से इक्विटी के वापस क्रय हेतु अपनिवेशित नीति अनुमोदित करवा ली थी (मार्च/अप्रैल 2010)। जिसने साथ में, इक्विटी शेयरों, उनके अंकित मूल्य जमा 10 प्रतिशत साधारण ब्याज अथवा निवेशित इक्विटी की द्विगुणित राशि, जो भी निम्नतर हो, पर वापस क्रय हेतु प्रावधान किया। एच.ए.आई.सी. ने ₹ 48.82 लाख के अपने निवेश के विरूद्ध इनसटैंट यूनिट से ₹ 99.53 लाख प्राप्त किए। लेकिन कंपनी ने किसी पालिसी की अनुपस्थिति में केवल ₹ 41.25 लाख हेतु मामला समायोजित कर दिया।

प्रबंधन एक्जिट कान्फ्रेंस में अनुच्छेद में दी गई वास्तविक स्थिति से सहमत हो गया तथा सूचित किया कि कंपनी ने, जून 2000 में बी.ओ.डी. द्वारा अनुमोदित ओ.टी.एस. नीति के अनुसार, राशि समायोजित की थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कंपनी को एच.ए.आई.सी., जो इकाई से अधिक वसूल करने में समर्थ थी, के अनुरूप अपनी ओ.टी.एस. नीति संशोधित करनी चाहिए।

भूमि का अधिग्रहण

2.2.17 जी.ओ.आई. स्कीम की राज्य सरकार एवं औद्योगिक नीति तथा उद्योगपतियों की स्थानीय मांग के अनुसार आवश्यकता निर्धारित करने के बाद कंपनी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव तैयार करती है। अधिग्रहण, एल.ए. अधिनियम 1894, के अंतर्गत किया जाता है। 2006-07 से 2010-11 तक गत पांच वर्षो के दौरान ₹ 4,542.27 करोड़ की लागत पर 48 स्थानों पर 10,279 एकड़ भूमि अधिगृहित की गई।

⊗ गारंटर से ₹ 40.50 लाख तथा प्रमोटर से ₹ 0.75 लाख (निवल)।

हमारे विश्लेषण ने निम्न त्रुटियां प्रकट की:

ब्याज का परिहार्य व्यय

2.2.18 मेवात जिले में मल्टी प्रोडक्ट टाउनशिप के संस्थापन हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए कंपनी ने प्रस्ताव अनुमोदित किया (फरवरी 2007)। मेवात जिले में औद्योगिक संपदा रोज-का मेयो, की स्थापना के लिए 9 गांवों से संबंधित 1558 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए एल.ए. अधिनियम 1894 की धारा 4 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया था (31 मार्च 2008)। बाद में, राज्य सरकार ने उसी अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया (27 मार्च 2009)।

तदनुसार, एल.ए.सी. मेवात ने कंपनी को ₹ 370 करोड़ तुरंत जमा कराने के लिए कहा (23 दिसंबर 2009) ताकि भूमि का निर्णय घोषित करने हेतु इसे समर्थ बनाया जा सके। कंपनी ने एल.ए.सी. मेवात को निधियों के ट्रांसफर के लिए, बैंक के नाम के साथ अकाउंट नंबर तथा अवार्ड की घोषणा की तिथि सूचित करने के लिए कहा (8 जनवरी 2010)। चूंकि कंपनी ने मामला प्रभावी ढंग से अनुसरित नहीं किया, एल.ए.सी. मेवात ने तीन महीने के अंतर के बाद गुड़गांव ग्रामीण बैंक, नूंह के साथ अकाउंट नंबर सूचित किया (5 अप्रैल 2010) तथा आगे सूचित किया कि अप्रैल 2010 तक राशि की प्राप्ति के तुरंत बाद अवार्ड घोषित कर दिया जाएगा। कंपनी ने एल.ए.सी. मेवात को गुड़गांव ग्रामीण बैंक की बजाए राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कहा। इसके बाद, एल.ए.सी., मेवात ने यूनियन बैंक आफ इंडिया मेवात में नया अकाउंट खोला तथा वांछित विवरण दिया (29 अप्रैल 2010)। एल.ए.सी., मेवात ने ₹ 62.16 करोड़ के ब्याज सहित (31 मार्च 2008 से 21/31 मई 2010 तक 12 प्रतिशत की दर पर) ₹ 374.48 करोड़ की लागत पर 1501 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए अवार्डस घोषित किए (21 मई 2010 तथा 31 मई 2010)। तदनुसार, कंपनी ने मई 2010 से अगस्त 2011 तक ₹ 360 करोड़ जमा करवाए तथा ₹ 14.48 करोड़ का शेष भुगतान अभी किया जाना था (अक्तूबर 2012)।

एल.ए.सी. के साथ क्षतिपूर्ति की राशि जमा करवाने में विलंब के कारण कंपनी ने ₹ 7.15 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

हमने देखा कि एल.ए.सी. मेवात ने कंपनी को अवार्ड की घोषणा के लिए तुरंत निधि जमा करवाने के लिए कहा लेकिन यह, इसे जमा कराने में विफल रही। यदि कंपनी अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु तीव्र कार्यवाही करती, जनवरी 2010 में एल.ए.सी. को पत्र जारी करने के बाद मामले को सक्रिय रूप से आगे अनुसरित करती तथा अवार्ड अमाउंट तुरंत जमा करवा देती तो, यह जनवरी 2010 तक एल.ए.सी. को अवार्ड देने हेतु समर्थ बना देती, और इस प्रकार यह (1 फरवरी 2010 से 21/31 मई 2010 तक) 6 प्रतिशत पर परिकलित ₹ 7.15 करोड़ की ब्याज राशि बचा सकती थी।

प्रबंधन एग्जिट कान्फ्रेंस में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत हो गया।

अनुचित सर्वेक्षण के कारण निधियों का अवरोधन

2.2.19 औद्योगिक सम्पदाओं/आई.एम.टीज/ग्रोथ सैन्टरज की स्थापना/विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण से पहले, यह सुनिश्चित के लिए एक सर्वे किया जाता है कि उस एरिया में कोई आवासीय ढांचे/मकान तो नहीं है तथा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि ऋणभार से मुक्त है। इसके बाद भूमि के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

इंडस्ट्रीयल मॉडल टाउनशिप (आई.एम.टी.) मानेसर पर भूमि के अधिग्रहण के लिए कंपनी ने एक प्राइवेट पार्टी से सर्वे करवाया तथा एल.ए.सी. गुड़गांव द्वारा जारी किए गए (फरवरी 2007)। मांग नोटिस के आधार पर एल.ए. अधिनियम, 1894 की धारा क्रमश: 4 (24 नवंबर 2006) और 6 (24 फरवरी 2007) के अंतर्गत नोटिफिकेशन के जारी करने तथा अवार्ड के बाद गुड़गांव जिले में 163 एकड़ 3 कनाल तथा 15 मरले भूमि के अधिग्रहण हेतु कंपनी ने एल.ए.सी. गुड़गांव के पास ₹ 29.31 करोड़ जमा करवाए। ग्रामीण द्वारा फाईल की गई कई याचिकाओं तथा उपर्युक्त भूमि पर ढांचों की बृहद् संख्या के कारण कंपनी अभी तक भूमि का आधिपत्य नहीं ले सकी (मार्च 2012)। कंपनी के मुख्य टाउन प्लानर ने सूचित किया (4 जनवरी 2012) कि अधिगृहीत की गई उपर्युक्त भूमि, साइट पर अतिक्रमण के कारण विकसित नहीं की जा सकी। आगे, भूमि मालिकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में 9 एस.एल.पीज़ फाइल की गई थी, जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्त्ताओं से संबंधित उपर्युक्त एरिया से बाहर स्थित आवासीय घर अधिगृहीत कर लिए गए थे। कोर्ट का निर्णय प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2012)।

हमने देखा कि भूमि के अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण न तो प्राइवेट पार्टी द्वारा सही किया गया और न ही कंपनी द्वारा सही ढंग से विश्लेषित नहीं किया गया था। इस प्रकार, गलत सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कंपनी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी, के परिणामस्वरूप न केवल एरिया के विकास में देरी हुई बल्कि ₹ 8.98 करोड़ (फरवरी 2007 से मार्च 2012 तक 6 प्रतिशत पर परिकलित) के ब्याज की हानि के अतिरिक्त लगभग 5 वर्षों के लिए ₹ 29.31 करोड़ की राशि भी अवरूद्ध हुई। कंपनी ने एल.ए.सी. से राशि निकलवाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

प्रबंधन ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान बताया कि सर्वेक्षण के समय भूमि कुछ अस्थाई ढांचों, जो शीघ्र गिरा दिए जायेंगे, को छोड़कर सभी बाधाओं से मुक्त थी।

भूमि का विकास

2.2.20 निम्नलिखित तालिका गत पांच वर्षों 2007-12 के दौरान भूमि के विकास के लिए वित्तीय लक्ष्यों तथा उसके विरूद्ध उपलब्धि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट की गई	वास्तविक व्यय	प्रतिशतता	कमी
2007-08	166.33	157.24	94.53	5.47
2008-09	195.60	177.52	90.76	9.24
2009-10	320.05	204.60	63.93	36.07
2010-11	589.34	234.28	39.75	60.25
2011-12	712.09	385.70	54.16	45.84

कंपनी पांच वर्षों में किसी भी वर्ष में भूमि के विकास हेतु वित्तीय लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी।

उपर्युक्त तालिका ने प्रकट किया कि यद्यपि कंपनी ने 2007-12 के दौरान भूमि के विकास के लिए वित्तीय लक्ष्य निश्चित किए थे, लेकिन यह इन पांच वर्षों में से किसी में भी उसे प्राप्त नहीं कर सकी तथा कमी 5.46 तथा 60.25 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी। कंपनी ने भूमि के विकास के लिए कोई नार्मज निश्चित नहीं किए थे तथा इस प्रकार इसके द्वारा की गई भौतिक उपलब्धियां विश्लेषित नहीं की जा सकी। आगे, कंपनी का मुख्य प्रतिबल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में आने वाले एरिया में उद्योगों के विकास पर था, क्योंकि इसके द्वारा मार्च 2012

तक विकसित 25,725 एकड़ के कुल एरिया में से 22,476.79 एकड़ (87.37 प्रतिशत) एन.सी.आर. में आया। इसने राज्य में संतुलित औद्योगिक वृद्धि में बाधा डाली।

उत्पाद शुल्क छूट का लाभ प्राप्त न करने के कारण हानि

2.2.21 औद्योगिक संपदाओं के विकास में प्रयोग की जाने वाली डक्टाइल आयरन (डी.आई.) पाइपें उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त हैं तथा कंपनी अपनी विभिन्न औद्योगिक संपदाओं (आई.इज) यानि औद्योगिक माडल टाउनशिप (आई.एम.टी.) मानेसर, ग्रोथ सैंटर (जी.सी.) साहा, आई.ई. करनाल तथा आई.ई. कुण्डली के लिए डी.आई. पाइपें प्रापण करते समय यह लाभ प्राप्त कर रही थी।

हमने देखा कि कंसलटैंट द्वारा उत्पाद शुल्क सहित डी.एन.आई.टी. तैयार की गई थी तथा सूचित किया गया कि डी.आई. पाइपों पर उत्पाद शुल्क की छूट का लाभ जी.ओ.आई. द्वारा प्रदान किया जाता है। यह भी बताया गया कि कंपनी को ई.डी. का लाभ देने हेतु निम्नतम बोलीदाता से एक बचनबद्धता ली जाए। तथापि, कंपनी के टर्न की आधार पर आई.एम.टी. फरीदाबाद के विकास के लिए डी.एन.आई.टी. को फाइनल करते समय डी.आई. पाइपों पर ई.डी. की छूट के पहलू पर विचार-विमर्श नहीं किया तथा ₹ 310 करोड़ की निम्नतम उद्धृत दरों पर मैसर्ज रामकी मूलभूत संरचना लिमिटेड (ठेकेदार) को कार्य आबंटित किया। मई 2011 में आर्डर किए गए पाइपों की समग्र मात्रा पर ई.डी. की छूट के कारण कंपनी ने ₹ 1.15 करोड़ का लाभ प्राप्त किया लेकिन यही कंपनी को पास नहीं किया।

हमने आगे अवलोकित किया कि कंपनी ने आई.ई. बरही, आई.एम.टी. रोहतक तथा आई.ई. पानीपत के विकास के लिए प्रयोग की गई डी.आई. पाइपों पर ₹ 1.04 करोड़ की ई.डी. की छूट का लाभ प्राप्त नहीं किया तथा इन तीनों परियोजनाओं के लिए कार्य टर्नकी आधार पर क्रमश: नवंबर 2010, नवंबर 2011 तथा मार्च 2012 में प्रदान किया गया था। इस प्रकार, डी.आई. पाइपों की खरीद पर उत्पाद शुल्क छूट के लाभ की अप्राप्ति के कारण, कंपनी ने चार कार्यों में ₹ 2.19 करोड़ की हानि उठाई।

एग्जिट कांफ्रैंस के दौरान प्रबंधन, ठेकेदारों द्वारा उनसे प्राप्त उत्पाद शुल्क लाभ वसूल करने हेतु सहमत हो गया।

मूल्य का निर्धारण

2.2.22 कंपनी 'न लाभ न हानि' आधार पर औद्योगिक प्लाट्स आबंटित करती है तथा अनुमानित आधार पर आबंटित किए जाने वाले एरिया द्वारा विभाजित विकास व्यय, ब्याज लागत, भूमि कीमत को जोड़कर आबंटन दरें परिकलित करती हैं। कंपनी ने प्लाट्स/शेडस के आबंटन के लिए 2007-12 के दौरान कोई वर्षवार भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। इस प्रकार, कंपनी के संपदा डिवीजन का निष्पादन मूल्यांकित नहीं किया जा सका। तथापि, मार्च 2012 तक काटे गए 14,297 प्लाट्स/शेडस में से 2,390 प्लाट्स/शेडस (16.72 प्रतिशत) खाली पड़े थे।

लेखापरीक्षा में मूल्यों के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित रोचक मामले नोटिस किए थे।

पुरानी दरों पर अतिरिक्त भूमि के आबंटन के कारण हानि

2.2.23 मैसर्ज खनदारी ब्रैवरेजिज प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट) ने वातित ड्रिंक्स (साफ्टड्रिंक) प्लांट की बाटलिंग स्थापित करने के लिए जी.सी., साहा पर 20 एकड़ भूमि के लिए आवेदन किया था (मई 2009)। कंपनी ने यूनिट को ₹ 1,100 प्रति वर्ग मीटर पर 13.40 एकड़ भूमि आबंटित की थी (15 जून 2009) तथा 6.60 एकड़ की शेष भूमि उस समय प्रचलित दरों पर जब भी उपलब्ध हो, आबंटित की जानी थी। कंपनी ने बाद में ₹ 2,500 प्रति वर्ग मीटर के वर्तमान मूल्य पर यूनिट को ₹ 11.54 करोड़[δ] की लागत पर 11.40 एकड (46,170[@] वर्ग मीटर) का एक अतिरिक्त एरिया आबंटित किया (8 मार्च 2011)। कंपनी ने यूनिट को, एक वचनबद्धता प्रस्तुत करके तथा 15 दिन के भीतर प्लाट का 10 प्रतिशत मूल्य के आवेदन धन भुगतान करने हेतु सूचित किया ताकि इसे आर.एल.ए. जारी की जा सके। चूंकि यूनिट ने आवेदन धन के रूप में ₹ 1.28 करोड़ का भुगतान पहले ही कर दिया था (24 मई 2010) तथा 9 मार्च 2011 को वचनबद्धता प्रस्तुत की थी, इसलिए कंपनी ने यूनिट को आर.एल.ए. जारी किया (22 मार्च 2011) तथा इसे आबंटन मूल्य का 25 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2.89 करोड़ (₹ 1.28 करोड़ + ₹ 1.61 करोड़) बनाने के लिए इसे ₹ 1.61 करोड़ जमा करवाने के लिए भी कहा। इकाई ने यह राशि 4 सितंबर 2011 अर्थात् देय तिथि की समाप्ति के 135 दिन बाद जमा करवाई।

ई.एम.पी. 2011 ने निर्धारित किया कि प्लाटस/शेडस के आबंटन के मामले में, आबंटी को 30 दिनों की अवधि के भीतर 15 प्रतिशत भुगतान प्रेषित करना अपेक्षित है। इस अवधि को, विलंबित अवधि के लिए 14 प्रतिशत की दर ब्याज के भुगतान पर 30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। 60 दिनों की समाप्ति पर, प्लाट/शेड का आबंटन रद्द हो जाता है। इसने आगे प्रावधान किया कि अत्यधिक कठिनाई के मामले में, एम.डी. आबंटन करने में सक्षम होगा तथा विलंबित अवधि के लिए 14 प्रतिशत की ब्याज दर के भुगतान पर, आर.एल.ए. के जारी होने के 120 दिनों के भीतर 15 प्रतिशत भुगतान स्वीकार करेगा तथा उस संपदा/एरिया में आबंटन दरों के संशोधन के मामलों में आबंटी विलंबित अवधि के लिए 14 प्रतिशत की दर पर ब्याज, या वर्तमान आबंटन मूल्य घटा वास्तविक आबंटन मूल्य के अंतर, जो भी उच्चतर है, का भुगतान करेगा।

पुरानी दरों पर अतिरिक्त भूमि के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹ 6.84 करोड़ की हानि हुई।

हमने देखा कि कंपनी ने 1 अप्रैल 2011 से ₹ 4,000 प्रति वर्गमीटर तक आबंटन दर संशोधित कर दी। लेकिन इसने ई..एम.पी. 2011 के अनुसार यूनिट द्वारा विलंबित अवधि के लिए ब्याज के भुगतान के अध्याधीन 15 प्रतिशत का शेष भुगतान प्राप्त करते समय आबंटी से 11.40 एकड़ (4 सितंबर 2011) की अतिरिक्त भूमि के लिए ₹ 2,500 प्रति वर्गमीटर की पुरानी दर स्वीकार कर ली। कंपनी ने, 22 अप्रैल 2011 से 4 सितंबर 2011 तक की अवधि के लिए चूक राशि (₹ 1.61 करोड़) पर उपार्जित ब्याज के भुगतान के प्रति ₹ 8.46 लाख जमा करवाने हेतु यूनिट को सुझाव दिया तथा यूनिट द्वारा यह जमा करवाया गया (जनवरी 2012)। इस प्रकार, कंपनी ने लागू संशोधित दर प्रभारित नहीं की तथा परिणामत: ₹ 6.84 करोड़[⊗] की हानि उठाई।

δ 46,170 वर्ग मीटर x ₹ 2,500 प्रति वर्ग मीटर।

@ एक एकड़ = 4,050 वर्ग मीटर, इसलिए 11.40 एकड़ = 46,170 वर्ग मीटर।

⊗ 46170 वर्गमीटर x (₹ 4,000 - ₹ 3,500) - ₹ 8.46 लाख ब्याज के कारण प्राप्त।

एग्जिट कांफ्रेंस में प्रबंधन ने बताया कि यद्यपि यूनिट द्वारा 15 प्रतिशत भुगतान जमा करवाने में विलंब था, बी.ओ.डी. ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के विचार से पुरानी दर पर अतिरिक्त भूमि आबंटित की तथा सदृश मामलों के लिए अपना ई.एम.पी. 2011 संशोधित किया। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कंपनी ने संशोधित दरें प्रभारित नहीं की जबकि यूनिट ने विलंबित भुगतान किया था तथा पुरानी दर पर भुगतान के लिए योग्य नहीं थी।

मेगा प्रोजैक्टस

2.2.24 राज्य के औद्योगिक विकास के हिस्से के रूप में, कंपनी काफी संख्या में मेगा मूलभूत संरचना परियोजनाएं कार्यन्वित कर रही है, जो नीचे चर्चित हैं:

कुंडली, मानेसर, पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रैस - वे की पूर्णता में असामान्य देरी

2.2.25 कुंडली, मानेसर, पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रैस - वे के विकास के लिए राज्य सरकार ने कंपनी को कार्यकारी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। के.एम.पी. एक्सप्रैस - वे का विकास दिल्ली बार्डर से संलग्न नए क्षेत्रों को विकास के भावी द्वार के तौर पर खोलने के अतिरिक्त उत्तरी हरियाणा को इसके दक्षिणी जिलों जैसे झज्जर, रेवाड़ी, फरीदाबाद तथा गुड़गांव के साथ हाई स्पीड लिंक देने के विचार से किया गया था। परियोजना की अनुमानित लागत 135.65 किलोमीटर की भूमि लागत निकाल कर ₹ 1,200 करोड़ थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार तथा हरियाणा सरकार में क्रमश: 50:25:25 के अनुपात में शेयर की जानी थी। हरियाणा का शेयर आगे राज्य सरकार, हुडा तथा कंपनी में क्रमश: 50:25:25 के अनुपात में शेयर किया जाना था।

निर्माण कार्य ग्राही, मैसर्ज के.एम.पी. एक्सप्रैस - वे लिमिटेड को कार्य बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) आधार पर आबंटित किया गया था (31 जनवरी 2006)। परियोजना की रियायती अवधि 23 वर्ष नौ मास थी जिसमें 29 जुलाई 2009 से वाणिज्यिक संचालन तिथि (सी.ओ.डी.) के साथ तीन वर्ष की निर्माण अवधि भी शामिल थी। ग्राही ने 31 दिसंबर 2010 को पूर्णता की लक्ष्य तिथि के साथ विस्तृत संशोधित कार्य पूर्णता कार्यक्रम प्रस्तुत किया (27 फरवरी 2009)। मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षता की गई उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी अपनी मीटिंग में (जून 2009) 31 दिसंबर 2010 को सी.ओ.डी. के विस्तारण के प्रस्ताव के लिए सहमत हुई। ग्राही ने मुख्यमंत्री, हरियाणा को आश्वासन दिया कि मानेसर पलवल स्ट्रैच अगस्त 2011 तक दिया जाएगा तथा शेष स्ट्रैच नवंबर 2011 तक खोल देगी। एच.पी.सी. ने समय - समय पर प्रोजैक्ट की प्रगति की समीक्षा की तथा कुल परियोजना कीमत की 0.01 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर पर देरी के लिए जुर्माना लगाने के लिए सिफारिश (नवंबर 2011) करने के अतिरिक्त ग्राही की इसके अपने प्रतिबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने की असमर्थता पर चिन्ता प्रकट की।

हमने अवलोकित किया कि विभिन्न अंशदाताओं से अग्रिम में अपेक्षित निधियों की प्राप्ति के संबंध में किसी यंत्रावली के न होने के कारण, ₹ 12.76 करोड़ राज्य सरकार से कंपनी द्वारा वसूलीयोग्य थे (मार्च 2012)। आगे, ग्राही 31 मार्च 2012 को 66.68 प्रतिशत की भौतिक, 77 प्रतिशत की वित्तीय प्रगति प्राप्त कर सका। कंपनी ने, तथापि सी.ओ.डी. की उपलब्धि में देरी के लिए ₹ 17.88 करोड़ का जुर्माना उद्ग्रहीत किया (जुलाई 2012), लेकिन अभी तक (अक्तूबर 2012) कोई राशि वसूल नही की गई थी। इस प्रकार, प्रोजैक्ट की समाप्ति में

असामान्य देरी के कारण के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे के विकास के अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि राज्य सरकार, परियोजना की शीघ्र पूर्णता हेतु मामले का प्रबलता से अनुसरण कर रही है।

एस.ई.जेड का असंस्थापन

2.2.26 जी.ओ.आई. ने निर्यात को बढ़ाने तथा निर्यात प्रोमोशन में निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड) अधिनियम 2005 आरंभ किया। मल्टी प्रोडक्ट एस.ई.जेड सृजित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) ने राज्य सरकार से पहुंच की (सितंबर 2005)। रिलायंस वेंचर लिमिटेड ने प्रयोजन हेतु (आर.आई.एल. की 100 प्रतिशत सहायता) एक ज्वाइंट वेंचर समझौता (जे.वी.ए.) किया (जून 2006) तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रिलायंस हरियाणा एस.ई.जेड (आर.एच.एस.एल.) नाम के अंतर्गत एक स्पेशल परपज वैहिकल (एस.पी.वी.) निगमित किया (9 अक्तूबर 2006)। हरियाणा निवेश प्रोमोशन बोर्ड (एच.आई.पी.बी.) द्वारा परियोजना अनुमोदित की गई। पहले फेज में एस.ई.जेड को गुड़गांव में तथा दूसरे फेज में झज्जर में स्थापित किया जाना था। समझौते के अनुसार, कंपनी ने ₹ 399.85 करोड़ की कीमत पर गुड़गांव में 1383.68 एकड़ भूमि आर.एच.एस.एल. को अंतरित की। आर.एच.एस.एल. द्वारा दोनों स्थानों के लिए 25,000 एकड़ भूमि अधिगृहीत की जानी अपेक्षित थी लेकिन 31 मार्च 2012 की विस्तारित तिथि तक यह केवल 8,350 एकड़ भूमि अधिगृहीत कर सकी तथा इसलिए एस.ई.जेड की स्थापना नहीं हो सकी। आर.एच.एस.एल. समझौते की शर्तों में, परियोजना विफल होने के मामले में इसको स्थानान्तरित की गई जमीन के मूल्य पर 15 प्रतिशत जुर्माना दिया जाना अपेक्षित था। तथापि, आर.एच.एस.एल. ने कोई जुर्माना भुगतान करने की बजाय कंपनी को भूमि वापस करने के लिए ₹ 1172 करोड़ की मांग की क्योंकि इसने विकास लागत, स्टाम्प शुल्क रिफंड, भुगतान की गई वार्षिकी तथा 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर का दावा किया था। मामले को आपस में समायोजित करने हेतु एच.आई.पी.बी. ने मीटिंग में (13 अक्तूबर 2012) मामले को आस्थगित कर दिया। मामले में आगे विकास प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2012)। हमने देखा (मई 2012) कि गुड़गांव तथा झज्जर में एस.ई.जेड की स्थापना में आर.एच.एस.एल. की विफलता के कारण, निर्यात को बढ़ाने का उद्देश्य विफल हो गया।

एग्जिट कांफ्रेस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि मामले में आगे कोई प्रगति नहीं थी।

भूमि की गलत कीमत के कारण कम वसूली

2.2.27 गुड़गांव में कंपनी द्वारा मनोरंजनात्मक, लैयर परियोजनाएं तथा अन्य सम्बद्ध परियोजना के विकास के लिए गुड़गांव में ₹ 55.66 करोड़ में 274.74 एकड़ भूमि अधिगृहीत की (जनवरी 2006)। राज्य सरकार ने ₹ 1.11 करोड़ की अधिग्रहण लागत पर कंपनी को 75.98 एकड़ भूमि भी हस्तांतरित की (नवंबर 2007)। हमने अवलोकित किया कि कंपनी को अन्तरित की गई 350.72 एकड़ भूमि में से 97.72 एकड़ भूमि इस गतिविधि के लिए मुक्त थी तथा शेष 253 एकड़ भूमि पौधारोपण/वन भूमि (अरावली पौधारोपण स्कीम-161.03 एकड़ भूमि तथा पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पी.एल.पी.ए.) 1900, 91.97 एकड़) अधीन थी। इस तथ्य के बावजूद, राज्य सरकार ने मनोरंजक/लैयर परियोजनाओं हेतु यह भूमि कंपनी को

हस्तांतरित की। भूमि लागत के निर्धारण तथा सभी हैंडहोल्डिंग दस्तावेजों की तैयारी हेतु मैसर्ज आई.एल.एफ.एस. मूलभूत विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ को कंसलटेंट के रूप में नियुक्त किया गया (मार्च 2008) जिसने अप्रैल 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हमने देखा कि कंसलटैंट ने भूमि लागत की मिश्रित अप्रोच प्रयोग करके अर्थात् भूमि की औसत मार्केट दर को औसत डी.सी. दर के साथ गुना करके भूमि लागत मूल्यांकित की।

कंसलटैंट द्वारा विचारित दरों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि आवासीय प्लाट्स के लिए बाजार दर औसत डी.सी. दर से 2.79 गुना (औसत) ज्यादा थी तथा वाणिज्यिक प्लाट्स के लिए औसत बाजार दर औसत डी.सी. दर से 3.105 गुना ज्यादा थी। कंसलटैट ने, तथापि, औसत बाजार दर की अवहेलना करते हुए आवासीय भूमि के मूल्य निर्धारण हेतु अनभिलिखत कारणों के लिए 2.79 गुना की बजाय औसत डी.सी. दरों का 1.8 गुना का घटक तथा वाणिज्यिक प्लाट्स के मूल्य निर्धारण के लिए 3.12 गुना का घटक लिया।

इस प्रकार मूल्यांककों द्वारा अपनाए गए घटक ध्यान में रखते हुए संपत्ति का मूल्य ₹ 1,683.58 करोड़ परिकलित किया गया जबकि संपत्ति का मूल्य निर्धारण आवासीय एरिया के लिए 2.79 गुना तथा वाणिज्यिक प्लाट्स के लिए 3.105 के सही औसत फैक्टर्ज ध्यान में रखते हुए ₹ 2,142.11 करोड़ परिकलित किए जाते हैं जैसा कि परिशिष्ट-9 में दर्शाया गया है। कंपनी ने तथापि, कंसलटैंट द्वारा की गई गणना को देखे बिना कंसलटैंट द्वारा मूल्य निर्धारण के आधार पर ₹ 1,700 करोड़ पर उपर्युक्त भूमि का रिजर्व मूल्य अनुमोदित कर दिया (अप्रैल 2008)।

विज्ञापन के उत्तर में (जनवरी 2009), मैसर्ज डी.एल.एफ. लिमिटेड (डी.एल.एफ.) ने एरिया की बिक्री के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की (अप्रैल 2009) जो तकनीकी तौर पर योग्य पाई गई थी तथा इसकी वित्तीय बोली (₹ 12,000 प्रति वर्गमीटर) खोली गई (मई 2009)। मैसर्ज डी.एल.एफ. ने अपनी बोली कुछ निश्चित नियमों व शर्तों के साथ प्रस्तुत की जैसे कंपनी कानूनी तथा प्रक्रियात्मक जटिलताओं आदि को स्पष्ट करे। कंपनी ने संशोधित शर्तों के साथ परियोजना का दोबारा विज्ञापन दिया (जुलाई 2009)। इतने में ही, एफ.सी.पी.एस., टाउन तथा कंट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा ने निर्णय लिया कि अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफ.ए.आर.)[Y] एरिया की 20 प्रतिशत दर पर सफल बोलीदाता को अनुमत किया जाना चाहिए। दूसरे प्रयास में, तीन बोलीदाताओं (यानि मैसर्ज डी.एल.एफ., मैसर्ज हाइटस होल्डिंग बरहाद तथा मैसर्ज यूनिटेक लिमिटेड, नई दिल्ली) की तकनीकी बोलियां 12 अगस्त 2009 को खोली गई। कंपनी ने मैसर्ज यूनिटेक लिमिटेड तथा मैसर्ज कंट्री हाइट होल्डिंग बरहाद, मलेशिया द्वारा प्रस्तुत बोलियों को न्यूनतम मापदण्ड पूरा न करने के कारण उनकी नान-रिस्पोंसिव बोली होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया (18 अगस्त 2009) तथा उनकी वित्तीय बोलियां न खोलने का निर्णय किया। मैसर्ज डी.एल.एफ. की बोली ₹ 1,703.20 करोड (₹ 12,000 प्रति वर्ग मीटर) पर स्वीकार कर ली गई जो राज्य सरकार द्वारा बाद में अनुमोदित की गई तथा 350.715 एकड़ भूमि की बिक्री के लिए मैसर्ज डी.एल.एफ. को (फरवरी 2010) कंपनी द्वारा आर.एल.ए. जारी की गई थी (फरवरी 2010)।

Y एफ.ए.आर., निश्चित स्थानों पर भवनों के कुछ फ्लोर एरिया का, उस स्थान की भूमि के आकार से अनुपात अथवा ऐसे अनुपात पर लगाई गई सीमा है।

हमने देखा कि मैसर्ज डी.एल.एफ. ने अप्रैल 2009 में भी ₹ 12,000 प्रति वर्गमीटर की दर पर बोली प्रस्तुत की थी तथा शर्तों में बदलाव, कि इस बार सभी अनुमतियां/क्लीयरेंस इस कंपनी/राज्य द्वारा ली जानी थी, के बावजूद अगस्त 2009 में भी उनके द्वारा उद्धृत दर वही थी तथा एरिया की 20 प्रतिशत की अतिरिक्त एफ.ए.आर. अनुमत की गई थी तथा गुड़गांव मानेसर विकास प्लान में किसी भी आवासीय योजना पर डी.एल.एफ. द्वारा प्रयुक्त की जानी अनुमत थी, जिसका मूल्य लेखापरीक्षा में परिकलित नहीं किया जा सका।

गलत घटक अपनाकर परामर्शदाता द्वारा किए गए भूमि के मूल्य निर्धारण के असत्यापन के कारण ₹ 438.91 करोड़ की हानि हुई।

इस प्रकार, कंपनी ने, पी.एल.पी.ए., 1900 के उल्लंघन में पौधारोपण/वन अधीन 253 एकड़ भूमि परामर्शदाता, जिसने अपनी सम्पूर्णत्ता में मूल्यांकन के नियम अनुसरित नहीं किए, द्वारा परिकलित लागत पर हस्तान्तरित कर दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 438.91 करोड़ तक भूमि का अवमूल्यांकन हुआ। कंपनी ने, कोई विश्लेषण एवं अध्ययन किए बिना परामर्शदाता का मूल्यांकन स्वीकार करके ₹ 438.91 करोड़ की हानि उठाई। इसके अतिरिक्त , इसे अतिरिक्त एफ.ए.आर. का लाभ अनुमत किया गया तथा कंपनी ने, अनुमतियां/क्लीयरेंस प्राप्त करने की जिम्मेवारी स्वयं पर ले ली।

एग्जिट कान्फ्रेंस में प्रबंधन ने बताया कि अतिरिक्त 20 प्रतिशत एफ.ए.आर. के लाभों सहित बोली पैरामीटर पुन: विज्ञापन से पूर्व, संशोधित कर दिए गए थे तथा क्लीयरेंस करवाने पर व्यय डी.एल.एफ. की दायिता थी तथा कोई वित्तीय भार एच.एस.आई.आई.डी.सी./हुडा को अर्जित नहीं हुआ। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कंपनी ने भूमि की गलत लागत आकलन के कारण निम्नतर पक्ष पर भूमि का आरक्षण मूल्य निर्धारित किया था। प्रबंधन, संशोधित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु सहमत हो गया प्रतीक्षित थे (दिसंबर 2012)। यह अनुशंसा की जाती है कि मैसर्ज आई.एल.एफ.एस. आई.डी.सी.लि. को इसके द्वारा भूमि के अनुचित मूल्यांकन हेतु कंपनी के साथ किसी व्यापार में प्रवेश करने से बहिष्कृत किया जाना चाहिए।

औद्योगिक यूनिटों की मॉनीटरिंग न करना

2.2.28 कंपनी द्वारा मानीटर किया जाना अपेक्षित है कि आबंटी आर.एल.ए. के निबंधनों एवं शर्तों में आबंटित प्लाटों को पूर्णत: प्रयोग कर रहे हैं। हमने देखा कि कंपनी ने मॉनीटर करने हेतु, कि आबंटी अपेक्षित तरीके से अपने बिजनेस को मेनटेन/आपरेट कर रहे हैं, कोई मॉनीटरिंग सैल कंपनी में स्थापित नहीं किया। कंपनी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटैन्टस की फर्म द्वारा तैयार औद्योगिक संपदाओं की राजस्व लेखापरीक्षा तथा भौतिक सर्वे की रिपोर्टस की समीक्षा हमने निम्नवत् अवलोकित किया:

- लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई छ:[∝] औद्योगिक संपदाओं के कुल 7,064 प्लाट्स में से, अप्राधिकृत ट्रांसफरीज 423 प्लाट्स में अपनी गतिविधियां कर रहे थे। आर.एल.ए. के निबंधनों के अनुसार, आबंटियों द्वारा आधिपत्य के प्रस्ताव की तिथि से तीन वर्षो की अवधि के अंदर औद्योगिक प्लाट्स पर परियोजना कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित था। तथापि, 731 आबंटियों ने (10.35 प्रतिशत) उत्पादन शुरू नहीं किया था।

∝ बरही, बावल, फरीदाबाद, गुडगांव, मानेसर तथा रोहतक।

- 48 आबंटी गैर - औद्योगिक गतिविधियां कर रहे थे यानि आटो का बिक्री आउटलेट, वित्तीय सेवाओं का कार्यालय तथा गोदाम आदि।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान प्रबंधन ने ऐसे मामले कम करने हेतु मॉनीटरिंग सैल बनाने का आश्वासन दिया।

आंतरिक लेखापरीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक लेखापरीक्षा

2.2.29 राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यूज) में एकरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा सिस्टम आरंभ करने के लिए निर्देश जारी किए (मई 1981)। राज्य सरकार ने आन्तरिक लेखापरीक्षा करने के लिए 2002 में निर्देश प्रतिपादित तथा परिचालित किए। निर्देशों के अनुसार, पी.एस.यूज की आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य, जहां आन्तरिक लेखापरीक्षा सैल विद्यमान नहीं था, चार्टर्ड अकाउंटैंटस की फर्म को सौंपे जाने थे, कार्य का कार्यक्षेत्र स्पष्टत: परिभाषित करते हुए इसकी रिपोर्ट बी.ओ.डी. के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी।

हमने देखा कि कंपनी के पास कोई स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा सैल नहीं था। यद्यपि, कंपनी ने चार्टर्ड अकाउटैंटस (सी.एज) की एक फर्म से आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था की थी, इसकी रिपोर्टें यूनिट के अध्यक्ष को प्रस्तुत की गई थी तथा आडिट कमेटी एवं बी.ओ.डी. को नहीं। कंपनी राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रही।

एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि अच्छे नैगम शासन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

आन्तरिक नियंत्रण

2.2.30 आन्तरिक नियंत्रण, उचित आश्वासन देने के लिए कि प्रबंधन उद्देश्य एक कुशल तथा प्रभावी तरीके से अनुसरित किए जा रहे हैं, एक प्रबंधन उपकरण है। आन्तरिक नियंत्रण का एक अच्छा सिस्टम साथ में संगठन के अंदर कार्यात्मक जिम्मेदारियों के सही नियतन, अकाउटिंग डाटा की परिशुद्धता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु सही परिचालन तथा लेखांकन प्रक्रियाएं, परिसम्पत्तियों के परिचालन तथा सेफगार्डिंग में दक्षता, से समायुक्त होना चाहिए। कंपनी द्वारा अपनाई गई आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की समीक्षा ने निम्नलिखित कमियां प्रकट की:

i. कंपनी ने ऋण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से अवधि ऋण की मंजूरी के लिए समय अवधि निर्धारित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप ऋण आवेदनों का संचयन हुआ।

ii. कंपनी ने नियमित तथा आवधिक अंतराल पर ऋणी यूनिटस के निरीक्षण हेतु कोई सिस्टम नहीं बनाया तथा संग्रहण/बैलेंस सीटस के विश्लेषण/उनकी वित्तीय स्थिति जानने के लिए ऋणी यूनिटस के कार्यचालन परिणाम का कोई सिस्टम भी नहीं बनाया था।

iii. यद्यपि कंपनी फील्ड कार्यालयों से मासिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करती है, औद्योगिक संपदाओं के विभिन्न कार्यों/परियोजनाओं की समेकित स्थिति कभी संकलित नहीं की गई थी तथा फील्ड गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण के लिए बी.ओ.डी. के नोटिस में नहीं लाई गई थी।

iv. कंपनी के पास, भूमि अधिग्रहण के प्राप्त अवार्डज, एल.ए.सी. के साथ जमा किए गए भुगतान के विवरण, वितरित राशि तथा संबंधित एल.ए.सी. के पास अवितरित पड़ी राशि के वर्षवार तथा संपदावार विवरण नहीं थे। इन अभिलेखों का कभी मिलान नहीं किया गया। यह दर्शाता है कि कंट्री टाउन प्लानिंग डिवीजन, अकाउंटस डिवीजन तथा फील्ड कार्यालयों के बीच कोई समन्वय नहीं था। उचित रिकार्ड के अननुरक्षण के कारण, राशि और अवधि जिसके लिए ये एल.एसीज के पास पड़े हैं तथा निधियों के अवितरण हेतु कारण लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किए जा सके तथा एल.ए. अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि के विकास के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि कंपनी में आन्तरिक नियंत्रण यत्रावली सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

मामला, सरकार को संदर्भित किया गया था (सितंबर 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

निष्कर्ष

- **कंपनी ने ऋणों की मंजूरी तथा वितरण के संबंध में लक्ष्य प्राप्त नहीं किए। ऋणों का वितरण 2006–07 में ₹ 45.71 करोड़ से 2010–11 में ₹ 26.49 करोड़ तक हो गया।**

- **कंपनी द्वारा किए गए कम वसूली प्रयासों को दर्शाते हुए, 2006–11 के दौरान वसूली के लिए कुल देय राशि से वसूली की प्रतिशतता 47.58 प्रतिशत तथा 62.60 प्रतिशत के बीच श्रृंखलित थी।**

- **ओटीएस के अंतर्गत 34 मामलों के समायोजन में, कंपनी को 2006–11 के दौरान ₹ 181.20 छोड़ने पड़े थे। इन 34 मामलों में से, 17 मामले ₹ 127.48 करोड़ के लंबित देयों के विरूद्ध केवल ₹ 23.03 करोड़ पर समायोजित किए गए थे यद्यपि कंपनी ने परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 56.91 करोड़ पर आकलित करवाया था।**

- **औद्योगिक संपदाओं की स्थापना के संबंध में कंपनी का निष्पादन अल्प था तथा इसने औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए कोई भौतिक लक्ष्य समयबद्ध पद्धति में निश्चित नहीं किए थे तथा वित्तीय लक्ष्यों से भूमि के विकास की प्रतिशतता 2006–11 के दौरान 39.75 तथा 94.53 के बीच श्रृंखलित थी।**

- अधिग्रहण के लिए भूमि के चिन्हीकरण के लिए सिस्टम त्रुटिपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

- भूमि के अधिग्रहण हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान करते समय कंपनी ने नमूना–जांच किए गए दो मामलों में ब्याज के भुगतान के संबंध में एल.ए. अधिनियम, 1894 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की थी।

- कंपनी के आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा आन्तरिक नियंत्रण सिस्टम में त्रुटियां थी।

अनुशंसाएं

कंपनी निम्नलिखित अनुशंसाएं कार्यान्वयन हेतु विचार कर सकती है:–

- ऋणों की मंजूरी, वितरण तथा वसूली के संबंध में लक्ष्य प्राप्त करने हेतुं कड़ा अनुपालन तथा ओ.टी.एस. का लाभ केवल योग्य ऋणियों को दिया जाना चाहिए।

- औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए लंबी अवधि एक्शन प्लान की तैयारी सुनिश्चित करना।

- ब्याज के अधिक भुगतान से बचने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संबंधित प्रावधानों की कड़ी पालना सुनिश्चित करना।

- निश्चित समय सीमा के साथ औद्योगिक संपदाओं के विकास के लिए भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण का प्रयास करना।

- प्रभावी तथा कुशल वित्तीय मानीटरिंग के लिए कंपनी के बिजनेस के साइज एवं प्रकृति के साथ अनुरूपता के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा आन्तरिक नियंत्रण सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए।

3. सैद्धांतिक लेखापरीक्षा

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.1 विद्युत प्रभारों के कारण बकाया का संचय

प्रस्तावना

3.1.1 बेची गई विद्युत के लिए समय पर बिलिंग और प्रभारों का संग्रहण विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कोमज) के लिए उचित नकद प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी), एक डिस्कोम, दो जोन्स (हिसार तथा दिल्ली) में हिसार, सिरसा, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव तथा नारनौल नामक छः आपरेशन सर्कलज के माध्यम से राज्य के 10 जिलों[@] में विद्युत आपूरित करता है। प्रत्येक जोन का अध्यक्ष, मुख्य अभियंता (परिचालन) होता है जिसकी सहायता आगे प्रत्येक तीन अधीक्षक अभियंताओं (एस.ईज) द्वारा की जाती है। कंपनी के पास 31 मार्च 2012 को 23.78 लाख कनैक्शनों का उपभोक्ता आधार था।

हमने, चूक राशि की मात्रा के आधार पर चुने गए, कंपनी के छः आपरेशन सर्कलों में से तीन आपरेशन सर्कलों[Δ] में 13[*] आपरेशन सब-डिवीजनों तथा हैड आफिस में कंपनी के विद्युत प्रभारों के कारण बकाया प्राप्यों की संवीक्षा की।

कंपनी का बिक्री परिपत्र डी-33/2006 निर्धारित करता है कि विद्युत प्रभार बकायों का संचय, उपभोक्ता की अग्रिम खपत जमा (ए.सी.डी.), जो दो बिलिंग चक्कर[Υ] की राशि के समतुल्य है, से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

@ हिसार, सिरसा, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, नारनौल, फतेहाबाद, नूंह, रेवाड़ी तथा पलवल।

Δ हिसार, गुड़गांव तथा फरीदाबाद।

* सिविल लाईन, हिसार; सिटी हिसार, सतरोड़; हांसी सब अर्बन, मुंढाल; नारनौल; सिटी सब डिवीजन, टोहाना; नं. 3, फरीदाबाद एन.आई.टी.; नं. 4 ओल्ड फरीदाबाद; मथुरा रोड, ओल्ड फरीदाबाद; खेडीकलां, ओल्ड फरीदाबाद; नं. 1 बल्लभगढ़ तथा के.सी.जी. उपमण्डल गुडगांव।

Υ उपभोक्ताओं की घरेलू तथा गैर घरेलू श्रेणियों के लिए द्विमासिक तथा उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों के लिए मासिक।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.1.2 जुलाई 2012 में अभ्युक्तियां सरकार/प्रबन्धन को सूचित की गई तथा सितंबर 2012 में आयोजित एग्जिट कांफ्रेंस में चर्चा की गई जिसमें कंपनी के मुख्य आडिटर तथा अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने भाग लिया। पैरा को अंतिम करते समय सरकार/प्रबन्धन के विचार ध्यान में रखे गए।

लम्बित बकाया

3.1.3 हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने वर्ष 2011-12 के लिए ए.आर.आर. पर आदेश जारी करते हुए सुझाव दिया कि महंगे लघु अवधि उधारों की जरूरत कम करने तथा नकद चक्र सुधारने के लिए सरकारी विभागों से देयों सहित पुराने देयों की जल्दी वसूली के लिए कायम अभियान शुरू करने के अतिरिक्त कुशल राजस्व संग्रहण उपाय लागू किए जाने की अत्यन्त आवश्यकता थी। वर्ष के आरम्भ में कंपनी के संबंध में लम्बित बकायों का वर्णन, वर्ष के दौरान बिल किए गए राजस्व और वसूली गई राशि तथा 31 मार्च 2012 को पांच वर्षों की अवधि के अंत में बकाया शेष नीचे वर्णित हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	वर्ष के दौरान बिल किए गए राजस्व	3,329.52	3,919.90	4,404.98	5,304.71	6,495.76
2	वर्ष के आरंभ में बकाया शेष	1,388.07	1,563.16	1,846.75	1,902.21	1,914.46
3	वसूली के लिए देय कुल राशि (1+2)	4,717.59	5,483.06	6,251.73	7,206.92	8,410.22
4	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	3,154.43	3,636.31	4,349.52	4,956.35	6,230.53
5	वर्ष के दौरान समायोजित अवसूलित अधिभार की राशि	-	-	-	336.11	-
6	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1,563.16	1,846.75	1,902.21	1,914.46	2,179.69
7	बिल किए गए महीनों की संख्या के निबंधन में बकाया	5.63	5.65	5.18	4.33	4.03

हमने देखा:

- अप्रैल 2007 में बकाया शेष ₹ 1,388.07 करोड़ से मार्च 2012 में आश्चर्यजनक रूप से ₹ 2,179.69 करोड़ तक बढ़ गए, देनदारों में वृद्धि ₹ 791.62 करोड़ तक थी। यद्यपि बिल की गई राशि के महीनों की संख्या के संबंध में बकाया 5.63 से 4.03 तक कम हो गए लेकिन यह राज्य सरकार द्वारा चलाई गई 'बकाया/प्रभार अधित्याग स्कीमों' के अंतर्गत 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 570.15 करोड़* के अधित्याग के संबंध में देखी जानी चाहिए।

* 2007-08 के दौरान ₹ 457.54 करोड़, 2008-09 के दौरान ₹ 81.60 करोड़, 2009-10 के दौरान ₹ 23.07 करोड़ तथा 2010-11 के दौरान ₹ 7.94 करोड़।

- 31 मार्च 2012 को ₹ 2,179.69 करोड़ (अंतर्राज्यीय विद्युत की बिक्री: ₹ 179.64 करोड़ सहित) के उपर्युक्त देयों के आयुवार विश्लेषण ने प्रकट किया कि इसमें तीन वर्षों से अधिक हेतु बकाया ₹ 445.50 करोड़, दो वर्षों से ज्यादा लेकिन तीन वर्षों के कम हेतु बकाया ₹ 299.40 करोड़, एक वर्ष से ज्यादा लेकिन दो वर्षों के कम हेतु बकाया ₹ 286.76 करोड़ तथा एक वर्ष के कम हेतु बकाया ₹ 968.39 करोड़ शामिल थे। यह दर्शाता है कि अनुदेशों के अनुसार बकाया राशि वसूल करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए थे, जिसे केवल दो बिलिंग चक्र तक बकाया राशि के प्रतिबंध की जरूरत है।

- ₹ 2,179.69 करोड़ के बकाया देनदारों में ₹ 2,000.05 करोड़ के शुद्ध देनदारों को छोड़कर विद्युत की अंतर्राज्यीय बिक्री के ₹ 179.64 करोड़ शामिल थे, जबकि बकाया देनदार उपभोक्ता लैजरज के अनुसार ₹ 1,881.67 करोड़ थे। आंकड़ों के दो सैट में ₹ 118.38 करोड़ का अंतर था जिसने सही आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शाई। कंपनी ने बताया (मई 2012) कि आंकड़ों में अंतर का मिलान किया जा रहा है।

कनैक्टिड चूकर्ताओं से वसूलनीय देय

3.1.4 कंपनी के 'बिक्री मैनुअल' तथा 'विभिन्न कार्यकर्त्ताओं के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों से संबंधित विनियम' प्रावधान करते हैं कि यदि कोई उपभोक्ता अपने विद्युत बिल का भुगतान करने में विफल रहता है तो संबंधित सब-डिवीजन के वाणिज्यिक सहायक (सी.ए.) को 15 दिनों की नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद एक अस्थाई वियोजन आदेश (टी.डी.सी.ओ.) जारी करना चाहिए तथा फिर टी.डी.सी.ओ. से 30 दिनों की समाप्ति के बाद स्थाई वियोजन आदेश (पी.डी.सी.ओ.) जारी करना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता (फील्ड) को एक सप्ताह के अंदर टी.डी.सी.ओ., पी.डी.सी.ओ. (अनुपालन रिपोर्ट) की विवरणी सी.ए. को सुनिश्चित करनी चाहिए तथा उप-मंडलीय अधिकारी (एस.डी.ओ.) को सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए कार्य विधिवत् पूरे किए जाते हैं। किसी भी मामले में बकायों का संचय उपभोक्ता की उपभोग प्रतिभूति (दो बिलिंग चक्र के समान) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च 2012 को समाप्त 5 वर्षों के लिए राजस्व के बकायों की श्रेणीवार स्थिति ***परिशिष्ट 10*** में दर्शाई गई है।

31 मार्च 2012 को ₹ 1183.01 करोड़ के बकाया देय वाले 4,54,188 चूककर्त्ता थे।

हमने अवलोकित किया कि 31 मार्च 2012 को ₹ 1,183.01 करोड़ की राशि के बकाया देय वाले 4,54,188 संयोजित चूककर्त्ता थे। 2007-08 में चूककर्त्ता कुल उपभोक्ताओं के 16.40 प्रतिशत से 2011-12 में 19.09 प्रतिशत तक बढ़ गए थे। मामला, आडिट रिपोर्ट (वाणिज्यिक)-2006-07 हरियाणा सरकार के पैरा संख्या 2.3.31 में भी चर्चित किया गया था। मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों की अवधि के दौरान सभी श्रेणियों में चूककर्त्ताओं से बकाया देय बढ़ गए थे। एग्रीकल्चर पम्प सैट (ए.पी.) उपभोक्ताओं से चूक ₹ 24.25 करोड़ (85.42 प्रतिशत) तक, गैर-रिहायशी आपूर्ति (एन.डी.एस.) उपभोक्ताओं से ₹ 39.42 करोड़ (63.23 प्रतिशत) तक, घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) ग्रामीण उपभोक्ताओं से ₹ 200.76 करोड़ (50.50 प्रतिशत) तक, घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) शहरी उपभोक्ताओं से ₹ 22.03 करोड़ (27.59 प्रतिशत) तक और औद्योगिक उपभोक्ताओं से ₹ 8.38 करोड़ (14.99 प्रतिशत) तक बढ़ गई थी। चूक राशि में लगातार बढ़ोतरी इस प्रवृति की सूचक थी कि उपभोक्ताओं द्वारा समय पर उनके देय समाशोधित ना करने के बावजूद उनकी विद्युत आपूर्ति अस्थाई रूप से भी

वियोजित नही की जा रही थी। सरकारी विभागों से चूक राशि 2007-08 में ₹ 275.63 करोड़ से 2011-12 में ₹ 264.16 करोड़ (4.16 प्रतिशत) तक मार्जिन रूप में कम हो गई।

13 उप-मंडलों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि मार्च 2012 को 79,158 उपभोक्ता ₹ 328.82 करोड़ के देनदार थे जो 1990-91 से मार्च 2012 तक संचित हुए थे। हमने देखा:

- उप-मंडलों द्वारा अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान 79,158 उपभोक्ताओं में से 60,542 मामलों (76.48 प्रतिशत) में टी.डी.सी.ओज/पी.डी.सी.ओज जारी किए गए थे तथा इन टी.डी.सी.ओज में से केवल 22,131 मामलों (36.55 प्रतिशत) में प्रभावित थे। कंपनी इन सभी मामलों में तत्रैव अनुदेशों के कार्यान्वयन में विफल रही क्योंकि ये सारे उपभोक्ता सिस्टम से कनैक्टिड थे तथा विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे (मार्च 2012)। कंपनी द्वारा टी.डी.सी.ओज/पी.डी.सी.ओज के जारी न करने/प्रभावी न करने के कारण कंपनी को हानि हेतु दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

- मुंढाल तथा नारनौल उप-मंडलों में 15,674 उपभोक्ताओं के विरूद्ध ₹ 174.90 करोड़ 17 वर्षों से भी अधिक समय से बकाया थे।

- मिनी सचिवालय (एन.डी.एस) गुड़गांव के मामले में ₹ 1.55 करोड़ के देय दो वर्षों से अधिक समय से बकाया थे (अक्तूबर 2012)।

- जन स्वास्थ्य विभाग (पी.एच.डी.), हिसार ने चार कनैक्शनों में भुगतान में चूक की (मई 2009)। चूक में ₹ 3.85 करोड़ तक की राशि संचित हो गई थी (अक्तूबर 2012)। विभाग ने ₹ 16.10 लाख (खाता सं. एन.जी.पी.डब्ल्यू-005) का भुगतान अस्वीकार कर दिया तथा ₹ 1.11 करोड़ (खाता सं. एम.सी.पी.डब्ल्यू-0001) के देयों का विवाद किया। ₹ 2.58 करोड़ का शेष जो विवादित नहीं था, वसूल नहीं किया गया था (अक्तूबर 2012)।

 एच.ई.आर.सी. ने बिलों के अभुगतान की घटनाओं को कम करने के लिए सरकारी भवनों में प्रीपेड मीटरों के प्रतिष्ठापन के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाने हेतु कंपनी को निदेश दिया (मई 2011)। कंपनी ने बताया (नवंबर 2012) कि प्रीपेड मीटरों की खरीद के लिए विनिर्देशन प्रक्रिया में हैं।

- एक मामले[λ] में बृहद् आपूर्ति (एल.एस.) श्रेणी कनैक्शन साफ्टवेयर बिजनेस उद्देश्य के लिए संस्वीकृत किया गया। यद्यपि, कंपनी के मीटरिंग और प्रोटैक्शन (एम. एंड पी) मंडल ने जुलाई 2005 और फरवरी 2006 में कनैक्शन की प्रकृति काल सैन्टर के रूप में दर्शाया था। तदनुसार, आन्तरिक आडिट विंग ने इसे एल.एस. श्रेणी की बजाय एन.डी.एस. श्रेणी (जहां शुल्क दर कम थी) माना (फरवरी 2007) तथा ₹ 57 लाख की राशि प्रभारित की लेकिन यह वसूल नहीं की गई। उपभोक्ता द्वारा किए गए अभिवेदन पर, कंपनी के एम. एंड पी. मण्डल द्वारा परिसर की पुन: जांच की गई (25 अक्तूबर 2007) तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि परिसर में साफ्टवेयर

λ मैसर्ज हैक्टर इन्टरप्राईजिज, उद्योग विहार, गुड़गांव का खाता नं. एच.एल.एस.-18

बिजनेस चलाया जा रहा था और इस प्रकार कनैक्शन सही ढंग से एल.एस. श्रेणी के अर्न्तगत श्रेणीबद्ध किया गया था। मुख्य आडिटर ने आपरेशन सर्कल, गुड़गांव को निदेश दिया (30 अक्तूबर 2007) कि एम. एंड पी. डिवीजन के सहयोग से कनैक्शन की पुन: जांच की जाए तथा परिसर की 22 जून 2011 को विलंब से पुन: जांच की गई थी। उस समय तक उपभोक्ता, परिसर खाली कर चुका था। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा परिसर निरीक्षण में तीन वर्षों से ज्यादा की इस देरी के परिणामस्वरूप अक्तूबर 2012 तक ₹ 1.47 करोड़ (अधिभार सहित) के राजस्व की हानि हुई।

कंपनी ने उपभोक्ता के परिसर निरीक्षण में विलंब के कारण ₹ 1.47 करोड़ के राजस्व की हानि उठाई।

कंपनी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2012) कि संबंधित चूककर्त्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करना सामाजिक राजनैतिक कारणों के कारण मुश्किल थी जो कि कंपनी की ओर से इच्छा और कार्ययोजना के अकार्यान्वयन और इन देयों की वसूली हेतु सरकार द्वारा सख्त उपाय किए जाने की कमी की सूचक है।

उन्होंने आगे बताया कि बुरे और संदेहास्पद ऋण घटित होने ही थे क्योंकि बिजली का वितरण वृहद् और अत्यधिक विभिन्न उपभोक्ता मिश्रण के कारण हाई रिस्क बिजनेस है और देय की वसूली के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि कानूनी रूप से बाध्य अनुदेश इसे लागू करने के लिए सभी कदम उठाते हुए सख्ती से कार्यान्वित किए जाने चाहिए। अत: अकार्यान्वयन कमजोर प्रबन्ध को सूचित करता है।

स्थाई रूप से वियोजित चूककर्त्ताओं से वसूलनीय देय

3.1.5 कंपनी के अनुदेशों के अनुसार पी.डी.सी.ओ. के बाद, देयों की वसूली हरियाणा सरकार विद्युत उपक्रम (देय वसूली) अधिनियम 1970, के प्रावधान के अन्तर्गत एस.डी. समायोजित करने के पश्चात् राजस्व के बकायों के रूप में की जा सकती है। हमने देखा कि ₹ 336.11 करोड़ वसूल न किए गए अधिभार के समायोजन के बाद स्थाई रूप से वियोजित उपभोक्ताओं से बकाया राशि 31 मार्च 2012 को ₹ 244.19 करोड़ थी। इसमें विविध प्राप्तियों के कार। वसूलनीय ₹ 1.12 करोड़ शामिल थे लेकिन कोई विवरण कंपनी के पास उपलब्ध नहीं थे। कंपनी ने बताया कि ₹ 1.12 करोड के उपर्युक्त देनदार 1 जुलाई 1999 से पहले की अवधि से सम्बन्धित थे तथा इसके मंडलवार विघटन पता लगाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे।

स्थाई रूप से वियोजित उपभोक्ताओं से बकाया राशि 31 मार्च 2012 को ₹ 244.19 करोड़ थी।

13 उप-मंडलों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि मार्च 2012 को 44,413 स्थाई रूप से वियोजित उपभोक्ता 1990-91 से मार्च 2012 तक के देनदार थे। हमने देखा कि:

- चार उप-मंडलों* में, 9,624 उपभोक्ता (21.67 प्रतिशत) 1990-91 से मार्च 2012 तक की अवधि से संबंधित 18.87 करोड़ (24.18 प्रतिशत) के देनदार थे।
- कंपनी ने 784 मामलों में ₹ 0.45 करोड़ की ए.सी.डी. समायोजित की तथा शेष 43,629 मामलों में, ए.सी.डी. अब तक समायोजित नहीं की गई थी।

* शहर उप-मंडल, टोहाना; नं. 4, ओल्ड फरीदाबाद; मथुरा रोड़, ओल्ड फरीदाबाद; खेड़ी कलां, ओल्ड फरीदाबाद तथा के.सी.जी. उपमण्डल, गुड़गांव।

- कुल 44,413 चूककर्त्ता उपभोक्ताओं में से केवल 4,399 मामले (9.90 प्रतिशत) भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली के लिए भू-राजस्व अधिकारियों को भेजे गए थे।

- सतरोड़ उप-मंडल में एक मामले में (मैसर्ज भानू स्टील, सतरोड़ खाता संख्या एल.एस.-27) अप्रैल 1997 से जुलाई 1998 की अवधि के दौरान राशि ₹ 0.52 करोड़ तक संचित हो गई और उपभोक्ता सिस्टम से संयोजित रहा जबकि कंपनी के पास ए.सी.डी. केवल ₹ 15.20 लाख थी जो पी.डी.सी.ओ. के निर्गम के बाद जुलाई 1998 में समायोजित की गई थी। यद्यपि, जून 2008 से जुलाई 2011 के दौरान उपभोक्ता द्वारा ₹ 13 लाख जमा किए गए थे, ₹ 23.80 लाख की राशि अभी भी बकाया थी।

- शहर हिसार उप-मंडल में पांच मामलों[#] में पी.डी.सी.ओज के निर्गम से पूर्व ₹ 39.82 लाख (₹ 1.05 करोड़ कुल बकाया) संचित हो गई थी जबकि कंपनी के पास ए.सी.डी. केवल ₹ 0.61 लाख थी।

कंपनी ने तथ्यों तथा आंकड़ों को स्वीकार करते समय बताया कि एच.ई.आर.सी. ने भी कंपनी को सभी एस.डी.ओज (संचालन), जिनके क्षेत्रों में ऐसे चूककर्त्ता (सिवाय मुकदमे वाले मामलों में) अभी भी विद्यमान थे, को अनुदेश जारी करने तथा ऐसे कनैक्शनज एक माह की अवधि के अन्दर वियोजित करने हेतु निर्देश दिए थे। जिसकी विफलता पर वे व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी ठहराए जाएंगे तथा उनके विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मामले में की गई कार्रवाई के बारे में तथा की गई प्रगति के बारे में द्विमासिक रिपोर्ट एच.ई.आर.सी. को नियमित रूप से भेजी जानी थी। अभी तक कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है (नवंबर 2012)।

अस्थाई आपूर्ति उपभोक्ताओं के विरूद्ध चूक में राशि

3.1.6 अस्थायी कनैक्शनों के मामले में देयों की आवृति हेतु कंपनी की बिक्री नियमावली प्रतिभूति की पर्याप्तता की अपेक्षा करती है। बिक्री नियमावली के अनुदेश 1.33 के अनुसार यदि मासिक बिल की राशि पहले से जमा ए.सी.डी. से ज्यादा पाई जाती है, तो संबंधित उपभोक्ताओं की ए.सी.डी. बढ़ानी पड़ती है। आगे, एस.डी.ओ. द्वारा बिलों की वसूलियां भी नियमित रूप से मॉनीटर करनी पड़ती हैं और भुगतान में एक महीने की चूक के मामले में आपूर्ति तुरंत डिस्कनैक्ट करनी पड़ती है।

[#] देवेन्द्र कुमार, सोहन लाल, अरोड़ा पॉल्ट्री फार्म, मैसर्ज गणेश आटा तथा श्री भरत लाल (₹ 1 लाख से अधिक के बकाया वाले मामले)।

13 उप-मंडलों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि नौ उप-मंडलों[+] में ए.सी.डी. के समायोजन के बाद मार्च 2012 को 219 अस्थाई उपभोक्ताओं से ₹ 1.25 करोड़ वसूलनीय थे। यह वसूलनीय राशि 2007 और आगे की अवधि से सम्बन्धित थी। इन उपभोक्ताओं के उनके ए.सी.डी. से ज्यादा बकायों के संचयन के कारण अभिलेखों में नहीं थे। चूंकि सारे कनैक्शन पहले से ही वियोजित कर दिए गए थे, ₹ 1.25 लाख की वसूली के अवसर कम थे। कंपनी ने अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित नहीं की जिन्होंने एक महीने के भुगतान की चूक के बाद चूककर्त्ता अस्थाई उपभोक्ताओं को तुरंत वियोजित नहीं किया तथा देनदारों को संचय करने हेतु अनुमत कर दिया था।

कंपनी ने बताया (मई 2012) कि मामला संबंधित उप-मंडल के साथ उठाया गया था।

चोरी मामलों में देयों की वसूली

3.1.7 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 प्रावधान करती है कि जो कभी बेइमानी से अंडरग्राउंड, ओवरहेड के साथ कोई संयोजन बनाता है या बनाने का प्रयत्न करता है कोई छेड़छाड़ करता है या एक मीटर के साथ हस्तक्षेप करता है या विद्युत मीटर, अपरेटस को नष्ट करता है, टैम्परड मीटर के द्वारा विद्युत का प्रयोग करता है, प्रयोजन जिस हेतु विद्युत का प्रयोग प्राधिकृत किया गया था, से अन्य प्रयोजन के लिए विद्युत का प्रयोग करता है तो जेल (3 वर्षो तक) अथवा जुर्माना (अवैध वित्तीय लाभों पर निर्भर करते हुए) के साथ या दोनों के लिए दण्डनीय होगा। लाइसेंसी या सप्लायर जैसा भी मामला हो विद्युत की ऐसी चोरी के पता लगने पर तुरन्त आपूर्ति को वियोजित करता है, लाइसेंसी या सप्लायर का ऐसे अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे वियोजन के समय से 24 घटों के भीतर उस अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में ऐसे अपराध करने के संबंध में लिखित में शिकायत दर्ज करवाएगा। उपभोक्ता को राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। यदि अपराधी 72 घटों के अंदर कम्पाउन्डिंग की राशि जमा नहीं कराता है, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जानी थी। आगे, यदि पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है, कंपनी प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपयुक्त न्यायालय में सीधे ही केस फाइल करेगी।

कंपनी ने, चोरी मामलों पर लगाई गई शास्ति के विरूद्ध ₹ 140.54 करोड़ वसूल नहीं किए।

31 मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षो की अवधि के दौरान हमने देखा कि 1,03,083 चोरी के मामले पता लगाए गए थे तथा ₹ 217.55 करोड़ की राशि का जुर्माना लगाया गया था। इसमें से ₹ 77.01 करोड़ (35.39 प्रतिशत) की राशि कंपनी द्वारा वसूल कर ली गई थी। शेष 50,622 मामलों में, कंपनी ने प्राधिकृत पुलिस अधिकारियों के पास एफ.आई.आर. दर्ज की। इसके विरूद्ध, केवल 2,324 (4.59 प्रतिशत) मामले वस्तुत: पंजीकृत हुए थे। शेष 48,298 मामलों में, जहां पुलिस प्राधिकारियों द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई थी, कंपनी प्राधिकारियों ने न्यायलयों में केस दर्ज नहीं किए। कोर्ट में मामले फाइल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 140.54 करोड़ की अवसूली हुई। कंपनी ने अपराधी अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

[+] सिविल लाईन हिसार, सिटी हिसार, नारनौद, सिटी टोहाना, खेड़ीकलां, उप-मंडल नं. 4 फरीदाबाद, उप-मंडल नं. 3 फरीदाबाद, मुढाल तथा उप-शहर, हांसी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान पैरे के तथ्यों के साथ सहमत होते समय अपर प्रधान सचिव ने सूचित किया कि सरकार द्वारा बिजली की चोरी रोकने के लिए तथा वसूली वृद्धि के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

निष्कर्ष

- **कंपनी की एरियर स्थिति तेजी से खराब हो रही है। इसने टी.डी.सी.ओज/पी.डी.सी.ओज के समय पर निर्गम हेतु बिक्री नियमावली के अनुदेश कार्यान्वित नहीं किए।**

- **अप्रभावी वसूली कार्रवाई के कारण कंपनी को कार्यचालन पूंजी ऋणों पर ब्याज का भार इसकी वित्तीय स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित करते हुए वहन करना पड़ा।**

अनुशंसाएं

कंपनी को:

- **इसकी वसूली प्रक्रियाओं और स्थिति को सुधारने के लिए कदन उठाने चाहिए।**

- **टी.डी.सी.ओज/पी.डी.सी.ओज समय पर जारी करने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।**

- **इसकी समग्र बिलिंग और संग्रहण सिस्टम की समीक्षा की जाए, ताकि नकद प्रवाह चक्र में सुधार आए जिसके परिणामस्वरूप उधारों में कमी हो तथा कंपनी की द्रवता स्थिति सुधरे। इससे अन्ततः शुल्क दर का निर्णय करते समय उपभोक्ता को लाभ मिलेगा।**

हरियाणा वित्तीय निगम

3.2 पुराने समायोजन स्कीमों का कार्यान्वयन

प्रस्तावना

3.2.1 राज्य में औद्योगिक वृद्धि बढ़ाने के लिए लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राज्य वित्तीय निगम (एस.एफ.सीज) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अप्रैल, 1967 में हरियाणा वित्तीय निगम (निगम) की स्थापना की गई थी। इसकी शुरूआत से मई 2010 तक निगम ने 18,531 इकाइयों को ₹ 2,870.40 करोड़ की मंजूरी दी थी और 17,160 इकाइयों को ₹ 1,781.60 करोड़ वितरित किए। निगम ने मई 2010 में अपनी वितरण क्रिया को इसके संचालन को अव्यवहार्य देखते हुए रोक दिया तथा केवल वसूली प्रक्रिया ही संचालन में है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.2.2 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) हरियाणा सरकार में निगम के कार्यचालन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल की गई थी जिसमें 'वन टाइम सैटलमैंट स्कीम' कवर की गई थी। कोपु ने जून 2011 में निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा की। कोपु ने कोई अनुशंसा नहीं की क्योंकि सरकार, निगम के क्रियाकलापों को बंद करने का संकल्प ले चुकी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा संवीक्षा 'पुरानी अनिष्पादक परिसम्पतियों[♣] (एन.पी.ए.) तथा हानि परिसम्पतियों[♦] के समझौता व्यवस्थापन की नीति', जिसे अप्रैल 2008 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान वन टाइम सैटलमैंट स्कीम (ओ.टी.सी.) रूप में भी जाना जाता था, के अंतर्गत समायोजित मामले आवृत्त करती है।

♣ अनिष्पादक परिसंपत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/या मूलधन की किश्त 90 दिनों से ज्यादा तक अतिदेय रहती हैं।

♦ हानि परिसंपत्तियां वे हैं जिनके संबंध में निगम के साथ प्रतिभूति दोनों मुख्य (यूनिट स्वयं अर्थात् भूमि, भवन तथा मशीनरी) तथा गौण प्रतिभूतियों (मुख्य प्रतिभूति को पूरा करने हेतु) प्रतिभूति का निपटान कर दिया गया है तथा बिक्री समझौता निष्पादित किया जाना बाकी है तथा बिक्री राशि का 100 प्रतिशत निगम द्वारा इसकी वसूली की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाना बाकी है।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.2.3 हमारे लेखापरीक्षा परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चित हैं। जुलाई 2012 में सरकार/प्रबंधन को परिणाम सूचित किए गए थे तथा दिसम्बर 2012 में आयोजित एक्जिट कान्फ्रैंस, जिसमें कंपनी का एम.डी. और विभागों के अध्यक्ष उपस्थित थे, में चर्चित किए गए थे। प्रबंधन के विचार रिपोर्ट को फाइनल करते समय पूरी तरह से ध्यान में रखे गए हैं।

वन टाइम सैटलमैंट स्कीम

3.2.4 निगम द्वारा ओ.टी.एस. स्कीम, वसूली दरों को सुधारने तथा एन.पी.एज़ को कम करने के लिए वर्ष 2003 में शुरू की गई थी। सदृश ओ.टी.एस. स्कीम वर्ष 2005 में भी शुरू की गई जो समय-समय पर विस्तारित की गई तथा अन्तिम ऐसा विस्तारण 31 दिसंबर 2009 तक अनुमत किया गया था। आगे, एक नई उदारकृत योजना 'कंप्रोमाइज एन.पी.एज़ एण्ड लॉस एसेटस, 2011' के रूप में ज्ञात 2011 में शुरू की गई तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त हो गई।

31 मार्च 2012 को समाप्त चार वर्षों के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण के निबंधन में बकाया ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्ति वर्गीकरण	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (अनंतिम)	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
मानक परिसम्पत्तियां *f*	344	123.68	308	107.59	239	73.72	178	46.92
अवमानक परिसम्पत्तियां ♣	46	4.80	25	9.76	14	4.99	16	3.17
संदेहपूर्ण परिसम्पत्तियां ♦	378	60.26	337	52.00	280	43.69	257	41.64
हानि परिसम्पत्तियां	51	5.91	64	7.13	71	12.70	71	11.85
कुल	819	194.65	734	176.48	604	135.10	522	103.58
मानक परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता	-	63.54	-	60.96	-	54.57	-	45.30
अवमानक, संदेहपूर्ण तथा हानि परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता	-	36.46	-	39.04	-	45.43	-	54.70

f मानक परिसम्पत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/या मूलधन की किस्त 180 दिनों (6 महीने) से कम दिनों के लिए अतिदेय रहती है।

♣ अवमानक परिसम्पत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/या मूलधन की किस्त 6 महीनों से अधिक 24 महीनों तक अतिदेय रहती हैं।

♦ संदेहपूर्ण परिसम्पत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/या मूलधन की किस्त 24 महीने से ज्यादा समय के लिए अतिदेय रहती हैं।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि अवमानक, संदेहपूर्ण तथा हानि परिसंपत्तियों की प्रतिशतता संवीक्षा अधीन अवधि के दौरान बढ़ रही थी तथा निगम की वसूली स्थिति संतोषजनक नहीं थी। वसूली के लिए सामयिक तथा प्रभावी उपाय की कमी के कारण ये ऋण संदेहपूर्ण हो गए और अन्ततः ओ.टी.एस. स्कीमों के माध्यम से समायोजित किए गए है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2012 को समाप्त चार वर्षों के दौरान समायोजित मामलों की संख्या, उनके विरूद्ध लंबित राशि, समायोजित राशि तथा माफ की गई राशि दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या	निपटान के समय बकाया	वह राशि जिसमें लेखे का निपटान किया गया	बट्टे खाते डाली गई राशि	बट्टे खाते डाली गई राशि की प्रतिशतता	वसूल की गई राशि की प्रतिशतता
2008-09	31	143.24	17.56	125.67	87.74	12.26
2009-10	19	26.79	3.41	23.39	87.29	12.71
2010-11	15	39.16	3.92	35.24	89.99	10.01
2011-12	15	82.34	2.15	80.20	97.39	2.61
कुल	**80**	**291.53**	**27.04**	**264.50**	**90.73**	**9.27**

- उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि चार वर्षों के दौरान माफ की गई कुल राशि ₹ 264.50 करोड़ थी। वार्षिक माफी चौंकाने वाली थी तथा 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान 80 समायोजित मामलों के संबंध में बकाया राशि की प्रतिशतता 87.29 प्रतिशत से 97.39 प्रतिशत तक श्रृंखलित थी। निगम देय राशि का केवल अल्प 9.27 प्रतिशत वसूल कर सका। प्रबंधन ने बताया (जून 2012) कि इकाईयों का आधिपत्य लेने के बाद प्रभार्य ब्याज अप्रयोगमूलक था। उत्तर सही स्थिति का प्रतिबिंब नहीं था क्योंकि निगम ने इकाईयों के वित्तपोषण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से पुनर्वित प्राप्त किया था तथा इसे सिडबी को ब्याज देना पड़ा था जब तक ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया था।

वन टाइम सेटलमेंट स्कीमज (ओ.टी.एस.) के परिणामस्वरूप माफ की गई राशि से सहमत होते समय एम.डी. ने एक्जिट कान्फ्रैंस में बताया कि निगम की वसूली स्थिति सुधारने हेतु ओ.टी.एस. आरंभ की गई थी।

ओ.टी.एस. स्कीम 2005

3.2.5 ओ.टी.एस. स्कीम 2005 उधारकर्त्ता/चूककर्त्ता के लेखाओं को आवृत्त किया जोकि एन.पी.ए. लेखे के रूप में वर्गीकृत किए गए थे, जो 31 मार्च 2012 को संदेहपूर्ण या हानि परिसंपत्तियां बन गए थे। पॉलिसी ने 31 मार्च 2002 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत एन.पी.एज़, जो बाद में संदेहपूर्ण या हानि परिसंपत्ति बन गए तथा सारे हानि लेखे जो 15 जून 2005 को हानि लेखाओं के रूप में वर्गीकृत किए गए थे, भी आवृत किए। पॉलिसी ने, कार्यचालन पूंजी और सॉफ्ट ऋण, पट्टा सहायता, राज्य परिदान के विरूद्ध प्राप्त किए गए सेतु ऋणों से संबंधित मामले भी आवृत्त किए।

निगम ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 65 मामले समायोजित किए। हमने निम्नलिखित अवलोकित किया:

3.2.6 ***परिशिष्ट II*** में वर्णित 35 मामलों में रिटर्न [∅] की औसत दर प्रतिवर्ष यथानिम्न 0.43 से 8.74 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक श्रृंखलित थी जबकि निगम की उधार की लागत सिडबी से प्राप्त पुनर्वित्त पर 9.95 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून 2012) यदि समायोजन विलम्ब से किया जाता तो रिटर्न की औसत दर आगे कम हो जाती। यह इस तथ्य का सूचक है कि निगम ने राशि की वसूली के लिए कोई सामयिक कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने यह भी बताया कि निधियों की लागत कम करने के लिए ब्याज की माफी के लिए सिडबी को पहुंच की थी जिस पर निर्णय प्रतीक्षित था (नवंबर 2012)।

3.2.7 ₹ 153.40 करोड़ की चूक राशि से आवेष्टित 37 मामलों में से (मूलधन ₹ 15.28 करोड़ और ब्याज ₹ 138.12 करोड़) 29 मामलों में कोई किस्त भुगतान नहीं की गई थी तथा शेष 8 मामलों में केवल एक किस्त ऋणियों से प्राप्त की गई थी।

प्रबंधन ने बताया (जून 2012) कि संवितरण के बाद ऋणियों ने 18 महीने की विलंबन अप्रत्याशित अवधि उपयोग की लेकिन कई बार वे अप्रत्याशित वित्तीय या तकनीकी समस्याओं के कारण एक किस्त का भी पुनर्भुगतान करने में विफल रहे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ऋणों की संस्वीकृति के समय जांच की गई इकाईयों की व्यवहार्य रिपोर्ट में सारी आकस्मिकताओं को ध्यान में रखा गया था। परिदृश्य 18 महीनों के अंदर इतनी बुरी तरह से नहीं बदला था कि ऋणी एक किश्त का भी भुगतान न कर सके। आगे, ऋण 1983 से 2002 के दौरान वितरित किए गए जबकि अन्तिम समायोजन 2008 तथा 2010 के दौरान किया गया जो निगम की वसूली करने में रूचि की कमी दर्शाता है।

तीन इकाइयां परिचालित नहीं हो सकी क्योंकि वे तथ्य के बावजूद कि मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित था कि विद्युत सुविधा उपलब्ध होगी, विद्युत सुविधा प्राप्त करने में विफल रही।

3.2.8 तीन परियोजनाओं [ϒ] के मूल्यांकन के समय, यह सुनिश्चित किया गया था कि इकाईयों को विद्युत उपलब्ध थी तथा निगम भी विद्युत सुविधा लेने के लिए प्रयास करती है। इसने 1994 तथा 1998 के दौरान ₹ 14.35 लाख का ऋण वितरित किया। लेकिन यूनिट्स, आपरेट नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने विद्युत सुविधा प्राप्त नहीं की। निगम ने इन मामलों में भी कानूनी पेचीदगियों के कारण प्रतिभूतियों का निपटान नहीं किया। निगम ने ₹ 1.13 करोड़ के देय बकायों (मूलधन और ब्याज) के विरूद्ध ₹ 20.13 लाख हेतु उन्हें समायोजित कर दिए (अक्तूबर 2008 से जून 2009) अत: ₹ 93 लाख का ब्याज छोड़ दिया।

∅ लेखे के वितरण की तारीख से लेखे के अंतिम समायोजन की तारीख तक वितरित राशि पर अर्जित ब्याज, रिटर्न की दर है।

ϒ मैसर्ज-7-भाई आइस प्लांट फरीदाबाद, मैसर्ज नेशनल केमीकल्ज गुडगांव तथा मैसर्ज बिको लक्स ऑटो लैम्पस फरीदाबाद।

प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रैंस में बताया कि यद्यपि इकाई की कार्यचालन पूंजी का निर्धारण किया गया था, यह अस्तित्व में नहीं आ सकी। इस पर लेखापरीक्षा कार्यालय ने कहा कि तथ्य, कि इकाई कार्य नहीं कर सकी, ने औचित्य प्रतिपादित कर दिया था कि इस संबंध में सही निर्धारण की अनुपस्थिति थी।

कार्यचालन पूंजी आवश्यकता के अनुचित निर्धारण के कारण इकाई परिचालन में नहीं आ सकी।

3.2.9 निगम ने कार्यचालन पूंजी जरूरतों का सही ढंग से निर्धारण किए बिना जुलाई 1995 तथा मई 1996 के दौरान ₹ 9.35 लाख वितरित किए। यूनिट अस्तित्व में नहीं आई। निगम ने गौण प्रतिभूति बेच कर ₹ 6.01 लाख वसूल किए परन्तु मुकदमें के कारण मुख्य प्रतिभूति नहीं बेच सकी। यूनिट किसी राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल हो गई तथा निगम ने ₹ 83.58 लाख का ब्याज छोड़ते हुए जून 2008 में ₹ 10.29 लाख के लिए मामला समायोजित कर दिया।

प्रबंधन ने एक्जिट कांफ्रैंस मे बताया कि यद्यपि इकाई की कार्यचालन पूंजी का निर्धारिण किया गया था, यह अस्तित्व में नहीं आ सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि यदि आरंभिक निर्धारण सही ढंग से किया जाता तो यूनिट अस्तित्व में आ सकती थी।

निगम ने स्वामित्व अधिकारों की बजाय पट्टा अधिकारों के रूप में प्रतिभूति के विरूद्ध ऋण संस्वीकृत किया।

3.2.10 निगम ने वितरित ऋण के विरूद्ध सही तथा पर्याप्त प्रतिभूति लिए बिना मैसर्ज हरियाणा स्ट्रिप्स को गिर्डर तथा इंगोट हॉट स्ट्रीप्स के विनिर्माण के लिए ₹ 1.97 करोड़ की राशि का ऋण वितरित किया (मार्च 1992 से मई 1995)। स्वामित्व अधिकारों की बजाय पट्टेधारी अधिकारों के रूप में प्रतिभूति गलती से स्वीकार की गई। इस गलत निर्णय के कारण, निगम को ₹ 20.50 करोड़ (बकाया राशि ₹ 23.35 करोड़ के ब्याज, ₹ 2.85 करोड़ की समायोजित राशि सहित) छोड़ने पड़े (जून 2008)।

हमने देखा कि यह इकाई निगम के अधिकार में पहले से ही नवंबर 2001 से थी लेकिन इसने अप्रैल से जुलाई 2008 के दौरान केन्द्रीय आबकारी तथा बिक्री कर का भुगतान किया था। यह प्रतीत होता है कि निगम द्वारा यूनिट का आधिपत्य केवल कागजों में था जबकि वास्तविक आधिपत्य ऋणी के साथ जारी हुआ जिसने पब्लिक फंडों की कीमत पर लाभ उठाया। निगम, संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध की गई हानि के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने में विफल रहा।

3.2.11 एक सदृश प्रकरण में निगम ने, ₹ 1.46 करोड़ की प्रतिभूति राशि लेने के बाद मैसर्ज भानू स्टील लिमिटेड को एम.एस. स्टील इंगोट के विनिर्माण हेतु ₹ 78.15 लाख की ऋण राशि वितरित की (अक्तूबर 1992)। यूनिट का आधिपत्य लेने के बाद (नवंबर 2001), निगम प्रतिभूति बेच नहीं क्योंकि यह मुकदमे अधीन थी। इस कारण निगम को ₹ 13.19 करोड़ (ब्याज ₹ 14.32 करोड़, समायोजित राशि ₹ 1.13 करोड़ सहित बकाया राशि) छोड़ने पड़े थे (जून 2008)। तथ्य कि यूनिट ने अवधि 2008-09 के लिए बिक्री कर भुगतान किया था तथा इसके पास जुलाई 2008 तक विद्युत कनैक्शन भी था, स्थिति उत्पन्न करता है कि कंपनी, निगम के ज्ञान के साथ और बिना कार्य कर रही थी। अभिलेखों के अनुसार अप्रैल 2009 में यूनिट का आधिपत्य रीस्टोर किया गया।

हरियाणा स्ट्रिपस एण्ड भानु स्टील लिमिटेड के संबंध में, प्रबंधन एक्जिट कान्फ्रैंस में लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति से सहमत हो गए तथा बताया कि निगम के आधिपत्य में इकाईयों के होने के बावजूद यूनिटस द्वारा उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के भुगतान संबंधी मामला ऋणियों के साथ उठाया जाएगा तथा स्थिति लेखापरीक्षा को सूचित की जाएगी, जो प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2012)।

3.2.12 अन्य मामले[f] में, निगम ने ₹ 7.50 लाख की हानि उठाई जहां ऋणों को जुलाई 1990 में ₹ 2.94 लाख का ऋण संस्वीकृत किया था। ऋणी चूक में गया तथा निगम ने गौण प्रतिभूति बिक्रय नहीं की क्योंकि निदेशक मंडल ने लघु उधारकर्ताओं, जिन्होंने ₹ 10 लाख तक ऋणों के लाभ प्राप्त किए थे तथा जहां मामले, निगम द्वारा गिरवी रखी गई प्रतिभूति के उच्चतर मूल्य ध्यान में रखते हुए समायोजित नहीं किए जा सके हेतु एक निति प्रतिपादित करने की इच्छा व्यक्त की थी। हमने अवलोकित किया कि ऐसी कोई पॉलिसी निगम द्वारा अभी तक बनाई नहीं गई है (जून 2012)। प्रबंधन ने बताया कि संपति की बिक्री द्वारा वसूली उधारकर्ता के सारे परिवार को मुसीबत में डाल देगी। उत्तर तथ्य का सूचक था कि निगम ने अपने कार्यकलापों को हैंडल करते समय अपने वाणिज्यिक हित को ध्यान में नहीं रखा था।

निगम, दोषपूर्ण दस्तावेज के कारण अपने देयों की वसूली हेतु गौण प्रतिभूति विक्रय नहीं कर सका।

3.2.13 मैसर्ज प्रेम मेटल उद्योग, सोनीपत के मामले में निगम ने तीन लोनज वितरित किए – ₹ 5.16 लाख का अवधि ऋण (लेखा I), ₹ 1.87 लाख (लेखा II) का कार्यचालन पूंजी ऋण तथा ₹ 2.19 लाख का अतिरिक्त अवधि ऋण (लेखा III)। दूसरा ऋण इस शर्त के साथ संस्वीकृत किया गया कि पहले लोन के विरूद्ध प्रतिभूति बढ़ाने पर यह वितरित किया जाएगा। इस संबंध में उधारकर्ता द्वारा वचनबद्धता दी गई थी। ऋण राशि के भुगतान में विफल होने पर, निगम ने गौण प्रतिभूति का परिकल्पित आधिपत्य लिया (16 अक्तूबर 2006) लेकिन गौण प्रतिभूति पर प्रभार के सृजन संबंधी प्रलेखन की कमी के कारण यह इसे नहीं भुना सकी। गौण प्रतिभूति का निर्धारित मूल्य ₹ 98.90 लाख था तथा ऋण (लेखा II तथा III) ₹ 23.18 लाख छोड़ते हुए ₹ 4.51 लाख पर ओ.टी.एस के अंतर्गत समायोजित कर दिए गए।

3.2.14 निगम ने ₹ 1.82 करोड़ (अवधि ऋण I: ₹ 85.45 लाख, अवधि ऋण II: ₹ 7.70 लाख तथा अवधि ऋण III: ₹ 89.25 लाख मार्च 1993 तथा अक्तूबर 1996 के दौरान) मैसर्ज बी.आर. सीमेंटस, अंबाला को तथा ₹ 76.09 लाख (अवधि ऋण: ₹ 62.69 लाख, अतिरिक्त अवधि ऋण: ₹ 2.80 लाख तथा सेतु ऋण: ₹ 10.60 लाख जुलाई 1993 तथा मार्च 1996 के दौरान) मैसर्ज हरियाणा ट्रांसमिशन, बहादुरगढ़ को वितरित किए। चूक के कार ा, निगम ने जून 2008 को ₹ 21.12 करोड़ (मैसर्ज बी.आर. सीमेंटस, अंबाला ₹ 9.29 करोड़ तथा मैसर्ज हरिया ा ट्रांसमिशन, बहादुरगढ़ ₹ 11.83 करोड़) की राशि बकाया छोड़ते हुए ₹ 93.60 लाख (मैसर्ज बी.आर. सीमेंटस, अंबाला ₹ 60 लाख तथा मैसर्ज हरियाणा ट्रांसमिशन, बहादुरगढ़ ₹ 33.60 लाख) के लिए इन यूनिटस की प्राथमिक प्रतिभूतियों का

[f] श्री सतबीर सिंह, पटियाला।

निपटान कर दिया। निगम ने, पहले दृष्टान्त में अवधि ऋण-I अर्थात् ₹ 2.29 करोड़ पर तीन मामले समायोजित करने की अपनी नीति के उल्लंघन में ऋणियों के अनुरोध पर तीनों लोन अकाउंट में प्रत्येक में आनुपातिक रूप से प्रमुख प्रतिभूति के बिक्री लाभ विनियोजित करके ₹ 1.99 करोड़ पर (मैसर्ज बी.आर. सीमेंटस, अंबाला ₹ 1.16 करोड़ तथा मैसर्ज हरियाणा ट्रांसमिशन, बहादुरगढ़ ₹ 83.46 लाख) दो मामले ♦ समायोजित कर दिए (जून 2008)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.41 लाख की कम वसूली हुई।

3.2.15 यदि ओ.टी.एस. की शर्तें पूरी नहीं की जाती, तो इस स्कीम के लाभ जब्त कर लिए जाएंगे तथा इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त धन ऐसा माना जाना था जैसे वह नार्मल कोर्स में प्राप्त हुआ था। हमने देखा कि निगम ने ओ.टी.एस. 2005 के अर्न्तगत ₹ 1.17 करोड़ के लिए दो मामले अर्थात् (मैसर्ज किशकंधा फूडस, जीन्द तथा मैसर्ज वीवो कैमीकल्ज, जीन्द) क्रमश: जनवरी 2007 तथा अगस्त 2008 में समायोजित किए तथा ऋणियों ने शुरू में ₹ 32.90 लाख जमा किए लेकिन ₹ 84 लाख की शेष राशि जमा नहीं करवाई तथा परिणामस्वरूप निगम ने समायोजन रद्द कर दिया। बाद में, दोनों ऋणियों ने 2009 में समायोजन के लिए पहुंच की तथा निगम ने उसे स्वीकार कर लिया। समायोजन राशि परिकलित करते समय, इसने ₹ 32.90 लाख को, इन दो ऋणियों द्वारा पहले से ही भुगतान किया गया माना यद्यपि इसकी अपनी नीति के अनुसार, इसे इस राशि को जब्त करना था। इसके परिणामस्वरूप निगम को ₹ 32.90 लाख की हानि हुई।

प्रेम मेटल उद्योग, बी.आर. सीमेंटस, किष्किंधा फूडज तथा वीवो केमिकल्ज के प्रकरणों में प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रेंस में बताया कि निदेशक मण्डल (बी.ओ.डीज) को ओ.टी.एस. में आवश्यक छूट अनुमोदित करने हेतु अधिकार प्राप्त थे। यह अवलोकित किया जाता है कि ऐसा करने से, ए.सी. स्कीमों को बनाने का मूल प्रयोजन विफल किया गया।

हानि परिसंपतियों का समायोजन

निगम ने, ₹ 16.37 करोड़ के प्रत्याशित मूल्य के विरूद्ध ₹ 3.99 करोड़ पर मुख्य/गौण प्रतिभूति का निपटान कर दिया।

3.2.16 34 मामलों में, निगम ने मुख्य/गौण प्रतिभूति ₹ 16.37 करोड़ के उनके स्वीकृत मूल्य के विरूद्ध ₹ 3.99 करोड़ पर निपटान कर दिया। 25 मामलों, जिनमें निर्धारण किया गया था, में इन प्रतिभूतियों का निर्धारित मूल्य ₹ 6.34 करोड़ था तथा शेष 9 मामलों में निर्धारण नहीं किया जा सका। इस प्रकार, यह प्रतिभूतियों के निपटान से, प्रतिभूतियों के स्वीकृत मूल्य का केवल 27.27 प्रतिशत वसूल कर सकी। इसने सूचित किया कि स्वीकृत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उनकी स्वीकृति के समय सही ढंग से नहीं किया गया था।

♦ मैसर्ज बी.आर. सीमेंट, अंबाला तथा मैसर्ज हरियाणा ट्रांसमिशनज, बहादुरगढ़।

दो मामलों[¢] में, ₹ 6.74 लाख मूल्य की मशीनरी/उपकरण/स्टाकस से समायुक्त प्रतिभूति का एक भाग गुम था जिसके लिए पुलिस के पास शिकायतें दर्ज कराई गई। यद्यपि, न तो परिसंपत्तियां वसूल की गई थी और न ही कोई अनुवर्तन अभिलेख में उपलब्ध था। जबकि अन्य दो मामलों[¥] में आधिपत्य लेते समय उपकरण लुप्त थे लेकिन गुम हुई प्रतिभूतियों के मूल्य निगम द्वारा सुनिश्चित नहीं किए गए थे। हानि परिसम्पत्तियों के समायोजन के संबंध में प्रबंधन एक्जिट कान्फ्रेंस में लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों से सहमत हो गए थे।

ओ.टी.एस. स्कीम 2011

3.2.17 ओ.टी.एस. स्कीम 2011 के अन्तर्गत, एन.पी.ए.[∞] लेखे जो 31 मार्च 2008 को संदेहपूर्ण या हानि बन गए थे, आवृत्त थे। संदेहपूर्ण[∂] तथा हानि[≠] लेखे बिक्री लाभ विविध व्ययों, प्रिंसिपल तथा ब्याज के क्रम में विनियोजित करके सुधार किए जाने थे। समायोजन राशि पर पहुंचते समय बंधित संपत्तियों की शुद्ध वसूलीयोग्य कीमत गणना में ली जानी थी।

3.2.18 निगम ने मैसर्ज आर.सी.सी. सीमेंटस, गुड़गांव को ₹ 1.89 करोड़ वितरित किए इसके अतिरिक्त दिसंबर 1992 तथा मई 1996 के दौरान ₹ 15 लाख की साम्या सहायता प्रदान की। यूनिट आरंभ से (दिसंबर 1996) चूक में थी तथा निगम ने इकाई का आधिपत्य लिया तथा दिसंबर 2002 में इसकी बिक्री से ₹ 61.95 लाख प्राप्त किए।

निगम ने गौण प्रतिभूति का परिकल्पित आधिपत्य[Σ] लिया तथा ₹ 18 लाख के लिए बेच दिया। यूनिट ने ओ.टी.एस., 2005 के अन्तर्गत समायोजन के लिए (अप्रैल 2010) अर्थात मुख्य तथा गौण प्रतिभूति के निपटान से प्रिंसीपल घटा विक्रय लाभ, के लिए पहुंच की। यूनिट द्वारा जमा करवाई गई कुल अपफ्रंट फीस[∇] ₹ 16.62 लाख थी। बिक्री लाभ पहले से ही प्राप्त राशि समायोजित करने के बाद कुल बकाया मूल राशि ₹ 1.73 करोड़ थी। ओ.टी.एस. 2005 के

¢ मैसर्ज विवो कैमीकल्ज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जींद तथा मैसर्ज पदमा मशरूमज प्राइवेट लिमिटेड सोनीपत।

¥ मैसर्ज जय मां इंडस्ट्रीज, पानीपत तथा मैसर्ज पदमा मशरूमज प्राइवेट लिमिटेड, सोनीपत।

∞ अनिष्पादक परिसंपत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/या मूलधन की किश्त 90 दिनों से ज्यादा के लिए अतिदेय रहती है।

∂ संदेहपूर्ण परिसंपत्तियां वे हैं जिनमें ब्याज तथा/या मूलधन की किश्त 18 महीनों से ज्यादा के लिए अतिदेय रहती है।

≠ हानि परिसंपत्तियां वे हैं जिनके संबंध में (दोनों मुख्य तथा गौण प्रतिभूति) निगम के साथ प्रतिभूतियों का निपटान कर दिया गया है बिक्री अनुबंध निष्पादित किया जाना बाकी है तथा बिक्री राशि का 100 प्रतिशत निगम द्वारा अपनी वसूली प्रक्रिया में प्राप्त किया जाना बाकी है।

Σ केवल पेपर आधिपत्य।

∇ अनुमोदित समायोजित राशि के विरूद्ध समायोज्य लेखे के समायोजन हेतु आवेदन-पत्र के साथ ऋणी द्वारा जमा की गई राशि।

अनुसार, मामला ₹ 1.73 करोड़ के लिए समायोजित किया जाना चाहिए था। इतने समय में, निगम द्वारा नई ओ.टी.एस. पॉलिसी 2011 भी शुरू कर दी गई थी। इस स्कीम के अनुसार, समायोजन राशि ₹ 1.39 करोड़ परिकलित की गई। मामला ₹ 77.16 लाख पर समायोजित किया गया (दिसंबर 2011)। निगम ने इस प्रकार, ₹ 61.40 लाख (₹ 138.56 लाख - ₹ 77.16 लाख) हानि की।

प्रबंधन ने एक्जिट कान्फ्रेंस में बताया कि निदेशक मण्डल (बी.ओ.डीज) को, ओ.टी.एस. में आवश्यक छूट अनुमोदित करने हेतु अधिकार प्राप्त थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि ऐसा करके स्कीमों का मूल प्रयोजन विफल कर दिया गया।

सामान्य

3.2.19 राज्य की औद्योगिक वृद्धि में इसकी देन के निर्धारण हेतु वित्तपोषित इकाइयों की वर्तमान स्थिति संबंधी कोई डाटा बैंक निगम द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था। निगम ने उत्तर दिया कि यह, अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण यथा विचारित अपनी सूचना प्रौद्योगिकी योजना को कार्यान्वित नहीं कर सका। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निगम ने इसके आरंभ से ही वित्तपोषित इकाइयों के संबंध में कोई डाटा नहीं रखा था।

मामला जुलाई 2012 में सरकार को भेज दिया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2012)।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणामस्वरूप निम्नलिखित निष्कर्ष प्रकट हैं:

- **अनुपयुक्त/अपर्याप्त प्रतिभूतियों की स्वीकृति से युग्मित ऋणों के अनुपयुक्त/अपर्याप्त मूल्यांकन तथा गुम संपत्तियों को दोबारा प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की कमी के कारण ₹ 35.61 करोड़ को छोड़ते हुए ओ.टी.एस. के अंतर्गत मामलों का समायोजन हुआ।**

- **ओ.टी.एस. के प्रावधान के उल्लंघन में ओ.टी.एस. के अंतर्गत ₹ 1.46 करोड़ छोड़ते हुए निगम ने ₹ 3.98 करोड़ के ऋण समायोजित किए।**

- **प्रतिभूतियों का भौतिक आधिपत्य सुनिश्चित करने के लिए निगम के पास कोई प्रणाली नहीं थी।**

- **एन.पी.एज. का स्तर उच्च था तथा कलैक्टरज के माध्यम से पुराने देयों की वसूली की प्रक्रिया अप्रभावी तथा बहुत धीमी थी।**

- **पुराने देयों की वसूली हेतु, उनकी उपलब्धि मॉनीटर करने के लिए कोई पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।**

- **औद्योगिक वृद्धि पर वित्तीय सहायता के प्रभाव को मूल्यांकन हेतु निगम ने कोई यंत्रावली नहीं बनाई थी।**

अध्याय 4

4. संपादनों की लेखापरीक्षा

राज्य सरकार कम्पनियों के संपादनों की नमूना-जांच से प्रकट महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित हैं।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कोमज़)

4.1 अतिरिक्त व्यय

पहले से ही चलायमान निविदा, जिसके मूल्य किए गए गत क्रय के अद्यतित मूल्य की तुलना में निम्नतर थे, मानने की बजाय निविदा दुबारा आमंत्रित करके कंपनी ने ₹ 4.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) ने ए.सी.एस.आर. रैबिट कंडक्टर (कंडक्टर) की 11,200 के.एम. (डी.एच.बी.वी.एन.एल. के 5,200 के.एम. सहित) की अस्थाई मात्रा के प्रापण के लिए वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक दर अनुबंध प्रदान करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की (मई 2009)। भंडार क्रय समिति (एस.पी.सी.) और निदेशकों ने प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन पर तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से योग्य तीन निम्नतम फर्मों के साथ दरों के मोल तोल के लिए सिफारिश की (जुलाई 2009)। विशेष उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एस.एच.पी.पी.सी.) द्वारा मोल तोल के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई (4 अगस्त 2009)।

गत क्रय आदेश दिनांक 24 मई 2007 के ₹ 20,521.79 प्रति के.एम. की अद्यतित दर की तुलना में प्रस्तावित* दरें कम थी। प्राप्त दरें ₹ 19,298 (एल.1), ₹ 20,206 (एल.2) और ₹ 20,790 (एल.3) प्रति के.एम. थी, मोल-तोल के दौरान सभी फर्मों ने अपनी दरों और मात्राओं को संशोधित[1] कर दिया। लेकिन एस.एच.पी.पी.सी., ने अब भी महसूस किया (4 अगस्त 2009) कि फर्मों द्वारा उद्धृत संशोधित दरें उच्चतर थी और निर्णय लिया कि एक नई लघु-अवधि निविदा आमंत्रित की जाए क्योंकि कंडक्टरज की मांग अत्यावश्यक थी।

* मैसर्ज न्यू लाईन इंडस प्राइवेट लिमिटेड, परवाणू (एल. 1) ₹ 19,298 प्रति के.एम. 11,200 के.एम. हेतु।
मैसर्ज ड्यूरेबल कंडक्टरज, सोलन (एल. 2) ₹ 20,206 प्रति के.एम. 5,600 के.एम. हेतु।
मैसर्ज अनामिका कंडक्टरज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (एल. 3) ₹ 20,790 प्रति के.एम. 11,200 के.एम. हेतु।

[1] मैसर्ज न्यू लाईन इंडस प्राइवेट लिमिटेड, परवाणू ₹ 19,295 प्रति के.एम. 3,000 के.एम. हेतु।
मैसर्ज ड्यूरेबल कंडक्टरज, सोलन ₹ 20,080 प्रति के.एम. 2,000 के.एम. हेतु।
मैसर्ज अनामिका कंडक्टरज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर ₹ 20,200 प्रति के.एम. 11,200 के.एम. हेतु।

तदनुसार, नई लघु अवधि निविदाएं आमंत्रित की गई और अगस्त 2009 में खोली गई। प्राप्त निम्नतम तीन प्रस्ताव ₹ 20,800 और ₹ 22,051 प्रति के.एम. के मध्य श्रृंखलित थे। एस.एच. पी.पी.सी. ने अवलोकित किया (24 अगस्त 2009) कि पूर्ववर्ती निविदा की जांच (मई 2009) के विरूद्ध प्राप्त/मोल भाव किए मूल्य की दरें नई निविदा (अगस्त 2009) की दरों से उचित तथा निम्नतर थी तथा ₹ 19,295 प्रति के.एम. की दर पर 3,000 के.एम. तथा ₹ 19,298 प्रति के.एम. की दर पर 8,200 के.एम 11,200 के.एम. कण्डक्टरों की आपूर्ति के लिए मैसर्ज न्यू लाईन इंडस प्राईवेट लिमिटेड परवाणू (फर्म) को आदेश देने का निर्णय लिया।

तथापि, फर्म ने कच्ची सामग्री के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि बताते हुए पुरानी दर पर सामग्री आपूरित करने में असमर्थता व्यक्त की तथा रेल गंतव्य तक निःशुल्क आधार पर 3000 के.एम. कंडक्टर ₹ 20,100 प्रति के.एम. की दर पर आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया (अगस्त 2009)। कंपनी ने एल.ओ.आईज रद्द कर दिए (नवंबर 2009), ₹ 2.50 लाख का बयाना धन जब्त कर लिया तथा नई निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया। आमंत्रित की गई (नवंबर 2009) तथा खोली गई (दिसंबर 2009) निविदाओं में मैसर्ज न्यू लाईन इंडस प्राईवेट लिमिटेड, परवाणू ₹ 22,750 प्रति के.एम. की दर पर 6000 के.एम. की आपूर्ति के लिए एल-1 निकली तथा मैसर्ज डयूरेबल कंडक्टरज़ सोलन एल-2, ने 5,600 के.एम. के लिए ₹ 23,680 प्रति के.एम. उद्धृत किया। एस.एच.पी.पी.सी. ने ₹ 25.96 करोड़ के संचयी मूल्य के लिए 6,000 के.एम. तथा 5,200 के.एम. कंडक्टर के लिए आपूर्ति आदेश एल-1 तथा एल-2 फर्मों को क्रमशः ₹ 22,750 तथा ₹ 23,670 प्रति के.एम. की दर पर देने का निर्णय किया।

हमने अवलोकित किया (अगस्त 2011) कि एस.एच.पी.पी.सी. ने इस तर्क पर कि दरें उच्चतर पक्ष पर थी, मोल-भाव की गई दरों को अस्वीकार करने का अविवेकपूर्ण निर्णय किया (4 अगस्त 2009) तथा तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अगस्त 2009 की मोल-भाव की गई दरें ₹ 20,521.70 प्रति के.एम. की अद्यतित दरों की तुलना में निम्नतर थी और कंडक्टर की अत्यधिक आवश्यकता थी क्योंकि स्टॉक स्थिति शून्य थी, नई निविदाएं आमंत्रित की। आई.ई.ई.एम.ए. द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित धातु अर्थात् एल्यूमीनियम (ए.सी.एस.आर. कंडक्टर में मुख्य घटक) की दरों ने भी मई और जुलाई 2009 तक की अवधि के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई थी। कंपनी के पास उन्हीं फर्मों को (जिन्होंने मई 2009 में आमंत्रित निविदा में निम्नतर दरों का प्रस्ताव दिया था) तीसरी निविदा जांच में प्राप्त दरों पर आदेश देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इन कार्यवाहियों द्वारा डिस्कोमज़ ने ₹ 4.33[2] करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

[2] यू.एच.बी.वी.एन.एल. 3,364.336 के.एम. x ₹ 22,750 + 2,661.086 x ₹ 23,670 घटा x 6,025.422 के.एम. x ₹ 19,298 + ई.एम.डी. ₹ 2,50,000
डी.एच.बी.वी.एन.एल. 2,751.362 के.एम. x ₹ 22,750 + 2,461.675 x ₹ 23,670 घटा 5,213.037 के.एम. x ₹ 19,298

अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2012) के दौरान सूचित किया कि मामले की जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसी पुन: निविदा, का परिहार किया जाएगा। फिर भी यह तथ्य रहता है कि डिस्कोमज ने पहले से चलायमान निविदाएं, जिनके मूल्य गत क्रय के अद्यतित मूल्य की तुलना में कम थे, मानने की बजाय निविदा दुबारा आमंत्रित करके ₹ 4.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

4.2 ट्रांसफार्मर तेल के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

उच्च अधिकार क्रय समिति के ट्रांसफार्मर तेल के क्रय के लिए दुबारा निविदा के लिए अविवेकपूर्ण आधार पर निर्णय के परिणामस्वरूप डिस्कोमज को ₹ 59.48 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) ने 3900 किलोलीटर (के.एल.)* ट्रांसफार्मर तेल के प्रापण के लिए परिवर्ती मूल्य आधार पर निविदाएं आमंत्रित की (मई 2010)। निविदा में भाग लेने वाली पांच फर्मो में से तीन फर्मो♦ ने पात्रता मापदंड पूरा किया और उनकी मूल्य बोली खोली गई (जुलाई 2010)। इन फर्मो की ट्रांसफार्मर तेल की दरें ₹ 54,947.93 और ₹ 59,115.01 प्रति के.एल. के मध्य श्रृंखलित थी। भंडार क्रय समिति (एस.पी.सी.) ने अवलोकन किया (जुलाई 2010) कि दो निविदादाताओं द्वारा उद्धृत मूल्य पिछले क्रय आदेश दिनांक 23 जुलाई 2009 के अद्यतित मूल्य (₹ 57,246.10) से कम थे। डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने राज्य वित्त मंत्री की अध्यक्षता में विशेष उच्च अधिकार क्रय समिति (एस.एच.पी.पी.सी.) के सामने क्रय प्रस्ताव रखा। एस.एच.पी.पी.सी. ने, अवलोकन (अक्तूबर 2010) पर कि निविदा की प्रतिक्रिया काफी सीमित थी तथा वही फर्में पिछले तीन-चार वर्षो से निविदा में भाग ले रही थी और गत क्रय दरों की तुलना में दरें उच्चतर थी, अगले चार मास की अनिवार्य आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए केवल 1200 के.एल. ट्रांसफार्मर तेल क्रय करने तथा शेष मात्रा के लिए निविदा दुबारा आमंत्रित करने का निर्णय लिया। एस.एच.पी.पी.सी. ने डी.एच.बी.वी.एन.एल. को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा अन्य विख्यात निजी विनिर्माणकर्ताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं को निविदाओं में सम्मिलित होने के लिए संपर्क करने हेतु आदेश भी दिए। एस.एच.पी.पी.सी. ने मोलभाव के बाद मैसर्ज सविता आयल टैक्नोलोजीस लिमिटेड मुम्बई (एल.3) को परिवर्ती मूल्य आधार पर ₹ 53,000 प्रति के.एल. की दर पर 1200 के.एल. तेल के लिए आदेश दे दिया। क्रयादेश नवंबर/दिसंबर 2010 में जारी किए गए।

बाद में, डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने 2700 के.एल. की शेष मात्रा के लिए निविदाएं आमंत्रित की (नवंबर 2010)। पांच फर्मो ने बोली में भाग लिया जिनमें से तीन फर्मो, जिन्होंने मई 2010 की पिछली निविदा के विरूद्ध पात्रता मापदंड को पूरा किया था, ने फिर से मूल्य बोली खोलने हेतु क्वालीफाई किया। इस बार निम्नतम दर 63,565.95 प्रति के.एल. थी जो नवंबर/ दिसंबर 2010 के क्रय आदेशों के अद्यतित मूल्य (₹ 61,315.13 प्रति के.एल.) की तुलना में उच्चतर थी। एस.एच.पी.पी.सी. ने परिवर्ती मूल्य आधार पर ₹ 63,500 प्रति के.एल. की

* यू.एच.बी.वी.एन.एल. के लिए 2,260 के.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के लिए 1,640 के.एल.

♦ मैसर्ज राज पेट्रो स्पेशलिटिज (पी.) लिमिटेड, मुंबई (एल. 1)।
मैसर्ज अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई (एल. 2)।
मैसर्ज सविता आयल टैक्नोलोजिज लिमिटेड, मुंबई (एल. 3)।

मोल-भाव की गई दर पर 2700 के.एल. ट्रांसफार्मर तेल खरीदने का निर्णय लिया (अप्रैल 2011)। दोनों डिस्कोमज[r] द्वारा क्रय आदेश जारी किए गए (मई/जून 2011)।

हमने अवलोकित किया (अगस्त 2011) कि 2700 के.एल. की शेष मात्रा के क्रय के लिए नई निविदाएं आमंत्रित करने हेतु एस.एच.पी.पी.सी. का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने खुली निविदाएं आमंत्रित की थी, जिसमें सभी फर्में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र थी। आगे, एस.एच.पी.पी.सी. की अभ्युक्तियां कि दरें उच्चतर थी, सही नहीं था क्योंकि एल 1 (₹ 54,974.93 प्रति के.एल.) और एल 2 (₹ 55,648.09 प्रति के.एल.) की दरें पिछले पी.ओ. के अद्यतित मूल्य (₹ 57,346.08 प्रति के.एल.) की तुलना में निम्नतर थी। आगे, उसी अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान में बिजली उपयोगिता के लिए जिस मूल्य पर ट्रांसफार्मर तेल क्रय किया था उसकी तुलना में तेल की दरों में अधिक अंतर नहीं थे। एस.एच.पी.पी.सी. ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि एक केन्द्रीय पी.एस.यू. अर्थात् भारत पैट्रोलियम निगम लिमिटेड ने भी निविदा में भाग लिया था परन्तु पात्रता मापदंड पूरा करने में विफल रहा। अतः, एस.एच.पी.पी.सी. द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि भागीदारी सीमित थी, न्यायसंगत नहीं था।

अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2012) के दौरान सूचना दी कि मामले की जांच की जाएगी तथा भविष्य में ऐसी पुनर्निविदा का परिहार किया जाएगा। फिर भी यह तथ्य रहता है कि एस.एच.पी.पी.सी. के नई निविदाएं आमंत्रित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप डिस्कोमज़ पर ₹ 59.48 लाख♦ का अतिरिक्त भार पड़ा।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

4.3 आर्बीट्रेशन मामले के गलत अनुसरण के कारण हानि

वारंटी अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त वितरण ट्रांसफार्मरों के संबंध में मामले के गलत अनुसरण के कारण कंपनी को ₹ 36.75 लाख की हानि हुई।

कंपनी ने 100 के.वी.ए. के 980 वितरण ट्रांसफार्मरों (डी.टीज) की आपूर्ति के लिए एम.ई.सी.सी.ए. पावर (पी) लिमिटेड, सारदुलगढ़ (फर्म) को ₹ 5.70 करोड़ की कुल लागत के लिए क्रय आदेश (पी.ओ.) दिए (अगस्त 2000)। आपूरित डी.टीज की वारंटी अवधि माल की प्राप्ति की तिथि से 60 मास या प्रेषण की तिथि से 66 मास, जो भी पहले हो, की थी। वारंटी अवधि के लिए वैध रहने के लिए कंपनी को ठेके मूल्य के 10 प्रतिशत के मूल्य की बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी। डी.टीज फरवरी 2001 से दिसंबर 2002 आपूरित किए गए थे। इन डी.टीज के प्रस्थापन के बाद, कंपनी के उपमण्डलीय कार्यालयों द्वारा क्षतियों, जैसे और जब वे हुई, की सूचना फर्म को दी जाती थी। तथापि, फर्म की तरफ से क्षतिग्रस्त डी.टीज़ की मरम्मत के लिए

r यू.एच.बी.वी.एन.एल.: 1,560 के.एल. की आपूर्ति हेतु पी.ओ. नं. 6607 दिनांक 2 जून 2011
डी.एच.बी.वी.एन.एल.: 1,140 के.एल. की आपूर्ति हेतु पी.ओ. नं. 766 दिनांक 10 मई 2011

♦ यू.एच.बी.वी.एन.एल.: 1,560.02 के.एल. X ₹ 2,184.87 = ₹ 34.08 लाख और डी.एच.बी.वी.एन.एल.: 1,162.535 के.एल. X ₹ 2,184.87 = ₹ 25.40 लाख।

कोई अनुक्रिया नहीं थी और संख्या बढ़नी चालू रही और जनवरी 2006 तक 226 तक पहुंच गई। चूंकि फर्म क्षतिग्रस्त डी.टी.सी. की मरम्मत करने में विफल रहीं, कंपनी ने फर्म को ₹ 1.53 करोड़ की वसूली का नोटिस भेज दिया। इसके बदले यह कहते हुए कि डी.टीज की मरम्मत का उत्तरदायित्व इसका है न कि कमियों/टूटे पुर्जो को पूरा करना, फर्म ने कम/टूटी मदों की माल सूची बनाने के लिए संयुक्त निरीक्षण के लिए अनुरोध किया (फरवरी 2006)। संयुक्त निरीक्षण के अनुरोध को कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया इस आधार पर कि यह ठेके में शामिल नहीं था और ₹ 57.02 लाख की बी.जी. का (मार्च 2006) नकदीकरण करवा लिया गया। फर्म ने कंपनी को इस झगड़े के निपटान के लिए एक आरबीट्रेटर की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया (अप्रैल 2006)। आरबीट्रेशन में जाते समय 218 क्षतिग्रस्त डी.टीज भंडार में पड़े थे और 18 डी.टीज़ फर्म द्वारा उठा लिए गए थे परन्तु अभी तक लौटाए नहीं गए थे।

आरबीट्रेटर ने अपने निर्णय (नवंबर 2008) में कंपनी को ₹ 57.02 लाख की बी.जी. राशि रिफंड करने हेतु निर्देश दिया और ब्याज तथा मानहानि के मुआवजे, मुकद्दमा व्यय तथा आरबीट्रेशन की लागत के प्रति ₹ 40.71 लाख भी उद्गृहीत किए। आरबीट्रेटर ने निर्णय दिया कि डी.टीज़ के भौतिक निरीक्षण (अगस्त 2008) के दौरान कमियां, जैसा कि फर्म द्वारा आरोपित की गई थी, प्रमाणित हो गई। आरबीट्रेटर ने आगे निर्णय किया कि वारंटी अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त डी.टीज़ की फर्म को सूचना के अपने दावे तथा फर्म द्वारा 18 डी.टीज़ को मरम्मत के लिए उठाने परन्तु अभी तक वापस नहीं किए गए के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने में भी कंपनी विफल रही। विधि न्यायालय में कंपनी की निर्णय को चुनौती (फरवरी 2009) भी रद्द कर दी गई (मार्च 2010)। कंपनी ने फर्म को ₹ 97.73[@] लाख निर्मुक्त कर दिए (15 अक्तूबर 2010)।

हमने अवलोकित किया (नवंबर 2011) कि कंपनी ने यह दर्शाते हुए कि क्षतिग्रस्त डी.टीज़ की सूचना समय पर भेजी गई थी अभिलेख आरबीट्रेटर के समक्ष नहीं प्रस्तुत किए जिसके फलस्वरूप आरबीट्रेटर ने निर्णय दिया कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि डी.टीज़ वारंटी की अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त हुए थे। इसके फलस्वरूप उनके मरम्मत पर किया गया ₹ 24.56 लाख[δ] का अतिरिक्त व्यय हुआ। फर्म द्वारा मरम्मत के लिए उठाए गए पर न लौटाए गए 18 डी.टीज[Υ] के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण आरबीट्रेटर के समक्ष प्रस्तुत करने में भी कंपनी विफल रही, इस तथ्य के बावजूद कि इसके पास इन डी.टीज़ को उठाने संबंधी दस्तावेज थे, परिणामत: ₹ 12.19 लाख[#] की हानि हुई।

@ बैंक गारंटी की राशि - ₹ 57.02 लाख, मान और व्यापार की हानि के लिए मुआवजा - ₹ 1.00 लाख, मुकद्में के खर्चे - 0.50 लाख, आरबीट्रेशन की लागत - ₹ 1.54 लाख और बैंक गारंटी पर ब्याज - ₹ 37.67 लाख।

δ 218 डी.टीज x ₹ 11,268 (मरम्मत की औसत लागत)।

Υ जून 2005 में 2 डी.टीज और मार्च 2006 में 16 डी.टीज।

18 डी.टीज x 67,735 (डी.टी. की औसत लागत)।

अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2012) के दौरान सूचित किया कि कंपनी के द्वारा सर्वोत्तम प्रयत्न किए जाने के बावजूद फर्म के पक्ष में निर्णय दिया गया तथा कंपनी के पास हानि वहन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। सरकार का दावा तर्कसंगत नहीं था क्योंकि फर्म को भेजे गए क्षतिग्रस्त डी.टीज़ के संबंध में विभिन्न सूचना-पत्र तथा फर्म के प्रतिनिधि के द्वारा 18 डी.टीज़ को उठाने के लिए कंपनी के द्वारा जारी गेट पास अनुरक्षित करना तथा आरबीट्रेटर के सामने प्रस्तुत करना कंपनी का उत्तरदायित्व था। आरबीट्रेशन केस के गलत अनुसरण के अन्ततः परिणामस्वरूप ₹ 36.75 लाख की हानि हुई।

4.4 सांविधिक प्रावधान की उल्लंघना के कारण परिहार्य देयता

कंपनी उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा पर भुगतान किए ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती करने में विफल रही जिसके फलस्वरूप आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार ₹ 26.28 लाख की शास्ति तथा ₹ 6.86 लाख के दंडात्मक ब्याज के कारण देयता हुई।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने अधिसूचित किया (26 जुलाई 2005) कि अवधि, जिसके लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए अनुबंध चल रहा है, के दौरान भुगतान में किसी चूक के विरूद्ध सुरक्षा के लिए उन्हें आपूर्ति की गई/की जाने वाली बिजली के लिए खपत प्रतिभूति के रूप में उपभोक्ता हर समय कंपनी के पास चार मास/दो मास♦ की खपत प्रभार के बराबर एक राशि रखेंगे। कंपनी को उपभोक्ता द्वारा जमा की गई ऐसी खपत प्रतिभूति पर स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा अधिसूचित बचत बैंक दर या कोई ऐसी उच्चतर दर जो एच.ई.आर.सी. समय-समय पर निश्चित कर सकती है, पर ब्याज का भुगतान किया जाना है। इस प्रकार उपभोक्ता द्वारा उपार्जित ब्याज प्रतिवर्ष अप्रैल और मई महीनों के बिजली बिलों में समायोजित किया जाना था।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 ए प्रत्येक प्रापक पर प्रत्येक ₹ 5000/-से बढ़ने वाले ब्याज पर 10 प्रतिशत (व्यक्ति) और 20 प्रतिशत (कंपनियां) की दर पर स्रोत पर कर की कटौती के दायित्व का आदेश देती है। स्रोत पर कर की कटौती में विफलता के मौके पर प्रापक स्रोत पर कटौती योग्य कर की राशि के बराबर एक राशि शास्ति के लिए दायी है। इसके अतिरिक्त चूक किए गए कर भुगतान पर एक प्रतिशत प्रतिमास की दर पर ब्याज भी भुगतान योग्य है।

जून 2011 तथा मार्च 2012 के दौरान कंपनी के पानीपत, यमुनानगर सर्कल की लेखापरीक्षा में हमने अवलोकित किया कि ये तत्रैव, अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में विफल रहे थे तथा 2008-11 के दौरान अपने उपभोक्ताओं को दिए गए ₹ 1.31 करोड़ के ब्याज पर ₹ 26.28 लाख का स्रोत पर कर की कटौती करने में विफल रहे। यद्यपि कंपनी ने स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश जारी किए थे (फरवरी 2011) फिर भी ये कार्यालय आयकर अधिनियम 1961, के प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहे। इसने ₹ 26.28 लाख की शास्ति और आगे ₹ 6.86 लाख दण्डक ब्याज (मार्च 2012 तक) का उद्ग्रहण आकर्षित किया।

♦ चार महीने, जहां द्विमासिक बिलिंग का प्रचलन है और दो महीने, जहां मासिक बिलिंग का प्रचलन है।

अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सूचित किया (सितंबर 2012) कि आवश्यक वसूलियां परवर्ती बिलों में उपभोक्ताओं से कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी शास्ति और दण्डक ब्याज उपभोक्ताओं से वसूल नहीं कर सकती जो कि कंपनी के संबंधित कर्मचारियों की ओर से चूक के कारण उपार्जित हुआ।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

4.5 गलत श्रेणी में कनेक्शन की निर्मुक्ति

गलत शुल्क दर श्रेणी अनुप्रयोग करके कंपनी ने ₹ 52.68 लाख की राजस्व हानि उठाई।

कंपनी, सभी गैर-रिहायशी परिसरों अर्थात् व्यापार भवनों, सिनेमाघरों, क्लबों, सार्वजनिक कार्यालयों, होटलों इत्यादि को गैर-घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.) शुल्क दर प्रयोग करती है तथा मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवाएं और अन्य मिलिट्री स्थापनाओं, रेलवे (कर्षण से अन्य) केन्द्रीय पी.डब्ल्यू.डी., अस्पतालों, स्कूलों, कालेजों, विभागीय कालोनियों सहित कालोनियों और बहुमंजलीय इमारतों इत्यादि को भारी आपूर्ति (बी.एस.) शुल्क दर लागू है। एन.डी.एस. श्रेणी के अंतर्गत शुल्क दर बी.एस. श्रेणी की तुलना से उच्चतर♥ है।

यूनिटेक व्यापार पार्क लिमिटेड (उपभोक्ता) ने यूनिटेक व्यापार केंद्र, सैक्टर 43, गुड़गांव के लिए 2700 के.डब्ल्यू. के कनेक्टिड लोड के साथ विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया (जून 2003)। मुख्य अभियंता (सी.ई.) ने 2000 के.डब्ल्यू. से अधिक कनैक्टिड लोड स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के नाते प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी (जून 2003) बाद में सेवा कनेक्शन आदेश दिसंबर 2006 में निर्मुक्त कर दिया गया।

हमने अवलोकित किया (मई 2011) कि चूंकि उपभोक्ता का परिसर/इमारत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जा रहा है, उपभोक्ता को एन.डी.एस. श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। तथापि, कंपनी ने बी.एस. श्रेणी के अंतर्गत लोड संस्वीकृत कर दिया। गलत शुल्क दर श्रेणी में कनेक्शन की यह निर्मुक्ति जनवरी 2007 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान ₹ 52.68 लाख के कम राजस्व की वसूली का कारण बनी।

एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2012) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, विद्युत विभाग, हरियाणा सरकार ने बताया कि कनेक्शन बल्क एन.डी.एस. श्रेणी के अंतर्गत, न कि बी.एस. श्रेणी के अंतर्गत दिए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एन.डी.एस.-बी.एस. श्रेणी में मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवाएं और अन्य मिलिट्री स्थापनाएं, रेलवे (कर्षण से अन्य) केन्द्रीय पी.डब्ल्यू.डी. अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाएं और अन्य संस्थाएं तथा अन्य इसी प्रकार की स्थापनाएं जो शासकीय एवं सेवा प्रकृति की हैं, शामिल हैं तथा इसमें वाणिज्यिक प्रयोजन के

♥ एन.डी.एस. कनेक्शन के लिए सितंबर 2010 तक ₹ 4.19 प्रति इकाई की दर पर और उसके बाद ₹ 4.60 प्रति इकाई की दर पर।
बी.एस. कनेक्शन के लिए सितंबर 2010 तक ₹ 4.09 प्रति इकाई की दर पर और उसके बाद ₹ 4.30 प्रति इकाई की दर पर।

लिए प्रयुक्त किए जाने वाले परिसर शामिल नहीं हैं। उपभोक्ता का परिसर/इमारत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था इस प्रकार, कनेक्शन की निर्मुक्ति एन.डी.एस. श्रेणी, जो सभी गैर रिहायशी परिसरों पर लागू है, के अंतर्गत की जानी चाहिए थी। कंपनी ने परिणामत: ₹ 52.68 लाख की राजस्व हानि उठाई

4.6 अवसूली

हरियाणा सिविल सेवाएं, आश्वासित कैरियर प्रोत्साहन नियम 1998 के उल्लंघन में कंपनी ने अपात्र कर्मचारियों, जिन्हें ए.सी.पी. वेतनमान स्वीकृत किए गए थे, को भुगतान किए गए ₹ 20.75 लाख की वसूली नहीं की।

बिजली वितरण उपयोगिता अपने कर्मचारियों को समान वेतनमानों का लाभ दे रही है जैसाकि हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जा रहा है। कंपनी को वित्त विभाग की सहमति के बिना राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो अनुमत है उनसे अधिक वेतन और भत्ते के रूप में कोई लाभ प्रदान करने के लिए शक्तियां नहीं सौंपी गई हैं। इन आदेशों की तरह कंपनी ने सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए घोषित 'आश्वासित कैरियर प्रोत्साहन योजना' के लाभ प्रदान किए।

हमने अवलोकित किया (दिसंबर 2010) कि कंपनी ने उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन में, उनकी पदोन्नति को कंपनी में प्रथम प्रवेश की तरह मानते हुए उन मंडलीय/राजस्व लेखाकारों और अनुभाग अधिकारियों, जो निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करने में असमर्थ रहे, को भी ए.सी.पी. स्केल का लाभ प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए (मई 2007)। हरियाणा सरकार, वित्त विभाग ने इस विपथन को देखकर, विद्युत विभाग को मई 2007 का आदेश वापस लेने तथा वित्तीय अनौचित्य के लिए संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कंपनी को निदेश देने हेतु परामर्श दिया (मार्च 2010)।

कंपनी ने यद्यपि मई 2007 के आदेश वापस ले लिए (अक्तूबर 2010) परन्तु अपात्र कर्मचारियों, जिनको कथित नियमों के उल्लंघन में ए.सी.पी. स्केल प्रदान किए गए थे, को भुगतान किए गए ₹ 20.75 लाख की वसूली नहीं की। कंपनी ने बताया (फरवरी 2012) कि वित्तीय अनौचित्य के लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है और स्केल प्रदान करने का निर्णय निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) द्वारा लिया गया था और स्थिति वित्त विभाग को पहले ही सूचित कर दी गई थी (अक्तूबर 2010)। इस प्रकार, वाद रह जाता है कि कंपनी अपात्र कर्मचारियों को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने में विफल रही यद्यपि कंपनी ने मई 2007 के आदेश वापस ले लिए थे।

अपर प्रधान सचिव, विद्युत विभाग, हरिया ा सरकार ने एग्जिट कांफ्रेंस (सितंबर 2012) के दौरान बताया कि न्यायिक नि यि के अनुसार इस प्रकार के मामलों में वसूली नहीं की जा सकी। तथापि, तथ्य रहता है कि बी.ओ.डी. के गलत नि यि के कारण अपात्र कर्मचारियों को ए.सी.पी. स्केल की स्वीकृति हुई जिसके फलस्वरूप अधिक भुगतान हुआ।

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड

4.7 फालतू निधियों का अविवेकी प्रबंधन

फालतू निधियों के अविवेकी प्रबंधन के कारण अप्रैल 2009 से नवंबर 2010 तक कंपनी ने ₹ 27 लाख का ब्याज अर्जित करने का मौका गंवा दिया।

सरकार ने राज्य सार्वजनिक सैक्टर उद्यमों द्वारा फालतू जमाओं/निधियों के निवेश पर मार्ग निर्देश जारी किए। (जून 1997) उन्होंने निर्धारित किया कि एक पारदर्शी प्रणाली अपनाकर सुरक्षा उपलब्ध करवाते हुए केवल ऋण प्रतिभूतियों/सावधि जमाओं इत्यादि में निवेश किए जाने थे। निवेश करने से पूर्व, नकदी प्रवाह, कार्यचालन पूंजी आवश्यकताओं इत्यादि को ध्यान में रखते हुए फालतू निधियों की उपलब्धता का अनुमान लगाया जाना था और तदनुसार निवेश की अवधि चुनी जानी थी।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2011) कि तुरंत आवश्यकताओं से परे फालतू निधियां कंपनी के चालू खातों में पड़ी थी। अप्रैल 2009 से नवंबर 2010 के दौरान फालतू राशियां ₹ 2 करोड़ से ₹ 20.86 करोड़ तक श्रृंखलित थी। उस समय निर्णय लेकर कंपनी अपनी फालतू निधियां सावधि जमाओं या किसी अन्य उपयुक्त वित्तीय दस्तावेजों में निवेश कर सकती थी। यदि कंपनी ने अप्रैल 2009 से नवंबर 2010 के दौरान सावधि जमा में ₹ 2 करोड़ भी निवेश करती तो यह ₹ 27 लाख* की ब्याज आय अर्जित कर लेती।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (फरवरी 2012) तथा एग्जिट कान्फ्रेंस (नवंबर 2012) में सूचित किया कि सुधारात्मक उपाय किए गए हैं तथा सभी बैंक खाते आटो स्वीप सुविधा के साथ खोल दिए गए हैं।

हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड

4.8 राजस्व की हानि

कंपनी ने निविदा के अंतिमकरण में देरी के कारण ₹ 48.39 लाख के राजस्व की हानि उठाई।

कंपनी, जमा आधार पर निर्माण कार्यों में संलिप्त है तथा इसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित टोल बिन्दुओं पर टोल संग्रहण का कार्य सौंपा गया है। कंपनी ने 30 जून 2010 को उस समय चालू अनुबंध के समापन के तुरंत पश्चात् से एक वर्ष के लिए शामली-पानीपत मार्ग (टी-13) पर टोल संग्रहण के लिए बोलियां आमंत्रित की (31 मार्च 2010)। राज्य सरकार के अनुमोदन (3 जून 2010) के बाद वित्तीय बोलियां खोली गई (14 जून 2010)। कंपनी ने उच्चतम बोलीकर्त्ता (ठेकेदार) को ₹ 6.68 करोड़ प्रति वर्ष अर्थात् ₹ 55.67 करोड़ प्रति मास पर एक

* अप्रैल 2009 से नवंबर 2010 तक (20 महीने) 8.10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर परिकलित।

साल के लिए स्वीकृति पत्र (एल.ओ.ए.) जारी कर दिया तथा 2 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 (364 दिन) तक अधिसूचित दरों पर टोल संग्रहण के लिए प्राधिकार पत्र (एल.ए.) प्रदान कर दिया। ठेकेदार ने कंपनी को इसकी प्रक्रिया के अनुसार ठेका 30 सितंबर 2011 तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया क्योंकि निविदा आमंत्रित करने वाले विस्तृत नोटिस में ठेके की अवधि एक वर्ष की थी और उसे ठेका केवल 364 दिन के लिए दिया गया था। कंपनी ने अनुरोध स्वीकार कर लिया तथा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर ठेका 30 सितंबर 2011 तक बढ़ा दिया। इस वृद्धि से अनुवर्ती ठेके के आरंभ में देरी हो गई और यह 1 अक्तूबर 2011 से 30 सितबर 2012 तक शुरू हुआ जो अन्य ठेकेदार को ₹ 8.62 करोड़ अर्थात् ₹ 71.80 लाख प्रति मास पर प्रदान किया गया।

हमने अवलोकित किया (दिसंबर 2011) कि कंपनी ने राज्य सरकार के अनुमोदन की प्राप्ति के बाद वित्तीय बोली को खोलने में देरी कर दी। इसी प्रकार, एल.ओ.ए. 16 जून 2010 को जारी कर दिया गया परन्तु एल.ए. 15 दिन बाद 1 जुलाई 2010 को प्रदान की गई। बोली को खोलने और परिणामत: एल.ए. प्रदान करने में देरी के कारण ठेके को 2 जुलाई 2010 से शुरू करवाया गया तथा ठेके की अवधि पूर्ण एक वर्ष की बजाय 364 दिन तक कम हो गई। बाद में बोलीकर्त्ता की मांग पर ठेके की अवधि 30 सितंबर 2011 तक बढ़ानी पड़ी थी। इस प्रकार, निविदा के अंतिमकरण में देरी के कारण कंपनी ने ₹ 48.39 लाख♦ के राजस्व की हानि उठाई।

कंपनी ने बताया (अप्रैल 2012) कि वित्तीय बोलियां नहीं खोली जा सकी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने एक बोलीकर्त्ता के अभिवेदन का निर्णय करने के निर्देश दिए थे (18 मई 2010) जिसका अंत में 25 मई 2010 को निर्णीत किया गया। तत्पश्चात, वित्तीय बोलियां सभी बोलीकर्त्ताओं को नोटिस देने के बाद 16 जून 2010 को खोली गई। एल.ओ.ए. भी उसी तिथि को जारी कर दिया गया। ठेकेदार ने 28 जून 2010 को निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत की जिसकी बैंक से 30 जून 2010 को सत्यापन करने के बाद ठेकेदार को 1 जुलाई 2010 को एल.ए. जारी कर दिया गया।

एक्जिट कान्फ्रेंस (नरवंबर 2012) के दौरान अपर मुख्य सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) विभाग, हरियाणा सरकार तथा कंपनी के एम.डी. ने बताया कि अभिवेदन पर कोर्ट के निर्णय के पश्चात् एल.ओ.ए. जारी करने में कोई विलंब नहीं था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कंपनी, एल.ओ.ए. जारी करने में एक दिन के भी विलंब के परिणामों से भली भांति अवगत थी तथा अनुबंध के आरंभ करने में एक दिन के विलंब हेतु तीन माह का विस्तारण प्रदान करने में कंपनी की कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ 48.39 लाख की हानि हुई।

♦ ₹ 71.80 लाख और ₹ 55.67 लाख का अंतर अर्थात् ₹ 16.13 लाख x 3 माह।

4.9 राजस्व की हानि

आबंटन पत्र के विलंबित निर्गम के कारण कंपनी ने ₹ 78 लाख के राजस्व की हानि उठाई।

कंपनी ने एक वर्ष की अवधि के लिए फिरोजपुर-झिरका-बीवन मार्ग पर टोल कर के संग्रहण के लिए ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की। बोली बंद होने की तिथि से 90 दिन अर्थात् 24 अक्तूबर 2010 तक की वैधता के साथ बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2010 थी। बोलीकर्त्ताओं द्वारा बयाना धन 5 अगस्त 2010 तक जमा करवाया जाना था।

निविदा आबंटन समिति (टी.ए.सी.) ने 3 नवंबर 2010 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान ₹ 5.09 करोड़ प्रतिवर्ष की मैसर्ज आर.के. कंस्ट्रक्शन कंपनी (ठेकेदार), मेरठ की उच्चतम बोली स्वीकार करने का नि र्य लिया। कंपनी ने ठेकेदार को 3 नवंबर 2010 को स्वीकृति पत्र (एल.ओ.ए.) जारी किया और 24.11.2010 तक क्रियान्वित किए जाने वाले ठेका अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए प्रतिभूति जमा करने के लिए कहा। ठेकेदार ने, तथापि, तर्क देते हुए कि बोली की वैधता पहले ही समाप्त (24 अक्तूबर 2010) हो चुकी थी, एल.ओ.ए. स्वीकार नहीं किया (5.11.2010) और बयाना धन के रिफंड हेतु अनुरोध किया। ठेकेदार ने एल.ओ.ए. रद्द करवाने कि लिए पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की (16 नवंबर 2010)। न्यायालय ने निर्णय दिया (8 अप्रैल 2011) और ठेकेदार को 1 मई 2011 से 31 मार्च 2011 तक निविदा का संचालन, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जो 2 जुलाई 2010 की निविदा में निहित थी, करने हेतु विकल्प दिया। दोनों पक्षों के इसके लिए सहमत होने पर, कंपनी ने टोल संग्रहण के लिए ठेका मई 2011 से मार्च 2012 तक दे दिया। इतने में, 25 अक्तूबर 2010 से 30 अप्रैल 2011 तक टोल संग्रहण विभागीय तौर पर किया गया।

हमने देखा (दिसंबर 2011) कि निविदा के खण्ड 9 और बोलीकर्त्ताओं को निर्देशों की धारा 2 के खण्ड 7 ने निर्धारित किया कि बोली की वैधता 24 अक्तूबर 2010 अर्थात् बोली की समाप्ति की तिथि (27 जुलाई 2010) से 90 दिन तक थी, कंपनी ने 90 दिनों की गणना बोली की समाप्ति तिथि या बयाना धन के जमा करने की तिथि से करने में अस्पष्टता का उल्लेख करते हुए बोली की वैधता 3 नवंबर 2010 अर्थात् बयाना धन के जमा करने की तिथि से 90 दिन तक माना। तथापि, कंपनी ने ठेकेदार को एल.ओ.ए. समय पर जारी नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकद्दमेबाजी हुई तथा टोल ठेकेदार द्वारा टोल संग्रहण करने में समर्थ न होने तथा इसके बजाए विभागीय तौर पर करवाने के कारण ₹ 78 लाख[#] के राजस्व की हानि उठाई।

25 नवंबर 2010 से 30 अप्रैल 2011 (157 दिन) तक की अवधि से संबंधित ठेकेदार के प्रस्ताव (₹ 5.09 करोड़ x 157 दिन, 365 दिन = ₹ 2.19 करोड) और विभागीय संग्रहण (₹ 1.41 करोड़) का अंतर।

एक्जिट कान्फ्रेंस (नरवंबर 2012) के दौरान अपर मुख्य सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) विभाग, हरियाणा सरकार तथा कंपनी के एम.डी. ने बताया कि प्रथा के अनुसार, संगठन के हित में बयाना धन के प्रस्तुतिकरण की तिथि से 90 दिनों की अवधि परिगणित की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि पार्टियां बोली दस्तावेजों की शर्तों से बंधी थी तथा जैसा कि कोर्ट ने आपसी सहमति से निविदा लागू करने हेतु ठेकेदार को विकल्प दिया था, निर्णय ठेकेदार के पक्ष में था तथा केवल कंपनी के पक्ष में नहीं था।

4.10 अनियमित व्यय

कंपनी ने निधियों की प्राप्ति के बिना ₹ 28.90 करोड़ पर दो मार्गों की मरम्मत की।

कंपनी, निर्माण, सड़कों और पुलों के निर्माण एवं मरम्मत और अन्य कोई संरचना कार्य के मुख्य उद्देश्यों के साथ स्थापित की गई थी। यह पी.डब्लू.डी. सड़कों के उन्नयन/मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़कें) पी.डब्लू.डी. (बी. एंड आर.) हरियाणा की ओर से जमा कार्य करती है। कंपनी द्वारा इन क्रियाकलापों को करते हुए नीचे बताए मामलों का अनुसरण विभिन्न सांवधिक प्रावधानों की अनुपालना के साथ स्वतंत्र और प्रबंधकीय प्रणाली की आवश्यकता है।

- हरियाणा पी.डब्लू.डी. संहिता (कंपनी को लागू) के प्रावधान अपेक्षा करते हैं कि जमा कार्य के कारण कोई देयता पूर्ण किए जाने से पूर्व निधियां वसूल की जानी चाहिए। कार्य को संबंधित प्राधिकारियों से तकनीकी तथा प्रशासनिक संस्वीकृति भी प्राप्त होनी चाहिए;

- स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों तथा मजबूत वित्तीय प्रथाओं के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रत्येक परियोजना के विरूद्ध प्राप्त निधियों के पृथक लेखे रखना अपेक्षित है; तथा

- अपने संपादनों में स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की राज्य सरकार के विभागीय कार्यचालन से अलग स्वतंत्र प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए।

हमने अवलोकित किया (जनवरी 2011) कि पी.डब्लू.डी. (बी. एंड आर.) ने कंपनी को जमा कार्य के आधार पर दो मार्गों अर्थात् जटवाड़ा मार्ग सहित सहलवास अम्बोली–बिठाला–ढाकला एस.एच.–22 तथा झज्जर जिले में छछालावास–अचेज–पोहरीपुर–मलिकपुर–सतीपुर मार्ग का मरम्मत कार्य आबंटित किया। कार्य ₹ 28.90 करोड़ के लिए निम्नतम बोलीकर्त्ता मैसर्ज गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, हिसार को दे दिया गया (अगस्त 2009)। चूंकि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) ने इस कार्य के लिए निधियां जमा नहीं करवाई, कंपनी ने अन्य कार्यों (शीर्ष 5054 एन.सी.आर.) से निधियां विपथित करके कार्य पूर्ण करवाया। इस कार्य पर कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति अभी तक पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा नहीं की गई

थी (जुलाई 2012)। इस संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईं:

कंपनी ने ₹ 28.90 करोड़ की लागत का उपर्युक्त जमा कार्य का उत्तरदायित्व लिया और हरियाणा पी.डब्लू.डी. संहिता के उल्लंघन में निधियों की प्राप्ति के बिना देयता कर दी।

कार्य के प्रारंभ से पहले प्रशासनिक और तकनीकी संस्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी।

प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक लेखाओं के अननुरक्षण के कारण कार्य, जो दो अनुशीर्षक कार्यों के लिए ₹ 28.90 करोड़ की निधियों के विपथन के कारण रह गए थे, की पहचान नहीं की जा सकी।

चूंकि पी.डब्लू.डी. (बी. एंड आर.) का प्रमुख अभियंता भी कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में काम करता है इसके कारण कंपनी की स्वायतता का क्षय हुआ और कंपनी को निधियों की अग्रिम प्राप्ति के बिना तथा संहितिक अपेक्षाओं के उल्लंघन में कार्य प्रचालित करने पड़े थे।

एक्जिट कान्फ्रेंस (नवम्बर 2012) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) विभाग, हरियाणा सरकार तथा कंपनी के एम.डी. ने अनुच्छेद में उठाए गए बिंदु से सहमत होते हुए बताया कि इस मामले में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था तथा इस कार्य पर व्यय की गई आवश्यक निधियां राज्य सरकार से मांगी गई थी।

इस प्रकार, कंपनी ने निधियों की अग्रिम प्राप्ति के बिना अनियमित रूप में ₹ 28.90 करोड़ का व्यय किया।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

4.11 ब्याज की हानि

अन्तरीय दावों के अप्रस्तुतिकरण के कारण ₹ 1.57 करोड़ के ब्याज की हानि

भारत सरकार/एफ.सी.आई द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार, कंपनी भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.सी.पी.)[१] पर राज्य में अनाज के प्रापण में संलग्न है। कंपनी द्वारा प्राप्त बाजरा विभिन्न स्थानों पर गोदामों में भंडार किया गया है और एफ.सी.आई के उदाहरण पर खुली निविदाओं के द्वारा बेचा जाता है। यह क्रेताओं को बाजरा उनसे भुगतान संग्रहण करने के बाद वितरित करती है। भारत सरकार/एफ.सी.आई एक

१ एम.एस.पी. वह मूल्य है जिस पर सरकार सीधे किसानों से उपज खरीदने के लिए तैयार होती है यदि उपज मूल्य एम.एस.पी. से निम्नतर चला जाता है।

अस्थाई आर्थिक लागत (पी.ई.सी) निर्धारित करती है जिसमें एम.एस.पी. प्लस कंपनी द्वारा किए गए प्रासंगिक प्रभार जैसे बाजार शुल्क, दामी, मंडी श्रम प्रभार, भंडारण प्रभार, ब्याज प्रभार तथा गनी बैग की लागत इत्यादि प्रतिपूर्ति के लिए शामिल होती है। यदि बाजरा के निपटान से वसूली पी.ई.सी. से कम है तो कंपनी एफ.सी.आई. से अंतरीय राशि का दावा करती है।

कंपनी ने 2008-09 खरीफ मार्केटिंग सीजन (के.एम.एस.) के दौरान ₹ 987.29 प्रति क्विंटल की पी.ई.सी. दर पर 89,646 एम.टी. बाजरे का प्रापण किया। कंपनी ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान 2008-09 के एम.एस. से संबंधित 88,490♠ एम.टी. बाजरा विभिन्न दरों लेकिन पी.ई.सी. से कम पर निपटा दिया। प्रक्रिया के अनुसार इन विक्रय संपादनों के अंतरीय दावे भुगतान के लिए तुरंत एफ.सी.आई. को प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे। हमने अवलोकित किया (जनवरी 2011) कि हिसार के संबंध में 35,527 एम.टी. बाजरा के लिए ₹ 5.09 करोड़ तथा जींद जिलों के संबंध में 17,824 एम.टी. बाजरा के लिए ₹ 1.57 करोड़ की राशि के अंतरीय दावे कंपनी द्वारा एफ.सी.आई. को प्रस्तुत नही किए गए थे। अगस्त 2012 तक भी स्थिति मे परिवर्तन नहीं हुआ था।

एग्जिट कांफ्रेंस (3 सितंबर 2012) के दौरान वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, कृषि विभाग, हरियाणा सरकार ने तथ्य स्वीकार किए तथा तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इस प्रकार, स्टॉक की सुपुर्दगी से पहले कतलाज पर हस्ताक्षर करवाने में कंपनी की विफलता तथा बाद में अंतरीय दावे तुरंत प्रस्तुत करने में समर्थन होने के कारण कंपनी ने इस अवरूद्ध पूंजी पर ₹ 1.57* करोड़ के ब्याज की हानि उठाई (अगस्त 2012 तक)।

हम कंपनी को, ऐसे विलंबों, जो इसके अर्थिक हितों को हानि पंहुचाते हैं, की पुनरावृत्ति के परिहार के लिए प्रक्रियाएं विकसित करने हेतु सिफारिश करते हैं।

सामान्य

4.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लंबित उत्तर

4.12.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सरकार के विभागों तथा विभिन्न कार्यालयों में अनुरक्षित लेखाओं और अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ प्रारंभ संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा को निरूपित करता है। अत: यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी से

♠ कुल प्राप्त मात्रा और विक्रय में अंतर सूखे के कारण है।

* बाजरा के विक्रय से एक महीने का मार्जिन अनुमत करने के बाद 10.30 प्रतिशत की नकद क्रेडिट दर पर परिकलित।

समुचित तथा सामायिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निदेश जारी किए (जुलाई 1996) कि वे उनके विधान सभा को प्रस्तुति के तीन महीनों की अवधि के अंदर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेद/समीक्षाओं के उत्तर (विधान सभा को उनके प्रस्तुतिकरण के तीन माह की अवधि के भीतर) किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारित फोर्मेट में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किए (जुलाई 1996)।

यद्यपि 2009-10 तथा 2010-2011 के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा को क्रमश: मार्च 2011 तथा फरवरी 2012 में प्रस्तुत किए गए थे, तीन विभागों ने, जिन पर टिप्पणियां की गई थी, नीचे इंगित किए अनुसार 27 अनुच्छेदों/समीक्षाओं में से 14 के उत्तर 31 मार्च 2012 तक प्रस्तुत नहीं किए।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट समीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या		समीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे	
	समीक्षाएं	अनुच्छेद	समीक्षाएं	अनुच्छेद
2009-10	2	14	1	08
2010-11	2	9	2	03
कुल	**4**	**23**	**3**	**11**

विभाग-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 12*** में दिया गया है। प्रतीक्षित उत्तर मुख्यत: विद्युत विभाग से थे। सरकार ने प्रणाली की विफलताएं, कुप्रबंधन और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वन में कमियां जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर विशेष बल देने वाली समीक्षाओं पर भी अनुक्रिया नहीं की।

लोक उपक्रम समिति (कोपु) के प्रतिवेदनों पर लंबित कृत कार्यवाही टिप्पणियां

4.12.2 मार्च 2007 और मार्च 2012 के बीच राज्य विधान सभा को प्रस्तुत कोपु के चार प्रतिवेदनों से संबंधित नौ अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मार्च 2012)। जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

कोपु रिपोर्ट का वर्ष	आवेष्टित रिपोर्टों की कुल संख्या	कोपु रिपोर्ट में अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2006-07	1	47	2 (अनुच्छेद संख्या 10 एवं 44)
2008-09	1	14	1 (अनुच्छेद संख्या 14)
2010-11	1	10	1 (अनुच्छेद संख्या 8)
2011-12	1	08	5 (अनुच्छेद संख्या 1 से 3, 5 एवं 8)
कुल	**4**	**79**	**9**

कोपु के इन प्रतिवेदनों में पांच[@] विभागों से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें सम्मिलित हैं जो 1999-2000 से 2007-08 के वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में प्रकट हुई थी।

कोपु की लंबित सिफारिशें

4.12.3 ***परिशिष्ट 13*** में दिए अनुसार 1976-77 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 156 सिफारिशें से समायुक्त समिति के 24 प्रतिवेदन, 31 मार्च 2012 तक कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। विभागों द्वारा, इन सिफारिशों के अकार्यान्वन के कारण कोपु द्वारा वांछित सुधार प्राप्त नहीं किए जा सके।

निरीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप अनुच्छेद और निष्पादन लेखापरीक्षा

4.12.4 लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा देखी गई और स्थल पर समायोजित न की गई अभियुक्तियां पी.एस.यूज के संबंधित अध्यक्षों और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आर.) के माध्यम से सम्प्रेषित की जाती हैं। पी.एस.यूज के अध्यक्षों को आई.आरज के उत्तर संबंधित विभागों के अध्यक्षों द्वारा छः सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं। मार्च 2012 तक जारी आई.आरज की समीक्षा ने प्रकट किया कि 11 विभागों से संबंधित 100 आई.आरज से संबंधित 410 अनुच्छेद 30 सितंबर 2012 तक लंबित रहे। 30 सितंबर तक लंबित आई.आरज और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विभागवार विघटन ***परिशिष्ट 14*** में दिया गया है।

सरकार ने अपने उत्तर (जून 2012) में बताया कि अनुवर्ती कार्यवाही प्रभावशाली रूप से की जा रही है। उन्होंने बताया कि विस्तृत निर्देश मार्च तथा अप्रैल 2007 में जारी किए गए थे और विभिन्न विस्तृत निर्देश/स्मरण पत्र सभी विभागों तथा पी.एस.यूज को समय-समय पर जारी किए जाते हैं। सरकार का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कई पी.एस.यूज लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को ए.टी.एनज़ समय पर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

इसी प्रकार, प्रारूप अनुच्छेदों और पी.एस.यूज़ के कार्यचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन संबंधित प्रशासनिक विभागों के सचिवों को अर्ध-सरकारी तौर पर तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि और उन पर उनकी टिप्पणियां छः सप्ताह की अवधि के भीतर प्राप्त करने के लिए अग्रेषित किए जाते हैं। तथापि, क्रमशः जुलाई 2012 एवं सितंबर 2012 के दौरान अग्रेषित एक प्रारूप अनुच्छेद (उद्योग विभाग) तथा उद्योग विभाग से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के उत्तर अभी तक नहीं दिए गए थे (दिसम्बर 2012)।

@ विद्युत, उद्योग, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.), पर्यटन और वन।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार सुनिश्चित करें कि (क) कर्मचारी जो निर्धारित समय सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप अनुच्छेदों/समीक्षाओं के उत्तर तथा कोपु की सिफारिशों के लिए ए.टी.एन. भेजने में विफल रहते हैं के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया विद्यमान है; (ख) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली के लिए कार्यवाही निर्धारित अवधि के भीतर की जाती है; तथा (ग) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया की प्रणाली पुनः तैयार की जाती है।

ओंकार नाथ

चण्डीगढ़ **(ओंकार नाथ)**
दिनांक : **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांक : **भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट -1

सांविधिक निगमों एवं सरकारी कम्पनियों के संबंध में 31 मार्च 2012 को अद्यतन प्रदत्त–पूंजी, बकाया ऋणों तथा मानव शक्ति के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 1.6 में संदर्भित)

(कालम 5 (क) से 6 (घ) तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी $				2011-12 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2011-12 के लिए ऋण साम्या अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
क. कार्यचालन सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	30 मार्च 1967	2.54	1.60	-	4.14	-	-	-	-	-	184
2.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	-सम-	27 मार्च 1974	1.37	-	0.20	1.57	-	-	-	-	-	158
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	-सम-	12 सितम्बर 1974	2.76	1.11	1.14 (0.14)	5.01 (0.14)	0.96	-	-	0.96	0.19:1 -	333
4.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	वन	7 दिसम्बर 1989	0.20	-	-	0.20	-	-	-	-	-	104
	क्षेत्रवार योग			**6.87**	**2.71**	**1.34 (0.14)**	**10.92 (0.14)**	**0.96**	**--**	**-**	**0.96**	**0.09:1 (0.15:1)**	**779**
वित्त													
5.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	2 जनवरी 1971	25.14	22.96		48.10	-	-	9.52	9.52	0.20:1 **(0.23:1)**	145

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी $				2011-12 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2011-12 के लिए ऋण साम्या अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
6.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	-सम-	10 दिसम्बर 1980	20.52 (1.00)	-	-	20.52 (1.00)	9.12	-	65.57	74.69	3.64:1 (3.51:1)	47
7.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	महिला एवं बाल विकास	31 मार्च 1982	16.61	-	-	16.61	-	-	-	-	-	63
	क्षेत्रवार योग			**62.27 (1.00)**	**22.96**	**-**	**85.23 (1.00)**	**9.12**	**-**	**75.09**	**84.21**	**0.99:1 0.25:1**	**255**
मूलभूत संरचना													
8.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	8 मार्च 1967	70.70 (21.90)	-	-	70.70 (21.90)	25.00	-	628.53	653.53	9.24:1 (1.02:1)	579
9.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	29 दिसम्बर 1989	25.00	-	-	25.00	-	-	140.63	140.63	5.63:1 (3.83:1)	181
10.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर)	13 मई 1999	122.04	-	-	122.04	-	-	-	-	- (0.50:1)	2
क्षेत्रवार योग				**217.74 (21.90)**	**-**	**-**	**217.74 (21.90)**	**25.00**	**-**	**769.16**	**794.16**	**3.65:1 (1.05:1)**	**762**
विद्युत													
11.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	विद्युत	17 मार्च 1997	2677.16 (968.99)	-	145.00	2822.16 (968.99)	-	4.29	5457.50	5461.79	1.94:1 (1.65:1)	4185
12.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	-सम-	19 अगस्त 1997	1936.72 (674.87)	-	-	2611.59 (674.87)	498.68	-	3650.22	4148.90	2.14:1 (2.43:1)	4983

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी $				2011-12 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2011-12 के लिए ऋण साम्या अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
13.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	-सम-	15 मार्च 1999	1050.43 (173.00)	-	546.98	1597.41 (173.00)	33.64	-	9418.12	9451.76	5.92:1 (5.76:1)	10995
14.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	-सम-	15 मार्च 1999	969.29 (146.10)	-	437.27	1406.56 (146.10)	112.36	-	1490.42	1602.78	1.14:1 (1.11:1)	10876
15.	यमुना कोयला कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड [Y]	-सम-	15 जनवरी 2009	-	-	1.24	1.24	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**6633.60 (1962.96)**		**1130.49**	**8438.96 (1962.96)**	**644.68**	**4.29**	**20016.26**	**20665.23**	**2.66:1 (2.68:1)**	**31039**
सेवाएं													
16.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	पर्यटन एवं जन सम्पर्क	1 मई 1974	21.46	-	-	21.46	-	-	-	-	-	1713
17.	हरियाणा रोडवेज अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड	परिवहन	27 नवम्बर 1987	6.60	-	-	6.60	-	-	-	-	- (0.33:1)	134
18.	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	इलैक्ट्रोनिक्स	15 मई 1982	9.86	-	-	9.86	-	-	-	-	-	243
19.	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड[@]	-सम-	8 मार्च 1995	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-
20.	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लि0	नगर तथा ग्राम आयोजना	14 फरवरी 1996	14.72	-	-	14.72	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**52.64**	**-**	**0.50**	**53.14**						**2090**
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यचालन सरकारी कम्पनियां)				**6973.12 (1985.86)**	**25.67**	**1132.33 (0.14)**	**8805.99 (1986.00)**	**679.76**	**4.29**	**20860.51**	**21544.56**	**2.65:1 (2.59:1)**	**34925**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी $				2011-12 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2011-12 के लिए ऋण साम्या अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
ख. कार्यचालन सांविधिक निगम													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा भाण्डागार निगम	कृषि	1 नवम्बर 1967	2.92	2.92	-	5.84	-	-	30.19	30.19	5.17:1 (5.97:1)	779
क्षेत्रवार योग				**2.92**	**2.92**		**5.84**			**30.19**	**30.19**	**5.17:1 (5.97:1)**	**779**
वित्त													
2.	हरियाणा वित्तीय निगम	उद्योग	1 अप्रैल 1967	201.86	-	5.65	207.51	-	-	152.84	152.84	0.74:1 (1.12:1)	182
क्षेत्रवार योग				**201.86**	**-**	**5.65**	**207.51**	**-**	**-**	**152.84**	**152.84**	**0.74:1 (1.12:1)**	**182**
योग ख. (सभी क्षेत्रवार कार्यचालन सांविधिक निगम)				**204.78**	**2.92**	**5.65**	**213.35**	**-**	**-**	**183.03**	**183.03**	**0.86:1 (1.27:1)**	**961**
सकल योग (क+ख)				**7178.40 (1985.86)**	**28.59**	**1137.98 (0.14)**	**9019.34 (1986.00)**	**679.76**	**4.29**	**21043.54**	**21727.59**	**2.60:1 (2.56:1)**	**35886**
ग. गैर – कार्यचालन सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	कृषि	9 जनवरी 1970	10.89	-	-	10.89	97.64	-	-	97.64	8.97:1 **(8.97:1)**	-
क्षेत्रवार योग				**10.89**			**10.89**	**97.64**	**-**	**-**	**97.64**	**8.97:1 (8.97:1)**	**-**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी $				2011-12 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2011-12 के लिए ऋण साम्या अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
वित्त													
2.	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	उद्योग	19 जून 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूलभूत संरचना													
3.	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड[@]	-सम-	29 नवम्बर 1973	2.90	-	3.95	6.85	1.39	-	2.30	3.69	0.54:1 (0.54:1)	-
क्षेत्रवार योग				**2.90**		**3.95**	**6.85**	**1.39**	**-**	**2.30**	**3.69**	**0.54:1 (0.54:1)**	**-**
विनिर्माण													
4.	हरियाणा टैनरीज लिमिटेड	उद्योग	12 सितम्बर 1972	1.17	-	0.18	1.35	-	-	-	-	-	
क्षेत्रवार योग				**1.17**	**-**	**0.18**	**1.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
सेवाएं													
5.	हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	उद्योग	20 फरवरी 1976	2.65	0.30	-	2.95	-	-	-	-	-	-
6.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लिमिटेड	-सम-	19 जुलाई 1967	1.81	-	0.10	1.91	9.21	-	-	9.21	4.82:1 (4.82:1)	-
क्षेत्रवार योग				**4.46**	**0.30**	**0.10**	**4.86**	**9.21**	**-**	**-**	**9.21**	**1.90:1** (1.90:1)	**-**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमीकरण का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी $				2011-12 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2011-12 के लिए ऋण साम्या अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
विविध													
7.	हरियाणा खनिज लिमिटेड@	खदान एवं भू-विज्ञान	2 दिसम्बर 1972	-	-	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग						**0.24**	**0.24**	-	-	-	-	-	-
योग ग. (सभी क्षेत्रवार गैर – कार्यचालन सरकारी कम्पनियां)				**19.42**	**0.3**	**4.47**	**24.19**	**108.24**	**-**	**2.30**	**110.54**	**4.57:1 (4.93:1)**	**-**
कुल योग (क+ख+ग)				**7197.32 (1985.86)**	**28.89**	**1142.45 (0.14)**	**9043.53 (1986.00)**	**788.00**	**4.29**	**21045.84**	**21838.13**	**2.61:1 (2.53:1)**	**35886**

टिप्पणी: कम्पनियों/निगमों, जिन्होंने 2011-12 हेतु अपने लेखे अन्तिम कर दिये थे, को छोड़कर, आंकड़े अनन्तिम हैं तथा कम्पनियों तथा निगमों द्वारा दिए गए अनुसार हैं।

कालम 5 (क) से 5(घ.) में कोष्टकों में आंकड़े शेयर आवेदन धन इंगित करते हैं।

$ प्रदत्त पूंजी में शेयर आवेदन राशि शामिल है।

@ सहायक कम्पनियां।

** 2011-12 की समाप्ति पर बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋणों को निरूपित करते हैं।

\' क्रम संख्या क-15 पर कम्पनी 619 ख कम्पनी है।

परिशिष्ट-2

अनन्तिम वर्ष, जिसके लिए लेखे अन्तिम किए गए थे, हेतु सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के संक्षेपित वित्तीय परिणाम

(अनुच्छेद 1.14 में संदर्भित)

(कालम 5 (क) से 11 तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(–)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी[a]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ[b]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याज एवं मूल्यह्रास से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. कार्यचालन सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं सहायक														
1.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	(+) 88.35	81.84	0.31	(+) 6.20	1425.42	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	4.14	(+) 43.97	(+) 592.96	(+) 88.04	14.85
2.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	(-) 2.72	0.01	0.32	(-) 3.05	9.97	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	1.56	(+) 3.44	(+) 4.62	(-) 3.04	-
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	(+)3.04	0.95	0.96	(+)1.13	143.07	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	5.01	(+)7.42	(+)27.96	2.08	7.44
		2011-12	2012-13	(+) 3.80	1.42	1.21	(+) 1.17	167.48	अन्तिमकरण अधीन	5.01	(+) 8.55	27.99	(+) 2.59	9.25
4.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2011-12	(+) 3.74	-	0.08	(+) 3.66	27.16	-	0.20	(+) 20.22	(+) 20.13	(+) 3.66	18.18
क्षेत्रवार योग				**(+) 93.17**	**83.27**	**1.92**	**(+) 7.98**	**1630.03**	**-**	**10.91**	**(+) 76.18**	**(+) 645.70**	**(+) 91.25**	**14.13**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(–)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी[α]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ[$]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याज एवं मूल्यह्रास से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
वित्त														
5.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2011-12	(+) 1.44	0.25	0.04	(+) 1.15	1.77	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	38.59	(-) 1.07	(+) 47.89	(+) 1.40	2.90
6.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2006-07	2011-12	(+) 0.11	0.75		(-) 0.64	0.59	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	12.66	(-) 8.18	(+) 42.39	(+) 0.11	0.26
		2007-08	2011-12	(+) 2.45	1.28	0.01	(+) 1.16	0.36	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	13.66	(-) 7.02	(+) 49.29	(+) 2.44	4.95
		2008-09	2012-13	(-) 0.32	1.97	0.02	(-) 2.31	0.52	अन्तिमकरण अधीन	16.11	(-) 9.33	(+) 56.42	(-) 0.34	-
7.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2012-13	(+) 0.05	-	0.02	(+) 0.03	1.60	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	16.61	(+) 0.11	(+) 17.58	(+) 0.03	0.17
क्षेत्रवार योग				**(+) 1.17**	**2.22**	**0.08**	**(-) 1.13**	**3.89**	**-**	**71.31**	**(-) 10.29**	**(+) 121.89**	**(+) 1.09**	**0.89**
मूलभूत संरचना														
8.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	(+) 72.50	0.97	1.58	(+) 69.95	104.13	(-) 41.98	70.70	(+) 214.84	(+) 1109.38	(+) 70.92	6.39
9.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	(+) 1.86	1.31	0.18	(+) 0.37	147.71	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	25.00	(+) 0.37	(+) 130.46	(+) 1.68	1.28
10.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	(+) 83.74	12.84	42.84	(+) 28.06	99.95	(-) 1.77	122.04	(-) 65.50	(+) 154.89	(+) 40.90	26.41
क्षेत्रवार योग				(+) **158.10**	**15.12**	**44.60**	(+) **98.38**	**351.79**	**(-) 43.75**	**217.74**	(+) **149.71**	(+) **1394.73**	(+) **113.50**	**8.14:1**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(–)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी[a]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ[$]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याज एवं मूल्यह्रास से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विद्युत														
11.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	(+) 934.48	557.43	372.47	(+) 4.58	4927.57	(-) 16.86	2639.66	(-) 103.53	(+) 9939.27	(+) 562.01	5.65
12.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	(+) 606.08	306.11	159.90	(+) 140.07	1112.59	(-) 844.18	1261.85	(+) 266.56	(+) 5214.25	(+) 446.18	8.56
13.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	(+) 839.83	736.88	93.00	(+) 9.95	6972.46	(-) 908.89	1424.41	(-) 3819.86	(+) 6852.53	(+) 746.83	10.90
		2011-12	2012-13	(-) 792.74	1082.96	135.54	(-) 2011.24	6992.30	अन्तिमकरण अधीन	1424.41	(-) 5831.24	(-) 123.35	(-) 928.28	-
14.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2010-11	2012-13	(-) 348.15	377.64	68.43	(-) 794.22	6101.42	(-) 526.79	1260.47	(-) 2686.09	(+) 4529.60	(-) 416.58	-
15.	यमुना कोयला कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	2011-12	2012-13	(+) 0.01	-	-	(+) 0.01	-	अन्तिमकरण अधीन	1.24	(+) 0.03	(+) 1.27	(+) 0.01	0.78
क्षेत्रवार योग				**(+) 399.68**	**2324.14**	**736.34**	**(-) 2660.80**	**19133.88**	**(-) 1387.83**	**6587.63**	**(-) 8354.27**	**(+) 19561.04**	**(-) 336.66**	-
सेवाएं														
16	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2009-10	2012-13	(+) 6.45	-	2.29	(+) 4.16	184.65	अन्तिमकरण अधीन	20.19	25.39	(+) 181.33	(+) 4.16	2.29
17	हरियाणा रोडवेज अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड	2009-10	2012-13	(+) 11.28	1.70	5.89	(+) 3.69	55.99	अन्तिमकरण अधीन	6.40	(+) 6.98	(+) 26.00	(+) 5.39	20.73
18	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	(+) 4.83	-	0.45	(+) 4.38	29.32	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	9.85	(+) 36.72	(+) 48.34	(+) 4.38	9.06
19.	हारट्रोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड	2010-11	2011-12	(+) 0.03	-	-	(+) 0.03	0.33	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	0.50	(+) 2.46	(+) 2.93	(+) 0.03	1.02

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(–)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी[a]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ[ब]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याज एवं मूल्यह्रास से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20.	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लि0	2010-11	2011-12	(+) 5.89	-	1.04	(+) 4.85	1.09	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	14.72	(+) 8.99	(+) 36.94	(+) 4.85	13.13
क्षेत्रवार योग				**(+) 28.48**	**1.70**	**9.67**	**(+) 17.11**	**271.38**	**-**	**51.66**	**(+) 80.54**	**(+) 295.54**	**(+) 18.81**	**6.36**
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यचालन सरकारी कम्पनियां)				**(+) 680.60**	**2426.45**	**792.61**	**(-) 2538.46**	**21390.97**	**(-) 1431.58**	**6939.25**	**(-) 8058.13**	**(+) 22018.90**	**(-) 112.01**	**-**
ख. कार्यचालन सांविधिक निगम														
कृषि एवं सहायक														
1	हरियाणा भाण्डागार निगम	2010-11	2011-12	(+) 30.80	0.96	3.4	(+) 26.44	64.75	(-) 0.18	5.84	-	(+) 474.92	(+) 27.40	5.77
क्षेत्रवार योग				**(+) 30.80**	**0.96**	**3.4**	**(+) 26.44**	**64.75**	**(-) 0.18**	**5.84**	**-**	**(+) 474.92**	**(+) 27.40**	**5.77**
वित्त														
2	हरियाणा वित्तीय निगम	2011-12	2012-13	(-) 26.24	2.37	0.61	(-) 29.22	9.84	अन्तिमकरण अधीन	207.51	(-) 163.26	538.28	(-) 26.85	-
क्षेत्रवार योग				**(-) 26.24**	**2.37**	**0.61**	**(-) 29.22**	**9.84**	**(-) 0.18**	**207.51**	**(-) 163.26**	**538.28**	**(-) 26.85**	**-**
योग ख. (सभी क्षेत्रवार कार्यचालन सांविधिक निगम)				**(+) 4.56**	**3.33**	**4.01**	**(-) 2.78**	**74.59**	**(-) 0.18**	**213.35**	**(-) 163.26**	**(+) 1013.20**	**(+) 0.55**	**0.05:1**
कुल योग (क+ख)				**(+) 685.16**	**2429.78**	**796.62**	**(-) 2541.24**	**21465.56**	**(-) 1431.76**	**7152.60**	**(-) 8221.39**	**(+) 23032.11**	**(-) 111.46**	**-**

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(–)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी[a]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ[b]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याज एवं मूल्यह्रास से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ग. गैर – कार्यचालन सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं सहायक														
हरियाणा लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड		2009-10	2011-12	(-)1.76	10.16	-	(-)11.92	-	-	10.89	(-)311.72	(-)116.15	(-)1.76	-
		2010-11	2011-12	(+) 0.26	10.16	-	(-) 9.90	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	10.89	(-) 321.62	(-) 115.90	0.26	-
क्षेत्रवार योग				**(+) 0.26**	**10.16**	**-**	**(-) 9.90**	**-**	**-**	**10.89**	**(-) 321.62**	**(-) 115.90**	**0.26**	**-**
वित्त														
2	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	31 अगस्त 2001 को समाप्त	2003-04	-	-	-	-	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
मूलभूत संरचना														
3	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड	1997-98	1998-99	(-) 2.85	4.40	0.72	(-) 7.97	-	-	6.85	(-) 27.18	9.40	(-) 3.57	-
क्षेत्रवार योग				**(-) 2.85**	**4.40**	**0.72**	**(-) 7.97**	**-**	**-**	**6.85**	**(-) 27.18**	**9.40**	**(-) 3.57**	**-**
विनिर्माण														
4.	हरियाणा टैनरीज लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-		1.35	(-) 10.57	(-) 0.40	-	-
क्षेत्रवार योग										**1.35**	**(-) 10.57**	**(-) 0.40**	-	
सेवाएं														
5	हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	-	-	-	-	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	2.95	(-) 5.50	0.53	-	-

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(–)				आवर्त	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी[@]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ[$]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याज एवं मूल्यह्रास से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	(-) 0.16	1.06	-	(-) 1.22	0.05	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	1.91	(-) 25.82	(-) 13.11	(-) 0.16	-
क्षेत्रवार योग				**(-) 0.16**	**1.06**		**(-) 1.22**	**0.05**		**4.86**	**(-) 31.32**	**(-) 12.58**	**(-) 0.16**	-
विविध														
7	हरियाणा खनिज लिमिटेड	2007-08	2012-13	(-) 0.11	0.10	-	(-) 0.21	-	गैर समीक्षा प्रमाणपत्र	0.24	(-) 10.22	(-) 2.39	(-) 0.11	-
क्षेत्रवार योग				**(-) 0.11**	**0.10**	**-**	**(-) 0.21**	**-**		**0.24**	**(-) 10.01**	**(-) 2.39**	**(-) 0.11**	**-**
योग ग. (सभी क्षेत्रवार गैर – कार्यचालन सरकारी कम्पनियां)				(-) **2.86**	**15.72**	**0.72**	(-) **19.30**	**0.05**	-	**24.19**	(-) **400.70**	(-) **121.87**	(-) **3.58**	-
कुल योग (क+ख+ग)				**(-) 682.30**	**2445.50**	**797.34**	**(-) 2560.54**	**21465.61**	**(-) 1431.76**	**7176.79**	**(-) 8622.09**	**(-) 22910.24**	**(-) 115.04**	-

@ नियोजित पूंजी, वित्त कम्पनियों/निगमों जहां नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, मुक्त रिजर्व्स, बाण्डस, निक्षेपों तथा उधारों (पुनर्वित पोषण सहित) के आरम्भिक तथा अन्त शेषों के योग के माध्यम के रूप में परिकलित की जाती है, के मामले में छोड़कर, निवल स्थाई परिसम्पत्तियों (प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य सहित) जमा कार्यचालन पूंजी को निरूपित करती है।

$ नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, लाभ तथा हानि लेखा को प्रभारित ब्याज तथा लाभ जोड़कर, परिकलित किया गया है।

परिशिष्ट-3

वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अनुदानों एवं परिदानों, प्राप्त गारंटियों, देयों का अधित्याग, बट्टे खाते डाले गए ऋणों तथा साम्या में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 2012 की समाप्ति पर बकाया गारंटियों को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 1.9 में संदर्भित)

(कालम 3 (क) से 6 (घ) तक के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त साम्या/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान* एवं परिदान				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां एवं वर्ष की समाप्ति परं वचनबद्धता@		वर्ष के दौरान देयों का अधित्याग			
		साम्या	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्ध	बट्टे खाते डाले गए पुनर्भुगतान ऋण	साम्या में परिवर्तित ऋण	अधित्याग ब्याज/ शास्ति ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क. कार्यचालन सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड		-	-	7.67	-	7.67	1.88	-	-	-	-	-
2.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड			13.30	0.82	-	14.12	-	-	-	-	-	-
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड			0.19	32.79	-	32.98	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-		**13.49**	**41.28**	-	**54.77**	**1.88**	-		-	-	-
वित्त													
4.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	12.90	4.00	-	16.90	2.36	9.52	-	-	-	-
5.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	1.00	-	-	1.06	-	1.06	-	60.00	-	-	-	-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त साम्या/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान* एवं परिदान				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां एवं वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्धता@		वर्ष के दौरान देयों का अधित्याग			
		साम्या	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्ध	बट्टे खाते डाले गए पुनर्भुगतान ऋण	साम्या में परिवर्तित ऋण	अधित्याग ब्याज/ शास्ति ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
6.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	3.35	-	3.35			-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**1.00**		**12.90**	**8.41**	**-**	**21.31**	**2.36**	**69.52**	**-**	**-**	**-**	**-**
मूलभूत संरचना													
7.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	80.55	35.73	116.28	-	-	-	-	-	-
8.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	-	-	-	(16.06)		(16.06)		300.00	-	-	-	-
9.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	-	-	-					560.78	-	-	94.50	94.50
क्षेत्रवार योग		-	-	-	**80.55 (16.06)**	**35.73**	**116.28 (16.06)**		**860.78**	**-**	**-**	**94.50**	**94.50**
विद्युत													
10.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	182.50	-	0.43	-	-	0.43	-	253.45	-	-	-	-
11.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	300.00	-	-	3576.58	-	3576.58	-	1005.83	-	-	-	-
12.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	76.92	-	-	2062.18	-	2062.18	300.00	320.94	-	-	-	-
13.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	146.10	-	19.15	1514.39	-	1533.54	500.00	496.78	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**705.52**		**19.58**	**7153.15**		**7172.73**	**800.00**	**2077.00**	**-**	**-**	**-**	**-**

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त साम्या/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान* एवं परिदान				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां एवं वर्ष की समाप्ति पर वचनबद्धता@		वर्ष के दौरान देयों का अधित्याग			
		साम्या	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्ध	बट्टे खाते डाले गए पुनर्भुगतान ऋण	साम्या में परिवर्तित ऋण	अधित्याग ब्याज/ शास्ति ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
सेवाएं													
14.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	0.06	-	(0.65)	(20.00)	-	(20.65)	-	-	-	-	-	-
15.	हरियाणा रोडवेज अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड	0.20	-	-		-		-	-	-	-	-	-
16.	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	0.01	-	-	(1.10)	-	(1.10)	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		**0.27**	**-**	**(0.65)**	**(21.10)**	**-**	**(21.75)**	**-**	**-**				
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यचालन सरकारी कम्पनियां)		**706.79**		**45.97 (0.65)**	**7283.39 (37.16)**	**35.73**	**7365.09 (37.81)**	**804.24**	**3007.30**	**-**	**-**	**-**	
सांविधिक निगम													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा भाण्डागार निगम	-	-	0.47		-	0.47	831.51	469.04	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	0.47		-	0.47	831.51	469.04	-	-	-	-
2.	हरियाणा वित्तीय निगम	20.01	-	-	-		-	18.50	120.00	-	-		
क्षेत्रवार योग		20.01	-	-	-	-	0.47	18.50	120.00	-	-		
योग ख.		**20.01**		**0.47**	-	**-**	**0.47**	**850.00**	**589.04**	**-**	**-**		
कुल योग (क+ख)		**726.80**		**46.44 (0.65)**	**7283.39 (37.16)**	**35.73**	**7365.56 (37.81)**	**1654.25**	**3596.34**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी: कम्पनियों/निगमों, जिन्होंने अपने लेखे 2011-12 के लिए अन्तिमकृत किए, के संबंध में छोड़कर, आंकड़े अनन्तिम हैं तथा जैसा कि कम्पनियों/निगमों के द्वारा दिए गए हैं।

@ आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया कुल गारंटियों को इंगित करते हैं।

कोष्ठकों में आंकड़े अनुदानों को निरूपित करते हैं।

परिशिष्ट – 4

पी.एस.यूज, जिनके लेखे बकाया में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 1.24 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. का नाम	वर्ष, जहां तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	अन्ततम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	वर्ष, जिनके लिए लेखे बकाया में है, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश				
			वर्ष	साम्या	ऋण	अनुदान	विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य (परिदान)
कार्यचालन कम्पनियां							
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.एल.)	2010-11	4.14	2011-12	-	-	-	7.67
हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड (एच.एल.आर.डी.सी.एल.)	2010-11	1.56	2011-12	-	-	-	0.82
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.सी.एफ.डी.सी.एल.)	2007-08	38.59	2008-09	1.40	-	-	3.85
			2009-10	1.80	-	-	3.70
			2010-11	5.49	-	-	4.10
			2011-12	-	-	-	4.00
हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड (एच.बी.सी.ई.डब्ल्यू.एस.के.एन.एल.)	2008-09	16.11	2009-10	1.50	-	-	4.71
			2010-11	1.95	-	-	2.37
			2011-12	1.00	-	-	1.06
हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (एच.डब्ल्यू.डी.सी.एल.)	2008-09	16.61	2009-10	-	-		1.40
			2010-11	-	-	-	1.50
			2011-12	-	-	-	3.35
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.एल.)	2010-11	70.70	2011-12	-	-	-	80.55
हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.)	2010-11	25.00	2011-12	-	-	16.06	-
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.)	2010-11	2639.66	2011-12	182.50	-	-	0.43
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.)	2010-11	1260.47	2011-12	146.10	-	-	1514.39
हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (एच.टी.सी.एल.)	2009-10	20.19	2010-11	1.21	-	-	16.61
			2011-12	0.06	-	20.00	-
हरियाणा रोड़वेज़ अभियांत्रिकी निगम (एच.आर.ई.सी.)	2009-10	6.4	2010-11	-	-	-	-
			2011-12	0.20	-	-	-
हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन)	2010-11	9.85	2011-12	0.01	-	1.10	-
कुल				**343.22**		**37.16**	**1650.51**

परिशिष्ट– 5
सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 1.14 में संदर्भित)

1. हरियाणा वित्तीय निगम

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
		(₹ करोड़ में)		
क.	**देयताएं**			
	प्रदत्त पूंजी	186.46	187.50	207.51
	शेयर आवेदन धन	0.54		-
	आरक्षित निधि तथा अन्य आरक्षित एवं अधिशेष	16.53	16.53	16.53
	उधार:			
(i)	बन्धक पत्र एवं ऋण पत्र	47.55	34.35	15.00
(ii)	स्थाई जमा	-		
(iii)	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	189.15	176.68	138.34
(iv)	भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	-
(v)	शेयर पूंजी के बदले में ऋण:	-	-	-
(a)	राज्य सरकार	-	-	-
(b)	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-
(vi)	अन्य (राज्य सरकार सहित)	-	-	-
	अन्य देयताएं तथा प्रावधान	97.04	91.83	89.24
	योग – क	**537.27**	**506.89**	**466.62**
ख.	**परिसम्पत्तियां**			
	नकद एवं बैंक शेष	4.05	19.63	15.20
	निवेश	150.46	149.91	149.91
	ऋण एवं अग्रिम	185.49	145.29	112.99
	निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	15.09	14.54	12.71
	अन्य परिसम्पत्तियां	11.96	12.69	12.55
	विविध व्यय एवं घाटा	139.42	134.03	163.26
	आस्थगित कर परिसम्पत्ति	30.80	30.80	-
	योग – ख	**537.27**	**506.89**	**466.62**
ग.	**नियोजित पूंजी***	**445.81**	**427.64**	**538.28**

* नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, पूंजी के बदले में ऋण, बीज धन, ऋण-पत्रों, आरक्षणों (उनसे अन्य जो विशेषत: वित्तपोषित तथा बाह्य निवेशों द्वारा समर्थित है), बांडस, जमाओं एवं उधारों (पुनर्वित सहित) के आरंभिक एवं अंत शेषों के योग के साधन को निरूपित करती है।

2. हरियाणा भाण्डागार निगम

	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11
		(₹ करोड़ में)		
क.				
	प्रदत्त पूंजी	5.84	5.84	5.84
	आरक्षित एवं अधिशेष	312.32	338.25	369.50
	उधार			
	सरकारी	224.64	257.48	65.45
	अन्य	5.97	4.97	31.99
	व्यापार देय एवं चालू देयताएं (प्रावधानों सहित)	110.78	322.47	385.19
	आस्थगित कर	2.15	2.15	2.15
	योग – क	**661.70**	**931.16**	**860.12**
ख.				
	सकल ब्लाक	121.77*	145.20*	192.94
	घटा: ह्रास	32.45	34.79	37.98
	निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	89.32	110.41	154.96
	प्रगति में पूंजीगत कार्य	0.78	0.81	6.40
	चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	571.60	819.94	698.76
	योग – ख	**661.70**	**931.16**	**860.12**
ग.	**नियोजित पूंजी[$]**	**550.92**	**608.70**	**474.93**

[$] नियोजित पूंजी, निवल स्थाई परिसम्पत्तियों (प्रगति अधीन पूंजीगत कार्यों सहित) जमा कार्यचालन पूंजी को निरूपित करती है।

परिशिष्ट- 6

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 1.14 में संदर्भित)

1. हरियाणा वित्तीय निगम

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
		(₹ करोड़ में)		
1.	आय			
(क)	ऋणों पर ब्याज	16.04	17.83	13.11
(ख)	अन्य आय	3.53	2.71	2.40
	योग -1	**19.57**	**20.54**	**15.51**
2.	व्यय			
(क)	दीर्घावधि एवं अल्पावधि ऋणों पर ब्याज	21.76	6.65	2.37
(ख)	अन्य व्यय	12.87	11.88	13.17
	योग-2	**34.63**	**18.53**	**15.54**
3.	लाभ (+)/हानि(-) कर से पहले (1-2)	(-) 15.06	(+) 2.01	(-) 0.03
4.	कर हेतु प्रावधान	-	-	-
5.	अन्य विनियोजन	-	-	-
6	गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	-	-	-
7.	लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	-	-	-
8.	प्रदत्त/प्रदेय लाभांश	-	-	-
9.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	(+) 13.15	(+) 12.04	(-) 26.85
10.	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की प्रतिशतता	2.95	2.82	

2. हरियाणा भाण्डागार निगम

	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11
		(₹ करोड़ में)		
1.	आय			
(क)	भाण्डागार प्रभार	46.22	60.54	64.75
(ख)	अन्य आय	21.67	29.56	26.83
	योग-1	**67.89**	**90.10**	**91.58**
2.	व्यय			
(क)	स्थापना प्रभार	11.87	16.64	18.39
(ख)	अन्य व्यय	35.40	41.74	41.25
	योग-2	**47.27**	**58.38**	**59.64**
3.	लाभ (+)/हानि(-) कर से पहले(1-2)	20.62	31.72	31.94
4.	पूर्व अवधि समायोजन			
5.	अन्य विनियोजन	10.37	7.00	5.50
6.	लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	10.25	24.72	26.44
7.	वर्ष के लिए लाभांश	10.25	0.68	1.36
8.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	20.96*	32.31	27.40
9.	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की प्रतिशतता	3.80	5.30	5.77

* इसमें ₹ 0.34 करोड़ की राशि का प्रदत्त ब्याज शामिल है।

परिशिष्ट 7

2011–12 तक पांच वर्षों के दौरान वोल्टेज–वार नियोजित क्षमता विस्तार, वास्तविक विस्तार तथा कमी दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.1.10 में संदर्भित)

क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
400 के.वी. सब–स्टेशन (संख्या)						
1	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	1	2
2	वर्ष के लिए नियोजित विस्तार	0	0	1	3	2
3	वर्ष के लिए वास्तविक विस्तार	0	0	1	1	0
4	वर्ष के अंत में (1+3)	**0**	**0**	**1**	**2**	**2**
5	विस्तार में कमी (2–3)	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
400 के.वी. ट्रांसफार्मर क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	945	1890
2	वर्ष के लिए वास्तविक विस्तार	0	0	945	945	0
3	वर्ष के अंत में क्षमता (1+2)	**0**	**0**	**945**	**1890**	**1890**
400 के.वी. लाइन (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	99.4	267.99
2	वर्ष के लिए नियोजित विस्तार					
3	वर्ष के लिए वास्तविक विस्तार	0	0	99.4	168.59	204.764
4	वर्ष के अंत में (1+3)	**0**	**0**	**99.4**	**267.99**	**472.754**
5	विस्तार में कमी (2–3)					
220 के.वी. सब–स्टेशन (संख्या)						
1	वर्ष के आरंभ में	30	32	36	37	42
2	वर्ष के लिए नियोजित विस्तार	5	5	8	14	8
3	वर्ष के लिए वास्तविक विस्तार	2	4	1	5	9
4	वर्ष के अंत में (1+3)	**32**	**36**	**37**	**42**	**51**
5	विस्तार में कमी (2–3)	**3**	**1**	**7**	**9**	**-1**
220 के.वी. ट्रांसफार्मर क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के आरंभ में	6460	6860	7900	8450	9600
2	वर्ष के लिए वास्तविक विस्तार	400	1040	550	1150	1900
3	वर्ष के अंत में क्षमता (1+2)	**6860**	**7900**	**8450**	**9600**	**11500**
220 के.वी. लाइन (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के आरंभ में	2838.59	2902.84	3162.1	3316.3	3789.35
2	वर्ष के लिए नियोजित विस्तार					
3	वर्ष के लिए वास्तविक विस्तार	64.25	259.26	154.2	473.05	664.56
4	वर्ष के अंत में (1+3)	**2902.84**	**3162.1**	**3316.3**	**3789.35**	**4453.91**
5	विस्तार में कमी (2–3)	-	-	-	-	-

क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
132 के.वी. सब – स्टेशन (संख्या)						
1	वर्ष के आरंभ में	115	120	130	139	152
2	वर्ष के लिए नियोजित विस्तार	11	7	7	19	7
3	वर्ष के लिए वास्तविक विस्तार	5	10	9	13	14
4	वर्ष के अंत में (1+3)	**120**	**130**	**139**	**152**	**166**
5	विस्तार में कमी (2 – 3)	**6**	**-3**	**-2**	**6**	**-7**
132 के.वी. ट्रांसफार्मर क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के आरंभ में	5700.67	6047.67	6802.5	7469	8135.5
2	वर्ष के लिए वास्तविक विस्तार	347	754.83	666.5	666.5	880.5
3	वर्ष के अंत में क्षमता (1+2)	**6047.67**	**6802.5**	**7469**	**8135.5**	**9016**
132 के.वी. लाइन (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के आरंभ में	2769.1	2861.83	3063.82	3338.87	3682.92
2	वर्ष के लिए नियोजित विस्तार	-	-	-	-	-
3	वर्ष के लिए वास्तविक विस्तार	92.73	201.99	275.05	344.05	236.37
4	वर्ष के अंत में (1+3)	**2861.83**	**3063.82**	**3338.87**	**3682.92**	**3919.29**
5	विस्तार में कमी (2 – 3)	-	-	-	-	-

परिशिष्ट–8

2010–11 तक गत पांच वर्षों के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.2.7 में संदर्भित)

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
देयताएं					
प्रदत्त पूंजी	48.79	48.79	48.79	48.80	48.80
शेयर आवेदन धन	21.90	21.90	21.90	21.90	21.90
आरक्षित एवं अधिशेष	607.74	699.97	786.97	877.44	975.43
सुरक्षित ऋण	97.64	76.74	53.63	30.54	7.48
असुरक्षित ऋण	161.70	128.51	102.40	78.75	68.00
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	2.13	2.28	2.41	2.41	2.46
चालू देयताएं तथा प्रावधान	897.73	694.95	527.32	803.73	1143.58
कुल देयताएं	**1837.63**	**1673.14**	**1543.42**	**1863.57**	**2267.65**
परिसंपतियां					
अचल परिसंपतियां					
समग्र ब्लाक	50.40	50.89	52.08	52.71	53.70
घटा: मूल्यह्रास	8.74	9.78	10.96	12.34	13.81
निवल अचल परिसंपतियां	41.66	41.11	41.12	40.37	39.89
चालू पूंजीगत कार्य	0	0	0	0.25	0.33
निवेश	19.37	15.97	15.80	15.79	14.69
चालू परिसंपतियां, ऋण एवं अग्रिम	1776.60	1616.06	1486.50	1807.16	2212.74
कुल परिसंपतियां	**1837.63**	**1673.14**	**1543.42**	**1863.57**	**2267.65**
नियोजित पूंजी §	**920.53**	**962.22**	**1000.30**	**1044.05**	**1109.38**
निवल मूल्य §§	**678.43**	**770.66**	**857.66**	**948.14**	**1046.13**

§ नियोजित पूंजी, प्रगति अधीन पूंजीगत कार्यों जमा कार्यचालन पूंजी सहित निवल स्थाई परिसम्पत्तियों को निरूपित करती है।

§§ निवल मूल्य, प्रदत्त पूंजी जमा मुक्त आरक्षण घटा अमूर्त परिसंपत्तियों को निरूपित करता है।

कार्यचालन परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आय					
ब्याज आय	45.89	90.25	78.47	43.86	104.12
अन्य आय	11.16	16.09	18.60	24.75	25.06
खनन बिक्रियां	0	0	49.75	41.41	0
कुल	**57.05**	**106.34**	**146.82**	**110.02**	**129.18**
व्यय					
स्थापना व्यय	4.33	3.95	4.91	8.54	9.80
निदेशक के पारिश्रमिक/व्यय	0.07	0.09	0.15	0.13	0.24
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	7.92	6.62	6.33	3.08	0.97
यात्रा एवं वाहन व्यय	0.58	0.64	0.76	0.88	1.02
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	2.20	3.62	4.68	10.13	6.31
खनन व्यय	0	0	36.34	28.71	0.05
बट्टे खाते डाले गए खराब ऋण	0	0	0	9.68	0
मूल्यह्रास	1.07	1.16	1.21	1.39	1.58
कुल	**16.17**	**16.08**	**54.38**	**62.54**	**19.97**
कर एवं प्रावधानों से पहले लाभ	**40.88**	**90.26**	**92.44**	**47.48**	**109.21**
खराब तथा संदेहस्पद ऋणों (एन.पी.ए.ज)/निवेशों के लिए प्रावधान	2.88	16.13	3.19	(16.35)	3.92
कराधान के लिए प्रावधान	11.74	30.35	28.55	16.58	35.34
कर एवं प्रावधानों के बाद निवल लाभ	**26.26**	**43.78**	**60.70**	**47.25**	**69.95**
आई.टी. अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत सामान्य आरक्षण तथा विशेष आरक्षण	2.70	2.50	7.05	6.24	8.40
कर सहित देय/प्रदत्त लाभांश	2.28	5.85	8.77	8.77	0
तुलन-पत्र में लिए गए लाभांश के पश्चात् निवल लाभ	**21.28**	**35.43**	**44.88**	**32.24**	**61.55**

परिशिष्ट– 9

लेखापरीक्षा में परिकलित की गई के अनुसार भूमि का मूल्यांकन दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.2.27 में संदर्भित)

भूमि का प्रकार	क्षेत्र (एकड़ में)	औसत डी.सी. दर प्रति एकड़ (₹ करोड़ में)	गुणन घटक	मूल्यांकन के लिए ली गई बाजार दरें प्रति एकड़ (₹ करोड़ में)	कुल भूमि मूल्य (₹ करोड़ में)
आवासीय	38.47	6.05	2.79*	16.8795	649.35
वाणिज्यिक	19.24	14.04	3.105#	43.5942	838.75
वन भूमि	293.01	0.8	2.79$	2.232	654.00
	350.72				2142.11

* आवासीय क्षेत्र के लिए औसत डी.सी. दर ₹ 12,550 प्रतिवर्ग गज है तथा बाजार दर ₹ 30,000 से ₹ 40,000 है इस लिए बाजार दर डी.सी. दर से 2.39 से 3.19 गुणा अधिक है तथा इसका औसत 2.79 है जोकि गुणन घटक के रूप में लिया गया है।

\# वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए औसत डी.सी. दर ₹ 29,000 प्रतिवर्ग गज है तथा बाजार दर ₹ 80,000 से ₹ 1,00,000 है इसलिए बाजार दर डी.सी. दर से 2.76 से 3.45 गुणा अधिक है तथा इसका औसत 3.105 है जोकि गुणन घटक के रूप में लिया गया है। $

$ वन भूमि के लिए गुणन घटक आवासीय क्षेत्र जैसा लिया गया है।

परिशिष्ट 10

2007–08 तथा 2011–12 के लिए राजस्व के बकायों की श्रेणी–वार स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 3.1.4 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

श्रेणी	कनेक्टिड				डिस–कनेक्टिड				कुल			
	2007-08		2011-12		2007-08		2011-12		2007-08		2011-12	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
घरेलू (शहरी)	74412	7986.16	81019	10189.46	67908	9124.71	91527	14671.81	142320	17110.87	172546	24861.27
घरेलू (ग्रामीण)	171227	39751.74	248422	59828.35	148792	16356.07	206767	37504.66	320019	56107.81	455189	97333.01
उप–योग (घरेलू)	245639	47737.9	329441	70017.81	216700	25480.78	298294	52176.47	462339	73218.68	627735	122194.3
कृषि	30997	2839.12	66359	5264.25	12894	1524.28	15581	2158.93	43891	4363.4	81940	7423.18
गैर–घरेलू	35892	6233.63	47177	10175.93	31517	4459.06	46071	8593.9	67409	10692.69	93248	18769.83
औद्योगिक	3670	5589.59	4663	6427.42	7448	5015.53	8601	5660.58	11118	10605.12	13264	12088
सरकारी विभाग	5956	27562.91	6548	26416	724	843.204	1005	1275.99	6680	28406.12	7553	27692.04
कुल	**322154**	**89963.15**	**454188**	**118301.4**	**269283**	**37322.85**	**369552**	**69865.87**	**591437**	**127286.00**	**823740**	**188167.30**

परिशिष्ट II
कम रिटर्न दर वाली इकाइयां दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 3.2.6 में संदर्भित)

क्र. सं.	इकाई का नाम	अनुमोदन की तारीख	देय राशि	बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	विविध व्यय	रिटर्न की दर
1	टैकपैक इंडस्ट्रीज	12/05/08	183.56	25.49	157.8	0.27	8.11
2	मोहित प्रोडक्टस	12/05/08	0.66	0.32	0.32	0.02	7.85
3	बलदेवेदेरे इंडस्ट्रीज	16/06/08	1372.35	120	1252.35	-	8.74
4	भानू इंडस्ट्रीज	16/06/08	1627.16	90	1536.45	0.71	6.04
5	एस.के. इंडस्ट्रीज	10/12/08	52.43	4.32	48.08	0.03	5.26 से 7.95
6	भानू स्टील	16/06/08	1431.99	78.15	1353.05	0.79	7.64
7	हरियाणा स्ट्रिप्स	16/06/08	2335.45	196.98	2137	1.47	6.67 से 8.19
8	गगन पेट्स	5/05/08	10.82	4.74	6.04	0.04	5.08
9	राणा इंडस्ट्रीज	5/05/08	4.08	0.85	3.23	-	4.23
10	अन्नपूर्णा उद्योग	31/03/08	231.48	10.69	220.69	0.1	2.54 एवं 6.28
11	नवदुर्गा बिल्डर्स	6/05/08	106.5	0.81	105.34	0.35	2.85
12	हाईटैक इलैक्ट्रोनिक्स	5/05/08	143.96	14.76	129.2	-	3.96
13	इन्फ्यूज़न इंडिया	5/05/08	33.11	4.1	28.79	0.22	8.36
14	बी.आर. सीमेंट	16/06/08	929.05	115.57	813.13	0.35	5.57 से 6.85
15	आधुनिक स्टील	10/12/08	384.52	39.39	345.06	0.07	4.36 से 4.86
16	हरियाणा ट्रांसमिशन	26/08/08	1182.86	76.09	1105.84	0.93	5.23
17	वी.आई.पी. फैन्स	24/09/09	6.13	0.75	5.38	-	0.43 से 6.31
18	रेईजो प्लास्टो	31/03/09	560.8	77.74	483.06	-	6.67
19	रवि आयल इंडस्ट्रीज	23/04/08	19.31	1.37	17.94	-	7.7
20	अग्रवाल स्पिनरर्स	11/06/09	127.28	3.87	123.38	0.03	6.37
21	नाँज इंटरनेशनल	11/06/09	83.93	13.02	70.87	0.04	7.15
22	ज्ञान आर्गेनिक्स	11/06/09	1257.66	73.06	1183.81	0.79	3.58 से 6.24
23	सोनू फोटोस्टेट	16/06/09	93.11	14.72	78.34	0.05	6.67
24	आन्नद टैक्सटाइलज	11/06/09	1.91	0.43	1.48	-	5.24
25	बिको लक्स आटो लैम्पस	20/06/09	70.77	5.74	64.97	0.06	5.49
26	गोयल सेल्ज कारपोरेशन	26/03/10	203.1	7.3	195.78	0.02	6.39
27	रिंकू अलाइज	26/03/10	22.4	7.73	14.47	0.2	8.13
28	एम.एल. राइस मिल्ज	19/08/10	22.48	0.18	22.23	0.07	2.98
29	गुरू नानक फर्नीचर	20/12/10	0.73	0.21	0.52	-	4.99

क्र. सं.	इकाई का नाम	अनुमोदन की तारीख	देय राशि	बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	विविध व्यय	रिटर्न की दर
30	प्रेम मैटल उद्योग	31/03/11	46.02	5.41	40.13	0.48	6.68 से 7.60
31	पदमा मशरूम	31/03/11	230.72	26.57	203.61	0.54	7.25
32	अमर स्पिनिंग	19/08/10	746.39	28.22	712.01	6.16	5.47
33	रविन्द्र कुमार	20/12/10	33.53	5.6	27.92	0.01	6.34
34	हरियाणा पाइप मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज	31/03/09	38.68	0.57	37.98	0.13	6.68
35	एक्सलजियर प्लांट कारपोरेशन	19/08/10	565.75	10	555.54	0.21	2.85

परिशिष्ट 12

निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पी.एज)/अनुच्छेद, जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 4.12.1 में संदर्भित)

क्र.सं.	विभाग का नाम	2009-10		2010-11		कुल	
		पी.एज.	अनुच्छेद	पी.एज.	अनुच्छेद	पी.एज.	अनुच्छेद
1.	बिजली	1	8	1	2	2	10
2.	पर्यटन	-	-	-	1	-	1
3.	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.)	-	-	1	-	1	-
	कुल	**1**	**8**	**2**	**3**	**3**	**11**

परिशिष्ट 13

30 सितंबर 2012 को कोपू की बकाया अनुशंसा दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 4.12.3 में संदर्भित)

क्र.सं.	प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अवधि	प्रस्तुतिकरण का वर्ष	बकाया अनुशंसाओं की संख्या
1.	16वां कोपु	1976-77 से 1980-81	1983-84	2
2.	22वां कोपु	1979-80 से 1982-83	1985-86	3
3.	23 कोपु	1981-82	1986-87	3
4.	24वां कोपु	1982-83	1986-87	1
5.	29वां कोपु	1980-81, 1981-82 एवं 1982-83	1988-89	1
6.	33वां कोपु	1984-85	1991-92	2
7.	34वां कोपु	1985-86	1992-93	1
8.	37वां कोपु	1988-89	1993-94	1
9.	38वां कोपु	1989-90	1994-95	2
10.	41वां कोपु	1992-93	1996-97	2
11.	42वां कोपु	1993-94	1996-97	1
12.	43वां कोपु	1994-95	1997-98	6
13.	44वां कोपु	1995-96	1998-99	3
14.	48वां कोपु	1995-96, 1996-97 एवं 1997-98	2000-01	11
15.	49वां कोपु	1996-97 एवं 1998-99	2001-02	5
16.	50वां कोपु	1998-99 एवं 1999-2000	2002-03	10
17.	51वां कोपु	1998-99 एवं 1999-2000	2003-04	4
18.	52वां कोपु	1999-2000, 2000-01 एवं 2001-02	2005-06	12
19.	53वां कोपु	2003-04	2006-07	38
20.	54वां कोपु	2003-04 एवं 2004-05	2007-08	10
21.	55 वां कोपु	2003-04, 2004-05 एवं 2005-06	2008-09	14
22.	56वां कोपु	2005-06	2009-10	6
23.	57वां कोपु	2006-07	2010-11	10
24.	58वां कोपु	2006-07 एवं 2007-08	2011-12	8
	कुल			**156**

परिशिष्ट 14

30 सितंबर 2012 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभाग–वार विघटन दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 4.12.4 में संदर्भित)

क्र.सं.	विभाग का नाम	पी.एस. यूज की संख्या	बकाया आई. आरज की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	वर्ष जब से अभ्युक्तियां बकाया हैं
1.	कृषि	4	16	73	2006-07
2.	उद्योग	2	9	41	2006-07
3.	परिवहन	1	1	4	2007-08
4.	इलेक्ट्रोनिक्स	2	8	22	2006-07
5.	वन	1	4	5	2005-06
6.	गृह	1	4	24	2008-09
7.	अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण	2	4	9	2008-09
8.	महिला एवं बाल विकास	1	5	11	2006-07
9.	पर्यटन व जन संपर्क	1	6	9	2004-05
10.	लोक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.)	1	1	12	2008-09
11.	बिजली	5	42	280	2004-05
	कुल	**21**	**100**	**410**	

संकेताक्षरों की शब्दावली	
ए.सी.	लेखापरीक्षा समिति
ए.सी.डी.	अग्रिम खपत जमा
ए.सी.एस.आर.	स्टील प्रबलित एल्यूमीनियम कंडक्टर
ए.पी.	कृषीय पंप सैट
ए.पी.सी.पी.एल.	आरावली पावर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
ए.आर.आर.	कुल राजस्व आवश्यकता
ए.एस.	लेखांकन मानक
बी.डी.आई.	बैकिंग डाउन निर्देश
बी.ओ.डी.	निदेशक मंडल
बी.ओ.टी.	बिल्ट आपरेट ट्रांस्फर
बी.एस.	भारी आपूर्ति
सी.ए.	चार्टड एकांउटेंट
सी.ए.	वाणिज्यिक सहायक
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
सी.ई.ए.	केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण
सी.ई.आर.सी.	केन्द्रीय बिजली विनियामक आयोग
सी.के.एम.	सर्केट किलोमीटरज
सी.एल.	निगम ऋण
सी.ओ.डी.	वाणिज्यक परिचालन तिथि
सी.ओ.पी.यू.	लोक उपक्रम समिति (कोपू)
सी.एस.	संभूति प्रतिभूति
सी.टी.	करंट ट्रांसफार्मर्ज
सी.टी.यू.	केंद्रीय संचारण उपयोगिता
सी.वी.सी.	केंद्रीय सतर्कता आयोग
डी.सी.	जिला क्लेक्टर
डी./सी.	डबल सर्किट
डी.जी.ए.	विलीन गैस विश्लेषण
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.आई.	डक्टाईल आयरन
डी.आई.एस.सी.ओ.एम.	संवितरण कंपनी (डिस्कोम)
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.आर.टी.	डैब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल
डी.एस.	घरेलू आपूर्ति
डी.टी.	वितरण ट्रांसफार्मर्ज
डी.टी.पी.	जिला नगर आयोजना
डी.यू.	विभागीय उपक्रम
ई.डी.	उत्पाद शुल्क

संकेताक्षरों की शब्दावली	
ई.एफ.एस.	उपकरण वित्त स्कीम
ई.एच.टी.	अतिरिक्त उच्च दाब
ई.एम.पी.	संपदा प्रबंधन प्रक्रिया
ई.पी.सी.	प्रतिष्ठापन, प्रापण तथा चालू करना
ई.पी.एस.	साम्या भागीदारी स्कीम
एफ.ए.आर.	फलोर एरिया अनुपात
एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम
एफ.सी. एंड पी.एस.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव
एफ.डी.आर.	सावधि जमा रसीद
जी.सी.	वृद्धि केंद्र
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.टी.	संचारण के लिए उत्पादन
एच.ए.आई.सी.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड
एच.ई.आर.सी.	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग
एच.एफ.सी.	हरियाणा वित्त निगम
एच.आई.पी.बी.	हरियाणा निवेश उन्नयन बोर्ड
एच.पी.सी.	उच्च शक्तिप्राप्त समिति
एच.पी.जी.सी.एल.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
एच.पी.पी.सी.	हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र
एच.एस.ए.एम.बी.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एच.एस.ई.बी.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड
एच.यू.डी.ए.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
एच.वी.डी.एस.	उच्च बोल्टेज संवितरण प्रणाली
एच.वी.पी.एन.एल.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
एच.डब्ल्यू.सी.	हरियाणा भांडागार निगम
आई.ए.	औद्योगिक क्षेत्र
आई.ई.	औद्योगिक संपदा
आई.जी.एस.टी.पी.पी.	इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
आई.एम.टी.	औद्योगिक माडल टाउनशिप
आई.पी.जी.सी.एल.	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
आई.आर.	निरीक्षण प्रतिवेदन
जे.वी.ए.	संयुक्त वैंचर अनुबंध
के.एल.	किलोलीटर
के.एम.पी.	कुंडली, मानेसर, पलवल
के.एम.एस.	खरीफ विपणन सीजन
के.वी.	किलोवोल्ट
के.डब्ल्यू.	किलोवाट

संकेताक्षरों की शब्दावली	
एल.ए.	भूमि अधिग्रहण
एल.ए.	प्राधिकार पत्र
एल.ए.सी.	भू अधिग्रहण कलेक्टर्स
एल.आई.एल.ओ.	लूप इन लूप आऊट
एल.ओ.ए.	स्वीकृति पत्र
एल.ओ.सी.	लाइन आफ क्रेडिट
एल.एस.	बृहद् आपूर्ति
एल.यू.	लाख यूनिट
एम. एंड पी.	मीटरिंग एवं प्रोटेक्शन
एम.डी.	प्रबंध निदेशक
एम.आई.एस.	प्रबंध सूचना प्रणाली
एम.ओ.पी.	ऊर्जा मंत्रालय
एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एम.टी.पी.सी.	संचारण योजना मानदण्ड का मैनुअल
एम.यू.	मिलियन यूनिटस
एम.वी.ए.	मेगावोल्ट एम्पीयर
एम.डब्ल्यू.	मेगावाट
एन.सी.आर.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन.डी.एस.	गैर – रिहायशी आपूर्ति
एन.ई.पी.	राष्ट्रीय बिजली योजना
एन.एच.ए.आई.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एन.आई.टी.	सूचना निमंत्रण निविदा
एन.आई.टी.सी.ओ.एल.	नार्थ इण्डिया टैक्नीकल कंसलटैंसी आर्गेनाईजेशन लिमिटेड
एन.ओ.सी.	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एन.पी.ए.	अनिष्पादक परिसम्पति
एन.आर.एल.डी.सी.	उत्तर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र
एन.टी.पी.सी.	नैशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन
ओ. एंड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
ओ.टी.एस.	वन टाइम सैटलमैंट
पी.ए.जी.	प्रधान महालेखाकार
पी.डी.सी.ओ.	स्थाई वियोजन आदेश
पी.ई.सी.	अनंतिम आर्थिक लागत
पी.जी.सी.आई.एल.	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
पी.एच.डी.	जन स्वास्थ्य विभाग
पी.ओ.	क्रय आदेश
पी.पी.पी.	पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
पी.एस.सी.एम.	मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

संकेताक्षरों की शब्दावली	
पी.टी.पी.एस.	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन
पी.वी.	भौतिक सत्यापन
आर.सी.	वसूली प्रमाण–पत्र
आर.जी.टी.पी.एस.	राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन
आर.एच.एस.एल.	रिलायंस हरियाणा सेज लिमिटेड
आर.आई.एल.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
आर.एल.डी.सी.	क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सैंटर
आर.ओ.सी.	कंपनी रजिस्ट्रार
आर.ओ.डब्ल्यू.	राइट आफ वे
आर.टी.यू.	रिमोट टरमिनल यूनिट
एस./सी.	सिंगल सर्केट
एस.ए.आर.	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस.बी.ओ.पी.	स्टेट बैंक आफ पटियाला
एस.डी.ओ.	उप मंडल अधिकारी
एस.ई.	अधीक्षक अभियंता
एस.ई.एम.	विशेष ऊर्जा मीटर
एस.ई.आर.सी.	राज्य बिजली विनियामक आयोग
एस.ई.जैड.	विशेष आर्थिक जोन
एस.एफ.सी.	राज्य वित्त निगम
एस.एच.पी.पी.सी.	विशेष उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति
एस.आई.डी.बी.आई.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एस.आई.पी.	राज्य औद्योगिक नीति
एस.एल.डी.सी.	राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र
एस.एम.एस.	सब स्टेशन प्रबंधन प्रणाली
एस.पी.सी.	भंडार क्रय समिति
एस.पी.वी.	विशेष परियोजन वाहन
एस.एस.	उप–स्टेशन
एस.टी.यू.	राज्य संचारण उपयोगिता
टी. एंड डी.	संचारण एवं संवितरण
टी.ए.सी.	निविदा आबंटन समिति
टी.डी.	संवितरण के लिए संचारण
टी.डी.सी.ओ.	अस्थाई वियोजन आदेश
टी.डी.एस.	टैक्स डिडक्ट एट सोर्स
टी.एस.	संचारण प्रणाली
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डब्ल्यू.सी.टी.एल.	कार्यचालन पूंजी अवधि ऋण

© भारत के
नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in